लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 7 मई, 1993/17 वैशाख, 1915 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
36	ऊपर से 11	"स्वेच्छिक" के स्थान पर "स्वैच्छिक" पढ़िये।
51	ऊपर से 1	"स्बल संबंधी घोटाला" के स्थान पर "स्बल घोटाला" पढ़िये।
58	ऊपर से 10	"वजीनिया" के स्थान पर "वर्जीनिया" पढ़िये।
153	ऊपर से 11	"प्रो0 अशोक आनंदराव देशमुख" के स्थान पर "श्री अशोक आनंदराव देशमुख" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 21, छठा सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 40, शुक्रवार, 7 मई, 1993/17 वैशाख, 1915 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या : 901 से 906	...	...	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...		24—162
तारांकित प्रश्न संख्या : 907 से 920	...	...	24—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7858 से 7862, 7864 से 7894, 7896 से 7940, 7942 से 7946, 7948 से 7973 और 7975 से 7993	...	...	35—162
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	182—187
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			
चौदहवीं से इक्कीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखे गए	...		187
सभा का कार्य	...	...	187—189
कार्य-मंत्रणा समिति			
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	...		190
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	...	...	190—205
राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री एम० वी० चव्हाण	...		190

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

श्री रामेश्वर पाटीदार 191
श्री मोहन सिंह 194
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... 196
श्री एम० रमन्ना राय 198
श्री तेज नारायण सिंह 199
श्री संतोष कुमार गंगवार 201
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 202

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस बी० चव्हाण 205

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत 205

विधेयक पुरःस्थापित ... ... 206—207

(एक) इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

श्री विश्वेश्वर भगत 206

(दो) केन्द्रीय सचिवालय सेवा विधेयक

श्री राम प्रकाश चौधरी 206

(तीन) मुम्बई उच्च न्यायालय (कोल्हापुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ 207

श्री वसुदेव आचार्य का रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

(विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन, आदि)—वापस लिया गया ... 207—214, 214—231

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 207
श्री चित्त बसु 210
श्री ओस्कार फर्नान्डीज 214
श्री सूर्य नारायण यादव 215

विषय			पृष्ठ
	श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	... ...	215
	श्री विश्वनाथ शास्त्री	... ...	217
	श्री विजय एन० पाटील	... ...	218
	श्री राम विलास पासवान	... ...	219
	श्री गुलाम मोहम्मद खां	... ...	220
	श्री एस० एम० लालजान बाशा	... ...	220
	श्री पीटर जी० मरबनिआंग	... ...	221
	श्री सी० के० जाफर शरीफ	... ...	222
	श्री बसुदेव आचार्य	... ...	226
वापस लेने के लिए प्रस्ताव			
	श्री बसुदेव आचार्य	...	231
श्री चन्दूभाई देशमुख का कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक			
विचार करने के लिए प्रस्ताव		... ...	232—239
	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	... ...	232
	डा० महादीपक सिंह शाक्य	... ...	233
	श्री शिवाजी पटनायक	... ...	236
	श्री गोपी नाथ गजपति	... ...	237
	श्री मंजय लाल	... ...	238
	श्री वीरेन्द्र सिंह	... ...	238
मंत्री द्वारा वक्तव्य			
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को अपने विशेष 301-कानून के अधीन एक प्राथमिकता वाला देश घोषित करने के संबंध में			
	श्री प्रणव मुखर्जी	... ..	214

लोक सभा

शुक्रवार, 7 मई, 1993/17 वैशाख, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुख कृषि नीति

+

*901. **श्री छेदी पासवान :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक नई निर्यातोन्मुख कृषि नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस नीति में किन-किन कृषि मदों और फार्म उत्पादों को शामिल किया गया है;

(ग) यह नीति कब से लागू की जा रही है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्म उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो मदवार और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में कार्यरत निर्यातोन्मुख एककों को अपने पचास प्रतिशत उत्पादों की बिक्री स्वदेशी टेरिफ क्षेत्रों में करने की अनुमति दी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उक्त नीति निर्यात लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सकेगी ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ज) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग), (च) और (छ) भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात में प्राकृतिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक सुविधा प्राप्त है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि उत्पादों के निर्यात को उच्च अग्रता प्रदान की जाए।

निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में कृषि क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में निर्यात अभिमुख इकाइयों (ई० ओ० यू०) की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो इकाइयां कृषि कार्य, पुष्प-उत्पादन, उद्यान कार्य, आदि में लगी हों वे चाहे अपने उत्पादन का केवल 50% ही निर्यात करती हों तब भी अब शुल्क मुक्त आयात का लाभ उठा सकती हैं। वे अपने उत्पादन का शेष 50% भाग घरेलू मार्किट में बेच सकती हैं जबकि गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए यह सीमा 25% भी है। इस नीति के अधीन "पूंजीगत माल" की परिभाषा में विस्तार करके उसमें कृषि-कार्य और संबद्ध क्रियाकलाप में प्रयोग होने वाले पूंजीगत सामान को शामिल कर दिया गया है ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत इकाइयां अपने उपस्कर रियायती शुल्क दर पर आयात करने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई० पी० सी० जी०) योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को अपेक्षित कुछ उत्पादन सामग्री और सामान को निर्यात की नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है ताकि अब उनका बिना लाइसेंस के मुक्त आयात किया जा सके—ये सामग्री है ताजे फलों पर वैक्सिंग करने के लिए एडिबल, वैक्स, सब्जियों पर वैक्सिंग करने के लिए एडिबल वैक्स, अंगूरों का गार्ड-पेपर, अंगूरों के उपचार के लिए डिपिंग तेल, आदि।

वर्ष 1993-94 के केन्द्रीय बजट में भी कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की निर्यात संभावनाएं बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहनों के एक पैकेज की व्यवस्था की गई है।

(घ), (ङ) और (ज) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्यात के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(1991-92 की कीमतों पर करोड़ रुपयों में)

मद	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6
(क) बागान उपज (अर्थात काफी/चाय)	1484	1529	1573	1620	1666
(ख) समुद्री उत्पाद	1492	1621	1760	1913	2077
(ग) कृषि वस्तुएं (जैसे तम्बाकू, खली, मसाले, काजू, गिरी, कपास, चावल, मांस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फल तथा सब्जियां, चीनी आदि)	5448	6066	6749	7497	8321
जोड़	8424	9216	10082	11030	12064

ऊपर जिन नीतिगत प्रोत्साहनों का जिक्र किया गया है उनसे आशा है कि कृषि उत्पादों के

निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा सरकार को विश्वास है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित कुल लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भारत फल और सब्जी उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है किन्तु दुख है कि हमारे देश में 400 करोड़ रुपये की सब्जी प्रति वर्ष खराब हो जाती है । देश में पिछले वर्ष 280 मीट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ और सब्जियों का उत्पादन 580 लाख मीट्रिक टन हुआ । हमारे देश से विदेशों में फलों और कृषि पदार्थों के निर्यात की बहुत सम्भावनाऐं हैं किन्तु सरकार ने उसकी सदैव उपेक्षा की है । हमारा विश्व व्यापार के मामले में कृषि-गत पदार्थों का हिस्सा लगातार घट रहा है, यह एक प्रतिशत के लगभग कम हुआ है और सरकार कहती है कि वह विभिन्न उपाय कर रही है । अगर उपाय कर रही है तो विश्व व्यापार में भारतीय हिस्सेदारी क्यों कम हो रही है ? पहले हम मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि पदार्थों के निर्यात में···

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, ऐसा नहीं ।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पर आ रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप स्पीच नहीं कर सकते ।

श्री छेदी पासवान : ठीक है । सबसे आगे थे किन्तु आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है । तो मैं अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इस नई निर्यात नीति का लाभ छोटे कृषकों को न मिलकर बड़े किसानों और व्यापारी वर्ग को ही मिल रहा है ? छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है । दूसरा और···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं आयेगा । आपको एक प्रश्न इसमें से निकालने के लिए पूछना चाहिए । ऐसे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा ।

श्री छेदी पासवान : ठीक है, अध्यक्ष महोदय । उसी में ख है, और क्या सरकार ने डंकल प्रस्ताव का कृषि उत्पादन के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, यह सही है कि हमारे यहां फल और सब्जियों का निर्यात करने की काफी अधिक साधन क्षमता है वास्तव में, भारत क्रमसः ब्राजील और चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन करने वाला देश है नई नीति में—बहुत नई नहीं—हमने आयात निर्यात नीति में संशोधन किया है जिसकी मैंने 1 अप्रैल, 1993 को घोषणा की थी । मैंने यह बताया था कि किसानों को कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं दी जायेंगी छोटे किसानों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी कृषि मंत्रालय छोटे किसानों और कृषि व्यवसायी संघों के माध्यम से एक तंत्र बनाने का विचार कर रहा है जिससे ऋण संस्थाओं जैसी तकनीकी संस्थाओं गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र, सरकारी एजेंसियों, क्षेत्रीय वैज्ञानिक संगठनों और प्रयोगशालाओं और स्वयं किसानों से इन संघों में बातचीत द्वारा

किसानों को बेहतर फसल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जा सके, ताकि उनके उत्पाद को अधिक दिनों तक रखा जा सके और उनके उत्पाद का बाजार में अच्छा मूल्य मिल सके।

सम्पूर्ण निर्यात के कम होने के संबंध में औद्योगिकीकरण के बढ़ने और निर्यात मदों के अधिक निर्यात के कारण तुलनात्मक दृष्टि से इसमें कमी आएगी और इसलिए यह प्रोत्साहनकारी है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्पूर्ण कृषि निर्यात बढ़ाने की काफी संभावना है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमैण्टरी प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में आपस में समन्वय नहीं होने के कारण कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? निर्यात है, तो विभिन्न मंत्रालयों में आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? इसी से संबंधित प्रश्न (ख)—क्या यह बात सही है, 1992-93 में कृषि निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में कमी नहीं है और सरकार इस मामले में एकमत है। विचारों और दृष्टिकोण में कुछ मतभेद हो सकता है लेकिन उन्हें सामान्य प्रक्रियाओं के जरिए दूर किया जा रहा है। इसलिए माननीय सदस्यों की यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है। इसके अतिरिक्त दोनों मंत्रालय अधिक से अधिक निर्यात बढ़ाने के इच्छुक हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मंत्रालय घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है उनके विचार भिन्न हो सकते हैं और इन्हें सुलझाया जा रहा है। वर्ष 1992-93 के लिए कुल लक्ष्य के संबंध में हमें मार्च माह के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे लिए सही-सही आंकड़े देना संभव नहीं होगा लेकिन हम लक्ष्य के करीब होंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि कृषि निर्यात में सबसे अधिक निर्यात की संभावना मछली की है। यदि हां, तो उनका मंत्रालय एक वर्ष पहले प्रस्तुत की गयी मत्स्य संबंधी एक्सट्रीम फोकस ग्रुप की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है और क्या वह शीतकालीन सत्र तक अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों से एक राष्ट्रीय मछली पालन नीति लाने के लिए विचार करेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मछली पालन ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत अधिक संभावना है। वास्तव में, यह 34 मुख्य पदों में से एक है। नीति के संबंध में, यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है और मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है और पासवान जी के प्रश्न के जवाब में जो कहा गया है, वह बहुत असंतोषजनक है। डोमैस्टिक बिक्री में आपने कहा है कि 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आगे बढ़ाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पचास प्रतिशत तक इसको बढ़ाने से देश में जो फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री का सामना है, उसमें क्या रिपैट्रिएशन होगा

और क्या फॉरन एक्सचेंज पर आंच आएगी या नहीं ? दूसरा प्रश्न (ख) भाग—मंत्री महोदय ने डंकल प्रस्ताव के तहत निर्यात करने का समर्थन किया है। जब तक ई० ई० सी० देश और यू० एस० ए० जो सब्सिडी देते हैं, वह जीरो तक नहीं पहुंच जाएगी और छः साल में वन-थर्ड घटाने के लिए कहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में सामान की वर्ड प्राइस क्या होगी ? बासमती आप निर्यात कर सकते हैं. गेहूं को निर्यात करने की बात है। हम लोग सीरियल-प्रोडक्शन मंत्री में स्टैगनेशन कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। मैं महोदय से जानना चाहता हूं, क्या हम गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय जहां तक स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र में बिक्री का संबंध है, संभवतः माननीय सदस्य ने उन रियायतों की सराहना नहीं की है जो हम कृषि क्षेत्र को दे रहे हैं। जहां तक निर्यातोन्मुखी एककों को संबंध है अन्य निर्माण क्षेत्रों में, 75 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात किया जाता है और 25 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है। हम निर्यात संबंधक क्षेत्रों में स्थित कृषि आधारित उद्योगों को विशेष सुविधाएं देना चाहते हैं। उनके लिए निर्यात दायित्व 75 प्रतिशत होने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत होना चाहिए और इस मामले में देय में इनकी अधिक मात्रा उपलब्ध होगी और कृषि निर्यातकों के लिए निर्यात दायित्व घटाना संभव होगा। कृषि मदों के निर्यात पर सामान्य नीति के संबंध में मैंने पहले कई अवसरों पर इस सभा में संकेत दिया है कि इनके निर्यात और आयात में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए यदि हम अच्छी किस्म का चावल 250 रु० प्रति टन की इकाई लागत पर निर्यात करते हैं और यदि हम चावल की अन्य किस्मों, जिनकी मांग है का आयात करते हैं तो उन्हें प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। कभी-कभी इससे हमें लाभ होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बर्मा से चावल आयात करना देश के पश्चिमी भाग से चावल और खाद्य सामग्री लाना आसान है। स्थिति यह है।

राज सहायता और डंकल प्रस्ताव के संबंध में इस सभा को इस मामले पर चर्चा करने का विशेषाधिकार है। मैंने विभिन्न राजनैतिक दलों, मजदूर संघों, संगठनों और किसान संगठनों से भी चर्चा की है। परामर्श का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने राजनैतिक दलों से चर्चा पूरी कर ली है। लेकिन अन्य संगठनों से अभी चर्चा की जानी है।

जहां तक डंकल प्रस्ताव में अंतिम रूप दिये जाने का संबंध है, हमें अभी इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक विभिन्न देशों के साथ बताई गई वर्तमान स्थिति का संबंध है, उत्पाद राजसहायता और गैर उत्पाद राजसहायता में कुल सहायता उपलब्ध है। जहां तक हमारे मूल्यांकन का संबंध है, कृषि उत्पादों पर हमारे द्वारा उपलब्ध राजसहायता 10 प्रतिशत से बहुत कम 5 से 6 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री प्रताप राव बी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष जी, चीनी के बारे में इस देश के जो उपभोक्ता हैं उनकी आपूर्ति के लिए जितनी चीनी आवश्यक है मुझे ऐसा लगता है कि इस साल तो उत्पादन घटता जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर क्या चीनी निर्यात की जाएगी। फल और सब्जियां जो सरकार भेजना चाहती है उसके स्टोर के बारे में हमारे यहां कोई सुविधा नहीं है। फल और सब्जियां

भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। वह बहुत भारी मात्रा में आता है उसके कारण बहुत सी सब्जियां बाहर भेजना मुश्किल होता है तो इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चीनी का निर्यात और भण्डारण।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक चीनी के निर्यात का संबंध है, हमने निर्णय लिया है, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला एक मात्र देश है और यदि हमारे किसानों की बाह्य बाजार में पहुंच नहीं है तो यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं होगा कि उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो।

जहां तक स्थानीय उपभोक्ताओं और उनकी मांगों का संबंध है तो हमेशा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और इन अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता में उचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। आयात और निर्यात दोनों मार्ग खुले रखे जाने चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां एक प्रश्न में तीन प्रश्न हैं। एक निर्यात क्षेत्र से, दूसरा भण्डारण से से और तीसरा निर्यात पर राजसहायता से सम्बन्धित है।

श्री प्रणव मुखर्जी : परिवहन लागत देश में परिवहन और बाह्य परिवहन दोनों के लिए है। जब हम यह निर्णय लेते हैं और विचार करते हैं कि क्या निर्यात लाभकर होगा तो हम इन सभी बातों पर विचार करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यह सही है हमारे यहां जो भी उत्पादन होता है फल और फूल का, तो उसके लिए स्टोरेज के लिए कोई उतनी अच्छी सुविधा नहीं है जिसके कारण निर्यात को इतना प्रोत्साहन मिले। आपको मालूम है कि अभी जूनागढ़ में आम की एक जात है केसरकैरी, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। तो उसके लिए निर्यात बढ़ाने के लिए, स्टोरेज के लिए तथा उसको और निर्यात बढ़ाने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई अलग से कार्यक्रम बना रही है ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सही है। यदि हम फल और सब्जियों का निर्यात करना चाहते हैं तो हमें इन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करना होगा। हमें उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की औद्योगिकी उपलब्ध करानी होगी। हमें भण्डारण सुविधाएं और रेफरीजरेटिड परिवहन सुविधाएं और बाजार तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करानी होंगी। यही कारण है कि मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया है कि छोटे किसान कृषिक व्यवसाय संघ किसानों को ये सुविधाएं

उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने हेतु कार्यवाही कर रहे हैं जिससे उनके उत्पाद की भण्डारण अवधि बढ़ सके और वे उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

खानों में सुरक्षा

*902. **श्री बलराज पासी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय/राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की जायेगी;

(ग) क्या ऐसे सम्मेलन निरन्तर आयोजित किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) 14-15 मई, 1993 को नई दिल्ली में "खानों में सुरक्षा" विषय पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त सम्मेलन से पूर्व सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करने तथा छत गिरने के कारण कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करने, ओपन कास्ट तथा भूतल वाले कार्यों में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम तथा सुरक्षा शिक्षा और सुरक्षा प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी के विशेष सन्दर्भ में आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और सिफारिशें किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

ऐसा पहला सम्मेलन वर्ष 1958 में आयोजित किया गया था और तबसे अभी तक छः और सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पिछला सम्मेलन 19-20 दिसम्बर, 1988 को आयोजित किया गया था। इन सम्मेलनों की सुरक्षा आन्दोलन को नयी प्रेरणा देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आवधिक रूप से आयोजित किया जाता है, तथा इन्हें आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि खनिक श्रमिकों के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं किया जाता और 1988 से लेकर जितने भी ऐसे सम्मेलन हुए हैं, उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है, यदि की गई है तो उसके क्या परिणाम हुए हैं। क्या दुर्घटनाओं में मरने वालों की और घायल होने वालों की संख्या में कमी आई है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना चाहिए तथा यदि प्रत्येक वर्ष न हो सके तो कम से कम जब सम्भव हो। हम उनके इस सुझाव को अपने ध्यान में रखेंगे।

जहां तक पिछले सम्मेलनों का सम्बन्ध है देश में कुल सात सम्मेलन हुए हैं। पहला सम्मेलन 1958 में कलकत्ता में, दूसरा 1966 में कलकत्ता में और तीसरा 1973 को कलकत्ता में हुआ था।

चौथा सम्मेलन दिल्ली में 1978 में हुआ था। पांचवा, छटा तथा सातवां सम्मेलन क्रमशः 1980, 1986 और 1988 में दिल्ली में हुआ था। तथा नवीनतम सम्मेलन इस वर्ष दिल्ली में ही इस महीने के 14 तथा 15 तारीख के लिए निर्धारित है।

जहां तक विभिन्न सम्मेलनों के सिफारिशों का सवाल है, मैं कर सकता हूं कि कुल मिलाकर इन सम्मेलनों की ज्यादातर सिफारिशें विशेषकर कर्मकारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपबन्धों के कानून से सम्बन्धित सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। उन सम्मेलनों में से एक सम्मेलन में दिए गए इस सुझाव के परिणामस्वरूप कि सुरक्षा प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी शुरू की जानी चाहिए, खान अधिनियम में संशोधन किया गया है हम विभिन्न खानों में मजदूरों के निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। उनमें से एक सिफारिश यह है कि खान स्तर पर एक द्विपक्षीय समिति होनी चाहिए। इसे भी क्रियान्वित किया गया है, सम्मेलन का एक सुझाव यह था कि न केवल कर्मकारों को बल्कि निरीक्षकों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, सतत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश का अनुपालन किया जा रहा है।

सातवें सम्मेलन में जो भी निर्णय लिया गया अगले सम्मेलन में उसकी समीक्षा की जाएगी। पिछले सम्मेलन में मुख्यतया चार शीर्षों में अन्तर्गत लगभग 42 सिफारिशें थीं। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश सहायता योजना तथा एक प्रकार के सुरक्षा नियम थे। 14 तथा 15 मई के सम्मेलन के कार्यसूची सम्बन्धी पत्रों को पढ़कर के मैंने पाया कि सातवें सम्मेलन की ज्यादातर सिफारिशों को इसमें रखा गया है। फिर भी अगली बैठक में हम इसकी समीक्षा करेंगे।

जहां तक दुर्घटना की संख्या का सवाल है, इसमें कमी आई है, 1986 में कुल 180 दुर्घटना हुईं। 1992 में 186 दुर्घटना हुईं। 1996 में घातक दुर्घटनाओं के कारण कुल 214 लोग मारे गए। 1992 में यह संख्या घटकर 185 रह गई।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिन लोगों की खानों में मृत्यु हो जाती है, उनको कितने समय में मुआवजा दिया जाता है। 1991 में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनको कितने समय में मुआवजा दे दिया गया है। इन खानों में जो लोग विकलांग हो जाते हैं, उन लोगों को अन्य प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने की क्या सरकार की कोई योजना है। यदि हां तो कितने विकलांगों को दूसरे प्रतिष्ठानों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी गई है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : खान के मजदूर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से नियन्त्रित होते हैं। इसका हमें कड़ाई से पालन करते हैं। यह सच है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जो राशि प्रदान की जाती है। वह आज पर्याप्त नहीं है। हम क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं शीघ्र ही संसद में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन लाऊंगा। जहां तक लोगों की वास्तविक संख्या तथा दी गयी राहत का सम्बन्ध है, मेरे पास इन सभी का ब्यौरा नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को इसका ब्यौरा भेजूंगा।

[हिन्दी]

श्री भेरुलाल मीणा : अध्यक्ष जी, बड़े उद्योगों और बड़ी खानों के श्रमिक संगठित होते है तो उनको सुरक्षा का मुआवजा मिल जाता है। लेकिन जो मजदूर छोटे उद्योगों में जैसे मार्बल सोक्ट स्टोन आदि में काम करते हैं तो उनके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। मंत्री जी ने कहा कि सम्मेलन किया जाता है तो उस सम्मेलन में क्या उन मालिकों को शामिल किया जाता है जिससे उनको मालूम हो और उस सम्मेलन में सरकारी कर्मचारी व अन्य लोग मिलकर विचार करते हैं, लेकिन वह लागू नहीं होता है इसलिए छोटे उद्योगों के मालिकों और श्रमिकों को बुलाया जाए ताकि उनको मालूम हो सके कि क्या व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि मालिकों को भी बुलाया जाए, पूछने वाले दूसरे बहुत लोग हैं। आप एक प्रश्न बार-बार पूछ रहे हैं कि मालिकों को भी इसमें बुलाया जाता है क्या और नहीं बुलाया जाता है तो फिर बुली रहे हैं क्या। आपने पूछ लिया है इसलिए बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : यह सम्मेलन एक त्रिपक्षीय सम्मेलन है। मैं संख्या बता सकता हूं। केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिनिधि हैं। राज्य सरकारों के 19 प्रतिनिधि हैं। नियोक्ता जो काफी महत्वपूर्ण हैं, को हमने 29 प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा है। कर्मकार संगठनों अर्थात् मजदूर संघों से हमने 1980 में की गई जांच के आधार पर उनकी संख्या के अनुसार 14 प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया है। व्यायसायिक व्यक्तियों को, जो सिर्फ खान सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, हमने 14 प्रतिनिधि के लिए कहा है। अतः कुल 80 प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाए जायेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्मेलन की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उसके अनुसार का आप कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कई खानों में इन सिफारिशों को नहीं माना जाता है। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि वहां कोयला खानों में यह देखने में आया है कि सिफारिशें नहीं मानी गईं, उनको नहीं देखा गया है और आप बताते हैं कि मृत्यु काफी हुई हैं और दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। क्या इस बारे में जांच करवायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : सिफारिशों को पूरा करने अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों

का समय-समय पर पालन करते हुए प्रयास करने के बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है कि सिर्फ एक बात यह है कि दुर्घटनाएं कम हो रही हैं। यदि आप हमारी तुलना शेष विश्व से करते हैं तो दो मानदण्ड हैं। पहला प्रति एक हजार कर्मकार पर मृत्यु और दूसरे प्रति मिलियन टन उत्पादन के अनुपात में मृत्यु। ये अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड हैं जिनके आधार पर घातक अथवा गम्भीर दुर्घटनाओं की गिनती होती है। जहां तक प्रति एक हजार व्यक्तियों पर मृत्यु दर का सम्बन्ध है, शेष विश्व की तुलना में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। यहां तक प्रति मिलियन टन उत्पादन की तुलना में मृत्यु का सम्बन्ध है, हमारी संख्या शेष विश्व से थोड़ी अधिक है। अतः दुर्घटनाएं होती हैं। मैं कहूंगा कि भविष्य में भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। परन्तु हमारा प्रयास दुर्घटनाओं को कम करना है तथा यह देखना है कि दुर्घटना की दर शून्य हो। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान किया गया है लेकिन में यह जानना चाहूंगा कि महिला मजदूरों को कम दिहाड़ी मिलती है तो क्या सम्मेलन में विचार किया जाता है। महिला मजदूरों को पुरुष मजदूरों के इक्वल दिहाड़ी मिलनी चाहिए तो सम्मेलन में ऐसा विचार करते हैं या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता है। यह रद्द किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, खानों में सेफ्टी का मामला लेबर मिनिस्ट्री से है और खान के दूसरे मंत्री हैं। नतीजा यह है कि वेलफेयर मिनिस्ट्री का कब्जा उस पर कम रहता है और यह होता है कि खानों में काम करने वालों का जीवन बदतर है चालीस-पचास साल से और 90 परसेंट मजदूरों को टी० बी० की बीमारी हो जाती है। उनके लिए न तो आक्सीजन की व्यवस्था है और न सेफटी के लिए उचित जूते या लाइट की व्यवस्था है। एक-एक किलोमीटर नीचे खान में जाकर उन्हें काम करना पड़ता है, खान के अन्दर जो पिल्लर और छत की सेफ्टी रहनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। लेबर मिनिस्ट्री बार-बार लिखने का काम करती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या सरकार ने खान मंत्रालय के साथ बैठकर कोई निश्चित योजना तैयार की है, क्योंकि ये उनके मुलाजिम हैं और जैसा आपने कहा कि वर्कर्स की जब तक मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं होगी तब तक समस्या का स्थाई समाधान हो नहीं सकता तो जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल लम्बित है क्या सरकार का विचार इस लोक सभा के सत्र में इंट्रोड्यूस करने का है और उसको पास कराने की मंशा रखती है, यदि हां तो कब तक ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक कोयला खानों का सम्बन्ध है, वहां काफी हद तक मजदूरों की भागीदारी है, क्योंकि सुरक्षा उपायों की देख रेख के लिए खान स्तर पर न सिर्फ द्विपक्षीय समिति है, बल्कि जहां कहीं भी किसी विशेष खान में 500 अथवा अधिक मजदूर हैं वहां कर्मकार निरीक्षक भी हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : लेकिन वे कभी भी जांच नहीं करते ।

श्री पी० ए० संगमा : सदस्य महोदय, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी संबंधी सामान्य नीति के बारे में पूछ रहे हैं । माननीय सदस्य ने जब वह मंत्री थे, यह विधेयक पुरःस्थापित किया था । वह विधेयक अभी भी सभा के समक्ष है । जब कभी भी यह मामला उठेगा हम इस पर चर्चा करेंगे । हम इससे भाग नहीं रहे हैं । मजदूरों की भागीदारी के बारे में आज एक और प्रश्न है । जब वह प्रश्न पूछा जाएगा हम इस पर चर्चा करेंगे । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सावधान करता हूं कि आप इस प्रकार इस सभा में न बोलें । आप एक प्रोफेसर रह चुके हैं और इस प्रकार आपके अक्सर बोलने की मैं सराहना नहीं करता । यह गलत है, प्रश्न पूछने के इस तरीके पर मुझे कड़ी आपत्ति है ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि खानों में काम करने वाले मजदूरों के विषय में जो सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे क्या उनमें सामूहिक बीमे के बारे में भी विचार किया जायेगा ?

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप खान मजदूरों के बीमा की बात कर रहे हैं ।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इसमें बीमा के बारे में नहीं जानता । हम व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विषय को शामिल कर रहे हैं न कि बीमा । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह आप पर भी लागू होता है । आप प्रोफेसर रह चुके हैं । आप कृपया इस प्रकार प्रश्नों को पूछने से बाज आएं ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि खान मालिकों को श्रमिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यूनतम कौन-कौन सी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए आपकी तरफ से निर्देश हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा न करने पर खान मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है और खान श्रमिकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने के लिए क्या-क्या उपाय बरते जाते हैं ?

[**अनुवाद**]

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक मार्गनिर्देशों का सवाल है, ये समय-समय पर जारी किये जाते हैं । अनेक मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं और मैं सभी मार्गनिर्देशों के बारे में नहीं बता पाऊंगा । मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा । दुर्घटनाओं के बारे में हमारे विश्लेषण के अनुसार हमने पाया कि अधिकांश दुर्घटनायें छतें गिरने के कारण हो रही हैं । छतें गिरने की ये दुर्घटनायें पड़ौसी क्षेत्रों में विस्फोट होने के आधे घन्टे के भीतर होती रही हैं । दुर्घटनाओं के कारणों की यह वजह थी । अतः कोयला खानों

को परिपत्र और अनुदेश जारी किए गए हैं कि विस्फोट के बाद अगले आधे घन्टे तक किसी भी श्रमिक को जमीन के नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए और इस कार्यवाही विशेष के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आयी है। चूंकि बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें छतें गिरने के कारण ही होती हैं, अतः आगामी सम्मेलन में चर्चा का यह सबसे पहला विषय है और सम्मेलन के निष्कर्ष के बाद कुछ और मार्गनिर्देश जारी किये जायेंगे।

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस सप्ताह आपने मुझे पहली बार मौका दिया है।

मन्त्री महोदय द्वारा यह बताया गया कि त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किए गए और अनेक सिफारिशें की गयीं और उनमें से अनेक सिफारिशों को स्वीकार करके क्रियान्वित भी किया गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनका विचार इन सिफारिशों के खान अधिनियम, 1951 अथवा कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 अथवा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में शामिल किया जाएगा क्योंकि इन अधिनियमों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। परन्तु इन प्रावधानों के बादजूद, आश्वासनों के बावजूद, 1966 या जो भी समय आपने बताया है से नियमित अन्तराल पर आयोजित किए गए द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद, मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 भी असन्तोषजनक है; कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 जिसमें भी खान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, वह भी अब अपर्याप्त हो गया है। इसी प्रकार खान अधिनियम, 1951 भी अपर्याप्त हो गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका विचार श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए की गई इन सभी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए एक व्यापक संशोधन लाने का है या आप कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अनुसार श्रमिकों को और अधिक संतोषजनक मुआवजा देना चाहते हैं या आप सिर्फ कानून में संशोधन ही करना चाहते हैं। मेरा यही प्रश्न है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि पिछले सात सम्मेलनों में विद्यमान विधान में संशोधन करने के बारे में जितने भी सुझाव दिए गए अधिकांश मामलों में हमने उन सुझावों के अनुसार कार्यवाही की है।

अगला सम्मेलन जो इस महीने की 14 या 15 तारीख को होने वाला है, उसमें यदि विद्यमान विधान में संशोधन करने सम्बन्धी कोई सुझाव दिए जाते हैं और यदि हम उनसे सहमत हैं तो ये संशोधन किए जाने जाने चाहिए, निश्चित रूप से, हम विधान में आवश्यक संशोधन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

हॉवर क्राफ्ट

*903. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या जल-मूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा हॉवरक्राफ्ट अधिक लाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में हॉवरक्राफ्टों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । गति और पत्तनों में बर्थ पर आसानी से लगने के मामले में हॉवरक्राफ्ट्स लाभदायक हैं । ये कम दूरी में प्रचालन के लिए विशेष रूप से यात्री-ट्रैफिक हेतु उपयोगी हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को उद्घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार जहाज निर्माण उद्योग (जिसमें हॉवरक्राफ्ट भी शामिल हैं) के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना समाप्त कर दिया गया है चाहे निवेश का स्तर कुछ भी हो लेकिन युद्धपोतों के निर्माण को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है । जहाज निर्माण क्षेत्र में, फिशिंग ट्रालर्स (तथा हावरक्राफ्ट्स) सहित 10,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के यंत्रीकृत सेलिंग वैसल्स के लिए भी विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों और 51% विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन मिल जाता है ।

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि फिशिंग ट्रॉलर्स सहित यंत्रीकृत सेलिंग वैसल्स, और हावरक्राफ्ट्स को भी विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वतः अनुमोदन मिल जाता है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जहाज-रानी निर्माण कम्पनियों में से किसी कम्पनी ने विदेशी कम्पनियों से सहयोग मांगा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या यह प्रश्न हावरक्राफ्ट्स या फिशिंग ट्रालर्स के बारे में है ।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : यह हावरक्राफ्ट्स के बारे में है ।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, दो या तीन कम्पनियों ने हावरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए लाईसेंस हेतु आवेदन किया था । दो-सीटर हावरक्राफ्ट्स का गाजियाबाद में निर्माण करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी कम्पनी को लेवी योग्य शुल्कों की अदायगी करने के बाद में ही हावरक्राफ्ट्स बेचने की अनुमति दी गई थी । अब तक 10 दो सीटर हावरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है और उनकी गुपुर्दगी कर दी गई है जिसमें से 8 बिना इंजन के और 2 इंजन वाले हैं । कम्पनी ने मार्च, 1993 में यह भी बताया था कि उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है । देश में बड़े पैमाने पर हावरक्राफ्ट्स का निर्माण करने के लिए कोई भी अन्य कम्पनी आगे नहीं आई है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने, वर्ष 1988 में न्यू इण्डिया बिजनैस प्रा० लि० कम्पनी, अहमदाबाद को दो हावरक्राफ्ट खरीदने की अनुमति दी थी और वे भावनगर से सूरत के बीच बहुत ही सफलतापूर्वक तीन ट्रिप रोजाना लगाते हैं । और उसके बाद 1991 में मैं० एल्गिन लि० और मैं० अजमीरा वाटर अम्यूजमेंट को दो नए लाइसेंस दिए गए । परन्तु इन कम्पनियों ने ये वैसल्स नहीं खरीदे ।

महोदय, हाल ही में एक और कम्पनी, जिसे सई हावरक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, को यू०के० से चार हावरक्राफ्ट आयात करने की मंजूरी मिल गई है और उनमें से दो पूरी तरह से तैयार हालत में आयेंगे और दो पुर्जों के अलग-अलग कर दिए जाने के बाद और उनके सभी

परीक्षण और प्रयोग पूरा होने के बाद आयेंगे। कम्पनी का इन्हें मुम्बई के पास समुद्र में चलाने का विचार है।

प्रत्येक हावरक्राफ्ट की क्षमता 24 यात्री तथा कर्मीदल के सदस्य होंगे। कम्पनी को अभी अपनी सेवायें आरम्भ करनी हैं।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : गति और पत्तनों पर इन्हें आसानी से आने-जाने और विशेष रूप से यात्री यातायात के लिए उपयोगी संचालन रेंज को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार नीति को बदलने के सम्बन्ध में पुनर्विचार कर रही है और क्या साथ ही यह भी कि क्या जल भूतल अधिकारियों ने इन हावरक्राफ्टों को चलाने के लिए जलमार्गों का पता लगाया है।

श्री जगदीश टाईटलर : हमने पूरी तरह से इस उद्योग का लाइसेंस समाप्त कर दिया है और हम भारत में कहीं भी उन कम्पनियों का स्वागत करेंगे जिनके पास हावरक्राफ्ट बनाने के संसाधन हैं।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, हावरक्राफ्ट ऐसी बोट है जो बंदरगाह में लगने के लिहाज से बहुत अच्छी साबित हुई है, यह सच है, लेकिन यह बात भी सच है कि पूरे कोस्टल एरिया में जो कोस्टल पैसेंजर ट्रैफिक चल रहा था इतने सालों से, वह बन्द है। कुछ व्यवस्था करके इसको हमें चालू करना पड़ेगा। ऐसी हालत में विशेषत: जब पर्यटन के लिए कोंकण और गोवा जैसे प्रान्त बहुत अच्छे साबित हुए हैं, तो यह सेवा शुरू करने की आज जरूरत है, लेकिन हावरक्राफ्ट पैसेंजर ट्रैफिक के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि पहले तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, परदेश से लाना पड़ता है और दूसरी बात यह है कि बन्दरगाह में कोई सुविधा नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बतायें कि आपका प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

अभी 40 मिनट में तीन प्रश्न ही कवर हुए हैं।

श्री सुधीर सावंत : मेरा प्रश्न है कि सरकार पर्यटन मंत्रालय से बातचीत करके क्या ऐसी नीति बना रही है जिससे हावरक्राफ्ट से पर्यटन के लिए जो पैसेंजर ट्रैफिक रेट्स हैं वह कम किए जाएं और बंदरगाह पर हावरक्राफ्ट के लिए इनफरास्ट्रक्चर पैदा किया जाए ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : चूंकि इस सेवा को चलाना अत्यधिक आसान है, इसलिए प्रत्येक पत्तन पर हमारे यहां बुनियादी सुविधाएं हैं। हम पर्यटन विभाग को, जहां कहीं भी वह चाहता है, वहां पर अपनी सेवाएं आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

श्री पी० सी० चाक्को : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए इस उत्तर को देखते हुए कि यात्रियों को लाने ले जाने के लिए हावरक्राफ्ट लाभदायक हैं तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश में हावर-क्राफ्ट लोकप्रिय नहीं है, क्या जल भूतल परिवहन मंत्रालय देश के महत्वपूर्ण तटीय शहरों के मध्य हावरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने की पहल करेगा ? मंत्री जी ने हावरक्राफ्टों के अभी हाल ही में निर्माण

के बारे में तथा आयात सम्बन्धी प्रयत्नों का जिक्र किया है। ये छोटी हावरक्राफ्ट हैं जिनमें 20 और 24 सीटें होती हैं। 100 से भी अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले हावरक्राफ्ट अन्य कहीं पर उपलब्ध हैं। क्या सरकार बड़े आकार के हावरक्राफ्ट बनाने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड क्रमादेश के अभाव में इस समय निष्क्रिय पड़े हुए हैं। क्या जल भूतल परिवहन मंत्रालय कोचीन शिपयार्ड के समान सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में बड़े आकार के हावरक्राफ्ट के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करेगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : सरकार का अधिक क्षमता वाले हावरक्राफ्टों के निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। परन्तु हाल ही में हमें जर्मनी अनिवासी भारतीय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो भारत में आकर अधिक क्षमता वाले हावरक्राफ्ट का निर्माण करना चाहता है। हम उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

स्वर्ण बांड योजना

*904. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मार्च, 1993 को शुरू की गयी स्वर्ण बांड योजना का तस्करी रोकने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1993 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) यह योजना 15 मार्च 1993 से लागू की गयी थी। चूंकि यात्रियों को सरकारी तौर पर सोने के आयात की अनुमति दी जाती है, अत: इस योजना से तस्करी में वृद्धि होने की संभवना नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों से भी यह पता नहीं चलता है कि स्वर्ण बांड योजना के कारण तस्करी को रोकने के प्रयासों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वर्ण बांड योजना को आम नागरिकों के पास आभूषणों सहित बेकार पड़े सोने को काम में लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि सरकारी स्वर्ण भंडारों में वृद्धि की जा सके। 30 अप्रैल, 1993 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 8062 किलोग्राम सोना जमा किया गया था। अत:, समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में व्यक्त किये गए विचारों से अनावश्यक चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 अप्रैल के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट में जिसका जिक्र मेरे प्रश्न में किया गया था, कई अन्य बातों का उल्लेख किया गया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "इससे सप्लाई काफी कम हो जायेगी और मूल्य बढ़ जायेंगे जिससे सोने की तस्करी पुन: होने लगेगी। ये दो आशंकाए थीं।"

महोदय, हमें देखना चाहिए कि आज क्या स्थिति है। वास्तव में जब दिल्ली में यह योजना प्रारम्भ की गई थी, उस दिन 10 ग्राम सोने का मूल्य 4080 रु० था और मुम्बई में इसका मूल्य 4072 रु० था। परन्तु आज 5 मई को 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने का मूल्य 4415 रु० है।

अत: समाचार के प्रकाशित होने के पांच सप्ताह के अन्दर ही प्रति 10 ग्राम सोने का मूल्य लगभग 400 रु० बढ़ गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि "समाचार पत्र में छपे समचार में व्यक्त किए गए विचारों से अनावश्यक चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ?"

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं संसद के समक्ष दिए गए अपने पूर्व उत्तरों में यह पहले ही बता चुका हूं कि देश में स्वर्ण मूल्यों में होने वाली वृद्धि को 'गोल्ड बांड' योजना से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कृपया स्मरण रहे कि इसकी कीमत भी काफी अधिक है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं उस सम्बन्ध में भी कहूंगा। सोने के आयात के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय के पश्चात् अप्रैल, 1993 तक प्रति माह औसतन लगभग 12 टन के हिसाब से लगभग 145 टन सोना एकत्र किया गया था और मार्च-अप्रैल के दौरान विशेष रूप से इस स्वर्ण बांड योजना के आरम्भ होने के पश्चात् 24 टन सोने का आयात किया गया है। परन्तु स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1993 तक केवल आठ टन सोना ही जमा किया गया है। अत: इससे यह पता चलता है कि स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत जमा किया सोना आयात किए गए सोने की तुलना में काफी कम है और इससे सोने की कीमत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सोने के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सामान्यत: देश में उत्पादित सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भी निर्भर करता है। 2-3 मार्च, 1993 को स्वर्ण बांड योजना के आरम्भ होने के पश्चात् प्रति तीन आउंस सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 329 डॉलर था। उसी तरह दस ग्राम सोने का स्थानीय बाजार भाव 3,453.30 रु० था और 15 अप्रैल, 1993 को बम्बई में प्रति दस ग्राम सोने का मूल्य 4,250 रु० था। अत: यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने के कारण ही स्थानीय बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। इसी प्रकार 15 अप्रैल, 1993 को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 337.5 डॉलर था।

अभी हाल ही में 3 मई, 1993 की प्रति 10 ग्राम देशी सोने का मूल्य 4550 रु० था।

अध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्ट कर दिया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं पूरा करूंगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हैं। लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 354.5 डॉलर था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने यह बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होने के कारण ही इसके मूल्य में तेजी आई है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : माननीय महिला सदस्या ने "टाइम्स ऑफ इंडिया" से एक समाचार उद्धृत किया है। अभी हाल ही में 'टाइम्स ऑफ इंडिया" में यह खबर प्रकाशित हुई है कि पूरे सप्ताह अर्थात् 5, 6 और 7 को इसके मूल्य में भारी गिरावट हुई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, जिस समय स्वर्ण बांड योजना शुरू की गई थी, उस समय इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : स्वर्ण बांड योजना से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर असर नहीं पड़ा है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, परन्तु राष्ट्रीय मूल्य पर असर पड़ा है । यह राष्ट्रीय मूल्य का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्वीकार किया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अतः मंत्री जी यह बात पहले ही मान चुके हैं कि इसके मूल्य में वृद्धि हुई है । उनके द्वारा इसे मान लिए जाने के पश्चात् मैं इस बारे में अब और नहीं बोलूंगी । (**व्यवधान**)

मैं यह बताना चाहूंगी कि अपने माता-पिता की ओर से और पति के घरवालों की तरफ से मुझे जितना भी सोना मिला था मैंने वह सब भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी को दे दिया है । अतः स्वर्ण में मेरी रुचि नहीं है ।

श्री मृत्युन्जय नायक : सारा सोना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां मेरे दल के पास है तस्करी के प्रश्न के बारे में डॉलर की पूर्ण परिवर्तनशीलता के साथ ही अब हवाला फिर शुरू हो गया है । बाजार में विनिमय दर लगभग 37 रु० प्रति डॉलर है ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : यह 34 रु० हो गया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह 37 रु० हो सकता है । किसी दिन यह 34 रु० होता है । यह लगभग इसके आस पास ही है । किसी दिन यह 34 रु० है और दूसरे ही दिन यह 37 रु० । क्या मैं मंत्री जी से जान सकती हूं कि क्या यह पुनः एक ऐसी स्थिति है जिससे सोने की तस्करी को बढ़ावा मिलने की संभावना है ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, नहीं । सरकार द्वारा उठाए गए अनेक प्रशासनिक उपायों के बाद, सरकार की नीति के कारण सोने की तस्करी बहुत कम हो गई है । वर्ष 1988-89 के दौरान की गई जब्तियों का उद्धरण देता हूं । वर्ष 1989-90 में 6.2 टन सोना जब्त किया गया । वर्ष 1990-91 में 5.8 टन सोना जब्त किया गया । वर्ष 1991-92 में 4.6 टन सोना जब्त किया गया । वर्तमान सरकार द्वारा किए गए उपायों के बाद 28-2-93 तक केवल 2.2 टन सोना जब्त किया गया । इससे, कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि सोने की तस्करी 50 प्रतिशत से अधिक कम हो गई है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या तस्कर हमेशा आपको बता देते हैं अथवा आपके अधिकारी हमेशा उन्हें पकड़ लेते हैं । (**व्यवधान**)

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय महिला सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं कि हवाला सौदा फलफूल रहा है । हवाला सौदे की दर बढ़ रही है । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण सोने के स्वदेशी मूल्यों में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है, यहां तक कि हवाला सौदे में भी काफी हद तक कमी आई है । परन्तु मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया रहने दीजिए ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : हम समय व्यर्थ न करें । अन्य अनेक प्रश्न भी हैं । कृपया आप इन आंकड़ों को लिखित में भेज सकते हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णा मूर्ति : हवाला सौदे के कारण.....

अध्यक्ष महोदय : आप वृद्धि के कारण दें । आप लिखित रूप में ये कारण दें ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, इस योजना को शुरू करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य लगभग 7,500 टन सोने को बाहर लाना था, जो गैर सरकारी हाथों में गैर-निष्पादित परिसम्पति के रूप में है, उसे निष्पादित परिसम्पति के रूप में परिवर्तित करना था ।

मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 30 अप्रैल, 1993 तक, लगभग 8 टन सोना इस योजना के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है । परन्तु यह जानकारी मिली है कि इसमें से बहुत कम सोना आभूषणों के रूप में है—जिस लिए यह योजना शुरू की गई थी । वस्तुत यह धनराशि परिवर्तन का माध्यम है—काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का माध्यम है ।

क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस आठ टन सोने में से कितने प्रतिशत सोना आभूषणों के रूप में है ? और विस्कुट तथा अन्य अनगढ़ सोने का प्रतिशत क्या है, जिसकी तस्करी की जाती है ?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत, हमने जमाकर्ताओं को कुछ छूटें प्रदान की हैं । यह अनुमान इतनी शीघ्र लगाना सम्भव नहीं है कि हमें किस रूप में कितना सोना प्राप्त हुआ है ।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण बांड योजना के अन्तर्गत सरकार के स्वर्ण भण्डार को बढ़ाने के लिए जनता से प्राप्त किया हुआ सोना सरकार का नहीं है, यह सुरक्षा के रूप में सुरक्षित सोना है, ऐसा माना जाता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे सोने के भण्डार को बढ़ाने का औचित्य और उपयोगिता क्या है और ऐसा कितना सोना जुटाकर आप लक्ष्य जुटाना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : वर्ष 1993-94 के बजट में धनराशि के रूप में हमने इस योजना के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ रुपए का पूर्वानुमान लगाया था । जमा के रूप में, जो हमें प्राप्त हुआ है उसका मूल्य लगभग 800 करोड़ रुपए है, जो 300 करोड़ रुपये से अधिक है । अत: यह काफी उत्साहवर्धक है ।

अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे पृथक सूचना दी जाए ।

[हिन्दी]

चाय पर उपकर

*905. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित सभी किस्मों की चाय पर उपकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उपकर के रूप में अनुमानतः कितनी राशि अपेक्षित थी और कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान वसूल की गई इस राशि का किस तरह उपयोग किया गया;

(घ) क्या चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस राशि का सीधे चाय उत्पादकों के माध्यम से उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अधीन, देश में उत्पादित सभी किस्मों की चाय पर सरकार उपकर लगाती है। उत्पादित चाय पर वसूल किए गए उपकर के पिछले तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	वसूल उपकर की राशि (लाख रु० में)
1990-91	1207
1991-92 (अनुमानित)	1234
1992-93 (अनुमानित)	1120

(ग) उपकर से वसूल राशि का उपयोग मुख्य रूप से जिन कामों के लिए किया जाता है वे हैं चाय के संवर्धन का खर्च, अनुसंधान और विकास, श्रम कल्याण योजनाएं और चाय बोर्ड का प्रशासन।

(घ) से (च) उपकर से वसूल राशि का चाय उत्पादकों के जरिए सीधे ही प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चाय उद्योग के विकास के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करने की नोडल एजेंसी चाय बोर्ड ही है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार, चाय पर अभी जो सैस है, उसको समाप्त करने का है ? उस स्थिति में चाय के संवर्धन के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं उस पर बुरा असर पड़ेगा और अंततोगत्वा चाय बोर्ड को ही बन्द करना पड़ेगा। क्या कर्मचारियों का कोई ज्ञापन वाणिज्य मंत्री को मिला है और यदि मिला है तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : ऐसा कोई विचार नहीं है। सैस कंटीन्यू करेगा।

श्री नीतीश कुमार : वित्त मंत्री जी ने एक टेलैक्स मैसेज टी बोर्ड के चेयरमैन को 23 मार्च को भेजा था जिसमें उनसे सलाह मांगी गई थी कि क्या टी रैगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट लाईसेंसिंग आर्डर 1984, टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट कंट्रोल आर्डर 1957 को समाप्त कर दिया जाए ? यही आर्डर्स हैं जिनके माध्यम से चाय बोर्ड चाय उद्योग पर नियंत्रण रखता है। यह बात स्पष्ट है कि चाय बोर्ड का इतना बढ़िया काम रहा है कि इसके प्रयास से दुनिया में हमारा चाय उद्योग ऊंचाई पर गया है। ऐसी स्थिति में क्या यह सही है और यदि सही है तो वाणिज्य मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत क्लीयर टर्म्स में कह दिया है कि यह नहीं होने वाला है।

श्री नीतीश कुमार : दो कंट्रोल आर्डर्स हैं। अगर नहीं भेजा है तो जवाब दे दें कि नहीं भेजा है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं नीतीश जी को इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि टी बोर्ड रहेगा, टी बोर्ड के सारे फंगशन्स कंटीन्यू करेंगे और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आपको पूरा विश्वास दिला दिया गया है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम मंगवार : माननीय मंत्री जी ने बताया कि चाय पर उपकर से वसूल धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से जिन कामों के लिए किया जाता है वे चाय के संवर्धन का खर्च, अनुसंधान और विकास, श्रम कल्याण योजनाएं और चाय बोर्ड का प्रशासन है। उपकर से वसूल राशि का चाय उत्पादकों के जरिए सीधे प्रयोग नहीं होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी किस्मों के चाय पर उत्पादित उपकर का कितना हिस्सा उन वैल्फेयर संस्थाओं को दिया जाता है जो संस्थाएं चाय उत्पादकों को मकान, स्कूल, अस्पताल आदि जरूरी सुविधाएं मुहैया कराती हैं ? इस राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए किसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है या नहीं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : जितना सैस वसूल होता है वह टी बोर्ड के हवाले किया जाता है और वह दुबारा इसको देखता है और खर्च करता है। डायरेक्टली खर्च नहीं किया जाता है, रिसर्च और

डैवलपमैंट के लिए खर्च किया जाता है, लेबर वैल्फेयर एक्टीविटिज के लिए खर्च किया जाता है, चाय की कॉस्ट, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, बागान को दुबारा रीजूवनेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ऐसी सहायता उपलब्ध की जाती हैं बाई वे आफ लोन, बाई वे आफ सबसिडी, देयर आर नम्बर आफ स्कीम्स । अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं पूरी स्कीम लिखकर भेज दूंगा ।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

*906. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा गठित कृतिक बल ने यह सिफारिश की है कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर व्यय की जांच और प्रमाणीकरण के लिए एक तीसरा पक्ष होना चाहिए;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) फरवरी 1992 में विश्व बैंक ने बैंक के ऋणों और उधारों से संबंधित पोर्ट-फोलियो की गुणवत्ता पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए एक पोर्टफोलियो मेनेजमेंट टास्क फोर्स (पोर्टफोलियो प्रबंध कृतक बल) का गठन किया था । इस कृतिक बल (टास्क फोर्स) की मुख्य सिफारिशें विश्व बैंक को सितम्बर, 1992 में प्रस्तुत कर दी गई थीं । इन सिफारिशों में कन्ट्री पोर्टफोलियो निष्पादन प्रबंध भी शामिल है जिसके अंतर्गत ऋणों की असंवितरित राशियों के पुनः आबंटन हेतु समायोजन करने वाले देशों में पोर्टफोलियो पुनसंरचना करने, बेहतर परियोजना विश्लेषण के माध्यम से पोर्टफोलियो में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं के स्तर में सुधार करने तथा परियोजना निष्पादन और उत्तरदायित्व में बैंक की भूमिका को बढ़ावा देने आदि के लिए प्रावधान रखे गए हैं । इस संबंध में कृतिक बल ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक को स्वतन्त्र तृतीय पक्षों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन (जांच) और प्रमाणीकरण के व्यापक उपयोग को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

उक्त कृतिक बल की रिपोर्ट अभी विश्व बैंक के पास विचाराधीन है । विश्व बैंक की विकासात्मक ऋण देने संबंधी नीति को बेहतर बनाने के बारे में कृतिक बल द्वारा की गई व्यापक सिफारिशें इस विषय में भारत सरकार के विचारों के अनुरूप हैं । जहां तक किसी स्वतन्त्र तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन और प्रमाणीकरण का संबंध है, विश्व बैंक की सहायता से भारत द्वारा अभी क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की स्वतन्त्र लेखा परीक्षा पहले से ही भारत के नियंत्रक और महालेखा

परीक्षक के माध्यम से अथवा सरकार और विश्व बैंक दोनों को ही स्वीकार्य किन्हीं अन्य स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों के माध्यम से करवाई जाती है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, सामान्यतः इन दिनों यह दिखायी देता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वे लोन लेने वाले अनडेवलपड कंट्रीज पर नई-नई शर्तें डालती जा रही हैं। मेरा प्रश्न यह है क्योंकि यहां कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो पोर्टफोलियो मैनजमेंट टास्क फोर्स फरवरी में बनायी है और सितम्बर में अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्या यह टास्क फोर्स वर्ल्ड बैंक की थी और उसमें कौन-कौन से देश के प्रतिनिधि थे, उसमें क्या भारत था ? उन्होंने जो भी सिफारिशें की हैं, उनमें से कोई सिफारिश ऐसी है जो कि भारत सरकार को आपत्तिजनक लगी है ? वे कौन सी सिफारिशें हैं ?

डा० अबरार अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सिफारिशें इस टास्क फोर्स ने की हैं, वे अभी वर्ल्ड बैंक के पास अंडर कंसिडरेशन हैं, लेकिन उसमें जो भी सिफारिशें हैं, वे भारत सरकार के व्यूज के अनुरूप ही हैं क्योंकि उसके अन्दर थर्ड पार्टी से वैरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की बात कही गई है। आलरेड्डी वर्ल्ड बैंक ने सी०एंड ए०जी० इंडिपेंडेंट पार्टी माना है। जिन केसिज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉरोअर है, उसके अन्दर सी० एंड ए० जी० थर्ड पार्टी के रूप में ऑडिट कर रहा है और जहां स्टेट गवर्नमेंट बॉरोअर है, वहां वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति से ऑडिटर नियुक्त किया जाता है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि जो टास्क फोर्स है, उसमें अनडेवलप्ड कंट्री का कोई प्रतिनिधि है या भारत का कोई प्रतिनिधि है ?

डा० अबरार अहमद : उसमें कौन-कौन से सदस्य थे, इस संबंध में मेरे पास जानकारी नहीं है। वह मैं बाद में दे दूंगा।

श्री राम नाईक : मेरा दूसरा प्रश्न है कि यद्यपि मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारा प्रतिनिधि है, यह हम भी जानते हैं लेकिन इसने जो रिकमंडेशन्स दी हैं, उसमें इसके अलावा बाहर की ऑडिट संस्थायें आकर ऑडिट करें, इस प्रकार की बात सीधी-सीधी और साफ-साफ लिखी है। जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, उससे यह उत्तर मिलता-जुलता नहीं है। मेरी दृष्टि से यह हमारी फाइनेंशल सॉवरैनेटी पर हस्तक्षेप है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स की जो जांच चल रही है, वर्ल्ड बैंक से ऑडिट हो रहा है, उसमें कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को छोड़ कर कोई बाहर का ऑडिटर अपने देश के एकाउंट को ऑडिट नहीं कर रहा है ?

डा० अबरार अहमद : जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के पास अभी अंडरकंसिडरेशन है। जहां तक बात विदेश के ऑडिटर की है, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी माना है। जहां जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉरोअर है, वहां कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के केसिज में वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति से ऑडिटर नियुक्त किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब जी०ए०टी०टी० द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है, फिर विश्व बैंक द्वारा तीसरी पार्टी माने जाने की क्या अवधारणा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जी०ए०टी०टी० के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी पार्टी की निश्चित रूप से घोषणा की है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के सम्बन्ध में है। यह केवल भारत के बारे में ही नहीं है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, विश्व बैंक इस बात से सहमत है कि भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतन्त्र प्राधिकारी हैं। अतः हमें इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं करना है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा किया जा रहा है। अतः जब विश्व बैंक द्वारा गठित कृतिम बल ने तीसरी पार्टी की सिफारिश की है, चाहे उनके मन में···

अध्यक्ष महोदय : वह तीसरी स्वतन्त्र पार्टी चाहते हैं। वह भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक को तीसरी स्वतन्त्र पार्टी समझते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक द्वारा गठित कृतिक दल में जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि भारत उसमें प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो परियोजनायें वर्ल्ड बैंक द्वारा आर्थिक दृष्टि से समर्पित होती हैं, जिनको आर्थिक सहायता दी जाती है तो क्या भारत का प्रतिनिधित्व इस टास्क फोर्स में होता है, वह अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए संस्तुति करता है तो उस संस्तुति को विश्व बैंक मानता है ?

डा० अबरार अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही सदस्य वाली बात जो माननीय सदस्य ने पूछी है, उसके बारे में मैंने कहा है कि उसमें सदस्य कौन-कौन हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, उसकी सूचना मैं माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा। वैसे प्रोजैक्ट्स की बड़ी लम्बी लिस्ट है 112 प्रोजैक्ट्स की लिस्ट मेरे पास है, वह उसकी अगर विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरा सवाल था कि भारत का प्रतिनिधित्व जो संस्तुति अपने राष्ट्र हित में करता है, उसको विश्व बैंक मानता है कि नहीं मानता है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : हम ऐसी कोई शर्त स्वीकार नहीं करते जो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी व्यय

*907. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष प्रशासनिक व्यय में कटौती करने और विभिन्न प्रशासनिक पदों की संख्या कम करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस सीमा तक लागू किया जा सका है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न आर्थिक उपायों को अपनाने के बावजूद अपने व्यय में कटौती करने में विफल रही है जैसा कि 2 मार्च, 1993 के "इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार आगे क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना एक सतत प्रक्रिया है। व्यय में किफायत बरतने अथवा फिजूल खर्ची से बचने के लिए किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों में, विभिन्न स्तरों पर पदों में कमी करना, प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा पर रोक, दौरे के समय होटल में कमरों के सैट में रहने पर रोक, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा करने पर रोक, घरेलू तथा अंतर्देशीय-दोनों तरह की यात्रा में समग्र कटौती, पैट्रोल/डीजल की खपत/व्यय में कमी करना, समयोपरि भत्ते के व्यय को नियंत्रित करना, 10% टेलीफोन लाइनों को वापस करना, सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं, मनोरंजनों (मध्याह्न और रात्रि भोजों सहित), वाहन खरीदना सजावटी लाइटिंग पर रोक लगाना, बिजली की खपत के व्यय में कटौती करना शामिल है। मंत्रालय-वार ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। अतः इन उपायों के वित्तीय प्रभावों को बता पाना कठिन है। 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार कम किए गए प्रशासनिक पद कुल 12018 हैं।

(ग) से (ङ) वेतन के लिए बजट अनुमान 1993-94 में संशोधित अनुमान 1992-93 से 230 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाई गई है जो 3.5% की वृद्धि है यह वृद्धि मामूली है और इसकी सम्भावना भी थी। कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियां इत्यादि मंजूर किए जाने के कारण वेतन पर व्यय में प्रतिवर्ष वृद्धि होने की संभावना होती है।

गोवा के लिए ऋण योजनाएं

*908. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ गांवों को उनके समेकित विकास तथा ऋण संबंधी उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों की क्या उपलब्धि रही है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय उपर्युक्त बैंकों को कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की गोवा के लिए क्या ऋण योजनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सम्भवतः माननीय सदस्य 1 अप्रैल, 1989 से गोवा सहित समस्त देश में परिचालित की गई ग्रामीण ऋणों से संबंधित सेवा क्षेत्र योजना का उल्लेख कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसी ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखा को ऋण क्रमबद्ध और योजनाबद्ध संवितरण को ध्यान में रखते हुए 15 से 25 गांवों का समूह आवंटित किया जाता है। ऋण योजना में संगठित ढंग से इस क्षेत्र के गांवों की बैंक योग्य योजनाओं के लिये ऋण समर्थन का अपेक्षित प्रावधान किया जाता है। बैंक शाखाएं क्षेत्र में विकास कार्यों में वृद्धि करने हेतु एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। बहरहाल, सेवा क्षेत्र में ऋण संबंधी परिचालन की तेजी गांवों में आधारभूत सुविधाओं और अन्य समर्थन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण योजनाएं तैयार करते हैं। जिला ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन की जिला सलाहकार समितियों की बैठकों में आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भी सम्पूर्ण राज्य की इस प्रकार के निष्पादन की संवीक्षा करती है। जिला ऋण योजनाएं ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित होती हैं जिन्हें बैंक ऋण सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी ऋण योजनाएं एक विशिष्ट अवधि के लिये होती हैं और योजनावधि के साथ इसका समाप्त होना अनिवार्य नहीं है।

1990-91, 1991-92 और 1992-93 (30 सितम्बर, 1992 तक) की ऋण योजनाओं के तहत गोवा में क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य			
	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	लघु उद्योग	सेवाएं	जोड़
1990-91	13.04	27.12	27.10	67.26
1991-92	8.92	23.69	25.02	57.63
1992-93 (सितम्बर 1992 तक)	8.98	38.37	33.60	80.95
		उपलब्धियां		
1990-91	8.59	13.29	30.46	52.34
1991-92	6.91	30.80	32.87	70.58
1992-93 (सितम्बर 1992 तक)	3.87	18.74	23.09	45.70

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति

*909. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने विभिन्न राज्यों की परिवहन समस्याओं को हल करने हेतु कुछ सिफारिशें की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने परिवहन के विभिन्न साधनों पर विचार किया तथा कई प्रकार की शिफारिशें कीं। ये शिफारिशें अन्य के अलावा इंटर-मॉडल प्राथमिकताओं रोडवेज और रेल की पूरक भूमिका, अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, पत्तनों से भीड़भाड़ हटाने, सड़कों के उचित रख-रखाव, दुर्गम क्षेत्रों को खोलने, इत्यादि से संबंधित हैं। ये सिफारिशें संक्षेप में एन० टी० पी० सी० रिपोर्ट, 1980 में "सिफारिशों का सारांश" (पृष्ठ 365 से 378) में दी गई हैं जो संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गईं।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशें छठी और सातवीं योजनाओं और अब आठवीं योजना के लिए नीति आधार स्तम्भ के रूप में ली गई हैं। योजगागत कार्यक्रमों के लिए जिसमें परिवहन क्षेत्र के कार्यक्रम भी शामिल हैं, सभी राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के कर्यान्यवन के लिए जो दीर्घकालीन प्रकृति की हैं तथा जिन्हें कई योजना अवधियों में कार्यान्वित किया जाएगा, अलग से कोई सहायता निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

वस्तुओं के आयात से प्रतिबन्ध हटाना

*910. **श्री सुव्रत मुखर्जी :**

श्री सुधीर गिरि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं विशेषत: गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात से प्रतिबन्धों को हटाने के परिणामस्वरूप देश से होने वाले निर्यात में उसी अनुपात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(ग) क्या आयात से इस प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाये जाने के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन का अन्तर कम हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सामान्यत: उपभोक्ता माल के रूप में वर्गीकृत गैर-जरूरी मदों के आयात को निषेधात्मक आयात-सूची में ही रखा हुआ है अत: उन पर रोक है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

"सेटेलाइट" पत्तन

*911. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ "सेटेलाइट" पत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे "सेटेलाइट" पत्तनों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पत्तनों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार का, तमिलनाडु में मद्रास के समीप इन्नौर में 593.90 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक "सेटेलाइट" पत्तन की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है और इसे पहले ही अप्रैल, 1993 में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना को पूरा करने की अवधि मंजूरी की तारीख से 60 महीने है। इस पत्तन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के विभिन्न थर्मल पावर संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए कोयला उतारने की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

वाणिज्यिक बैंक

*912 **श्री मोहन रावले** :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को एक वाणिज्यिक बैंक के संप्रवर्तन हेतु अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन अन्य वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक पूरे दर्जे का बैंक स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(घ) क्या उन्हें भी वाणिज्यिक बैंकों का संप्रवर्तन करने की अनुमति दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकार ने बताया है कि उसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वाणिज्यिक बैंक को प्रोत्साहित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित बैंक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के 100 प्रतिशत स्वामित्व में न हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि वह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाए।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 27 मार्च, 1993 को भारतीय रिजर्व बैंक को एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में होगा, की स्थापना करने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यू० टी० आई० ने यह बताया है कि प्रस्तावित बैंकिंग कंपनी की 200 करोड़ रु० की प्राधिकृत पूंजी होगी जिसमें यू० टी० आई० द्वारा प्रदत्त पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए का आरंभिक अंशदान किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि उक्त बैंकिंग कंपनी अपने प्रचालन के दो वर्ष बाद इक्विटी के पब्लिक इशू जारी करेगी। इन प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

(ग) से (च) एक्जिम बैंक और आवास विकास वित्त निगम लि० ने वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने के प्रस्तावों सहित भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

*913. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के एक दल ने 17 जनवरी से 29 जनवरी, 1993 तक भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के दौरे का क्या परिणाम निकला और 1993-94 में एशियाई विकास बैंक से कितनी सहायता मिलने की संभावना है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक अब अपने ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग और बुनियादी ढांचे के स्थान पर गरीबी उन्मूलन, सामाजिक मूलभूत ढांचा, पर्यावरण और महिला कल्याण के लिए ऋण देगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। एशियाई विकास बैंक के कन्ट्री प्रोग्रामिंग मिशन ने 18 से 29 जनवरी, 1993 तक भारत का दौरा किया।

(ख) 1993 के दौरान एशियाई विकास बैंक से मिलने वाली सहायता लगभग एक बिलियन अमरीकी डालर के बराबर होने की आशा है।

(ग) और (घ) मार्च, 1992 में बैंक ने एक नया मध्यावधि कार्यनीति संबंधी ढांचा अपनाया है जिसमें आर्थिक विकास में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं की स्थिति में सुधार, मानव संसाधनों का विकास और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का सुदृढ़ प्रबंध शामिल है।

रोजगार कार्यालय

*914. **श्री बी० देवराजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से रोजगार कार्यालयों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बेरोजगार युवकों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या रोजगार कार्यालयों के कर्मचारियों को युवकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) 1. रोजगार कार्यालयों की भूमिका नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के प्रति सम्प्रेषित करने तक ही सीमित है। रोजगार कार्यालयों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और इनकी सेवाओं को सुधारने और सरल एवं कारगर बनाने संबंधी प्रस्ताव पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यदल की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। कार्यदल रोजगार चाहने वालों और नियोजकों दोनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण की सिफारिश करता है। इस संबंध में राष्ट्रीय रोजगार सेवा संबंधी कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश सभी रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित है। तदनुसार, रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सातवीं प्लान योजना के रूप में 1986-87 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की सहायता द्वारा अभी तक 117 रोजगार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक तथा फसलवार विविधिकृत कृषीय विकास, बंजर भूमि तथा वानिकी का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं।

3. रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श देना विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों सहित सभी रोजगार कार्यालयों का महत्त्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न राज्य सरकारों में कार्मिक नियोजित करने वाले रोजगार कार्यालयों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श देना सहित रोजगार सेवा के विभिन्न कार्यकलापों में दिल्ली में स्थित केन्द्रीय रोजगार सेवा, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया जाता है।

भारतीय नौवहन निगम के जहाज का डूबना

*915. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री जी० देवराय नायक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम का मालवाहक जहाज एम० वी० विश्वमोहिनी अप्रैल, 1993 में स्पेन के उत्तरी तट पर डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) यात्रियों को बचाने के लिए किये गए बचाव कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस दुर्घटना में मृत/लापता यात्रियों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है/देने का विचार है और भारतीय नौवहन निगम की बीमा कम्पनी से कितनी धनराशि मिलने की आशा है;

(ङ) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या परिणाम निकले ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। एम० वी० विश्वमोहिनी दिनाक 12 अप्रैल, 1993 को स्पेन के तट पर डूब गया। अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध के अनुसार, स्पेन के प्राधिकारी जहाज के मास्टर से संपर्क बनाए हुए थे और उन्होंने बचाव कार्य के लिए एक टग तथा जहाज की सहायता करने के लिए एक सालवेज टग भेजा। स्पेन के नौ-प्रशासन ने बचाव (इवेक्यूएशन) के लिए दो हैलीकॉप्टर भी भेजे जिसके फलस्वरूप 16 जीवित व्यक्तियों को, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और 11 शवों को निकाल लिया गया। तथापि शेष 21 व्यक्ति अभी भी लापता हैं और उनके मारे जाने की आशंका है। इसके अतिरिक्त इसमें 12248.9 एम० टी० सामान्य कार्गो भी भरा हुआ था।

(घ) भारतीय नौवहन निगम तथा नाविकों/अधिकारियों की संबंधित यूनियनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार मुआवजे की राशि निम्नलिखित होगी।

(रुपयों में)

	न्यूनतम	अधिकतम
(क) अधिकारी	5,50,000	11,69,000
(ख) क्रू	2,08,718	3,22,910
(ग) पैंटी अधिकारी	4,25,000 (नियत)	

(ङ) और (च) सरकार ने इस घटना की प्रारंभिक जांच करने के लिए एक सरकारी सर्वेक्षक नियुक्ति किया है और यह जांच अभी चल रही है।

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना

*916. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला-भटिंडा पाइप लाइन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण न लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय तेल निगम को पेट्रोलियम परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए 13-10-1989 से प्रभावी 34 करोड़ अमेरिकी डालर के ऋण में से भारत सरकार ने 29 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि अभ्यर्पित कर दी है। जिसमें कांडला-भटिंडा पाइपलाइन के लिए 17.8 करोड़ डालर की राशि भी शामिल है। यह निर्णय विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की पोर्टफोलियो यौक्तिकीकरण समीक्षा के एक भाग के रूप में लिया गया था जिसकी परिणति ऐसी परियोजनाओं में असंवितरित राशियों को अभ्यर्पित करने में हुई जिनकी प्रगति की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऋण की अवधि के भीतर उनके पूरे होने की संभावना नहीं है।

(घ) इससे कांडला-भटिंडा पाइप लाइन परियोजना पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि विश्व बैंक का वित्त पोषण, इस संघटक की संशोधित लागत के 25 प्रतिशत से कम था।

[हिन्दी]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में रुग्ण उद्योगों का पता लगाया जाना

*917. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने रुग्ण एककों का पता लगाया;

(ख) क्या इस बोर्ड को उक्त अवधि के दौरान इन रुग्ण उद्योगों का पता लगाते समय कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 1990, 1991

और 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश की 56 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को रजिस्टर किया गया था। इनमें से 8 को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत न चलाये जाने योग्य घोषित किया गया था। इसके अलावा रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 15 (1) के अंतर्गत संबद्ध कंपनी के निदेशक बोर्ड का यह दायित्व है कि वह कंपनी की रुग्णता के बारे में सूचित करे। अत: पता लगाते समय शिकायतों का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ

*918. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उनके सकल और शुद्ध लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऋण लेने वाले बहुत से व्यक्तियों ने शिकायतें की हैं कि उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल रहे हैं;

(ङ) क्या बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को पुन: बैंकों में ही लगाया जायेगा ताकि पूंजी की पर्याप्त संबंधी उनके मानदण्डों को बढ़ाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो ऋण लेने वालों को मिलने वाले ऋण की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए सकल और निवल लाभों का आकलन, वर्ष 1992-93 की तुलना में, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अलग-अलग मानदण्डों के अनुसार किया गया था। बैंकों के वर्ष 1992-93 से संबंधित अन्तिम परिणाम उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इस आशय के संकेत हैं कि कई बैंकों में इनके काफी खराब होने की संभावना है। पिछले मानदण्डों के अनुसार वर्ष 1990-91 की तुलना में, वर्ष 1991-92 में निवल तथा सकल लाभों में वृद्धि हुई थी। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों में वृद्धिशील प्रवृत्ति दिखायी दी है। जब कभी अलग-अलग शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके गुणदोषों के आधार पर, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन्हें निपटाया जाता है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 में की गयी व्यवस्था के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को प्रत्येक वर्ष के लाभ की शेष रकम का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा (लाभांश घोषित करने से पहले) अपनी आरक्षित निधि में अन्तरित करना होता है। आरक्षित निधि तथा चुकता पूंजी को पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधि के रूप में लिया जाता है।

(च) लाभों के सांविधिक पुनर्निवेश से ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले ऋण की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि बैंकों से निधियों का बहिर्गमन नहीं होता है।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल और निवल लाभ का विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1990-91		1991-92	
		कुल लाभ	निवल लाभ	कुल लाभ	निवल लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	57.03	19.84	72.30	28.11
2.	आन्ध्रा बैंक	9.82	8.21	22.33	8.42
3.	बैंक आफ बड़ौदा	243.43	56.66	411.97	95.10
4.	बैंक आफ इंडिया	167.56	19.49	326.90	56.63
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	17.80	3.10	23.58	4.04
6.	केनरा बैंक	311.59	136.04	510.34	156.59
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	48.28	9.48	123.19	30.49
8.	कार्पोरेशन बैंक	22.97	4.65	56.34	5.20
9.	देना बैंक	19.51	7.26	31.46	9.10
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	21.81	6.74	39.84	9.05
11.	इंडियन बैंक	95.65	31.84	101.97	36.50
12.	न्यू बैंक आफ इंडिया	(—) 16.70	(—) 45.00	0.80	(—) 41.52
13.	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	57.56	22.83	97.02	26.77
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	(—) 1.06	(—) 5.45	10.30	0.68
15.	पंजाब नेशनल बैंक	188.10	73.69	274.76	112.44
16.	सिंडीकेट बैंक	18.36	2.84	40.94	4.46

1	2	3	4	5	6
17.	यूको बैंक	(—) 2.08	(—) 42.96	35.02	(—) 20·99
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	77.54	40.05	154.28	29.45
19.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	32.01	5.77	18.45	2.68
20.	विजया बैंक	1.26	0.25	15.92	1.84
	कुल :	1370.44	325.33	2367.71	559.04

[हिन्दी]

प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

*919. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए किए गए सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को और अधिक सार्थक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) औद्योगिक उपक्रमों, प्रतिष्ठानों अथवा अन्य संगठनों के प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं से प्रबंधन तथा कर्मकारों के बीच बेहतर सूझ-बूझ का विकास हुआ है। तथापि, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। कतिपय नाजुक मुद्दों से न केवल उद्यम स्तर पर बल्कि सहभागी मंचों के निर्माण से संबंधित समग्र दृष्टिकोण के संबंध में भी समाधान में उपेक्षा हुई है। ये मुद्दे प्रतिनिधित्व पद्धति के निर्धारण, मंचों के कार्य क्षेत्र, भागीदारी के स्तरी, योजना की व्याप्ति, इक्विटी में कर्मकारों की हिस्सेदारी आदि से संबंधित हैं। अतः एक नये दृष्टिकोण का विकास करने के लिए प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को संकल्पना की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था ताकि इसे और अधिक लोकतंत्रात्मक, व्यापक आधार वालों और अर्थपूर्ण बनाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए 8 से 9 जनवरी, 1990 तक एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार में हुए विचार-विमर्श के दौरान, एक मतैक्य उभरकर आया कि शॉप फ्लोर, प्रतिष्ठान तथा प्रबंध बोर्ड स्तरों पर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को और अधिक अर्थपूर्ण, लाभप्रद बनाने के लिए एक विधायी समर्थन आवश्यक था। तत्पश्चात, कानपुर, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, इंदौर तथा बम्बई में भी क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किये गए। तत्पश्चात् इस मामले पर अप्रैल, 1990 में राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था, इन सभी मंचों पर व्यक्त किये गये दृष्टिकोणों के आधार पर, प्रबंध में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990 तैयार किया गया और 30 मई, 1990 को राज्य सभा में पेश किया गया। उक्त विधेयक अभी भी लम्बित है।

[अनुवाद]

मृत्यु संबंधी दावों के मामले

*920. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय में गत तीन वर्षों से अधिक समय से मृत बीमाधारकों संबंधी दावों के कितने मामले निपटान हेतु विचाराधीन हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मृतक व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्तियों ने कोई अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दावों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) 25 मामले, जिनमें से मेरठ में 10 दावे प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों के बीच विवाद के कारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं और शेष 15 मामले दावेदारों द्वारा अस्पताल प्रमाणपत्र तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

(ग) जी, हां, कतिपय मामलों में उनको भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस संबंध में अपेक्षित दस्तावेज तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(घ) सभी पुराने तथा बकाया मामलों की मण्डलीय (डिविजन)/आंचलिक (जोनल) कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मासिक समीक्षा की जाती है। संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए दावेदारों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के लिए शाखा कार्यालय एजेन्टों/विकास अधिकारियों को दावेदारों के पास भेजने हैं ताकि दावों के शीघ्र निपटारे के लिए उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत किया जा सके। दावेदारों के बीच विवाद के मामलों में भी इस बात के लिए प्रयास किए जाते हैं कि जहां तक पॉलिसी की धनराशियों के भुगतान का संबंध है, वे (दावेदार) समझौता कर लें ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावों का निपटारा किया जा सके।

निगमित क्षेत्र के एककों को धन मुहैया कराना

7858. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र के उन एककों की संख्या कितनी है जिन्हें सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा अधुनिकीकरण हेतु धन दिया गया है और ऐसे एककों की संख्या कितनी है जिनको दिए गए धन का 1992 के अन्त तक उपयोग नहीं किया गया;

(ख) ऐसे एककों को 1992 के अन्त तक कुल कितनी धन राशि प्रदान कराई गई; और

(ग) उन एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने इस धनराशि का उपभोग नहीं किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हथकरघा बुनकरों को ऋण

7859. **श्री धर्मलिंगम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों को कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) नाबार्ड पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत शीर्ष और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सरकारी समितियों को 1-4-1993 से 11.5% की वार्षिक दर से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध है ।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

7860. **श्री मोहन सिंह देवरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य व्यापार निगम के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(ख) विगत दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) इस योजना के परिणामस्वरूप निगम को क्या लाभ प्राप्त हुआ है;

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है; उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

1991-92	—	523
1992-93	—	24

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

1991-92	—	20
1992-93	—	25

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम की प्रति वर्ष लगभग 5.50 करोड़ रुपए की बचत हुई है ।

[अनुवाद]

आयात आधारित परियोजनाएं

7861. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए के मूल्य ह्रास के कारण आयात आधारित परियोजनाओं पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) यद्यपि रुपए का मूल्य ह्रास भुगतान सन्तुलन समायोजन के प्रयोजन को पूरा करता है, फिर भी इसमें आयात पर आधारित परियोजनाओं की लागत पर अल्पावधि में विपरीत प्रभाव शामिल है। लेकिन रुपए के मूल्य में गिरावट से उत्पन्न अतिरिक्त लागतों के अनुमान के बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक परियोजना की सही आयात मात्रा के आधार पर पृथक-पृथक परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न है। फिर भी, उपचारात्मक उपायों के रूप में परियोजना लागतों में वृद्धि की क्षति-पूर्ति करने के लिए, सरकार ने परियोजना के लिए आयातों पर आयात शुल्कों में काफी कमी की है। पिछले वर्ष के बजट में पूंजीगत वस्तुओं पर आयात ट्रैरिफ को 80 प्रतिशत से मूल्यानुसार कम करके मूल्यानुसार 55 प्रतिशत कर दिया गया तथा इस वर्ष इसे और कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परियोजनाएं जैसे कोयला खनन तथा पैट्रोलियम में अब 25 प्रतिशत आयात टैरिफ तथा विद्युत परियोजनाओं पर केवल 20 प्रतिशत टैरिफ लगता है। निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अन्तर्गत निर्यात अनिवार्यता की शर्त के साथ 15 प्रतिशत शुल्क पर पूंजीगत माल पर आयात उपलब्ध है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सावधि जमा

7862. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी मुद्रा में सावधि जमा की है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितनी राशि जमा की गई;

(ग) क्या वे सावधि जमा राशि पर ऋण ले सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के ऋणों पर उनसे ली जाने वाली ब्याज की दर क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 27-12-1991 और 25-12-1992 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ०

सी०एन०आर०) और अनिवासी बाह्य (एन०आर०ई०) खातों में जमा बकाया राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	की स्थिति के अनुसार	
	27-12-1991	25-12-1992
एफ०सी०एन०आर०	10731	13229
एन०आर०ई०	6829	7628

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, अनिवासी भारतीयों को अपनी मीयादी जमा-राशियों के मुकाबले में 75% की सीमा तक ऋण लेने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे ऋणों पर जमा दर से 2% अधिक की दर ली जाती है, बशर्ते कि ऋण जमाराशि की परिपक्वता राशि में से अथवा विदेश से नए प्रेषणाओं के माध्यम से वापस किया जाए।

[हिन्दी]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय

7864. **श्री जे० एन० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनके गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक का विचार गुजरात में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

7865. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खान मजदूरों और कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) मध्य प्रदेश में खान मजदूरों और कृषि मजदूरों के लिए कितनी-कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ग) मजदूरी की इन दरों में पिछली बार संशोधन कब किया गया था; और

(घ) न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में खनन एवं उत्खनन तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या क्रमशः 2,20,904 एवं 58,63,029 है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि सम्बन्धी कार्य में नियोजित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर 20.27 रु० प्रतिदिन निर्धारित की है तथा पिछली बार इसमें 1-10-1991 को संशोधन किया गया था। खानों में अनुसूचित रोजगार मुख्यतः केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछली बार 1-4-1993 को मजदूरी में संशोधन किया गया था। मजदूरी दर निम्नानुसार है :—

	भूतल पर	भूमि के अन्दर
अकुशल	24.21 रु०	29.61 रु०
अर्द्ध कुशल	30.21 रु०	36.21 रु०
कुशल	37.11 रु०	44.85 रु०
लिपिकीय	37.11 रु०	—

(घ) सामान्य रूप से, न्यूनतम वेतन दर का निर्धारण एवं संशोधन भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा उनके 1957 के 15वें अधिवेशन में सिफारिश किए गए 5 मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। ये मानक हैं एक औसत भारतीय व्यस्क के लिए न्यूनतम 2700 कैलोरी वाले खाद्य आवश्यकता, प्रति परिवार प्रति वर्ष 72 गज कपड़ा, सरकारी औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्र के आवास के सदृश्य किराया ईंधन तथा प्रकाश का खर्च, और अन्य विविध मदों पर व्यय और परिवार में एक कमाई वाले पर तीन उपभाग इकाई (सदस्य) की निर्भरता। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समुचित सरकारें न्यूनतम वेतन दर के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए समितियां उप-समितियां और सलाहकार बोर्डों का गठन भी कर सकती हैं।

असम में लघु औद्योगिक एककों को ऋण

7866. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, असम में कितने लघु औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून 1989, 1990 और 1991 (अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा असम में 12,777, 12,481 और 7482 लघु उद्योग एककों को क्रमशः 2106.34 लाख रुपए, 1901.41 लाख रुपए और 989.16 लाख रुपए की अग्रिम की राशि संवितरित की गई थी।

सामूहिक बीमा योजना

7867. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सामूहिक बीमा योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वह कब से प्रभावी है और योजना के लाभार्थियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे;

(ग) क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार और नयी दिल्ली नगर पालिका के सभी कार्यालयों में लागू की गयी है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सभी कार्यालयों में इसका शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना नामक एक बीमा योजना 1 जनवरी, 1982 को शुरू की गई थी। यह योजना सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। इस योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1990 से समूह "घ", "ग", "ख" और "क" के कर्मचारियों से क्रमशः 15 रु०, 30 रु०, 60 रु० और 120 रु० के मासिक अंशदान की वसूली की जाती है जिसमें अंशदाताओं की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को 15,000 रु०, 30,000 रु०, 60,000 रु० तथा 1,20,000 रु० की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। बीमा सुरक्षा राशि के अतिरिक्त सेवा समाप्ति/मृत्यु होने पर अंशदाता अथवा उनके परिवार बचत निधि में जमा हो गई राशि तथा उस पर समय-समय पर संशोधित दर पर ब्याज लेने के भी हकदार हैं। अंशदान की संशोधित दरें तथा बीमा सुरक्षा 1990 के बाद के अंशदाताओं के लिए अनिवार्य है। तथापि, पूर्व अंशदाताओं को पुरानी दरों पर अंशदान करने का विकल्प दिया गया है, जो 10 रु०, 20 रु०, 40 रु० तथा 80 रु० प्रतिमाह हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में लागू है। नई दिल्ली नगर पालिका की अपने कर्मचारियों के लिए अलग योजना है।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थानीय निकाय है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू नहीं है। नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के समानान्तर ही बचत से जुड़ी समूह बीमा योजना है।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की सामाजिक आवास योजना

7868. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने कोई सामाजिक आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में उपरोक्त योजनाओं को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश को जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने कुल कितना ऋण दिया तथा चालू वर्ष में कितना ऋण दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की सामाजिक आवास योजनाएं ग्रामीण आवास और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास सुरक्षा प्रदान करती हैं। योजना आयोग द्वारा अन्य सम्बन्धित विभागों से परामर्श करने के बाद किए गए आबंटन के आधार पर विभिन्न सामाजिक आवासीय योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों प्रति वर्ष राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1990-91 से 1992-93) के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने मिलकर मध्य प्रदेश को उनकी सामाजिक आवासीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 21.23 करोड़ रूपए की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की है।

चालू वर्ष (1993-94) के लिए ऋण; योजना आयोग द्वारा जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की निधियों के आवंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा।

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम

7869. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हैंक यार्न आब्लिनेशन स्कीम, 1974 को स्वीकार कर लिया है और संगठित वस्त्र क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र के विवाद को निपटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उक्त योजना को लागू करने के साथ ही कुछ विशेष श्रेणी के वस्त्रों का हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन आरक्षित करने सम्बन्धी अन्य आदेशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हैंक यार्न दायित्व आदेश की पुष्टि करने के आशय के उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के बाद स्थगन आदेश तथा रिट याचिका को निष्प्रभाव खारिज करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने सम्बन्धित राज्यों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए है कि वे हथकरघा आरक्षण आदेशों को कारगर ढंग से लागू करने की कार्रवाई करें।

राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट

7870. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31, मार्च, 1993 तक विभिन्न राज्यों पर ओवर-ड्राफ्टों की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) क्या सरकार ने उनमें से कुछ राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट माफ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जो राज्य सरकारें 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट में थीं, उनके नाम तथा ओवरड्राफ्ट की राशि नीचे दी गई है:—

राज्य का नाम	ओवर ड्राफ्ट की राशि (करोड़ रुपए में)
1. गोवा	3.08
2. गुजरात	138.65
3. हिमाचल प्रदेश	143.22
4. केरल	156.04
5. मध्य प्रदेश	92.58
6. मणिपुर	3.51
7. मिजोरम	8.72
8. नागालैंड	88.91
9. उड़ीसा	67.59
10. तमिलनाडु	42.94

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

7871. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) केरल में जीवन बीमा निगम द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षाएं की गई हैं, पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में हुआ कारोबार नीचे दिया गया है ।

वर्ष	नए कारोबार की बीमाकृत रकम (करोड़ रुपए में)	बेची गई पालिसियों की संख्या	पहली प्रीमियम आय (लाख रुपए में)
1991-92	1458.63	474900	2752.72
1992-93	1719.54	505625	3465.66

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लगाए जाने वाले करों में विषमता

7872. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर कर लगाने के सम्बन्ध में अनेक विषमताएं विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विषमताओं को दूर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर कर लगाए जाने के मामले में इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए कि क्या वे सरकारी नियोजन से अथवा गैर सरकारी नियोजन से सेवा निवृत्त होते हैं आयकर अधिनियम में इस प्रकार की कोई विषमता नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इस प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) के उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर अरूर-अर्नकुट्टी पुल का निर्माण

7873. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पी के अरूर-अर्नकुट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस पुल का निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कब तक इस पुल के निर्माण कार्य के पूरा होने की सम्भावना है और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) केरल में अरूर-अर्नकुट्टी पुल किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है और इसका वित्त पोषण केन्द्रीय सड़क निधि से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मूलतः परिकल्पित स्थल स्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण, कार्य शुरू करने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब कार्य सौंपा जा चुका है और इसके शीघ्र ही आरम्भ होने की सम्भावना है।

(घ) इस कार्य की अनुमानित लागत 542.00 लाख रु० है और इसे 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पशु चारे का निर्यात

7874. **डा० आर० मल्लू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशु चारे के निर्यात में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किस-किस देश को कितने-कितने मूल्य का और कितनी-कितनी मात्रा में उसका निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी निर्यात नीतियों की समीक्षा करने का है जिनके कारण पशु चारे की कमी होने तथा उसका आयात करने और बच्चों को पोषाहार से वंचित होने की स्थिति होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इसकी समीक्षा कब तक की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुओं के चारे के देशवार निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) से (ङ) पशुओं के चारे के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की आय होती है जिससे बदले में जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं तथा उर्वरकों आदि के आयात के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि पशुओं के चारे के निर्यात की अनुमति देने के लिए सरकार की मौजूदा नीति राष्ट्र के हित में है, अतः इसकी समीक्षा नहीं की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुओं के चारे के देशवार निर्यात निम्नानुसार हैं :—

(मात्रा : मी० टन में)

(मूल्य : लाख रु० में)

मदें/देश	1990-91		1991-92		अप्रैल 1992—जनवरी 1993	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
पशु चारा						
योग :	2453657	60962.82	3658107	92617.94	2953205	109544.95
अलजीरिया			4722	177.94		
आस्ट्रेलिया	11	.25	16	1.01		
बहरीन द्वीप समूह	2615	73.90	699500	309.76	7763	433.15
बंगलादेश	20	1.92	3372	45.00	31383	34.40
बेल्जियम			24	1.03	80	4.33

1	2	3	4	5	6	7
भूटान	41	1.15	28	0.46	5	0.24
बुल्गारिया			1775	71.01		
कनाडा					48	5.57
चिली			151	3.59		
चाइनीज ताइपेइ	26926	704.17	181223	6608.70	63905	2029.07
चीन पी०आई०पी०	3531	47.36	16066	537.76	17693	773.26
चेकोस्लोवाक	88955	1868.62	283668	3959.26	227284	6836.99
डेनमार्क	16506	507.29			10263	326.24
मिस्र आर०पी०						
फिजी द्वीपसमूह						
फ्रांस	2	0.22				
जार्जिया						
जर्मन आर०ई०पी०	179684	5435.04	203158	4308.16	252070	8108.81
यूनान	11778	362.03				
हांगकांग	7343	255.29	23938	505.12	24172	283.14
इंडोनेशिया	5365	170.33	185972	7122.24	200021	8188.47

1	2	3	4	5	6	7
इरान					39513	2619.87
आयरलेंड			3755	66.00		
इजरायल			14374	278.46	7997	132.12
इटली	11304	311.98	32902	1045.80	43380	1723.28
जापान	23990	876.69	66360	3245.74	24543	1484.65
जार्डन	607	28.14	2183	108.37	958	70.83
कीनिया			152204	280.11	215944	7082.28
कोरिया आर०पी०						
कुवैत	5336	194.12	2331	129.56	10472	553.64
हंगरी	25123	838.25				
मकाउ			2449	27.78		
मलावी					2	1.26
मलयेशिया	70607	1391.66	87863	3698.92	94279	4748.50
मालदीव	88	3.27	129	6.05	63	3.86
मारीशस	5195	189.55	3282	103.85	1363	73.74
म्यानमार	140	6.93				

1	2	3	4	5	6	7
नौरू आर०पी०					2	1.84
नेपाल	981	32.41	1309	55.40	481	38.27
नीदरलैंड	259923	6420.70	442982	8249.25	258420	5829.30
न्यूजीलैंड	127	3.27	72	4.28	108	7.52
नाइजीरिया					85	4.84
ओमान	20751	567.97	25617	844.57	9869	466.80
पाकिस्तान	34700	1183.00	54723	1401.15	63108	2622.67
पानामा			38	0.77		
फिलीपीन्स	31093	960.95	182691	8568.72	99755	6011.92
पोलैंड	121546	2197.17	74524	2138.01		
पुर्तगाल	3967	127.41				
कतर	1686	71.27	5152	240.07	2660	177.55
रूमानिया	34472	1141.21	39421	1371.25		
रूस					16163	309.52
सऊदी अरब	56017	2021.02	159535	7832.20	117278	7269.59
सैवाल्स	1526	62.91	198	7.58	802	51.67

1	2	3	4	5	6	7
सिंगापुर	17111	422.54	305919	9937.16	416604	20204.02
स्पेन	8960	281.06	6395	194.63		
श्रीलंका	9949	418.68	19703	967.70	33728	1804.48
सुडान			740	28.26		
स्विटजरलैंड			19	1.44		
सीरिया	5416	193.34	4082	232.55		
थाईलैंड	86925	3009.60	130022	4344.31	288894	14038.18
टर्की	19393	581.40	23760	721.85	5763	114.73
अरब अमीरात	29995	860.35	34150	1184.90	158075	1563.60
ब्रिटेन	17825	256.49	116235	1978.03	154614	3470.45
संयुक्त राज्य अमरीका	666	19.84	1414	58.80	3609	40.18
सी०आई०एस०	1192877	26402.28	45886	1462.40		
यमन गणराज्य	7628	256.20	1087	45.52		
युगोस्लाविया	4724	151.09	10985	582.64		

हंगरी के साथ व्यापार

7875. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-हंगरी व्यापार में विस्तार करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो भारत-हंगरी व्यापार अभी तक किन-किन क्षेत्रों में हो रहा है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत-हंगरी आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मारुति कारों का निर्यात, बुडापेस्ट में संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाएं और नीवेली में प्रति व्यापार आधार पर पावर स्टेशन के लिए बायलरों का आयात शामिल है। वर्ष 1992 में भारत से जिन मदों का निर्यात किया गया उनमें प्रमुख मदें थीं परिवहन उपस्कर, काटन यार्न, फ्रेब्रिक मैड अप्स, अनुषंगियों सहित आर० जी० एम० काटन, चमड़ा और विनिर्माण आदि तथा हंगरी से आयात की गई प्रमुख मदें थी दालें, कार्बनिक रसायन, कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक सामग्री, इलैक्ट्रिक मशीनरी और लोहा तथा इस्पात आदि ।

(ग) एक दूसरे के व्यापार मेलों में भागीदारी बढ़ाकर विशेषीकृत मेलों के आयोजन व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान तथा नई व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए बाजार सर्वेक्षण आदि के द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का विस्तार किया जा रहा है ।

भारत-हंगारियन संयुक्त व्यापार परिषद की एक बैठक जनवरी, 1992 में नई दिल्ली में हुई थी जिसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग के कुछ क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया । संयुक्त उद्यम, भण्डारागार की स्थापना सम्बन्धी सुविधाओं आदि की सम्भावनाओं का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन

*7876. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है ताकि सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए परमिट देने हेतु "लोक हित" को मानदण्ड बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) परिवहन विकास परिषद ने जनवरी, 1993 में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 71 में संशोधन किया जाए ताकि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में तथा निर्धारित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देने का प्रावधान किया जा सके। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी कार्रवाई करते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा ।

रूबल सम्बन्धी घोटाला

7877. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ने रूसी रूबल तथा भारतीय रुपये के गुप्त लेन-देन में संलिप्त लोगों का भंडाफोड़ किया है जैसा कि 7 फरवरी, 1993 के इकनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय को यू० एस० एस० आर० के बी० एफ० ई० ए० (विदेशी आर्थिक कार्यों के बैंक) द्वारा रोके गए अपरिवर्तनीय रुपए की राशि को भारत के कुछ बैंकों में परिवर्तनीय रुपए के रूप में बदलने और राशि को कुछ विदेशी/ओवरसीज बैंकों यथा स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक यू० के०, जीरो बैंक, यू० के० और बैंक ऑफ आयर लैंड डबलिन में वोस्ट्रो (**VOSTRO**) लेखों के खातों में डाले जाने से सम्बन्धित कुछ मामलों का पता चला है। यह कार्रवाई (सौदा) स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बम्बई, ए० एन० जेड० ग्रीन्डले बैंक बम्बई और इण्डियन ओवरसीन बैंक, मद्रास द्वारा भारत में की गई। इसके अतिरिक्त, अपरिवर्तनीय रुपए की राशि का कुछ भाग निजी स्वामित्व में था। अब तक इस लेन-देन में लगी कुल राशि के 77.93 करोड़ रु० के बराबर होने का पता चला है।

पैरा के उपबन्धों के अधीन समुचित कार्रवाई की जा रही है।

स्वर्ण आयात योजना

7878. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण आयात योजना के कार्यकरण और देश के बाजार पर इसके प्रभाव की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का सोने की तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने स्वर्ण आयात योजना के कार्यकरण और स्वदेशी बाजार पर उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। किये गए अध्ययन से यह पता चला कि स्वर्ण आयात योजना काफी कामयाबी प्राप्त कर रही है और फिलहाल इसकी समीक्षा करने अथवा इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जहां तक तस्करी की रोकथाम करने एवं इसे कम लाभप्रद बनाने का प्रश्न है, स्वर्ण आयात नीति का प्रभाव वांछनीय दिशा में पड़ा है। इस प्रकार, पहली मार्च, 1992 को इस योजना के आरम्भ से लेकर मार्च, 1993 तक स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत 132472.62 किलोग्राम सोने का आयात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सम्परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 29927.19 लाख रुपए के सीमा शुल्क की वसूली हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों से सोने की तरस्करी में गिरावट आने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

पिग्मी डिपाजिट कलक्टर

7879. **श्री दत्तात्रेय बन्डारू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों के "पिग्मी डिपाजिट कलक्टरों" की ओर से राष्ट्रीय पंचाट, हैदराबाद द्वारा 1989 में उनकी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचाट के निर्णय को लागू करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने सभी बैंकों द्वारा इस निर्णय को शीघ्र लागू कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) बैंकों के छोटी जमा संग्रहकर्ताओं से और उनकी ओर से सरकार ने उनकी सेवा शर्तों के संबंध में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद द्वारा 1989 में औद्योगिक विवाद सं० 14/80 में दिए गए अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक अधिकरण का अधिनिर्णय निम्नानुसार है :—

(1) न्यूनतम जमा से सम्बन्धित 750/- रुपए की "फाल बैक" मजदूरी।

(2) 7500/- रुपए से अधिक रकम इकट्ठा करने पर 2% की दर से प्रोत्साहन पारिश्रमिक।

(3) 10,000/- रुपए से कम की जमाराशि के लिए 50/- रुपए का वाहन भत्ता और 10,000/- रुपए से अधिक और 30,000/- रुपए या उससे अधिक की जमाराशि के लिए 100/- रुपए प्रतिमाह।

(4) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के कमीशन का उत्पादन (ग्रेच्युटी)।

(5) पात्र जमा संग्रहकर्ताओं को अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में खपाना।

इस विवाद में भागीदार बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर व रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस अधिनिर्णय पर स्थगनादेश जारी कर दिया है।

ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से अनुदान

7880. **श्री अनंतराव देश मुख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान भारत को ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ब्रिटिश विदेश विकास प्रशासन) ने कितनी अनुदान राशि दी/देने का वचन दिया।

(ख) उक्त अनुदान का किन-किन परियोजनाओं/कार्यक्रमों में उपयोग किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारत को निम्न प्रकार से अनुदान राशि का वचन दिया गया था :

1991-92	185 मिलियन स्टर्लिंग
1992-93	185 मिलियन स्टर्लिंग

(ख) चूंकि उपर्युक्त वचनबद्धता भुगतान की अधिकतम सीमा है, इसलिए सम्पूर्ण वर्ष यह राशि सभी चालू परियोजनाओं के लिए संवितरित की जाती है। इसलिए, वर्ष के दौरान विशिष्ट परियोजनाओं के भुगतान के लिए कोई अलग से धन की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप में है।

कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्लाटों की बिक्री

7881. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास का पश्चिम कलकत्ता में समुद्र तट से लगे प्लाटों को व्यक्तियों के अतिरिक्त सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के एककों को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है, जिसने अनुप्रयुक्त भूमि का पता लगाया और ऐसी भूमि की बिक्री का प्राधिकार दिया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी दल

7882. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) इन उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिपोर्टों पर विशेषकर सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने सम्बन्धी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने स्ट्रैट्जी फार एक्स्पोर्ट

ग्रोथ इन एक्सट्रीम फोकस प्रोडक्ट ग्रुप्स-एन एजेंडा फार एक्शन" शीर्षक रिपोर्ट की जांच की है जिसमें अत्यधिक महत्व के उत्पादों के निर्यात संवर्धन करने के लिए व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा सिफारिशें दी गई हैं।

(ख) रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें, जो सामान्य और वस्तु विशिष्ट दोनों तरह की हैं समष्टि आर्थिक नीति, क्रियाविधि सम्बन्धी सरलीकरण, अवस्थापना सम्बन्धी सुधार तथा संस्थागत प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। अनेक बिन्दु कर नीति में परिवर्तन तथा निर्यात ऋण की बेहतर शर्तों से सम्बन्धित हैं। इनमें से कुछ बिन्दु क्रियाविधियों के सरलीकरण तथा क्रियाविधि सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने से सम्बन्धित हैं जबकि अन्य बिन्दु बेहतर अवस्थापना परक सुविधाओं तथा संस्थागत ढांचे से सम्बन्ध रखते हैं।

(ग) इन सिफारिशों के बारे अनेक निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं जिनमें निर्यात ऋण पर ब्याज-दर में कमी, निर्यात क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को दिशा निर्देश, गैर-सरकारी क्षेत्र में इनलैंड कंटेनर डिपुओं तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना करना, देश में पैकेजिंग सामग्री के लिए परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना तथा निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी से सम्बन्धित क्रियाविधियों को सरल बनाना शामिल है। वर्ष 1993-94 के बजट में व्यापार के लिए रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता शुरू की गई है और वस्त्र सहित कुछ अत्यधिक महत्व के क्षेत्रों के लिए पूंजी वस्तुओं पर सीमाशुल्क में कमी की गई है। सिलेसिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों की एक योजना शुरू की गई है जिसमें फैबरिक्स का आयात करने तथा निर्यातों को 20% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। लेबल, टैग और स्टिकर्स की शुल्क मुक्त छूट की सीमा 1000/- रु० से बढ़ाकर 10,000/- रुपए कर दी गयी है। यह स्पष्ट किया गया है कि बटन, स्नैप और जिप फासनर्स उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः इनका बिना लाइसेंस के मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

सोना, चांदी और हथियारों की तस्करी

7883. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी 1993 में पश्चिम तट पर निषिद्ध सोना, चांदी और आग्नेयास्त्रों के उतारने के कितने मामलों का पता चला था;

(ख) कितने मामलों में पड़ौसी देश सम्मिलित थे;

(ग) क्या स्वचालित हथियारों की तस्करी में तेजी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बेरोजगारी

7884. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत इन्जीनियरों, चिकित्सकों, शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने और अधिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार, नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, जोकि देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे, की शैक्षणिक राज्यवार संख्या (अद्यतन उपलब्ध) संलग्न विवरण में निहित है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर मुख्य बल दिया गया है। योजना में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक विकास को ऊच्च दर को आवश्यकता पर बल दिया गया है। भौगोलिक और फसल-वार विविधीकृत कृषीय विकास, बंजरभूमि तथा वानिकी के विकास, ग्रामीण गैर-फार्म क्षेत्र तथा ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के विकास, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विकास योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख नीति के मूल तत्व हैं।

विवरण

31-12-1990 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या			
	डाक्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	इंजीनियर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)	अन्य शिक्षित (मैट्रिक एवं ऊपर)	अन्य (मैट्रिक से नीचे एवं निरक्षर)
1	2	3	4	5
राज्य :				
1. आंध्र प्रदेश	2.8	12.0	1742.8	1248.2
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.3	4.6
3. असम	0.2	1.2	564.2	474.4
4. बिहार	1.5	6.6	2460.0	925.6
5. गोवा	0.2	0.3	60.8	31.0
6. गुजरात	0.6	4.8	594.0	353.3

1	2	3	4	5
7. हरियाणा	0.8	0.5	345.9	248.9
8. हिमाचल प्रदेश	0.2	0.8	258.3	182.6
9. जम्मू और कश्मीर	×	0.4	37.3	74.5
10. कर्नाटक	0.9	15.0	772.9	525.6
11. केरल	2.3	8.4	2066.0	1350.1
12. मध्य प्रदेश	0.8	4.0	1407.8	654.6
13. महाराष्ट्र	3.9	6.6	1904.6	1126.8
14. मणिपुर	0.1	0.4	119.0	75.9
15. मेघालय	×	×	10.3	12.5
16. मिजोरम	×	×	11.9	24.3
17. नागालैंड	×	0.1	11.9	7.9
18. उड़ीसा	1.4	3.5	496.2	362.0
19. पंजाब	0.6	1.3	409.4	244.7
20. राजस्थान	2.2	3.0	511.3	387.7
21. सिक्किम*				
22. तमिलनाडु	3.7	11.2	1729.8	1464.4
23. त्रिपुरा	×	0.2	49.4	109.4
24. उत्तर प्रदेश	1.5	4.5	2056.4	1037.0
25. पश्चिम बंगाल	3.6	7.9	2552.1	2267.4
संघ शासित प्रदेश				
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	×	0.1	8.4	7.6
27. चण्डीगढ़	0.8	0.4	84.8	70.7
28. दादर और नगर हवेली	×	×	1.2	1.0
29. दिल्ली	3.2	1.7	643.2	195.3

1	2	3	4	5
30. दमन और द्वीव**				
31. लक्षद्वीप	×		1.7	3.9
32. पांडिचेरी	0.4	0.5	67.6	53.2
योग :	31.7	95.6	20979.5	13525.0

टिप्पणी :—1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** उपलब्ध नहीं है ।

3. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं ।

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा पोटाश का आयात

7885. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में परस्पर व्यापार समझौते के कारण भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने कुल कितनी मात्रा में पोटाश का आयात किया; और

(ख) इस प्रकार के परस्पर व्यापार समझौते के अन्तर्गत खनिज और धातु व्यापार निगम ने उक्त अवधि के दौरान देश-वार विदेशी मुद्रा में कुल कितने का कारोबार किया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एम० एम० टी० सी० लि० पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रति व्यापार सम्बन्धों के तहत आयात की गई पोटाश की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा लाख (एम० टी०)
1990-91	1.95
1991-92	0.90
1992-93	13.30

(ख) एम० एम० टी० सी० द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रति व्यापार करारों के

तहत विदेशी मुद्रा में किए गए कुल कारोबार के देश-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	1990-91	1991-92	1992-93
कनाडा	5.83	4.18	20.44
जर्मनी	नगण्य	नगण्य	32.76
सी० आई० एस०	1.92	नगण्य	7.46
इजरायल	नगण्य	नगण्य	2.40
	7.75	4.18	63.06

एफ० सी० वी० तम्बाकू

7886. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति एकड़ फ्ल्यू क्योर्ड वजीनिया तम्बाकू का औसत उत्पादन कितना है;

(ख) इसका औसत मूल्य क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इसके उत्पाद से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सरकार को प्रति एकड़ कितने उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991-92 मौसम के दौरान लगभग 419 कि० ग्रा० प्रति एकड़ (खेत में वजन)।

(ख) वर्ष 1991-92 मौसम के दौरान 30.03 रुपए प्रति कि०ग्रा०।

(ग) उत्पाद शुल्क सिगरेटों पर लगाया जाता है न कि कच्चे तम्बाकू पर। शुल्क की दर सिगरेट की लम्बाई और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि सिगरेट फिल्टर है अथवा गैर-फिल्टर किस्म की है। इसके अलावा, उत्पाद शुल्क तैयार उत्पाद की कुल लागत पर लगाया जाता है जिसमें शुष्क तम्बाकू, फिल्टर टिपिंग पेपर, फ्लेवर्स आदि लागत शामिल होती हैं और एफ० सी० वी० तम्बाकू के प्रति एकड़ उत्पादन पर सरकार द्वारा अर्जित उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व की राशि का ठीक-ठाक अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन योजना निधि

7887. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन योजना निधि के अन्तर्गत उपलब्ध धन का उपयोग करने के लिए कोई नयी योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक नयी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। नयी पेंशन योजना को 1-4-1993 से कुटुम्ब पेंशन योजना की विद्यमान निधि द्वारा वित्तपोषित किये जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 1-4-1993 से भविष्य निधि में नियोजकों द्वारा जमा कराए जा रहे वेतन के 8.33% हिस्से को भी पेंशन निधि में अन्तरित किया जाएगा। प्रस्तावित पेंशन योजना में अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता आदि जैसी प्रासंगिकताओं के लिए मासिक पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

7888. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से गुजरात में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये राज्य-वार किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पटरी

7889. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर पक्की पटरियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में पटरी के और बिना पटरी के राष्ट्रीय राजमार्गों की, राज्य-वार, पृथक-पृथक लम्बाई कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पटरी निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सहायता राशि का वितरण

7890. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** :

श्री रूप चन्द पाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एस० आई० डी० वी० आई० द्वारा कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई और वितरित की गई और चालू वित्त वर्ष के

दौरान राज्य/संघ सज्य क्षेत्र-वार और उद्योग-वार कितनी सहायता राशि को स्वीकृत करने और वितरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास विशेषत: पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अवसर अहमद) : (क) 1992-93 के दौरान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत (अल्पावधिक बिलों सहित) लघु उद्योग क्षेत्र में लघु और अति लघु एककों को स्वीकृत और संवितरित की गई सहायता राशि क्रमश: 2908.34 करोड़ रुपए और 2145.78 करोड़ रुपए थी। 1992-93 के दौरान सिडबी की मुख्य-मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर और संवितरित की गई राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्रवार और उद्योगवार सहायता राशि विवरण-I और II में दी गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान सिडबी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरणों की अनुमानित राशि 2704 करोड़ रुपए है। परन्तु इसके राज्यवार और उद्योगवार अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सिडबी ने सूचित किया है कि इसकी योजनाओं को किसी एक विशेष क्षेत्र के संदर्भ में तैयार नहीं किया जाता है और अति लघु, और लघु उद्योग क्षेत्र में सभी पात्र एककों को पूर्वी क्षेत्र सहित सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में इसकी पुनर्वित्त योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाती है। सिडबी ने अप्रैल 1990 में अपनी स्थापना से पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र में एककों को कुल 579.7 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है।

हाल ही में, सिडबी ने पूर्वी क्षेत्र में ब्लाक अंगीकरण योजना और उद्यमवृति विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उनायन कार्यक्रम, महिला विकास निधि के तहत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता (एम० बी० एन०), गुणवत्ता परीक्षण केन्द्रों की स्थापना, रेशम उद्योग के विकास हेतु सुविधाओं का सृजन और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे औद्योगिक रूप से अल्प विकसित क्षेत्रों में अर्थक्षम उद्यमों की अवस्थिति के लिए गहन प्रयास करने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप प्रारम्भ किए गए हैं।

विवरण-I

सिडबी की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत और संवितरित सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	143.11	124.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.02	0.36
3.	असम	7.97	9.30

1	2	3	4
4.	बिहार	20.94	14.10
5.	गोवा	21.83	21.65
6.	गुजरात	411.94	282.96
7.	हरियाणा	184.47	123.74
8.	हिमाचल प्रदेश	28.30	21.94
9.	जम्मू और कश्मीर	3.95	2.72
10.	कर्नाटक	260.13	217.13
11.	केरल	136.02	117.97
12.	मध्य प्रदेश	92.67	70.23
13.	महाराष्ट्र	484.27	351.59
14.	मणिपुर	1.53	1.41
15.	मेघालय	1.92	1.51
16.	मिजोरम	0.05	0.05
17.	नागालैंड	0.57	0.51
18.	उड़ीसा	39.98	30.74
19.	पंजाब	93.56	67.82
20.	राजस्थान	155.06	93.43
22.	सिक्किम	1.44	1.19
23.	तमिलनाडु	272.73	207.38
24.	त्रिपुरा	1.42	1.03
25.	उत्तर प्रदेश	227.40	143.08
25.	पश्चिम बंगाल	94.29	72.02
26.	संघ शासित राज्य*	93.86	19.66
	जोड़	2780.45	2059.24
	* ए० एवं एन० द्वीप समूह	0.07	0.07
	चण्डीगढ़	7.62	3.82

1	2	3	4
	दादरा एवं नागर हवेली	1.05	0.55
	लक्षद्वीप	—	0.01
	नई दिल्ली	79.46	71.33
	पांडिचेरी	5.21	3.88
	जोड़	93.41	79.66

विवरण-II

1992-93 के दौरान सिडबी की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर और संवितरित की गई उद्योगवार सहायता

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	उद्योग	मंजूर की गई	संवितरित की गई
1	2	3	4
1.	खाद्य उत्पाद	254.37	163.25
2.	वस्त्र	229.65	141.29
3.	कागज	63.33	48.56
4.	रबर और रबर उत्पाद	35.51	26.59
5.	उर्वरक	6.96	3.90
6.	मूल रसायन	240.88	166.41
7.	सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	66.60	41.17
8.	मूल धातु/धातु इत्तर खनिज उत्पाद, उद्योग :		
	(अ) धातु अलाय	57.08	33.45
	(ब) गैर-धातु खनिज उत्पाद	114.32	64.45
9.	धातु उत्पाद	109.21	67.35
10.	मशीनरी	176.86	139.98
11.	विद्युतीय मशीनरी	125.62	92.74

1	2	3	4
12.	परिवहन उपस्कर	154.26	147.19
13.	बिजली उत्पादन	274.14	194.01
14.	सेवाएं	541.57	485.90
15.	अन्य	330.59	243.00
	जोड़	2780.45	2059.24

चावल का निर्यात और गेहूं का आयात

7891. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान भारत ने बासमती तथा गैर-बासमती चावल का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया है और यह किन दरों पर किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किस-किस क्वालिटी का कुल कितना-कितना चावल और गेहूं किन-किन स्रोतों से आयात किया गया है तथा इस पर पृथक-पृथक कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) चावल के निर्यात से वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तथा इसके आयात में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(घ) चावल और गेहूं के संबंध में दो तरफा सौदे के लिए सी० आई० एफ० और एफ० ओ० बी० के अनुसार प्रति टन कितनी लागत आई है;

(ङ) क्या आयातित गेहूं की कई खेप मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई हैं तथा इसे पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी हानि हुई तथा इसके लिए किसकी जिम्मेदारी निश्चित की गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण मे दी गई है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क)

मद	1991-92		1992-93	
	मात्रा (एम०टी०)	इकाई मूल्य प्राप्ति (रुपया/एम०टी०)	मात्रा (एम०टी०)	इकाई मूल्य प्राप्ति (रु०/एम०टी०)
1. बासमती चावल	235590	18469	286170	24455
2. गैर बासमती चावल	525790	6087	299539	7160

(स्रोत : एपीडा

(ख)

मद	1991-92		1992-93 (अप्रैल "92 से जनवरी 93" तक)	
	मात्रा (एम०टी०)	मूल्य (रुपया)	मात्रा (एम०टी०)	मूल्य (रुपया)
1. गैर-बासमती चावल	12117 (यू०एस०ए०)	1094.42 लाख	37614 (जर्मनी, (यू०एस०ए०, वियतनाम)	3285.99 लाख
2. गेहूं	1858	41.66 लाख	750931 (आस्ट्रेलिया, कनाडा, यू०एस०ए०)	38659.23 लाख

(स्रोत : डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कलकत्ता)

(ग) चावल के निर्यात से वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 306.31 मिलियन अमरीकी डालर और 317.28 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। वियतनाम से 180 अमरीकी डालर प्रति एम० टी० (एफ० ओ० बी०) की दर से चावल का आयात करने के लिए संविदा किया गया था।

बोनस का भुगतान

7892. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस के भुगतान में 8.33 प्रतिशत और भुगतान की सीमा सोलह सौ रुपये से अधिक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महिला उद्यमियों को सहायता

7893. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिला उद्यमियों को वस्त्र निर्यात हेतु प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण प्रदान कर बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार, महिला उद्यमियों सहित सभी उद्यमियों को उनके नियम प्रयासों में प्रोत्साहित करती है ।

[हिन्दी]

छोटे उद्यमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की विशेष सेवा

7894. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस०बी०आई०) का विचार छोटे उद्यमियों और व्यापारियों के लिए विशेष सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सेवा कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी; और

(घ) इससे अनुमानतः कितने उद्यमियों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि छोटे उद्यमियों और व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की नयी सेवा शुरू करने की इस समय उसकी कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) ये सवाल ही पैदा नहीं होते ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमाराशि

7896. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय बैंकों द्वारा राज्य-वार कुल कितनी जमा राशि जुटाई गई और कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष

1991-92 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियों और संवितरित ऋणों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1991-92 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां और संवितरित ऋणों की राज्य-वार स्थिति

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	जुटाई गई जमाराशियां	संवितरित ऋण
1	2	3	4
1.	हरियाणा	3866.16	3440.82
2.	हिमाचल प्रदेश	1439.34	862.41
3.	जम्मू व कश्मीर	1248.15	46.97
4.	पंजाब	1837.73	2724.95
5.	राजस्थान	6786.44	4230.80
6.	अरुणाचल प्रदेश	92.52	182.48
7.	असम	1840.57	523.34
8.	मणिपुर	56.09	14.71
9.	मेघालय	443.25	99.37
10.	मिजोरम	108.77	67.39
11.	नागालैंड	2.21	1.61
12.	त्रिपुरा	1081.48	227.61
13.	बिहार	8830.65	4473.31
14.	उड़ीसा	3857.76	4758.78
15.	पश्चिम बंगाल	7335.97	5630.32
16.	मध्य प्रदेश	4313.00	4726.02
17.	उत्तर प्रदेश	21246.44	19729.84
18.	गुजरात	1953.66	3159.31

1	2	3	4
19.	महाराष्ट्र	1655.31	2296.42
20.	आन्ध्र प्रदेश	7289.42	21578.79
21.	कर्नाटक	8112.61	12741.62
22.	केरल	3062.76	14944.00
23.	तमिलनाडु	1399.81	5230.68

[अनुवाद]

मृतक खान श्रमिकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति

7897. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने लोग विभिन्न खानों में जीवित दब गए;

(ख) क्या मृतकों के आश्रितों को पूरी क्षतिपूर्ति की गई;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष, 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान विभिन्न खानों में क्रमशः 35, 24 और 41 व्यक्ति जीवित ही दफन हुए।

(ख) से (घ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, जिसको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित किया जाता है, में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिकर की अदायगी की जाती है। इस संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

बेरोजगार पुरुष और महिलायें

7898. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को देश में राज्यवार कितने पुरुष और महिलाएं शिक्षित बेरोजगार थे;

(ख) इन राज्यों में 1991 में कितने पुरुष और महिलाएं शिक्षित बेरोजगार थे और 1992 में उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ग) क्या शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बेरोजगार महिला एवं पुरुषों के लिए कोई स्वरोजगार कार्यक्रम बनाए गए हैं अथवा बनाये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के पिछले विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षित बेरोजगारों के राज्यवार आकलन (जुलाई, 1987 जून, 1988) (अद्यतन उपलब्ध) संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) विकास की सामान्य प्रक्रिया में रोजगार सृजन होने के अतिरिक्त, विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना (एस० ई० ई० यू० वाई०) शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए बनाई गई है। कुछ राज्य सरकारें शिक्षितों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती हैं।

विवरण

1987-88 के दौरान सामान्य मौलिक स्तर के अनुसार शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	योग	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	353	292	61
2.	अरुणाचल प्रदेश		नगण्य	
3.	असम	134	106	28
4.	बिहार	313	299	14
5.	गोवा, दमन और दीव	16	11	5
6.	गुजरात	112	106	6
7.	हरियाणा	147	127	20
8.	हिमाचल प्रदेश	38	29	9
9.	जम्मू और कश्मीर	40	28	12
10.	कर्नाटक	229	168	61
11.	केरल	727	314	413
12.	मध्य प्रदेश	156	120	36
13.	महाराष्ट्र	365	303	62

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	9	6	3
15.	मेघालय	1	1	नगण्य
16.	मिजोरम		नगण्य	
17.	नागालैंड	2	1	1
18.	उड़ीसा	194	147	47
19.	पंजाब	159	107	52
20.	राजस्थान	94	88	6
21.	सिक्किम	1	1	नगण्य
22.	तमिलनाडु	488	308	180
23.	त्रिपुरा	23	14	9
24.	उत्तर प्रदेश	387	372	15
25.	पश्चिम बंगाल	476	328	148
संघ शासित प्रदेश				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	1
27.	चंडीगढ़	9	9	0
28.	दादर और नगर हवेली		नगण्य	
29.	दिल्ली	53	36	17
30.	लक्षद्वीप	1	0	1
31.	पांडेचेरी	8	6	2
	योग :	4537	3328	1209

विद्युतकरघा क्षेत्र

7899. **श्री मंजय लाल :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विद्युत करघे हैं तथा इनमें इस समय तक कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के विद्युतकरधा क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश का कोई आकलन किया है;

(ग) स्वदेशी बाजार में विद्युतकरधा उत्पादों की बिक्री से प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विद्युतकरधों के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) देश में 12 लाख विद्युतकरधे हैं (31-12-92 के अनुसार)। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 6 मिलियन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लाभ अर्जन की प्रतिशतता अलग-अलग होगी जो कि फैब्रिक की किस्म पर निर्भर होती है। विद्युतकरधा उत्पादों की बिक्री से औसतन लाभ 9.5 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) स्थान संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की शर्तों पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत-करधा एककों की स्थापना करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश 1992 के अनुसार भूतपूर्व वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के अन्तर्गत विद्युतकरधा पंजीकरण की अपेक्षता को सूचना ज्ञापन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है वशर्ते कि एकक औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत न आता हो।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालय

7900. **श्री सुधीर गिरि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1993 तक देश में कितने रोजगार कार्यालय थे;

(ख) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा निजी संगठनों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों से ही व्यक्तियों को बुलाएं; और

(ग) रोजगार नियोजनालयों के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) फरवरी, 1993 के अन्त में देश में कार्य कर रहे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित रोजगार कार्यालयों की संख्या 865 थी।

(ख) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में सार्व-जनिक क्षेत्र के सभी नियोजकों द्वारा और निजी क्षेत्र के गैर-कृषीय प्रतिष्ठानों में 25 या अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा रिक्तियां भरे जाने से पहले निर्धारित रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना का प्रावधान है परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती अनिवार्य नहीं है। तथापि, प्रशासनिक अनुदेश जारी करके केन्द्र सरकार और

केन्द्रीय अर्ध-सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के कुछ गुणों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसा ही करें।

(ग) नौकरी चाहने वालों और नियोजकों दोनों को अधिक कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया जा चुका है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को पुनः वित्त दिया जाना

7901. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी पुनर्वित्त राशि दी गई; और

(ख) इस पर कितनी ब्याज दर ली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित पुनर्वित की कुल राशि निम्न प्रकार की थी :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	संवितरित पुनर्वित्त
1990-91	135.31
1991-92	158.57
1992-93	158.25

(ख) 31-9-1990 तक योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत पुनर्वित्त पर नाबार्ड द्वारा ली गयी ब्याज दर निम्न प्रकार थी :—

1. लघु सिंचाई भूमि विकास/आई० आर० डी० पी०/ कायोगैस और सीमांतक किसानों को सभी अग्रिम	6.5% प्रतिवर्ष
2. अन्य सभी विविध उद्देश्यों के लिए	8.0% प्रतिवर्ष

22-2-1990 से पुनर्वित्त पर ब्याज दर अग्रिमों की मात्रा के आधार पर 6.5% प्रतिवर्ष से लेकर 12% प्रति वर्ष तक अलग-अलग है। 22-4-1992 से कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी पात्र उद्देश्यों के लिए योजनाबद्ध ऋण (स्वतः पुनर्वित्त सुविधा सहित) के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर निम्न प्रकार है :—

अन्तिम उधारकर्ताओं के लिए सीमा का आकार	नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज दर
1	2
1. 25,000/-रुपए तक	6.5%
2. 25,000/-रुपए से अधिक और 2 लाख रुपये तक	10.5%
3. 2 लाख रुपए से अधिक	100%

1	2
कृषि क्षेत्र	
(I) बंजर भूमि विकास के लिए योजनायें, वर्षा-पोषित कृषि/सूखी भूमि कृषि, निर्यातोन्मुखी परियोजनाएं/चाय काफी, रबर और मसालों के अलावा और सहकारी संस्थाओं/सरकारी क्षेत्र के निगमों द्वारा कार्यान्वित लघु सिंचाई	100% 10.5%
(II) नाबार्ड पुनर्वित्त (अर्थात् उपयुक्त श्रेणी 1 के अलावा) द्वारा दी गई सहायता की अन्य योजनायें	12.0%
गैर-कृषि क्षेत्र	
(I) 2 लाख रुपए से अधिक और 7·5 लाख रुपए तक	12.0%
(II) 7.5 लाख रुपए से अधिक	13.5%

[अनुवाद]

कंडोम का आयात और निर्यात

7902. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 के दौरान भारतीय कंडोमों (निरोध) का कितना निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कंडोमों के निर्यात से कितनी आय अर्जित हुई है तथा उनके आयात पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) देश में कंडोमों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अनुमान है कि वर्ष 1992 के दौरान लगभग 4872 हजार भारतीय कंडोमों का निर्यात किया गया।

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कंडोम के निर्यात और आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मूल्य : लाख रु० में)

निर्यात (अनुमानित)	आयात (अनुमानित)
107.9	1037.8

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कारगार रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए उसी ग्रेड और किस्म की देशीय प्राकृतिक रबड़ और आयातित रबड़ के बीच कीमत में अन्तर के लिए इस मद के निर्यातकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्राकृतिक रबड़ राज सहायता (एन० आर० एस०) स्कीम के अन्तर्गत रबड़ कंडोम को शामिल करना, मौजूदा एक्जिम नीति के अन्तर्गत मूल्यवर्धन की तुलना में निविष्टि-उत्पादन मानदंडों का उपयुक्त निर्धारण, निर्यात दायित्व के साथ 15% के कम सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा, आयकर अधिनियम की धारा 88 एच०एच०सी० के अन्तर्गत सुविधा की उपलब्धता, सरकर की नई औद्योगिक नीति के अनुसार देश से कंडोमों के विनिर्माण

को लाइसेंस मुक्त करना जिसके अन्तर्गत उद्यमियों को औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस० आई० ए०) में संगठित क्षेत्र में कंडोमों का निर्माण करने के लिए एक इकाई की स्थापना करने हेतु केवल औद्योगिक उद्यम ज्ञापन (आई० ई० एम०) फाईल करने की आवश्यकता इस तरह के कुछ ऐसे प्रमुख उपाय/अभ्युपाय हैं, जो कंडोमों के उत्पादन और निर्यात के विकास के लिए किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रबड़ के कंडोमों के विनिर्माता-निर्यातक हमेशा नए बाजारों की खोज में रहते हैं।

नई आयात निर्यात (एक्जिम) नीति

7903. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी नई आयात निर्यात नीति से स्वदेशी तौर पर और पालिश किए हुए हीरे और मोती मूल्यवान रत्नों से निर्मित मूल्यवर्द्धित आभूषणों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम का आयात

7904. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाने और इसके बजाय तैयार उत्पाद रेशमी वस्त्र के निर्यात को अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) : जी हां। अपरिष्कृत रेशम के आयात के कारण घरेलू निर्माताओं कीमतों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के कारण उस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता के बारे में कुछ प्रस्ताव हैं। हालांकि सरकार पहले से ही अरिष्कृत रेशम के आयात, जिसकी सामान्यतः मूल्य-वर्धित रेशमी वस्त्र उत्पादकों के निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है, के सम्बन्ध में एक प्रतिबंधित नीति अपना रही है, फिर भी आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्राप्त हुए सुझावों को ध्यान में रख लिया गया है तथा सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण कारीगरों की सहायता

7905. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं; और

(ख) 1991-92 के दौरान देश में राज्यवार कितने ग्रामीण कारीगरों को सहायता प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक समस्त देश में उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं या सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यकलापों के लिए ग्रामीण कारीगरों सहित ऋणकर्त्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनायें/कार्यक्रमों, जिसके लिए बैंक वित्त उपलब्ध कराता है वे हैं— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना (एस० ई० ई० यू० वाई०) इन कार्यक्रमों के तहत बैंक ग्रामीण कारीगरों को वित्त प्रदान करते हैं।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऋणकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से, ग्रामीण कारीगरों के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना भी उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, जून 1991 को समाप्त वर्ष (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को संवितरित अग्रिम लगभग तीन लाख खातों में 189.47 करोड़ रुपये के थे।

[अनुवाद]

शेयर बाजार के लिए पृथकबोर्ड

7906. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार पर निगरानी रखने के लिए एक पृथक बोर्ड गठित करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वस्तुओं के निर्यात के लिए कार्य योजना

7907. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री में वस्तुओं के निर्यात में तेजी लाने के लिए दस सूत्री कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए 10 सूत्र, फिक्की द्वारा नई दिल्ली में (दिनांक 18-3-93 को) तथा मद्रास में (दिनांक 20-3-93 को) आयोजित "विदेश व्यापार नीति संबंधी सुधारों पर सम्मेलन" में प्रस्तुत दस्तावेज का एक भाग है। इन सूत्रों में शामिल है एस० एस० आई० सेक्टर के लिए आरक्षित उत्पादों पर से नियंत्रण हटाना, कुछ थोड़े से निर्यातकों पर संकेन्द्रित रहना, कुछ थोड़े से निर्यात उत्पादों पर संकेन्द्रित रहना, निर्यात योग्य बेशी में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, निर्यात-ऋण के लिए ब्याज दर घटाना, विदेशों में सीधे भारतीय निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन सीमा बढ़ाना, विशेष आयात लाइसेंस के बदले पर आयात की जा सकने वाली मदों की सूची का विस्तार करना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एस० सी० की असंमताओं को दूर करना, ई० ओ० यू०/ई० पी० जैड० के लिए मूल्य वर्धन मानदंड कम करना और ई० पी० सी० जी० योजना के अन्तर्गत बिना किसी अवस्था या मूल्य प्रतिबंधों के पुरानी मशीनरी और गुणवत्ता नियंत्रण जुगतों के आयात की अनुमति देना।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापार के उदारीकरण के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें शामिल है : निर्यात से जुड़े हुए आयात का प्रावधान, आयात लाइसेंसिंग में कमी, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, नीति और क्रियाविधियों को सरल बनाकर क्रियाविधि संबंधी व्यवधानों को समाप्त करना और निर्यात की सकारात्मक सूची में कमी करना। वर्ष 1993-94 के बजट में, बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली को शुरू किया गया है तथा कच्चे माल और पूंजीगत माल की कई मदों पर से सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर एक प्रतिशत कर दी गई है और बैंकों से लिए जाने वाले निर्यात ऋण पर ब्याज को हटा लिया गया है। बैंकों से कहा गया है कि वे जून, 1993 के अन्त तक उनके कुल अग्रिम का कम से कम 10% निर्यात ऋण राशि के रूप में सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, विदेशों में विशेष निर्यात थ्रष्ट के लिए 34 वस्तुओं को "अत्यधिक महत्वपूर्ण" सेक्टर के रूप में अभिज्ञात किया गया है। कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों की उन निर्यातोन्मुख इकाइयों को, जो अपने उत्पाद का कम से कम 50% निर्यात करती है, एक योजना में शामिल करने हेतु आयत-निर्यात नीति 1992-97 में संशोधन किया गया है। "विनिर्माण" और पूंजीगत माल की परिभाषा को कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया गया है। ई० पी० जैड० और ई० ओ० यू० के मामले में मूल्यवर्द्धन के फार्मूले को संशोधित किया गया है। उस दस्तावेज में दिए सभी सूत्र इसमें सामान्यतः कवर हो जाते हैं।

असम में वाणिज्यिक बैंक

7908. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान असम में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु राज्य में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कुछ और शाखायें स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई राज्यवार या क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत जो बैंक संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड और विवेकपूर्ण लेखा मानक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें नई शाखाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता दी जायेगी। नई नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने असम में बैंक शाखाएं खोलने के लिए 13 शहरी स्थानों (जोरहाट में 5 और गुवाहाटी में 8) का आबंटन किया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुवाहाटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक को एक औद्योगिक वित्त शाखा भी आबंटित की है।

सामूहिक बीमा योजना में अंशदान

7909. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में रुपये के मूल्य में हुई कमी को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना में कम दर वाले वर्तमान अंशदान में वृद्धि करने की मांग लम्बे समय से विचाराधीन है;

(क) यदि हां, तो अंशदान बढ़ाने तथा तदनुसार बीमा की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना में अंशदान की मौजूदा दर में वृद्धि किए जाने की कोई मांग लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महिलाओं के संबंध में जनगणना आयोग का अध्ययन

7910. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनगणना आयोग द्वारा हाल में ही प्रकाशित उस अद्यतन दस्तावेज की ओर दिलाया गया है कि कारखानों और अन्य घरेलू उद्योगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जन गणना आयोग के अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जनगणना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गृह उद्योग तथा गृह उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में पुरुष कर्मकारों की संख्या महिला कर्मकारों से कहीं अधिक है। तथापि रोजगार को इन दो श्रेणियों के रोजगार में महिलाओं की सहभागिता दर 1981 में 14.7% से बढ़कर 1991 में 16.4% हो गई है।

(ग) कार्य में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि एक उत्साह वर्धक संकेत है।

वस्त्रों का निर्यात

7911. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वस्त्रों का भारी मात्रा में निर्यात बढ़ने की संभावना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस विशाल क्षमता का दोहन करने के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार को बड़े कताई और बुनाई मिलों को स्थापित करने हेतु विकसित देशों के व्यापारियों से कोई प्रस्ताव अथवा संकेत प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार की मूल निर्धारण नीति से भारतीय निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भारतीय वस्त्र निर्यात के प्रमुख गन्तव्य देश संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देश, कनाडा, नार्वे आस्ट्रिया और फिन्लैंड जैसे विकसित पश्चिमी देश हैं। इन देशों के साथ वस्त्रों का व्यापार भारत और इन देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा संचालित होता है जिसके अन्तर्गत ऐसी अनेक वस्त्र तथा परिधान उत्पादों के लिए मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसके लिए भारत की निर्यात करने की अच्छी संभाव्यता है। इस प्रकार इन देशों में कोटे की श्रेणियों में भारत का प्रवेश सीमित है। तथापि, इन देशों में तथा जापान, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि जैसे कुछ गैर-कोटा देशों में गैर-कोटा श्रेणियों के निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश है।

(ग) और (घ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में 1-8-1991 और 31-3-93 तक की अवधि के बीच 35 विदेशी निवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिसमें 1547.93 मि० रु० के विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आयातों में वृद्धि

7912. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से नवम्बर, 1992 के बीच आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में किन-किन क्षेत्रों में आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या आयात में वृद्धि दर, योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 1992 के बीच 14691 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात किये गए थे, जबकि अप्रैल-नवम्बर 1991 के बीच 12381 मिलियन अमरीकी डालर के आयात किये गए थे।

(ख) अप्रैल-नवम्बर 1991 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 92 के दौरान जिन प्रमुख वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई वे हैं : उर्वरक अलौह धातुएं, धात्विक लौह अयस्क तथा धातु की कतरन, कच्चा पैट्रोलियम तथा उसके उत्पाद, लोहा तथा इस्पात, मोती, मूल्यवान और अर्द्धमूल्यवान रत्न, मशीनें, रासायनिक पदार्थ आदि। अप्रैल-नवम्बर 1992 के दौरान पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में जिन क्षेत्रों से आयातों में वृद्धि हुई वे हैं : पश्चिम यूरोप, एशिया तथा ओसिनिया, अफ्रीका एवं अमरीका।

(ग) आठवीं योजना में आयातों की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत वार्षिक होने की व्यवस्था है। अप्रैल-नवम्बर 1992-93 के दौरान वर्ष 1991-92 की उस अवधि की तुलना में आयातों की वृद्धि डालर के रूप में 18.7% बैठती है जोकि योजना लक्ष्य की अपेक्षा बहुत अधिक है। इसका कारण यह रहा कि वर्ष 1991-92 के दौरान आयात में बहुत अधिक कमी की गई थी। तथापि 1990-91 (अपेक्षाकृत अधिक सामान्य वर्ष) की उसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 1992-93 के दौरान आयातों में डालर के रूप में 5.9% की गिरावट आई है।

(घ) और (ङ) नीति तथा निर्यातों और आयातों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति का उद्देश्य विदेश व्यापार के लिए नियंत्रण मुक्त ढांचे के तहत कारगर तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाता है।

कर्नाटक में सहकारी बैंकों को नाबार्ड द्वारा वित्त दिया जाना

7913. **श्री जी० माडेगौड़ा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान कर्नाटक में सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनः वित्त पोषण के रूप में कितनी धन राशि दी गई तथा ऐसे सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नाबार्ड ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में कुछ ऐसे सहकारी बैंकों का भी पुनः वित्त पोषण किया है जो इसके पात्र नहीं थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी क्षेत्रों को दो शीर्ष स्तरीय सहकारी बैंकों अर्थात् राज्य भूमि विकास बैंक (एस० एल० डी० बी० और राज्य सहकारी बैंकों (एस० सी० बी०) के माध्यम से पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। 1992-93 के दौरान, योजनाबद्ध ऋण के लिए कर्नाटक में सहकारी बैंकों को संवितरित पुनर्वित्त निम्न प्रकार था :

एस० एल० डी० बी०	—5250 लाख रुपए
एस० सी० बी०	—1246 लाख रुपए

(ii) 1992-93 के दौरान नाबार्ड द्वारा कर्नाटक में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मंजूर ऋण सीमा निम्न प्रकार थी :

(करोड़ रुपए)

पुनर्वित्त का प्रकार	पुनिवत्त सीमा	डी०सी०सी०बी० की संख्या
I. अल्पावधिक (कृषि)	132.00	13
II. प्राथमिक बुनकर संस्थाएं	2.48	8
III. औद्योगिक सहकारिताओं को वित्त	0.01	1
IV. मध्यावधिक ऋण	0.92	5 कलेंडर वर्ष 92 के लिए
गैर-योजनाबद्ध	0.58	4 कलेंडर वर्ष 93 के लिए अब तक

(ख) नाबार्ड गुण-दोषों के आधार पर विभिन्न वित्तीय बैंकों को छूट उपलब्ध कराता है। परन्तु यदि बैंक ऋण पात्रता मानदण्ड के अन्तर्गत नाबार्ड पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं है तो पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है। 1991-92 के दौरान राज्य में इस संबंध में कोई छूट मंजूर नहीं की गई थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

बागान उद्योग में घाटा

7914. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान सामान्य रूप से बागान उद्योग तथा विशेष रूप से चाय, रबड़ और इलायची उद्योगों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटा पूरा करने के उद्देश्य से बागान उत्पादकों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि वर्ष 1992 के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात में कुछ गिरावट आई है। इलायची के उत्पादन में भी गिरावट आई है। लेकिन पिछले वर्ष (1991-1992) की तुलना में रबड़ के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। चाय तथा इलायची के उत्पादन में गिरावट आने का कारण कृषि जलवायु की

प्रतिकूल स्थिति रही है। चाय के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण यह रहा है कि रूस तथा अन्य सी० आई० एस० देशों द्वारा कम खरीददारी की गई है।

(ग) इन वस्तुओं के संबंध में स्थिति निम्नलिखित :

(1) **चाय** : वर्ष 1992 के दौरान उत्पादन में जो घाटा हुआ था वह अस्थायी स्वरूप का था। वर्ष 1993 के आरम्भ से उत्पादन में कमी पर काबू पाने की संभावना है। निर्यात क्षेत्र में सरकार विभिन्न देशों को उद्योग शिष्टमंडल प्रायोजित करके चाय के निर्यातों के विविधीकरण को बढ़ावा देती रही है। प्रमुख आयातक देशों को भारतीय चाय की और अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें भारतीय चाय की प्रतियोगी कीमतों और गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जा रही है।

(2) **इलायची** : उठाये जा रहे कदम निम्नलिखित हैं :

(क) बोर्ड द्वारा जहां कहीं व्यवहार्य है छायावरण यथा सिंचाई करके घाटा कम करने के लिए व्यापक अभियान चलाये गए :

(ख) सूखा प्रभावित इलायची बागानों के पुनर्स्थापन के लिए मसाला बोर्ड द्वारा 9.83 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पैकेज कार्यक्रम तैयार किये गए जिनमें शामिल हैं, पौध रोपण सामग्री का उत्पादन तथा सप्लाई, आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त बागानों का पुनर्रोपण, नवीकरण, उर्वरकों का प्रयोग, जल संसाधनों के लिए आधारित संरचना का विकास और भू-संरक्षण।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता

7915. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को 'स्व-रोजगार' उपलब्ध कराने के लिए योजना 1983-84 से कार्यान्वित की जा रही है। जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता पैकेज के प्रावधानों के माध्यम से उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय में स्वरोजगार उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 18-35 वर्ष के आयु ग्रुप वाले शिक्षित बेरोजगार युवक, जो मैट्रिक स्तर और उससे ऊपर के हैं तथा जिनके परिवार की आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे क्रमशः उद्योगों, सेवा तथा व्यवसाय में स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए क्रमशः 35,000/- रु०, 25,000/- रुपए तथा 15,000/- रुपए तक का बैंक ऋण प्राप्त करने के

पात्र हैं। वर्ष 1986-87 से कुल स्वीकृतियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को छोड़कर, यह योजना देश के सभी क्षेत्रों में लागू की गई है। सरकार से सहायता, बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण के 25 प्रतिशत तक की एक एकबारगी पूंजी राहत के रूप में है।

(ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय जो योजना को प्रशासनिक नियंत्रण प्रदान करता है, ने सूचित किया है कि योजना के तहत केन्द्रीय राहत की स्वीकृति के लिए कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, स्वीकृत ऋणों पर 25 प्रतिशत की दर से राहत की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों, जिन्होंने संपूर्ण देश में ऋण स्वीकृत किए हैं, के माध्यम से हिताधिकारियों को भुगतान किए जाने के लिए रिलीज की जाती है। चालू वर्ष के बजट में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के संबंध में ऋणों में सब्सिडी का भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 40 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

[अनुवाद]

स्ट्रक्चर्ड कम्पनसेशन स्कीम

*7916. **श्री राम लखन यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों के लिए "स्ट्रक्चर्ड कम्पनसेशन स्कीम' के अन्तर्गत 60 दिनों के अन्दर मुआवजे का भुगतान करने का कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने मामले पंजीकृत किये गए हैं; और

(ग) कितने मामलों में साठ दिनों के अन्दर मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय

7917. **श्री धर्मण्णा मोन्ड्या सावुल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भविष्य निधि आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण राज्य के कुछ नगरों में अनेक औद्योगिक श्रमिकों को भविष्य निधि योजना की सुविधा नहीं मिल पाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ उद्योगों तथा कुछ नगरों के श्रमिकों के प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध उनके मंत्रालय में विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र तथा देश के अन्य औद्योगिक शहरों में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) महाराष्ट्र के कुछ शहरों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय न होने के कारण कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सुविधा न दिये जाने की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र व अन्य स्थानों पर और उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । चूंकि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है अतः सभी अभ्यावेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित कर दिए गए हैं ।

[हिन्दी]

आयकर अपवंचक

7918. **श्री राम टहल चौधरी** :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बीस शीर्षस्थ आयकर दाताओं के नाम क्या हैं जिन पर 31 मार्च, 1993 के अनुसार आयकर की राशि बकाया है;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी पर कितनी आयकर राशि बकाया है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

राज्य सड़क परिवहन निगम

*7919. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में राज्य-वार राज्य सड़क परिवहन निगमों को कितना लाभ/हानि हुई; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को राज्य-वार कितनी सहायता दी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य सड़क परिवहन निगम	निबल लाभ/घाटा			केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गईं निधियां		
		1989-90 वास्तविक	1990-91 वास्तविक	1991-92 वास्तविक	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश रा० स० प० नि०	—20.63	—11.92	—31.13	80.00	—	—
2.	आसाम रा० स० प० नि०	—13.53	—15.36	—17.81	—	—	—
3.	बिहार रा० स० प० नि०	+13.23	—22.74	—26.87	—	—	—
4.	गुजरात रा० स० प० नि०	+ 6.23	+ 4.29	+ 0.92	18.40	14.25	3.725
5.	हिमाचल प्रदेश रा० स० प० नि०	—16.56	—15.41	—18.38	—	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर रा० स० प० नि०	—11.75	—15.90	—16.83	—	—	—
7.	कर्नाटक रा० स० प० नि०	—37 70	+ 1.30	—19.09	1.407	—	4.00
8.	केरल रा० स० प० नि०	—25.72	—30.99	—39.54	—	3.07	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मध्य प्रदेश रा० स० प० नि०	—18.42	+ 0.24	+ 0.27	—	—	1.568
10.	महाराष्ट्र रा० स० प० नि०	—64.81	+ 5.58	—26.72	4.658	1.953	—
11.	मणिपुर रा० स० प० नि०	— 1.21	— 1.46	— 1.70	—	—	—
12.	मेघालय रा० स० प० नि०	— 2.22	— 1.69	— 1.71	—	—	—
13.	उड़ीसा रा० स० प० नि०	— 5.85	—12.09	—11.77	3.94	—	—
14.	पेप्सू स० प० नि०	—20.29	—20.88	—17.89	—	—	—
15.	राजस्थान रा० स० प० नि०	+ 0.15	— 8.59	+13.96	1.597	3.49	0.707
16.	त्रिपुरा ए रा० स० प० नि०	— 3.14	— 3.12	— 3.49	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश रा० स० प० नि	—24.75	—40.42	—33.43	4.744	—	—
18.	उत्तरी बंगाल रा० स० प० नि०	— 2.53	— 5.75	— 7.34	—	—	—
19.	दक्षिण बंगाल रा० प० नि०	— 2.71	— 3.98	— 3.30	—	—	—
20.	कलकत्ता रा० प० नि०	—22.03	—23.79	—21.65	—	—	—
21.	दिल्ली परिवहन निगम	—119.8456	—197.4835	—203.8184	57.50	120.00	67.00

न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय

7920. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :**

श्री मदनलाल खुराना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय, करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीयकृत बैंक का विलय दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस समय प्रस्ताव के ब्यौरों की जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थाओं को आयकर में छूट

7921. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ शैक्षिक और प्रबन्धन संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय बजट में आयकर में सौ प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत कालेजों और स्वायत्त कालेजों को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। वित्त विधेयक, 1993 में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के किसी ऐसे विश्वविद्यालय अथवा किसी ऐसे शैक्षिक संस्थान को दिए गए दानों के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत कटौती देने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के किसी ऐसे शैक्षिक संस्थान को दिए गए दान शत-प्रतिशत कटौती पाने के पात्र होंगे जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

सी०ई०बी०आई०टी०-93

7922. **श्री बलराज पासी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 से 31 मार्च, 1993 के बीच आयोजित सी०ई०बी०आई०टी०-1993 मेले में भारतीय पैवेलियन द्वारा दिए गए ऋयादेशों और उनकी बुक की गई कीमत का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मेले में भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त उद्यम लगाने के लिए इस मेले में विभिन्न विदेशी कम्पनियों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : भागीदारों की सूचना के अनुसार सी०ई० बी०आई०टी०-93 मेले में भारतीय मण्डप में कुल 0.60 लाख रुपए मूल्य के नमूना आर्डर बुक किए गए। यह भी सूचना मिली है कि 688.8 लाख रुपए मूल्य के व्यापार हेतु कुछ बातचीत चल रही है जिनमें से कुछ को सम्भवतः बाद में मूर्त रूप दे दिया जाएगा।

(ख) समूचे विश्व के कुल 45 देशों ने सी०ई०बी०आई०टी० हैन्नोवर में भाग लिया जिसमें अनेक यूरोपीय देश, पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना, जापान, हांगकांग, मलयेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, यू०एस०ए०, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय मण्डप के एक भागीदार मैं० मोसेर बेयर (इण्डिया) लि० ने एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर करने की सूचना दी थी। एक अन्य भागीदार मैं० उषा कन्सल्टेन्ट्स ने भी एक संयुक्त उद्यम करार करने के बारे में बताया था।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड

*7923. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड को, जहां तीसरे तेल टैंकर का निर्माण किया जा रहा है, धन-राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण वित्तीय संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तीसरे तेल टैंकर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मंजूर करने तथा भारतीय नौवहन निगम द्वारा बताए गए मूल्य में संशोधन करने और शिपयार्ड को गम्भीर वित्तीय संकट घाटे से बचाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस शिपयार्ड को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने अन्य क्या उपाय किए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) फिलहाल कोचीन शिपयार्ड के पास वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं है। तथापि, लागत-मूल्यों में भारी अन्तर के कारण तीसरे तेल टैंकर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। मूल्य में संशोधन के प्रश्न पर जिसमें तीसरे तेल टैंकर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भारतीय नौवहन निगम को अतिरिक्त बजटगत सहायता देना शामिल है, सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) शिपयार्ड के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय विचाराधीन हैं:—

(i) शिपयार्ड की पूंजीगत पुनःसंरचना जिसमें ब्याज का स्थगन, योजनागत/पूंजीगत ऋणों के पुनर्भुगतान पर स्थगन, संसाधन-ऋणों को माफ करना, इत्यादि शामिल हैं।

(ii) जहाज निर्माण उद्योग के लिए राहतों का एक पैकेज जिसके अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण फार्मूले में संशोधन और भारतीय यार्डों को आर्डर देने वाली नौवहन कम्पनियों को आसान शर्तों पर यार्ड क्रेडिट देना भी शामिल है।

शुल्क वापस लेने सम्बन्धी दावे

7924. **श्री स्वरूप उपाध्याय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1991-92 और 1992-93 में दवा निर्माण करने वाली कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के मामले में अनियमितताएं बरतने तथा अत्यधिक शुल्क वापस लेने सम्बन्धी दावों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में दोषी पाई गई कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। कतिपय दवा निर्माताओं द्वारा आयात के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि निर्यात किए जाने वाले माल के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक कच्ची सामग्री का आयात किया गया था जिसके परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग हुआ और अधिक मात्रा में प्रति अदायगी की राशि अदा की गई।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने ऐसे मामलों में जांच की थी और वाणिज्य मंत्रालय ने इन प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विनिर्दिष्ट दवाओं के निर्माण के लिए निविष्टि उत्पादन के मानदण्डों को संशोधित कर दिया है और निर्यात-आयात नीति, 1992-97 में सम्मिलित कर लिया है। समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जब तक आयात किया गया, तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विदेशी मुद्रा का कोई दुरुपयोग किया गया हो।

यदि किसी मामले में, निर्माण इकाई के द्वारा प्रस्तुत की गई अपूर्ण सूचना के कारण प्रति-अदायगी की अधिक अदायगी ध्यान में आई हो तो प्रतिअदायगी की उस अधिक राशि की वसूली के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जिस अधिक राशि का इकाई ने दावा किया था।

एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय कच्ची सामग्री के आयातों के तथाकथित अधिक मूल्यांकन के मामले की जांच कर रहा है।

गुड़गांव के लिए डी०टी०सी० की बस सेवाएं

*7925. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव से रोजाना दिल्ली आने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली-गुड़गांव के बीच बस सेवाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, यो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सायं 8 बजे के बाद दिल्ली, विशेष रूप से घौला कुआं से गुड़गांव के लिए दिल्ली परिवहन निगम तथा हरियाणा रोडवेज की कोई बस सेवा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार को, दिल्ली और गुड़गांव के बीच प्रचालित कुछेक रूटों का विस्तार किए जाने और अपर्याप्त बस सेवाओं के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम, गुड़गांव जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 20.05 बजे घौला कुआं से गुड़गांव तक शटल बस सेवा प्रचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त घौला कुआं से गुड़गांव जाने वाले यात्री अम्बेडकर स्टेडियम से 19.30 बजे प्रचालित होने वाले अन्तिम ट्रिप और शिवाजी स्टेडियम से 19.30 बजे चलने वाले विशेष ट्रिप जो घौला कुआं पर लगभग 20.00 बजे पहुंचते हैं, की सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) हरियाणा रोडवेज अनेक सेवाएं प्रचालित करता है। कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों के लिए 08.40 बजे, 17.15 बजे, 17.40 बजे, और 18.30 बजे अम्बेडकर स्टेडियम से कुछ सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार दिल्ली परिवहन निगम ने भी सफदरजंग टर्मिनल से गुड़गांव वाया हौज खास, कुतुब मिनार, डी०एल०एफ० और कुतुब एन्क्लेव के रूट पर दो बसें और बढ़ाई हैं।

तमिलनाडु में लघु औद्योगिक एककों को ऋण

7926. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितने लघु औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन्हें कितनी ऋण राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1989, 1990 और 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार) तमिलनाडु में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 66060, 6·065 तथा 59832 लघु उद्योग एककों को क्रमशः 25564.58 लाख रुपए, 33252.17 लाख रुपए और 35033.19 लाख रुपए की धनराशि के अग्रिम संवितरित किए गए थे।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रदूषण

*7927. **श्री गुरुदास कामत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की प्रदूषण फैलाने वाली काफी बसें खड़ी कर दी जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बसों के स्थान पर दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जाने वाली नई बसों का ब्यौरा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली बसों के बारे में दि०प०नि० को हाल ही में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं :—

(i) दि०प०नि० की सभी बसों की राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा धुंआ छोड़ने के मानकों की अनुरूपता के लिए जांच की जाएगी और उनका प्रमाणन किया जाएगा।

(ii) धुंआ सम्बन्धी मानकों को पूरा न करने वाली बसों को आवश्यकतानुसार मरम्मत/ओवर हालिंग के लिए गैराज में भेजा जाए और उसके बाद उसकी पुनः प्रमाणीकरण के लिए जांच की जानी चाहिए।

(iii) यदि कोई बस मरम्मत/ओवर हालिंग के बाद भी धुंए सम्बन्धी मानकों को पूरा नहीं करती है उस वाहन को हटाकर रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) वार्षिक योजना 1993-94 में प्रतिस्थापन खाते में बसों की खरीद के लिए 10 करोड़ रु० का प्रावधान है।

तस्करी की गतिविधियों में लिप्त अधिकारी

7928. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और राजस्व आसूचना के कुछ अधिकारी तस्करी में लिप्त पाए गए हैं और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन मामलों में लिप्त पाए गए हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात लक्ष्य

7929. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 में देश के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इसके लिए वार्षिक लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) अप्रैल-फरवरी, 1992-93 वह नवीनतम अवधि है, जिसके निर्यात के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अवधि के दौरान डालर की दृष्टि से निर्यात में वर्ष 1991-92 की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में 2.81% की वृद्धि हुई है। सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों एवं वस्तु-बोर्डों से परामर्श करके वर्ष 1992-93 के लिए 20132 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है जो वर्ष 1991-92 के निष्पादन की तुलना में डालर के रूप में 12.8% अधिक है। निर्यात में धीमी वृद्धि के कारण हैं : स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी०आई०एस०) और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में तीव्र गिरावट, औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में मन्दी और विश्व व्यापार में धीमी बृद्धि।

(ङ) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापार के उदारीकरण के लिए कई प्रमुख उपाय किये हैं, जिनमें निर्यात से जुड़े आयात का प्रावधान, आयात लाइसेंसिंग में कमी, निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना, नीति एवं क्रियाविधियों के सरलीकरण के जरिए क्रियाविधि सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना और निषेधात्मक निर्यात सूची में काट-छांट करना शामिल है : वर्ष 1993-94 के बजट में बाजार निर्धारित एकीकृत विनिमय दर शुरू की गई है तथा कई कच्चे माल और पूंजीगत माल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिए गए हैं। रुपया निर्यात ऋण की ब्याज-दर एक प्रतिशत तक कम कर दी गई है और बैंकों से निर्यात ऋण के मामले में ब्याज पर कर समाप्त कर दिया गया है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जून, 1993 तक निर्यात ऋण की राशि उनके कुल अग्रिम का कम से कम 10% हो। इसके अतिरिक्त, 34 वस्तुओं को विदेश में, विशेष निर्यात थ्रस्ट के लिए "अत्यधिक महत्वपूर्ण" क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

[अनुवाद]

एशिया-प्रशान्त देशों के साथ व्यापार

7930. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रहे आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों और भारत के बीच व्यापार और पूंजी निवेश संबंधी कोई विस्तार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ हमारे व्यापार से सम्बन्धित ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों से अनुमोदित निवेश संबंधी ब्यौरे विवरण-II पर हैं।

विवरण-I

एशिया-प्रशांत देशों के साथ व्यापार

(करोड़ रु० में)

		1990-91			1991-92		
		निर्यात	आयात	जोड़	निर्यात	आयात	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आस्ट्रेलिया	321.26	1463.56	1784.82	499.26	1444.58	1943.84
2.	बंगलादेश	547.44	31.29	578.73	798.62	14.06	812.68
3.	चीन (जनवादी गणराज्य)	32.55	55.57	88.12	118.77	52.62	171.39
4.	हांगकांग	1070.35	297.08	1367.43	1514.38	261.84	1776.22
5.	इंडोनेशिया	196.22	145.57	341.79	361.71	164.95	526.66
6.	जापान	3038.98	3244.55	6283.53	4071.11	3375.46	7446.57

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कोरिया (आर० ओ० के०)	327.78	656.97	984.75	588.33	787.21	1375.54
8.	मलेशिया	271.00	995.45	1266.45	498.98	972.06	1471.19
9.	सिंगापुर	680.68	1427.58	2108.26	958.49	1712.51	2671.00
10.	श्रीलंका	234.90	36.72	271.62	429.44	28.22	457.66
11.	थाईलैंड	443.26	115.72	558.98	489.62	119.55	609.17

विवरण-II

एशिया-प्रशांत देशों द्वारा निवेश

(करोड़ रु०)

		1990	1991	1992
1.	आस्ट्रेलिया	0.63	2.61	77.62
2.	बंगलादेश	—	—	—
3.	चीन (जनवादी गणराज्य)	—	0.75	—
4.	हांगकांग	1.15	21.15	57.08
5.	इंडोनेशिया	—	—	1.9
6.	जापान	5.0	52.71	610.23
7.	कोरिया (आर०ओ०के०)	7.06	6.15	39.4
8.	मलेशिया	0.12	0.18	74.43
9.	सिंगापुर	—	1.37	60.21
10.	श्रीलंका	—	—	—
11.	थाईलैंड	0.16	—	2.52

राष्ट्रीय आवास बैंक योजना

7931. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री नवल किशोर राय :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 तक विशेष धारक बांड योजना के अन्तर्गत योजना-वार कुल कितनी धन-राशि प्राप्त हुई और राष्ट्रीय आवास बैंक योजना के अन्तर्गत कितनी धन-राशि जमा कराई गई;

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक योजना के शुरू होने से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत सामाजिक लक्ष्यों, जैसे गन्दी बस्ती हटाना तथा कम लागत आवास इत्यादि, सम्बन्धी तैयार किए गए कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) योजना 1991 से है जो 1 अक्तूबर, 1991 से आरम्भ की गई थी और 31 जनवरी, 1992 को समाप्त कर दी गयी थी। राष्ट्रीय आवास बैंक को बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत कुल 153.78 करोड़ रुपये की रकम जमा की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत जमा की गयी रकम के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) जैसाकि राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) योजना, 1991 में निर्धारित किया गया है, इस स्कीम के अन्तर्गत जमा की गयी रकम का 40 प्रतिशत हिस्सा (अर्थात् 61.51 करोड़ रुपये) एक विशेष निधि में जमा किया जायेगा और उस रकम का उपयोग गंदी बस्तियों को हटाने तथा कम लागत के आवास के वित्तपोषण के लिए किया जायेगा। इस रकम का उपयोग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार किए गए तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस योजना में किसी भी राज्य के लिए किसी विशेष आबंटन की परिकल्पना नहीं की गई है। अलबत्ता, किसी नगर अथवा शहर में गंदी बस्तियों के पुनः विकास सम्बन्धी किसी भी प्रस्ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण किये जाने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के अन्तर्गत जमा की गई रकम

क्रम सं०	राज्य का नाम	जमा की गई रकम करोड़ रु० में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.28
2.	असम	0.51
3.	बिहार	3.61
4.	गोवा	1.33
5.	गुजरात	6.57
6.	हरियाणा	0.60
7.	हिमाचल प्रदेश	0.68
8.	कर्नाटक	8.29
9.	केरल	4.77
10.	मध्य प्रदेश	2.15

11.	महाराष्ट्र	36.09
12.	मेघालय	0.45
13.	नागालैंड	0.01
14.	उड़ीसा	2.84
15.	पंजाब	5.72
16.	राजस्थान	1.71
17.	तमिलनाडु	12.87
18.	उत्तर प्रदेश	17.93
19.	पश्चिम बंगाल	22.13
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.01
21.	चंडीगढ़	0.38
22.	दमन एवं दीव	0.27
23.	दिल्ली	19.57
24.	पांडिचेरी	0.01
	कुल :	153.78

आंकड़े अनन्तिम हैं ।

"टोनर्स" और "डेवलपर्स" का आयात

7932. **श्री मोहन रावले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "टोनर्स" तथा "डेवलपर्स" का आयात करने वाले गिरोह की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में सीमा शुल्क की चोरी के कारण सरकार को कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) कुछ समय पहले यह सूचना प्राप्त हुई थी कि देश के विभिन्न भागों में कुछेक व्यापारी मुद्रण उद्योग और फोटो-कॉपिंग मशीनों में प्रयुक्त होने वाले टोनरों का आयात उनके वास्तविक मूल्यों से कम मूल्य के बीजक बनवाकर कर रहे हैं । इस आशय की भी सूचना प्राप्त हुई थी कि इस माल की कार्बन ब्लैक के रूप में गलत घोषणा की जाती है । पता लगाये गए माल, किए गए शुल्क अपवंचन की राशि आदि के बारे

में विशेष रूप से सूचना एकत्र की जा रही है । सीमा शुल्क प्राधिकारियों को टोनरों और डिवलपरों के निर्धारण के मामले में सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

निष्क्रिय खातों पर ब्याज

7933. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक को कुछ खाताधारकों से उनके 1983-84 से निष्क्रिय खाते पर ब्याज प्रभारों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ खाताधारक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बैंक को जारी किए निर्देशों के कारण खातों का निपटारा करने में असमर्थ रहे;

(ग) क्या 10 वर्ष या इससे अधिक समय बीत जाने के बाद बैंक ने खाताधारकों के विरुद्ध मामले दायर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ऋण सेवा प्रभार

7934. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991, 1992 तथा 1993 को देश पर कुल घरेलू तथा विदेशी ऋण कितना-कितना था;

(ख) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान पृथक-पृथक कुल घरेलू तथा विदेशी ऋण सेवा प्रभार कितना-कितना था; और

(ग) 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान ऋण सेवा प्रभार तथा राजस्व आय का अनुपात कितना-कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सरकारी खाते में कुल बकाया ऋण की स्थिति नीचे दी गई :

(करोड़ रुपए)

	निम्नलिखित की समाप्ति पर		
	1990-91	1991-92	1992-93
(i) आन्तरिक ऋण और अन्य देनदारियां	282733	317414	354964
(ii) विदेशी ऋण (मौजूदा विनिमय दर पर)	66314	109677	117198*

*फरवरी, 1993 के अन्त तक 1 मार्च, 1993 के लेखे अभी तक बंद नहीं किए गए हैं ।

[हिन्दी]

गुजरात में केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभ/हानि

7935. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात में केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए औसत लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में इन बैंकों के घाटे को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (अद्यतन उपलब्ध) के तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक वर्ष लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत लाभ और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों का औसत घाटा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए)

	लाभ	घाटा
1989-90	50	574
1990-91	66	919
1991-92	73	221

गुजरात के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में गत 3 वर्षों के दौरान, राज्य में किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने लाभ नहीं कमाया है। वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रति क्षेत्रीय बैंक द्वारा उठाया गया औसत घाटा इस प्रकार है :

(लाख रुपए)

1989-90	34
1990-91	40
1991-92	81

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों के अनेक कारण हैं, जैसे निम्न कारोबार, टर्नओवर उच्च प्रबंध लागत, प्रचालनों पर कम मार्जिन, ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण की कमी, यथोचित रूप से निधियों की व्यवस्था में असफलता तथा कम वसूली। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है तथा राज्य के संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी उनका सांविधिक निरीक्षण करता है तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता है। जहां तक सहकारी ऋण संस्थानों की खराब वसूली का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से मीडिया तथा विस्तार तंत्र द्वारा उधारदात्री संस्थाओं की रकमों की वापसी अदायगी के महत्व का प्रचार करने के

लिए कहा गया था। बैंकों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने प्रबंधन की लागत को उचित स्तर तक ही सीमित रखें। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को लाभ अर्जित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का परामर्श दिया है, ताकि एक निश्चित समयावधि में वे लाभ अर्जित कर सकें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर प्रायोजित बैंकों के बोर्डों, नाबार्ड तथा सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी सांविधिक निरीक्षणों, कार्यनिष्पादन मॉनीटरिंग, नैदानिक अध्ययनों आदि के माध्यम से नाबार्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गैर-लक्ष्यगत ऋण कर्ता समूहों को उनकी नवीन उधार के 40 प्रतिशत तक वित्तपोषण की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे उनके कारोबार के स्तर में प्रगति होने की संभावना है। प्रायोजक बैंकों को भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके पास रखी गई अल्पावधि जमाराशियों पर न्यूनतम 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देने के लिए परामर्श दिया गया है उनकी गैर फार्म गतिविधियों के लिए पात्रता के बावजूद नाबार्ड द्वारा उन्हें पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान की है। सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की चुकता पूंजी भी 50 लाख रु० से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एक्सप्रेस राज मार्ग

*7936. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित/निर्माणाधीन राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों की कुल लम्बाई, राज्य-वार, कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में किसी एक्सप्रेस राज मार्ग का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी एक्सप्रेस राज मार्ग के निर्माण का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गुजरात में अहमदाबाद से बड़ोदरा तक 93 कि० मी० लम्बे एक राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है।

(ख) राष्ट्रीय एक्सप्रैसवे के मामले में पूरी लागत संघ सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एक्सप्रैसवे के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है। तथापि इस संबंध में ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का निर्यात

7937. **श्री बी० देवराजन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य के हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) प्रमुख रूप से कौन-सी वस्तुएं निर्यात की गईं तथा इन वस्तुओं के लिए स्थायी बाजार प्रदान करने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने कितनी बार दूसरे देशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा इसके परिणामस्वरूप नए बाजार प्राप्त किए ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यातों के कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	हाथ से बने कालीनों आदि सहित हस्तशिल्प	हथकरघा	
1990-91	1220.00 (वास्तविक)	1990-91	407.27
1991-92	1810.00 (वास्तविक)	1991-92	692.22
1992-93	2404.00 (अनंतिम)	1992-93 (अप्रैल, 92 से फरवरी, 93)	912.71

(ख) हस्तशिल्प और हथकरघा के निर्यात की प्रमुख मदें और इन मदों को स्थायी बाजार देने वाले देशों के नाम निम्नोक्त प्रकार हैं :

	हस्तशिल्प	हथकरघा
निर्यात की प्रमुख मदें	1. हाथ से बने कालीन 2. कलात्मक धातुपात्र 3. काष्ठपात्र 4. हाथ से छपे वस्त्र, स्कार्फ आदि 5. कशीदाकारी और क्रोशिए से बने सामान 6. कलात्मक शालें 7. जरी और जरी का सामान 8. नकली जेवरात	सूती हथकरघा परिधान के निर्यात की मुख्य मदें सिलेसिलाए परिधान हैं, जिसमें शर्टिंग, ड्रेसमैटेरियल फर्निशिंग, फर्श बिछावन, चादरें/पंलग-पोश, तकिए के गिलाफ, तोलिए और नेपकिन आदि शामिल हैं।
प्रमुख आयतक देश	संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी ब्रिटेन, फ्रांस, स्विटजरलैंड, सऊदी अरब, भूतपूर्व सोवियत संघ, इटली, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा	भारत के हथकरघा के सामान विश्व के सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। तथापि संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को हथकरघा उत्पाद भारी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं।

(ग) हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, नई दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में निम्नोक्त प्रदर्शनियों में भाग लिया :

1990-91	1991-92	1992-93
1. इंटरस्टूम एशिया हांगकांग	1. मिलान फेयर, इटली	1. स्वीडिश इंटरनेशनल टेक्सटाइल फेयर, स्टाकहोम
2. एशियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर, म्यूनिव	2. हेमटेक्सटाइल एशिया-92, टौकियो	2. हेमटेक्सटाइल एशिया-93, टोकियो
3. हेमटेक्सटाइल, एशिया-91, टोकियो	3. ताशकंद फेयर, सोवियत संघ	3. रोयन फेयर, फ्रांस
4. गिफ्ट शो, टोकियो	4. जे०ए० शो, संयुक्त राज्य अमरीका	4. केयन फेयर, फ्रांस
5. जे० ए० शो, संयुक्त राज्य अमरीका		5. डिजोन फेयर, फ्रांस
		6. साडी प्रदर्शनी, ब्रिटेन

हस्तशिल्प एवं कथकरघा निर्यात निगम नई दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में सोने के आभूषण पर निम्नोक्त प्रदर्शनियां भी आयोजित की :

1990-91	1991-92	1992-93
शून्य	यूनाइटिड अरब अमीरात में एक	यूनाइटिड अरब अमीरात में एक

उपरोक्त प्रदर्शनियों के परिणामस्वरूप हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विकसित किए गए नए बाजार निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. अर्जेनटीना
2. ब्राजील
3. चिल्ली
4. उरुगांव
5. दक्षिणी कोरिया

चांदी आयात

7938. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चांदी के आयात को नियमित करने हेतु निर्यात और आयात नीति के अन्तर्गत मानदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी चांदी का आयात किया गया था ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) निर्यात तथा आयात नीति 1992-97, यथा संशोधित के अन्तर्गत, किसी भी रूप में चांदी को निषेधात्मक आयात-सूची में शामिल किया गया है । आयात की अनुमति शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत तथा एग्जिम नीति के क्रमशः अध्याय VII और VIII में विहित रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई है और विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा भी विशेष आयात लाइसेंसों के आधार पर आयात किया जा सकेगा । चांदी के आयात को वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 107 (पी० एन०)/92-97 दिनांक 1 मार्च 1993 में विहित प्रावधानों के अनुसार भी विनियमित किया गया है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं विभिन्न रूपों में (सोने अथवा प्लेटिनम के मुलम्मे वाली चांदी सहित) आयात की गई चांदी की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (हजार ग्राम में)
1990-91	21.035
1991-92	34.528

मादक द्रव्यों की तस्करी

7939. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का बढ़ता हुआ खतरा गम्भीर चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी देशों को हेरोइन की तस्करी विशेषतः मादक द्रव्यों को बड़े पैमाने पर लाने ले जाने की गतिविधि को रोकने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) औषध प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अभी तक कोई निश्चित साक्ष्य रिपोर्ट नहीं किया गया है कि आतंकवादी औषध अवैध व्यापार में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन में अन्तर्ग्रस्त है । तथापि, नशीले पदार्थों की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक सक्रिय किया गया है, विशेष रूप से पश्चिम में

हेरोइन को रोकने के लिए। प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक सक्रिय करने के लिए विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक तथा प्रवर्तन कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है :

(i) व्यापक कानून का अधिनियमन, जिसमें कठोर दण्ड की व्यवस्था है (स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 वर्ष 1988 में यथा संशोधित)

(ii) स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अधिनियमन में औषध अपराधियों की बिना मुकदमे के निवारक नजरबंदी की व्यवस्था है।

(iii) स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत एसीटिक ऐनहाइड्राइड, जो हेरोइन के विनिर्माण के लिए पुरोगामी रसायन है, को नियंत्रित पदार्थ घोषित करना तथा एसीटिक ऐनहाइड्राइड के विनिर्माण, परिचालन, बिक्री, आयात, निर्यात तथा उपभोग के विनियमन हेतु योजना को अधिसूचित करना, तथा भारत-पाक सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर एवं भारत-म्यॉमार सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रसायन की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना।

(iv) सूचना एकत्र करने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान करने की व्यवस्था को कारगर बनाया गया है तथा ऐसी सभी एजेंसियों के प्रवर्तन अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(v) भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी की गई है। सीमा क्षेत्रों में प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति को बढ़ाया गया है तथा कुछ प्रवर्तन एजेंसियों को उपकरण भी दिए गए हैं ताकि सीमा क्षेत्रों में गतिशीलता तथा संचार सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

सिक्किम में राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

7940. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापित की गई शाखाओं और चालू योजनावधि के दौरान स्थापित की जाने वाली शाखाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये बैंक शाखाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) और (ख) सिक्किम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अब तक खोली गई शाखाओं और उनके स्थानों के नाम नीचे दिए गये हैं :

जिला/केन्द्रों का नाम	बैंक का नाम
1	2
पूर्वी सिक्किम	
गंगटोक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
गंगटोक	भारतीय स्टेट बैंक

1	2
गंगटोक	यूको बैंक
देवराली बाजार	भारतीय स्टेट बैंक
माखा	भारतीय स्टेट बैंक
मंजीतर	भारतीय स्टेट बैंक
पक्योंग	भारतीय स्टेट बैंक
रानी फूल	यूको बैंक
रेनॉक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
रोंगली	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
रंगपो	सेंट्रल बैंक आफ इडिया
सिंगताम	भारतीय स्टेट बैंक
तादोंग	भारतीय स्टेट बैंक
रुहतक	भारतीय स्टेट बैंक
उत्तरी सिक्किम	
दिकचु	भारतीय स्टेट बैंक
मंगन	भारतीय स्टेट बैंक
मंगन	भारतीय स्टेट बैंक
फोनदोंग	भारतीय स्टेट बैंक
कावी	भारतीय स्टेट बैंक
दक्षिणी सिक्किम	
जोरेथंग	भारतीय स्टेट बैंक
मेली	भारतीय स्टेट बैंक
नामची	भारतीय स्टेट बैंक
नामथंग	भारतीय स्टेट बैंक
राबंगला	भारतीय स्टेट बैंक
टेमी	भारतीय स्टेट बैंक
केवजिंग	भारतीय स्टेट बैंक

1	2
पश्चिमी सिक्किम	
गेंजिंग	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
लोगशिप	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
मंगलबेरी	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
मंगमुदेन्तम	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
सोमबरिया	भारतीय स्टेट बैंक
सोरेंग	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया

सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है । वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य के निम्नलिखित केन्द्रों पर बैंक शाखायें खोलने के लिए प्राधिकार जारी किया है ।

जिला/केन्द्रों का नाम	बैंक का नाम
पूर्वी सिक्किम	
पेनेंगला	भारतीय स्टेट बैंक
गंगटोक	केनरा बैंक
गंगटोक	बैंक आफ बड़ौदा
गंगटोक	विजया बैंक
उत्तरी सिक्किम	
लेनचेन	भारतीय स्टेट बैंक
लेचुंग	भारतीय स्टेट बैंक
पश्चिमी सिक्किम	
पेलिंग	भारतीय स्टेट बैंक
नया बाजार	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
दक्षिणी सिक्किम	
सदाम	भारतीय स्टेट बैंक
रंगित हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना	भारतीय स्टेट बैंक

रबड़ के उत्पादन हेतु विश्व बैंक सहायता

7942. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ के पेड़ लगाने हेतु विश्व बैंक धन प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा में रबड़ के पेड़ लगाने का कार्य आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) विश्व बैंक ने पहली बार रबड़ बागान के भावी विकास के लिए 92 मिलियन अमरीकी डालर (एस०डी०आर० 66.4 मिलियन) के बराबर अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई० डी० ए०) ऋण सहायता की पेशकश की है।

(ख) प्रस्ताव के राज्यवार ब्यौरे जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, निम्नलिखित हैं।

	प्रस्ताव	क्षेत्र, हेक्टेयर में	जिस राज्य में क्रियान्वित होना है
I.	पुराने, अलाभकारी रबड़ बागान का पुनर्रोपण	40,000	तमिलनाडु और केरल
II.	नया रोपण	23,000	—वही—
		5,000	त्रिपुरा
		2,000	कर्नाटक, आसाम, नागालैण्ड और मेघालय

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) रबड़ बोर्ड ने आठवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर-परम्परागत क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना से अलग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नये रोपण का प्रस्ताव रखा है। आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में किए जाने वाले रबड़ रोपण के लिए निधि की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा किए गए बजट आबंटन से पूरी की जाएगी।

केरल अन्तर्देशीय जलमार्ग

*7943. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-मूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के प्रस्तावित अंतर्देशीय जलमार्ग का माहे से मंजेश्वर तक विस्तार करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने केरल के जलमार्गों के माहे-कासरगोडे खंड पर जलीय सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया है। बासरगोडे-मंजेश्वर खंड का अध्ययन नहीं किया गया है। माहे-कासरगोडे खंड के अध्ययन से पता चला है कि यह खंड तकनीकी-आर्थिक रूप से नौचालय के लिए व्यवहार्य नहीं है।

नौवहन टन भार

*7944. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत नौवहन टनभार कितना है तथा यह कुल विश्व टन भार का कितना प्रतिशत है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितना अतिरिक्त टनभार जोड़ा गया;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितना टनभार कम हुआ तथा इसका कारण-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान देश के जहाजी बेड़े ने भारतीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार किया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1-4-1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन की टनेज 6.276 मिलियन जी०आर०टी० (सकल पंजीकृत टन) है, जिसमें 440 जहाज हैं। विश्व की कुल टनेज का लगभग 1.41% है।

(ख) वर्ष 1992-93 में 0.642 मिलियन जी०आर०टी० के 32 जहाज खरीदे गए।

(ग) वर्ष 1992-93 में 0.277 मिलियन जी०आर०टी० के 13 जहाज स्क्रैपिंग हेतु अथवा आगे ट्रेडिंग के लिए बेचे गए । (7 जहाज स्क्रैपिंग के लिए तथा 6 जहाज विदेश में आगे ट्रेडिंग के लिए बेचे गए।)

(घ) भारतीय मर्चेन्ट बेड़े ने वर्ष 1992-93 में भारत के विदेशी व्यापार का 35.9% भाग हैंडल किया।

गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में तस्करी

7945. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में अंधाधुंध तस्करी हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने रुपये के सामान की तस्करी की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों से तस्करी का सामान लाया जाता है; और

(घ) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात का समुद्र-तटीय क्षेत्र तस्करी के लिए बराबर आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से फिलहाल गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र में अत्यधिक तस्करी होने की घटनाओं का पता नहीं चलता है।

(ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है और इसलिए तस्करी के माल की मात्रा और मूल्य का अनुमान लगना संभव नहीं है। तथापि, पकड़े गए तस्करी के माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1990	31.88
1991	16.54
1992	19.62

(ग) रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश तस्करी का माल दुबई और अन्य मध्य-पूर्वी देशों के मुल्क का होता है।

(घ) तस्करी-रोधी एजेंसियां तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर बाईपास का निर्माण

*7946. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर बाईपास के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस बाईपास पर कार्य बहुत धीमे गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) इस बाईपास का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एल्लिपि बाईपास के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है और निर्माण कार्य दो चरणों में शुरू किया जा रहा है। चरण I में, 99.8 लाख रु० अनुमानित लागत से इस समय 40% कार्य पूरा हो चुका है। चरण II के लिए सर्वेक्षण जांच कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस कार्य के

लिए विस्तृत अनुमान को अभी मंजूरी दी जानी शेष है। इसलिए, इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि बाईपास के कब तक पूरा होने की आशा है।

काली मिर्च का निर्यात

7948. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के अर्क और इसके अन्य उत्पादों के विदेशी बाजारों में निर्यात की कोई गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष प्रत्येक देश को काली मिर्च की किन-किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे प्रति वर्ष, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस उद्योग और उसके उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मसालों की निर्यात मदों में काली मिर्च का तेल तथा तेलराल महत्वपूर्ण मदें हैं। काली मिर्च के निर्यात किए जाने वाले अन्य उत्पाद हैं : डिहाइड्रेटेड ग्रीन पेपर, पेपर-इन-ब्राइन फ्रोजेन पेपर, फ्रीज ड्राइड ग्रीनपेपर आदि।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मसाला-तेलों तथा तेल रालों को विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है जिसमें काली मिर्च का तेल और तेल राल भी शामिल हैं। मसाला बोर्ड ने अनेक निर्यात संवर्धन उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं।

(i) विदेश में बाजार अन्वेषण मिशन तथा प्रतिनिधिमंडल भेजना;

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों आदि में भागीदारी;

(iii) उत्पादों के उन्नयन और मूल्यांकन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना;

(iv) नए उद्यमियों को उत्पादों बाजारों आदि के चयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

इसके अलावा सरकार ने कालीमिर्च के तेल तथा तेलराल सहित मसाला तेलों और तेल रालों के निर्यात पर लगने वाले उपकर से अस्थायी तौर पर छूट दे दी है ताकि इन उत्पादकों को और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान काली मिर्च का देशवार/अंचल-वार निर्यात

(मात्रा : एम० टी०, मूल्य लाख रु०)

देश/अंचल	1989-90 (अ)		1990-91		1991-92 (अ)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अमेरिकन अंचल						
कनाडा	839.12	306.96	1126.36	351.50	973.25	348.72
ट्रिनिडाड	17.00	—	—	—	1.25	0.69
यू०एस०ए०	1788.93	659.09	3629.35	1166.94	4893.33	1601.31
अंचल योग	2628.07	966.05	4755.71	1518.44	5877.83	1950.00
आस्ट्रे और ओसिएनिक अंचल						
आस्ट्रेलिया	141.74	58.94	61.25	20.64	88.91	31.58
न्यूजीलैंड	0.60	0.56	0.41	0.15	—	—
अंचल योग	142.34	59.50	61.66	20.79	88.91	31.58

1	2	3	4	5	6	7
ई०ई०सी०						
बेल्जियम	64.20	33.52	—	—	300.00	109.50
डेनमार्क	78.77	24.84	18.00	5.59	50.00	15.72
फ्रांस	69.92	21.39	—	—	2.78	1.30
यूनान	—	—	—	—	28.52	7.50
जर्मनी (पश्चिमी)	579.38	200.64	1155.57	392.89	222.23	74.00
इटली	1104.11	426.20	1274.48	412.12	11011.63	354.58
नीदरलैंड	682.76	291.77	251.80	82.67	54.91	18.79
स्पेन	25.06	8.24	52.08	18.81	110.43	33.60
यू०के०	333.06	139.76	261.91	93.34	103.94	33.44
अंचल योग	2937.26	1149.36	3013.84	1005.32	1884.44	648.43
पूर्वी यूरोप						
बल्गारिया	399.84	186.72	—	—	49.98	21.08
चेकोस्लोबालिया	1249.48	535.66	209.93	83.66	614.53	187.65
जर्मनी (पूर्वी)	1785.35	638.76	—	—	—	—
पौलेंड	—	—	43.50	16·51	524.52	174.37

1	2	3	4	5	6	7
रोमानिया	309.82	109.49	1150.00	373.50	504.98	172.48
यू०एस०एस०आर०	19374·62	9558.02	16528.37	5956.04	8499.37	34.7.8
पूर्वी यूरोप						
युगोस्लाविया	982.62	431.29	317.25	110.08	109.90	42.79
अंचल योग	24101.73	11459.94	18249.059	6539.79	10296.28	4016.24
शेष यूरोप						
फिनलैंड	0.49	2.01	—	—	—	—
स्विटजरलैंड	—	—	—	—	—	—
स्वीडन	46.10	18.72	30.10	9.88	14.98	4.61
टर्की	—	—	—	—	29.96	8.12
अंचल योग	46.59	20.73	30.10	9.88	44.94	12.73
पूर्वी एशिया						
अफगानिस्तान	1.00	0.14	—	--	1.03	0.41
हांगकांग	—	—	—	—	—	—
जापान	353.25	155.58	366.82	134.16	411.58	148.20

1	2	3	4	5	6	7
मलयेशिया	69.00	28.22	111.73	38.75	203.98	81.49
नेपाल	121.06	34.42	111.06	36.22	71.93	24.45
पाकिस्तान	34.95	9.04	—	—	11.14	3.20
सिंगापुर	5.00	0.90	14.95	5.24	153.42	40.23
अंचल योग	584.27	228.30	604.56	214.37	853.08	297.98
पश्चिमी एशिया						
बहरीन	41.21	17.71	60.98	23.35	46.96	18.87
कुवैत	243.40	89.67	109.50	35.63	28.20	10.28
ओमान	40.09	15.85	55.00	18.92	8.84	3.84
कतार	18.00	7.37	20.50	7.63	2.00	1.00
सऊदी अरेबिया	729.24	259.58	643.00	219.62	182.18	69.09
यू०ए०ई०	537.69	191.59	279.92	96.47	57.50	20.11
आई० ए० आर०	—	—	4.00	1.64	—	—
अंचल योग	1609.63	581.77	1172.90	403.26	325.68	123.19

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी अमेरिकन जोन						
मिस्र (ए०आर०ई०)	250.00	80.96	14.00	4.44	—	—
लीबिया	253.10	106.69	—	—	—	—
मोरोक्को	46.95	16.47	27.00	7.21	—	—
ट्यूनिशिया	270.00	110.70	—	—	—	—
अंचल योग	820.05	314.82	41.00	11.65	—	—
शेष अफ्रीका						
बहाबिया	12.00	3.07	7.00	1.66	—	—
घाना	—	—	0.17	0.08	—	—
केन्या	1.70	1.54	—	—	—	—
मालावी	—	—	0.05	0.03	—	—
मारीशस	—	—	3.00	1.16	—	—
माली	—	—	0.75	0.28	0.35	0.17
नाइजीरिया	—	—	10.00	3.24	—	—

1	2	3	4	5	6	7
सेशल्स	—	—	5.50	1.88	—	—
सोमालिया	—	—	1.00	0.40	—	—
तन्जानियां	13.50	7.07	4.00	1.57	0.05	0.04
जाम्बिया	1.00	0.65	—	—	—	—
अंचल योग	28.20	12.33	31.47	10.30	0.40	0.21
कुल निर्यात	32898.14	14789.80	27960.29	9733.80	19371.56	7081.08

स्रोत : मशाला बोर्ड

विकासोन्मुख योजना

7949. **श्री जार्ज फर्नांडीज़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी ने 6 वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये जुटाने हेतु विकासोन्मुख योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अबरार अहमद) : (क) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फण्ड ने "मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस-1993" नामक एक विकास स्कीम 14 जनवरी, 1993 को आरम्भ की थी।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य, निवेशकों को उनके प्रारम्भिक निवेश पर आकर्षक पूंजीगत मूल्य-वृद्धि प्रदान करना है। यह स्कीम 100 करोड़ रुपए की राशि के सार्वजनिक अभिदान के लिए 14 जनवरी, 1993 से 20 फरवरी, 1993 तक खुली थी। इस स्कीम के अन्तर्गत अभिदान की न्यूनतम राशि 1000 रुपये (प्रति 10 रुपये के 100 मैग्नम्स) थी और अभिदान के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं थी। इस स्कीम की अवधि छह वर्ष, अर्थात् 1 मार्च, 1993 से 28 फरवरी, 1999 तक की है। इस स्कीम के अन्तर्गत जारी किए गए मैग्नम्स को प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 14 लाख से अधिक निवेशकों से 900 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्रित की गई।

नशीली औषधियों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में म्यांमार के साथ समझौता

7950. **श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधियों पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में भारत और म्यांमार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, तारीख 30-3-93 को।

(ख) करार में प्रचालन, तकनीकी तथा सामान्य किस्म की सूचना का आदान-प्रदान करने तथा प्रचालन मामलों में एक-दूसरे को सहायता देने का प्रावधान है।

(ग) करार 30-3-93 से प्रभावी हुआ है।

चावल और गेहूं का निर्यात

7951. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान चावल और गेहूं निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में तथा किस दर पर निर्यात किया जाएगा तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) बासमती चावल और अच्छे किस्म के गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि उसकी निर्यात कीमत क्रमशः 550 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन (एम० टी०) और 258 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन से कम न हो। गेहूं के निर्यात की अनुमति मात्रा सम्बन्धी उच्चतम सीमा आदि के अध्यधीन दी जाती है। अभी तक गेहूं के निर्यात के लिए मात्रा सम्बन्धी किसी उच्चतम सीमा की घोषणा नहीं की गई है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान बासमती चावल और गैर-बासमती चावल का निर्यात जिस दर पर होने की सम्भावना है और उससे अर्जित सम्भावित आय निम्नलिखित है :

मदें	मात्रा मी० टन में	इकाई मूल्य प्राप्ति अमरीकी डालर में	कुल निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर)
बासमती चावल	2.5 लाख	844.25 प्रति० मी० टन	211.06
गैर-बासमती चावल	5 लाख	250.00	125.00

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि

7952. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को जमा राशि पर ब्याज की दर संशोधित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनुदेशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैरे बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियों पर दी जाने वाली अधिकतम ब्याज की दर को 12-4-1993 से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज की नवीन दरें नए निक्षेपों तथा विद्यमान निक्षेपों के नवीकरण पर लागू हैं। यह ब्याज की दर, बैंक निक्षेपों पर ब्याज दरों के समान ही संशोधित की गई हैं।

दिल्ली परिवहन निगम को पुनः अर्थ-क्षम बनाना

7953. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री मंजय लाल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) को पुनः अर्थ-क्षम बनाने और इसके पुनर्गठन हेतु गठित किए गए मन्त्रियों के दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ग्रुप ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम की दीर्घकालिक सक्षमता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसके पुनरुद्धार के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक कार्य योजना पर मंत्रियों के ग्रुप ने विचार किया था अभी उन्होंने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(i) दिल्ली परिवहन निगम में लागू की जाने वाली कोई भी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना मौजूदा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (बी० आर० एस०) की मानक शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए अथवा राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि के अन्तर्गत आने वाली योजना के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए ।

(ii) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए रियायती पासों के दुरुपयोग की जांच की जानी चाहिए और खामियों की दूर किया जाना चाहिए ।

(iii) दिल्ली परिवहन निगम के डिपुओं के वाणिज्यिक उपयोग के क्षेत्र और सीमा को नीतिगत दिशा निर्देशों के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाए ।

(iv) घाटे वाले रूटों से दि० प० नि० की बसें तभी हटाई जानी चाहिए जब दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इन रूटों के लिए निजी प्रचालकों को परमिट जारी कर दिए जाएं और ऐसे प्रचालक रूटों पर अपनी बसें चलानी शुरू कर दें ।

(v) दिल्ली परिवहन निगम के पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना के प्रस्ताव पर अन्तिम विकल्प के रूप में विचार किया जाए और उस समय लिया जाए जब दिल्ली परिवहन निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में बदलने पर विचार किया जाए ।

(ग) मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सरकार दि० प० नि० की दीर्घकालिक सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए, इसके पुनरुद्धार हेतु एक अन्तर सम्बन्धित पैकेज को अन्तिम रूप दे रही है ।

[अनुवाद]

श्रमिक कल्याण

7954. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए 1993-94 के दौरान कोई नए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी० के अन्तर्गत छूट

7955. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 1 मार्च, 1993 की स्थितिनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी० के अन्तर्गत छूट उपलब्ध है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को दान देने के एवज में कुल कितनी धनराशि की कटौती के दावे प्रस्तुत किए गए हैं;

(ग) 1 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार इन छूटों के लिए अनुरोध करने सम्बन्धी कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 1 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 80-जी० के अधीन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 347 संस्थाओं को अनुमोदित किया गया था । इन संस्थाओं के नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) आयकर विभाग दानकर्त्ताओं द्वारा धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दानों के सम्बन्ध में उनके द्वारा दावा की गई कटौती से सम्बन्धित सूचना संकलित नहीं करता है । वांछित सूचना समूचे देश में फैले हुए दानकर्त्ताओं के कर-निर्धारण रिकार्डों से ही केवल इकट्ठी की जा सकती है । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें दानकर्त्ताओं ने या तो इस कारण से कि दानकर्त्ता के पास कर-योग्य आय नहीं है अथवा इस कारण से कि उसने दान कर-मुक्त आय में से दिया है, कटौतियों का दावा नहीं किया हो । इन सूचनाओं को एकत्र करने में लगने वाला श्रम प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग) दिनांक 1 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार 95 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं ।

(घ) दिनांक 21-9-1992 से कानून में इस बात की शर्तें निर्धारित की गई हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी० के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों को अनुमोदित अथवा निरस्त करने वाले आदेश को उस तारीख से छः महीनों की अवधि के भीतर पारित किया जाना होता है, जिस तारीख को इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया गया था बशर्ते कि छः महीनों की अवधि की संगणना करने में मांगे गए ब्यौरों का अनुपालन नहीं करने में उक्त संस्था द्वारा लिए गए समय को शामिल नहीं किया जायेगा।

विवरण

दिनांक 1-3-1993 की स्थिति के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी० के अन्तर्गत रियायत प्राप्त कर रहे मामलों की सूची

न्यास/संस्था का नाम तथा पता

श्री दाजी साहब ध्यान विस्तार संस्था, नागपुर

अनुसूचित जाति तथा बौद्ध पेंशन भोगी एसोसिएशन नागपुर

सनातनी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्रीमती धारसी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्री शेषराव वानखेड़े, 56वां बर्थ डे फाउंडेशन, नागपुर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजीकल मैडीसिन, नागपुर

सरदारजी राम कुमार विज चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

विदर्भ ब्रिज एसोसिएशन, नागपुर

श्री ब्रह्माकर्मा वर्धनी संस्कृति पाठशाला सोसाइटी, नागपुर

विदर्भ रिलीफ सोसाइटी, नागपुर

अग्रसेन मंडल, गांधी बाग, नागपुर

माहेश्वरी पंचायत, नागपुर

सदाशिव राव पाटिल शिक्षण संस्था काम्पटी, नागपुर

एस०एम०एम०आई० वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

डा० बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, नागपुर

सार्वजनिक सत्कार्य सेवानिधि, नागपुर

बर्धमान नगर सरोदय केन्द्र, नागपुर

राष्ट्रीय उत्थान समिति, नागपुर

द नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नागपुर

सत नारायण सोनी सेवा संस्थान, नागपुर

देवी अहिल्या स्मारक समिति, नागपुर

जनहित प्रगत संस्था, नागपुर

सेठ सम्बलदास देवनी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्री पेशुलाल देवनी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

डा० हेडगेवार स्मारक समिति, नागपुर

विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम, नागपुर

उर्मि पंडित चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

जे० एन० टाटा पारसी गर्ल्स हाईस्कूल, नागपुर

गायत्री परिवार ट्रस्ट, नागपुर

दिनशा बापूना चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

सिन्धी हिन्दी विद्या समिति, नागपुर

डा० नरेन्द्र भिवापुरकर फाउंडेशन, नागपुर

साकडगंज सिन्धी पंचायत, नागपुर

वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, नागपुर

जनता शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर

हाजी जेशुब गनी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्री सौराष्ट्र दास त्रिमासी वाणिक संघ, नागपुर

पिंकी एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

नागपुर काची विसा ओसवाल समाज, नागपुर

विवेकानन्द नगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नागपुर

श्री शक्तिपीठ, नागपुर

विश्व हिन्दी जन कल्याण परिषद विदर्भ, नागपुर

श्री अनाथ सेवा आश्रम, नागपुर

जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, नागपुर

सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर

सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्री जालाराम सत्संग मंडल, नागपुर

श्री गोवर्धनदास रावल हाईस्कूल, नागपुर

महाराणा प्रताप स्मृति मंदिर, नागपुर

डी० वी० जोशी तथा एस० डी० जोशी शैक्षणिक एण्ड सोशल ट्रस्ट, नागपुर

श्री 1008 परमहंस सतगुरू दादाजी धुनी वाले सार्वजनिक संस्था, नागपुर

श्रीमती कुसुमताई वानखेड़े मैमोरियल ट्रस्ट, नागपुर

तात्याटोपे नगर नागरिक मंडल, नागपुर

दिगम्बर जैन समाज, नागपुर

सर्वोदय आश्रम, नागपुर

जे० के० एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

भन्साली पुष्प सेवा ट्रस्ट, नागपुर

श्री दुर्गादेवी सार्वजनिक देवस्थान, नागपुर

विदर्भ चेस एसोसिएशन, नागपुर

तिरुमालाचार इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयलाजी (टिब), नागपुर

राम निवास तेजराम अग्रवाल ट्रस्ट, नागपुर

नव निर्माण समिति गोरक्षण शाखा, नागपुर

सीताराम घनश्याम दास सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

शीला एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

गर्ग एच० एल० चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

चित्तपावन ब्राह्मण संघ, नागपुर

सी० पी० एण्ड बेराह एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

श्री टी० ए० पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

माउंट कारमेल एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

पूज्य सिन्धु पंचायत, नागपुर

मात्र सेवा संघ, नागपुर

विदर्भ साहित्य संघ, नागपुर

श्रमधाम संस्था, नागपुर

जामिया अरिबिया रसीदिया, नागपुर

श्रीधर सेवा संस्थान नागपुर

लोकमत न्यूज पेपर चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडोप्शन, नागपुर

जवाहरलाल दारदा फाउंड्रेशन, नागपुर

प्रगतिक सहजीवन संस्था, नागपुर

कैंसर रिलीफ सोसाइटी, नागपुर

नागपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलेफेयर, नागपुर

नागपुर एसोसिएशन फॉर द रिहेविलिटेशन ऑफ चिल्डरन एण्ड एडल्ट्स विद आर्थोपेडिक एण्ड अदर डिसएबेलेटिस, नागपुर

स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, नागपुर

स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर

श्री स्वामी नारायण सत्संग मंडल, नागपुर

श्रीनाथ खंडेलवाल ट्रस्ट, काम्पटी

श्री सन्त पंचलेगांवकर महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर

बाबू राव जी काले शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर

श्री सौराष्ट्र पटेल समाज, नागपुर

महिला कला निकेतन, नागपुर

कामधेनु ट्रस्ट, वर्धा

नाई तेलियां, समिति, सेवाग्राम, वर्धा

मथुरादास नाहटा रिलीजियस एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

इन्स्टीट्यूट ऑफ गांधीयन स्टेडीज, अकोला

ब्रह्म विद्या मन्दिर, वर्धा

सुवर्ण वाली शिक्षण संस्था, वर्धा

कस्तूरबा एजूकेशन सोसाइटी, वर्धा

श्रीमन नारायण स्मृति स्थान ट्रस्ट, वर्धा

अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ, वर्धा

श्री सन्त भानुदास महाराज संस्थान, वर्धा

गांधी ज्ञान मन्दिर, वर्धा

अल्फान्सा एजूकेशन सोसाइटी, वर्धा

कारमेलोडे एण्ड सी० एम० सी० एजूकेशनल सोसाइटी, वर्धा

कलाराजियन आश्रम, वर्धा

फ्यूल अम्बेडकर स्टडी सर्किल, वर्धा

शिक्षण प्रसारक समिति मुकुटबन्ध वाणी श्रीमती रामेश्वरी देवी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, यवतमल

जन सेवा मंडल, यवतमल

सावित्रीबाई फ्यूल शिक्षण समिति, यवतमल

शिशु विहार मंडल, यवतमल

लाहरी आश्रम, गोन्दिया

बंगाली एजूकेशन सोसाइटी, गोन्दिया

रावजीभाई मंगलभाई पटेल चैरिटेबत्र ट्रस्ट, गोन्दिया

सन्त गजानन महराज स्मारक संस्था, गोन्दिया

श्री राधेश्याम गोपीलाल अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, गोन्दिया

श्री कृष्ण गोरक्षण संस्था, गोन्दिया

सिन्धी एजूकेशन सोसाइटी, गोन्दिया

गोमतीबेन महादेवभाई काटरनी चैरिटेबल ट्रस्ट, गोन्दिया

अपोलो क्रिकेट क्लब, गोन्दिया

सुबोध शिक्षण संस्था, भंडारा

जनार्दन बहुद्देशीय संस्था, नागपुर

केसरवाणी वैश्य कल्याण समिति, नागपुर

लिबरल एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

श्री सन्त धर्म भास्कर पाचलेगोवकर महाराज प्रणित समस्टी धर्म प्रसारक उपासना मंडल, नागपुर

गोंडाबाना जी ओलौजीकल सोसाइटी, नागपुर

विद्वत रत्न भावजी दफ्तारी स्मारक ट्रस्ट, नागपुर

विश्व बौद्ध सेवा संघ (वेस्ट) नागपुर

मानव ज्ञान विकास एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

अभयंकर नगर कृदा मंडल, नागपुर

अनिल कुमार चन्डीप्रसाद मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

भारतीय आदिमजाती सेवक संघ, विदर्भ, नागपुर

इंस्टीट्यूट आफ एडवेंचर एण्ड मोटर स्पोर्टस, बर्धा रोड, नागपुर

ज्ञान विद्या वर्धिनी, नागपुर

कल्याण मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट, धनतोली, नागपुर

नवज्योति मल्टी पर्पज फाउंडेशन, नागपुर

बिल्ड इंडिया बहुद्देशीय संस्था, नागपुर

अन्जुमन बैतूलमाल कमेटी, नागपुर

भारतीय विद्या प्रसारक संस्था, नागपुर

सिद्धार्थ कान्वेंट, मेडिकल चौक, नागपुर

नागपुर मेडिकल रिलीफ एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, नागपुर

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वुमैन चाइल्ड एण्ड यूथ डेवलेपमेंट, नागपुर

गुजराती समाज, गुजरात भवन, नागपुर

अनाथ विद्यार्थी गृह, नागपुर

सोसाइटी ऑफ द सिस्टर्स सेंट जोसेफ, नागपुर

विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर

नेशनल सेंटर फार रूरल डेवलेपमेंट, नागपुर

मणिकलालजी बालकृष्णदास जी गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

मानव मन्दिर, नागपुर

वुडलेंड पर्सनाल्टी डेवलेपमेंट रेजि० स्कूल, नागपुर

नवभारत चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर

आदर्श विद्या मन्दिर, नागपुर

नागपुर शिक्षण मंडल, नागपुर

लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट, नागपुर

आयप्पा समाज, नागपुर

प्रताप नगर एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

लोक शिक्षण संस्था, नागपुर

साउथ इण्डिया एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

बिहारी लाल खंडेवाल ट्रस्ट, काम्पटी

विमलताई टिडके समाज सेवा ट्रस्ट, नागपुर

धर्मपेठ एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

नागरिक सहकारी रूग्णालय लि०, नागपुर

सत्विकित्सा प्रसारक मंडल, नागपुर

अब्दुल्लाभाई एण्ड असगर अली हसन अली जेलवाला फाउन्डेशन, इतवारी, नागपुर

रोटरी क्लब आफ नागपुर वेस्ट, नागपुर

प्रगतिक सहजीवन संस्था, वर्धा रोड, नागपुर

चौरसिया समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

गनीसंस चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

हाजीयानी कातिजाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

जैम्स ऑफ इण्डिया, नागपुर

डैफोडिल्स एजूकेशन सोसाइटी, लक्ष्मीनगर, नागपुर

द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, नागपुर

वोमैंस एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

मोतीबाग श्रीशकंड समाज, नागपुर

लोहाना सेवा मंडल, नागपुर

चिन्मय सेवा ट्रस्ट, नागपुर

सरस्वती मन्दिर, नागपुर

युगान्तर एजूकेशन सोसाइटी, नागपुर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, कुसुम्बी, शिवनेर

निसर्ग सेवा संघ, नागपुर

पंजाब सेवा समाज, वर्धमान नगर, नागपुर

राधाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

श्री राधाकृष्ण हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टी०, नागपुर

धनवन्तरी ज्ञान गंगोत्री विकास केन्द्र बुल्दी, नागपुर

दि नागार्जुन मेडिकल ट्रस्ट, नागपुर

भन्साड़ी ग्राम सेवा मंडल, शिवनेर, नागपुर

भरतमुख विद्यालय, मदनवन, नागपुर

रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, काम्पटी

आर्य विद्या सभा, जारीपटका, नागपुर

श्री रामकृष्ण सेवा ट्रस्ट, नागपुर

यंग वूमैंस क्रिश्चियन एसो०, नागपुर

द डेफ एण्ड डम्ब इंड० इंस्टी० सोसाइटी, नागपुर

महात्मा फूले शिक्षण संस्था, नागपुर

सम्पतलाल पारेख चैरिटेबल ट्रस्ट, नागपुर

स्वीकार एसोसिएशन ऑफपेरेंट्स ऑफ मेंटली रिटार्डड चिल्डरन, नागपुर

डा० आर० एन० चौधरी ट्रस्ट, अकोला

राष्ट्रीय विद्या निकेतन, अकोला

श्रीमती गोदावरी बाई बजरंलाल केडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, केडिया प्लांट, अकोला

मानव सेवा पब्लिक चैरिटेबल फाउन्डेशन, अकोला

श्री अकोला गुजराती समाज, अकोला

श्री दयाबाई मावजी एण्ड ब्रिजलाल सुन्दरजी जोबनपुरा विद्या भारतीय भवन, अकोला

नारायणदास खण्डेलवाल ट्रस्ट, अकोला

धर्मार्थ आयुर्वेद औषधालय, अकोला

गंगाधर अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

माहेश्वरी समाज ट्रस्ट, अकोला

सर्वोदय एजूकेशन सोसाइटी, अकोला

खन्डेलवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

बालमुकुन्द लोहिया चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

श्री कालूराम रोहाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

विदर्भ सेवक सेवा ट्रस्ट, अकोला

राजेश्वर ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्था, रिधोरा

श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम करांजा, अकोला

गोवर्धन धर्मादा ट्रस्ट, अकोला

इंद्रायणी मतिमन्द मुलांचीसाला, अकोला

स्पोर्टस काम्पलैक्स, अकोला

भीकमदास राठी चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

आरोग्य ध्यानवर्धिनी संस्था, वर्धा

खामगांव एजूकेशन सोसाइटी, खामगांव

श्रीराम एजूकेशन सोसाइटी, खामगांव

विवेकानन्द आश्रम, जिला वर्धा

अपंग कल्याण एवं पुनर्वासन संस्था, बुल्ढाना

महिला मंडल (तिलक स्मारक मन्दिर) खामगांव

ग्राम सेवा समिति, सेलापुर, खामगांव

विट्ठलदास राधाकिशन भट्टाड चैरिटेबल ट्रस्ट, बुल्ढाना

जैन नवयुवक मंडल, खामगांव

सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी, चन्द्रपुर

रानी राज कुंवर भगिनी समाज, चन्द्रपुर

महारोगी सेवा समिति, वरोरा, चन्द्रपुर

श्री सिद्ध विनायक मन्दिर ट्रस्ट, चन्द्रपुर

विद्यार्थी सहायक समिति, चन्द्रपुर

श्री वेंकटेश स्वामी टेंपल ट्रस्ट, बल्लारपुर, जिला चन्द्रपुर

डा० हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति, चन्द्रपुर

अपंग एसोसिएशन, चूनाभट्टी रोड, अमरावती

श्री बाबा रामदेव मन्दिर, अमरावती

विदर्भ महारोगी सेवा मंडल, अमरावती

श्री शिवजी एजूकेशन सोसाइटी, अमरावती

श्री छोटरमल भराणी चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

जवाहर लाल मनोट पब्लिक ट्रस्ट, अमरावती

सन्त सीताराम दास बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

द ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन, अमरावती

कैंसर रिलीफ सोसाइटी, अमरावती

शिक्षण प्रगति मंडल, अमरावती

श्री राधाकिशन सिक्वि चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

श्री केशवदेव बालकिशन अग्रवाल ट्रस्ट, अमरावती

पूरनमल राम गोपाल ककरानिया ट्रस्ट, अमरावती

श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती

मोहिनी होम्यो एण्ड चैरिटेबल सोसाइटी, अमरावती

श्री गोरक्षण संस्थान घमनगांव, जिला अमरावती

अमरावती जैन्ट मेडिकल ट्रस्ट एण्ड, अमरावती

सेन गुरूजी मानव सेवा संघ, अमरावती

"संवाद", अमरावती

श्री रामकृष्ण विवेकानन्द समिति, अमरावती

जीजा माता महिला मंडल, बनोसा, अमरावती

श्री गोरक्षण संस्था, अमरावती

मन्दबुद्धि व शारीरिक अपंग विकास संस्था, अमरावती

बृजलाल बियानी शिक्षण समिति, अमरावती

हेमन्त नृत्य कला मन्दिर, अमरावती

मधुबन वृद्धाश्रम बाडनेरा, अमरावती

श्री वेंकटेश बालाजी ट्रस्ट, अमरावती

नेशनल ब्लाइंड डेवलेपमेंट एसो० अमरावती

जनहित मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर, अमरावती

स्व० साऊ कालाबाई खण्डेलवाल शिक्षण एण्ड कृदा संस्था, अमरावती

हिन्दी शिक्षण मंडल, खामगांव

शंकरवती बाई राम रक्षमल चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

शिक्षा मंडल, वर्धा

समर्थ एजूकेशन सोसाइटी, अमरावती

ललिताबाई एजूकेशन सोसाइटी, पूलगांव

श्री योग रिसर्च सेंटर, अमरावती

पूरनमल रामगोपाल ककरानिया, अमरावती

धामनगांव एजूकेशन सोसाइटी, धामनगांव

श्री जैन श्वेताम्बर सेवा समिति, शिवगांव

भारत शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला

बृजलाल वियानी विद्या निकेतन शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला

राजस्थान एजूकेशन सोसाइटी, वसीम, अकोला

श्रीमती हेमलता मगनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

नारायण चैरिटी ट्रस्ट, धमनगांव रेलवे

नेशनल एजूकेशन सोसाइटी, खामगांव

जन कल्याण समिति, चिखाली, जिला बुल्ढाना

बसन्त रावनाइक स्मृति प्रतिष्ठान, फुसाड

सेवा ग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, वर्धा

देसाई चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

गांधी मैमोरियल लैप्रसी फाउन्डेशन, वर्धा

श्री रामकृष्ण विवेकानन्द केन्द्र सर्कुलर रोड, बुल्ढ़ाना

यवतमल कालेज फार लीडरशिप ट्रेनिंग, यवतमल

महारोगी सेवा समिति, मनोहरधाम, दत्तापुर, जिला वर्धा

श्री सत्संग भवन, अकोला

श्री गोरक्षण संस्था, अकोला

रोटरी मिडटाउन, अमरावती

रफी अहमद किदवई मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी, चन्द्रपुर

माहेश्वरी भवन समिति, अमरावती

श्री बालाजी मानव सेवा चैरिटेबल फाउन्डेशन, अकोला

श्रीमती बसन्तीबाई लक्ष्मीनारायण चण्डक रिसर्च फाउन्डेशन, अकोला

श्री महेश सेवा समिति, अमरावती

प्रगतिक शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला

श्री रामकृष्ण एसो० बुल्डाना

श्री दिलीप बाबा व्यसन मुक्ति सेवाश्रम धर्मादय संस्था, लाठी

श्री जैन श्वेताम्बर मंडल, भद्रावती

अमरावती यूनीवर्सिटी, अमरावती

प्रगतिशील महिला मंडल, अकोला

जमनालाल बजाज सेवा ट्रस्ट, वर्धा

राष्ट्र भासा प्रचार समिति, वर्धा

श्री दुर्गा प्रसाद सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट, तुमसार

गोंदिया गुजरात समाजवादी, गोंदिया

मनोहर भाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट, गोंदिया

श्रीमती गीवीवेन राओजीभाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट, जी० एन० डी०

निर्मल शिक्षण समिति, गोंदिया

संत कंवरराम सेवा मण्डल, अमरावती

ललितकला अकादमी, अकोला

श्री रामकृष्ण संतसंघ मंडल, गोंदिया

पूज्यनीय माता जी शारदा सेवा ट्रस्ट, अकोला

कनकुभाई श्रविकासराम ट्रस्ट, अकोला

ज्ञान सेवा समिति, अकोला

कस्तूरबा सर्वोदय मंडल, अमरावती

सर्वोदय महिला मंडल, चन्द्रपुर

श्री मोरारजी त्रिभुवनदास वडेरा चैरिटेबल ट्रस्ट, जी० एन० डी०

महेश्वरी शिक्षण साहित्य कोश, अमरावती

श्री आयुर्वेद विकास मंडल, अमरावती

गुजराती समाज, अमरावती

नवजीवन समिति, अमरावती

भण्डारा जिला टेबिल टेनिस एसोशिएशन, गोंडिया

श्रीराम शिव मन्दिर संस्थान, वर्धा

विकलांग व्यक्तियों का भारतीय संस्थान, वर्धा

श्री रामकृष्ण विवेकानन्द सेवा आश्रम, चन्द्रपुर

देवी अच्चत भुजा मन्दिर, वर्धा

जयश्री संजय चैरिटेबल ट्रस्ट, के० एच० एम०

जैन सेवा समिति, मवतमाल

द अमरावती कृसालियन सोसाइटी, अमरावती

मात्र छाया सोशल वेलफेयर सोसाइटी, अमरावती

श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ, हिंगनघाट

श्रीकान्त देशमुख चैरिटेबल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी, अमरावती

श्रीराम शिक्षण संस्था, पारतवाड़ा

द मंडारा जिला, अमैच्यौर

क्रिकेट एसो०, गोन्दिया

साऊ सरस्वती देवी श्रीराम पुसारी चैरिटेबल ट्रस्ट, अकोला

श्रीनाथ शिक्षण प्रसारक मंडल, अकोला

अमरावती जिला बाल कल्याण समिति, अतरावती

ज्ञानदीप शिक्षण संस्था, वड़नेरा

श्री सार्वजनिक सेवा समिति, अमरावती

चम्पाबेन दामोदर दास हीरजीभाई आढ़लिया, अमरावती

जुम्बरलाल प्रेमदास राठी चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती

वानप्रस्थी सेवा मंडल, अमरावती

नरहरद मादेवी स्वर्णकार संघ, अमरावती

द डैफ एण्ड डम्ब रिलीफ एसो०, अमरावती

श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती

आचार्य आश्रम, पवनार

विवेकानन्द सेवा मंडल, मलकापुर

सोसाइटी ऑफ अमरावती सिस्टर्स, अमरावती

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए निर्यात नीति

7956. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात को बढ़ाने और इसमें लघु क्षेत्र के योगदान को 60 प्रतिशत करने हेतु कोई तीन-सूत्री नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति को कब तक लागू किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पत्तनों का विकास करने के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

*7957. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक देश में विभिन्न पत्तनों के विकास के लिए धन-राशि प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का, पत्तन-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे विवरण के रूप में दिए गए हैं

विवरण

पत्तन का नाम	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	ए० डी० बी० सहायता (मिलियन अमरीकी डालर)	जिस तारीख से ऋण प्रभावी हुआ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
कलकत्ता	कंटेनर पार्क का विकास	24.37	8.6	दिसम्बर, 87	परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है।
कोचीन	संपूर्ण कंटेनर टर्मिनल का विकास	53.11	29.2	दिसम्बर, 87	—यथोपरि—
मद्रास	(i) कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	54.71	32·9	दिसम्बर, 87	परियोजना पूरी हो चुकी है।
	(ii) मद्रास के निकट इन्नौर में एक नम पत्तन का सृजन	593.90	150.15	ऋण पर बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी इसे प्रभावी नहीं किया गया है।	इस स्कीम को दिनांक 23-4-93 को मंजूरी दे दी गई है।

1	2	3	4	5	6
पारादीप	यंत्रीकृत कोल हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन	857.41	134.85	ऋण पर बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी इसे प्रभावी नहीं किया गया है ।	—यथोपरि—
बम्बई	कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं का सुधार	19.60	6.5	अप्रैल, 91	इस स्कीम को ए० डी० बी० ऋण के दायरे से निकाल दिया गया है क्योंकि बंबई पत्तन न्यास के अनुसार इस स्कीम के लिए इस ऋण की आवश्यकता नहीं है ।
	परिपाऊ ऑयल पायर को बदलना	50.24	20.00	अप्रैल, 91	कार्यान्वित किया जा रहा है ।
	इंदिरा गोंदी के लिए बाहरी लांक गेट को बदलना तथा सहायक कार्य	9.16	3.85	—यथोपरि—	—यथोपरि—
	अग्नि शमन जहाज "शीतल" को बदलना	4.33	2.65	—यथोपरि—	—यथोपरि—

1	2	3	4	5	6
	कम्प्यूटरीकृत एम० आई० एस० की स्थापना	19.38	6.30	—यथोपरि—	—यथोपरि—
	बम्बई पत्तन न्यास की जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	20.88	11.4	—यथोपरि—	—यथोपरि—
काकीनाडा	काकीनाडा पत्तन का विकास	124.08	77.90	—यथोपरि—	परियोजना पर कार्य चल रहा है।

तमिलनाडु के लिए हथकरघा कपड़े का निर्यात कोटा

7958. **श्री राम कापसे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु हैंडलूम क्लाथ मैन्यूफैक्चरर्स फैडरेशन ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के निर्यातकों को पर्याप्त निर्यात कोटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या फैडरेशन ने कम और ऊंचे मूल्य की मदों के कोटे के वितरण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) : सरकार को हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका को हथकरघा मेड-अप्स के निर्यात कोटे के बारे में तमिलनाडु हथकरघा कपड़ा विनिर्माता सहित कुछ संघों हथकरघा निर्यातक परिसंघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद सरकार ने हथकरघा क्षेत्र की तीन श्रेणियों, अर्थात् श्रेणी 369 (मेड-अप्स वस्तुएं, श्रेणी 369 (एस०) (शाप टावल्स) तथा श्रेणी 369 (डी०) डिश टावल्स) के संबंध में अप्रैल, 1993 में देय कोटाओं को समय से पहले रिलीज कर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षाकृत छोटे निर्यातकों के हितों की रक्षा की जाए, प्रति निर्यातक के लिए 7 टन प्रतिदिन की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि हथकरघा निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही तात्कालिक समस्या का कुछ हद तक समाधान कर दिया गया है।

निर्यात कोटाओं का आबंटन सरकार द्वारा बनाई गई वस्त्र निर्यात हकदारी वितरण नीति के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। कोटाओं का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस का भुगतान

7959. **श्री देवी बक्स सिंह** :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ता और वेतन को स्थिर करने तथा बोनस के भुगतान को समाप्त करने और लाभ आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

7960. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित पुल की लम्बाई कितनी है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) असम में बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित रेल व सड़क पुल की लंबाई लगभग 4315 मीटर होगी तथा इस पर अनुमानतः 560 करोड़ रु० (जून, 1990-91 के मूल्य स्तर पर) की लागत आने की संभावना है।

(ग) चूंकि, परियोजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है इसलिए इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो पाएगा। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि जोगी-घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल व सड़क पुल पूरा होने के बाद ही यह कार्य शुरू किया जा सकेगा।

भूतपूर्व बोडो कार्यकर्त्ताओं के पुनर्वास हेतु सहायता

7961. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने भूतपूर्व बोडो लैंड कार्यकर्ताओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें राज्य सरकार से अथवा किसी दूसरे संगठन से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार

7962. **श्री बापू हरि चौरे** :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रेणी-वार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत किए गए;

(ख) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा दी जा रही अथवा दी जाने वाली प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की श्रेणी-वार संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, निम्न प्रकार है—

(हजारों में)

निम्न तिथि के अनुसार	चालू रजिस्टर पर संख्या		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
31 दिसम्बर, 1990	469.7	97.7	2474.5
31 दिसम्बर, 1991	494.0	103.0	2562.3
30 जून, 1992	505.3	106.5	2635.5

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, उनकी संख्या नीचे दी गई है—

(हजारों में)

निम्न के दौरान	नियुक्तियां	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1990	5.2	2.9
1991	5.5	2.2
1992 (जनवरी-जून)	3.8	1.1

(ग) खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारत स्तर पर सीधी भर्ती में, केन्द्र सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में 15% तथा 7½% रिक्तियां क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अखिल भारत आधार पर खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य सीधी भर्ती में इन दोनों श्रेणियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 16⅔% तथा 7½% है। स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर वर्ग "ग" तथा "घ" पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में होती है। जहां तक भारत सरकार के अधीन रोजगार का संबंध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न छूटें/रियायतें दी जाती हैं—

(क) 5 वर्षों तक आयु में छूट।

(ख) आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के मामले में मानदण्डों में छूट।

(ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान से छूट।

इसके अतिरिक्त, आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर भी प्रतिबंध है। न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को आगामी भर्तियों के माध्यम से भरे जाने के लिए आगे ले जाया जाता है। भारत सरकार ने भी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए तीन विशेष भर्ती अभियान चलाए।

कर्मचारी पेंशन योजना

7963. **श्रीमती बसुन्धरा राजे :**
श्री संयद शाहाबुद्दीन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना की श्रमिक संघों द्वारा आलोचना की गई है और इसके कुछ उपबंधों को प्रेस में विवादास्पद बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के विभिन्न विवादास्पद उपबंधों को स्पष्ट किया है; और

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में सार्वजनिक आलोचना के प्रमुख पहलू क्या हैं और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए एक नई पेंशन योजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकृत करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। चूंकि यह विधेयक राज्य सभा में अभी विचाराधीन है, इसलिए सरकार द्वारा पेंशन योजना को तैयार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई पेंशन योजना के संबंध में कुछ व्यक्तियों तथा कतिपय ट्रेड यूनियनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकारी अंशदान को रोकना, पेंशन की निम्न राशि मंहगाई भत्ते का न दिया जाना आदि आलोचना संबंधी प्रमुख मुद्दे थे, इन मुद्दों को प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप दिए जाते समय विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

विदेशी जहाजरानी कंपनियों को भाड़े का भुगतान

*7964. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी जहाजरानी कंपनियों को माल भाड़े के कारण प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण जहाजों की प्राप्ति की गति को धीमा कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विदेशी नौवहन कम्पनियों को भुगतान किए गए भाड़े की सही-सही राशि का अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 1990-91 में विदेशी नौवहन कम्पनियों को 2080 मिलियन अमरीकी डालर भाड़ा अदा किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने भारतीय नौवहन टनेज में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

1. अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है—

   (i) क्रूड टैंकरों और ओ०एस०बी० को छोड़कर निजी जहाज मालिक कम्पनियों द्वारा सभी श्रेणियों के जहाजों की खरीद।

   (ii) भारत में अथवा विदेश में किसी कंपनी को आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।

   (iii) किसी भारतीय शिपयार्ड से जहाज की खरीद और

   (iv) प्रतिस्थापना टन-भार के लिए खरीद।

2. नौवहन कम्पनियों को, अपने जहाजों की विदेशों में की गई बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

3. नौवहन कम्पनियों को विदेशी नौवहन कम्पनियों के लिए भारतीय जहाज टाइम चार्टर आऊट करने की स्वतन्त्रता दी गई है।

4. नौवहन कम्पनियों को बेयरबोट चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति द्वारा वैसल्स की खरीद की अनुमति दी गई है।

5. जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक एलोकेशन स्कीम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और अब भारतीय रिजर्व बैंक, किसी मूल्य सीमा के बगैर, आयातित पूंजीगत माल के लिए जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग तथा हिस्से पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करता है।

6. उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के भाड़ा-प्रभारों का भुगतान अब अन्य जिन्सों की तरह परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति है।

7. जहाजों की खरीद के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के प्रयोजन से सरकार ने, वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 21 (11) (ख) के अनुसार भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय कम्पनियों में धारण की जाने वाली शेयर पूंजी का न्यूनतम प्रतिशत 60% से 49% करने की छूट दी है।

रेड लाइन बसों का कथित गैरकानूनी संचालन

*7965. **श्री मदन लाल खुराना** :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1993 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "मचबौन्टेड ट्रैफिक पुलिस ड्राइव फोर्स, रैड लाइन्स पे रुपीज 30 लाख मन्थ फार लाइसेंस टु किल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 22-4-1993 के इंडियन एक्सप्रैस में दिए गए समाचार में निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं—

(1) यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा भ्रष्टाचार जो रैड लाइन प्रचालकों को विनियमों का उल्लंघन करने देते हैं।

(2) रैड लाइन प्रचालकों और कानून प्रवर्तन पक्ष के बीच तालमेल।

2. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

दुर्घटना कारक निबंधन प्रणाली

7966. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इस्टैब्लिशमेंट आफ मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल सिस्टम" पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रमुख दुर्घटना कारक निर्माण कार्यों और सामग्री वाले पदार्थों का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रमुख दुर्घटना कारकों पर नियंत्रण रखने हेतु विनिमय तैयार किए गए हैं और उन्हें लागू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यह परियोजना 31 दिसम्बर, 1990 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गयी थी।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रमुख दुर्घटना जोखिमकारी कारखानों तथा उनमें प्रयुक्त जोखिमकारी रसायनों की संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। श्रम मंत्रालय द्वारा, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियमावली संबंधी माडल नियम बनाए गए हैं और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास उन्हें अधिसूचित करने के परामर्श के साथ भेज दिए गए हैं। ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए जोखिमकारी रसायन के विनिर्माण, भंडारण तथा आयात, नियमावली, 1989 के अनुरूप हैं।

विवरण

प्रमुख दुर्घटना प्रवृत्त जोखिमकारी कारखानों तथा जोखिमकारी रसायनों का राज्यवार विवरण

20-4-1993 तक

भाग लेने वाले राज्य			भाग न लेने वाले राज्य		
राज्य	प्र०दु० जोखिम वाले कारखानों की संख्या	जोखिमकारी रसायनों की संख्या	राज्य	प्र०दु० जोखिम वाले कारखानों की संख्या	जोखिमकारी रसायनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	58	27	असम	8	12
बिहार	12	11	हरियाणा	9	4
दिल्ली	20	9	जम्मू एवं कश्मीर	7	4
गोआ	5	9	नागालैण्ड	1	1
गुजरात	169	44	उड़ीसा	18	12
कर्नाटक	24	12	पांडिचेरी	5	3

1	2	3	4	5	6
केरल	24	19	पंजाब	16	7
मध्य प्रदेश	43	14	राजस्थान	81	20
महाराष्ट्र	217	50			
तमिलनाडु	44	35			
उत्तर प्रदेश	43	14			
पश्चिम बंगाल	45	23			
उप योग	704			145	
प्र०दु०जो० कारखानों की कुल संख्या 849			जोखिमकारी रसायनों की कुल संख्या 90		

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना

7967. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक बीमा योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1992 से मध्य प्रदेश में लागू की गई सामूहिक बीमा योजना में कितने बीड़ी कामगारों को शामिल किया है;

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा 1993-94 के दौरान कितनी दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1-4-1993 से शुरू की गयी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के बीड़ी कर्मकार तथा वे कर्मकार शामिल हैं जिन्हें नियोजकों द्वारा अथवा स्थानीय निकाय के कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा श्रम कल्याण संगठन के अधिकारियों द्वारा अथवा बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा परिचय पत्र जारी किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत दर्ज परिचय पत्र धारक कर्मकार सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं प्रत्येक बीमित सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 3000/- रु० की राशि तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 6000/- रु० का जीवन बीमा सुनिश्चित है। जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि तथा बीड़ी कर्मकार निधि द्वारा इस बीमा का प्रीमियम समान रूप से वहन किया जाता है।

(ख) मध्य प्रदेश में 3,30,000 बीड़ी कर्मकारों को सामूहिक बीमा योजना में शामिल किया गया है।

(ग) 1992-93 के दौरान, मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों के बीमा के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में से प्रीमियम के रूप में 44,55,000 रु० का भुगतान किया गया। राज्य सरकारों को इसके लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(घ) 1992-93 के दौरान, देश में 10,41,610 बीड़ी कर्मकारों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से 1,40,61,744/- रु० की धनराशि का भुगतान किया गया था। सामूहिक बीमा के अंतर्गत 10.50 लाख कर्मकारों को शामिल किए जाने की संभावना है, और 1993-94 के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये के वित्तीय वचनबद्धता की संभावना है।

[अनुवाद]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋण

7968. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूखा प्रभावित राज्यों से 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपए) तक कृषि ऋण माफ करने संबंधी कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बैंकों को ऐसे ऋणकर्त्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनकी सूखा, बाढ़ आदि होने के कारण वापसी अदायगी की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करना।

(ii) विद्यमान सावधि ऋण किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना, और

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/निवेष ऋणों का प्रावधान आदि करना।

ग्रेनाइट का निर्यात

7969. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन प्रमुख देशों को भारत से ग्रेनाइट का निर्यात किया जाता है;

(ख) वर्ष 1992-93 में ग्रेनाइट के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या ग्रेनाइट का निर्यात करने पर कोई आपत्ति उठाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जिन प्रमुख देशों को भारत से ग्रेनाइट का निर्यात किया जाता है वे जापान, इटली, नीदरलैंडस, यू०एस०ए०, यू०के०, जर्मनी, चीन, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया आदि हैं।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात से अनुमानतः 380 करोड़ रुपये 131.0 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ग) से (ङ) गैर-पुनर्नवीकृत ग्रेनाइट स्रोत के अत्यधिक दोहन और पर्यावरण पर उसके प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की है। ग्रेनाइट संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए ग्रेनाइट रफ ब्लाक्स के निर्यात के बदले मूल्य वर्द्धित ग्रेनाइट उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सुरक्षा मुद्रण एकक

7970. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा मुद्रण एककों का आधुनिकीकरण विस्तार करने हेतु स्वीकृत किए गए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एकक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड स्थित वर्तमान पासपोर्ट विनिर्माण सुविधा का 13.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विस्तार करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रतिभूति मुद्रण प्रेस हैदराबाद का विस्तार करने संबंधी एक प्रस्ताव भी विचार के आरंभिक चरण में है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को धन देना

7971. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में बैंक-वार राष्ट्रीकृत बैंकों को कितना धन उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) 1992-93 में बैंक-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ अथवा हानि की अनुमानतः अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) धन देने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) रास्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में अंशदान करने के लिए 1993-94 के बजट में 5700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैंक-वार संवितरण अभी नहीं किया गया है।

(ख) 31-3-1993 के समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के वार्षिक लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सुस्पष्ट और विवेकपूर्ण लेखा मानकों के अपनाए जाने और इसके परिणामस्वरूप तदनुरूप किए जाने वाले प्रावधानों से कई राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

(ग) बजट भाषण में बताया गया था कि वर्ष 1993-94 के दौरान बैंकों को दिए जाने वाले पूंजी अंशदान के समय बैंकों को उच्च स्तर की पोर्टफोलियो गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता देनी होगी ताकि विद्यमान समस्यायें फिर से पैदा न हों।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग

7972. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह आयोग कब तक गठित किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग का गठन अगस्त, 1987 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट 31-7-1991 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लौंग और दालचीनी का उत्पादन और आयात

7973. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार लौंग और दालचीनी का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या इन मदों के आयात हेतु आयात लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता होती है;

(ग) क्या इनके आयात से घरेलू बाजार में इनके मूल्य प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस समय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में इन मदों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं;

(च) चालू वर्ष के दौरान इन मदों का कुल कितना उत्पादन हुआ और क्या घरेलू मांग को पूरा करने के लिए यह उत्पादन पर्याप्त है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन मदों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) लौंग, तेजपात ओर दालचीनी के आयात के लिए आयात लाइसेंस क्रियाविधि संबंधी नियमपुस्तिका के पैरा 30 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दिए जाते हैं ।

(ग) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयात की गई लौंग और तेजपात की कुल मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(मात्रा टनेज में)

सं०	मदों/देश का विवरण	1988-89	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	2	—	—
	चीन आर०ई०पी०	3058	—	—
	चीन पी०आर०पी०	629	—	34
	हांगकांग	152	—	—
	सिंगापुर	176	152	228
	चाईनीज ताईपेई	—	404	980
	अन्य	2	15	—
	योग :	4219	571	1242

1	2	3	4	5
2.	**निस्सारित लोग**			
	ब्राजील	17	4	नगण्य
	चीनी ताइपेई	—	13	47
	चीनी गणराज्य	23	—	—
	मलेशिया गणराज्य	1018	2	30
	तन्जीनिया गणराज्य	144	—	9
	सिंगापुर	440	17	666
	श्रीलंका	700	278	229
	संयुक्त अरब अमीरात	40	—	—
	इंडोनेशिया	126	—	—
	अन्य	22	1	—
	योग :	2530	315	972
3.	**गैर-निस्सारित लोग**			
	आस्ट्रेलिया	—	—	21
	चीनी गणराज्य	28	—	—
	चीनी ताइपेई	—	2	75
	नीदरलैंड	—	—	10
	यू०एस०ए०	44	—	—
	सिंगापुर	626	399	415
	श्रीलंका	760	87	68
	मोजाम्बिक	117	—	—
	तन्जानिया गणराज्य	238	—	9
	इंडोनेशिया	157	3	—
	मलागासी गणराज्य	522	—	21

1	2	3	4	5
	मारिसस	39	—	—
	जाम्बिया	129	—	—
	अन्य	91	—	3
	योग :	2751	491	622

टिप्पणी : वर्ष 1989-90 के लिए आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंफिया भाग 2 (आयात)।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा धन जुटाया जाना

7975. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1993-94 के दौरान पूंजी बाजार से धन जुटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि जुटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस धनराशि का उपयोग करने के लिए **क्या** योजनाएं तैयार की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बाजार में गया है ताकि वह गैर-जमानती बांडों के माध्यम से कम से कम 200 करोड़ रुपए और अधिक से अधिक 400 करोड़ रुपए की राशि के संसाधन जुटा सके।

(ग) इस प्रकार जुटाई गई राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सामान्य कारबार की आवश्यकताओं के लिए होगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

7976. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि प्रदान की है/प्रदान करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस संबंध में राज्य-वार, कितनी धनराशि दी गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी देने का विचार है; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की किन-किन मिलों का आधुनिकीकरण किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। 1991-92 और 1992-93 के दौरान एन०टी०सी० की विभिन्न मिलों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(लाख रुपये)

	1991-92		1992-93	
	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संतिरण
आंध्र प्रदेश	—	47.50	—	50.00
केरल	—	89.90	—	37.66
तमिलनाडु	184.00	244.50	—	334.50
पांडिचेरी	—	27.10	—	11.00
उत्तर प्रदेश	—	117.00	—	—
	184.00	535.00	—	433.16

सहायता प्राप्त इकाइयों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त एन०टी०सी० मिलों के अनेक नाम

क्र०सं०	संबंधित इकाई का नाम	राज्य
1	2	3
1.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : त्रिरुपति काटन मिल	आन्ध्र प्रदेश
2.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : नटराज कताई और बुनाई मिल	आन्ध्र प्रदेश
3.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : अलागप्पा टेक्सटाइल कोचीन मिल	केरल

1	2	3
4.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : पारवती मिल	केरल
5.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : विजय मोहिनी मिल लि०	केरल
6.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : कृष्णावेही टेक्सटाइल मिल	तमिलनाडु
7.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : ओम पारशक्ति मिल लि०	तमिलनाडु
8.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : कालीस्वरार "बी" मिल	तमिलनाडु
9.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : कालीस्वरन "ए" मिल	तमिलनाडु
10.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : पंकज मिल	तमिलनाडु
11.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : सोमसुन्दरम मिल	तमिलनाडु
12.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : कोयम्बतूर बुनाई मिल	तमिलनाडु
13.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : पौयनियर मिल	तमिलनाडु
14.	एन०टी०सी० लि० एकक : सारदा मिल	तमिलनाडु
15.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : बलराम वर्मा टैक्सटाइल मिल	तमिलनाडु
16.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : कम्बोडिया मिल	तमिलनाडु
17.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : रंगाविलैण्ड हंज	तमिलनाडु
18.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : पन्डासा	तमिलनाडु

1	2	3
19.	एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि० एकक : कन्नानौर बुनाई और कताई मिल लि०	पाण्डिचेरी
20.	एन०टी०सी० (तमिलनाडु और पाण्डिचेरी) लि० एकक : स्वदेशी कॉटन मिल	पाण्डिचेरी
21.	एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) लि० एकक : स्वदेशी कॉटन मिल, आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
22.	एन०टी०सी० (उत्तर प्रदेश) लि० एकक : स्वदेशी कॉटन मिल, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

विदेश संस्थागत निवेशकों के लिए निर्देश

7977. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में विशेषकर गौण बाजार में प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा 14-9-1992 को की जा चुकी है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश हेतु कंपनी की कुल जारी की गई पूंजी के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा की व्यवस्था की गई है। सभी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीय कार्पोरेट और गैर-कार्पोरेट निवेशों के पास सम्पत्ति पर कुल उच्चतम सीमा 24 प्रतिशत है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं—

(i) वित्तीय सहयोग के तहत विदेशी निवेश जिन्हें प्राथमिकता के सभी क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक की अनुमति प्राप्त होती है; और

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक मार्गों से निवेश किया जाना—

(1) सीमा में दूर एकल/क्षेत्रीय निधियां।

(2) सार्वभौमिक ज़मा प्राप्तियां।

(3) यूरो कन्वर्टिबल्स।

[हिन्दी]

इंटक के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते

7978. **श्री आर्ज फर्नान्डीज** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटक (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस) के साथ महंगाई भत्ते के भुगतान, पेंशन, केन्द्रीय

सार्वजनिक उपक्रमों में बातचीत पर से प्रतिबंध हटाने और एक राष्ट्रीय श्रमिक आयोग का गठन करने के संबंध में कोई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समझौतों को लागू करने के लिए कोई लक्ष्य उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) महंगाई भत्ते, पेंशन की अदायगी, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बातचीत पर रोक हटाने और राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना के बारे में सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (इंटक) के साथ कोई द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौता नहीं किया है। तथापि, सरकार ने 16 मार्च, 1993 को एक नीति गत विवरण जारी किया है जिसमें सरकार ने 1-1-1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को देय औद्योगिक महंगाई भत्ते की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ए०आई०सी०पी०आई०) (आधार 800 बिन्दु) पर आधारित प्रति बिन्दु वृद्धि के लिए 1.65 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए करने का तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में मजदूरी में संशोधन के लिए बातचीत करने की अनुमति देने एवं 1-4-1993 से कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए एक पेंशन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है।

धुबरी-सादिया जलमार्ग

*7979. **श्री प्रवीन डेका** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास संबंधी कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) ब्रह्मपुत्र नदी के सादिया-धुबरी खंड को दिसंबर, 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 1989-90 से विकास कार्य शुरू कर दिए थे। नदी की प्रकृति और यातायात में वृद्धि को देखते हुए, नौवहन तथा नौचालन के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए कोई एक विस्तृत परियोजना शुरू नहीं की गई है। नौचालन चैनल का विकास करने के लिए प्रत्येक वर्ष नदी संरक्षण कार्यों के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इस समय ये कार्य, धुबरी, गुवाहाटी खण्ड में 45 मीटर चौड़े तथा 2 मीटर गहरे तथा गुवाहाटी डिब्रूगढ़ खंड में 1.5 मीटर गहरे नौचालन चैनल की व्यवस्था करने के लिए धुबरी से डिब्रुगढ़ तक खण्ड में किए जा रहे हैं।

हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा धुबरी-पांडू तक स्थायी रूप से दिन के समय नौचालन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 195.00 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक योजना संस्वीकृत की गई है।

वर्ष 1993-94 के दौरान नियोजित सभी कार्यों की अनुमानित लागत 2.18 करोड़ रु० है। वर्ष 1992-93 तक विभिन्न विकास कार्यों पर कुल 4.15 करोड़ रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

भारतीय स्टेट बैंक में अनिवासी भारतीयों की जमाराशि

7980. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के वित्तीय वर्ष में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में कितनी राशि जमा की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जमा और निकासी राशि का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक के पास अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां 6116 करोड़ रु० थीं और वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान अनिवासी भारतीयों के द्वारा बैंक में जमा की गई जमा राशियां 1210 करोड़ रु० थीं। बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास अनिवासी भारतीय जमाराशियों के वाह्य प्रवाह से संबंधित कोई आंकड़े नहीं हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा कुल अनिवासी भारतीय जमाराशियों में से लगभग 35 प्रतिशत, खाड़ी के अनिवासी भारतीयों, 25 प्रतिशत अमेरिका से, 10 प्रतिशत यू०के० से और शेष दूसरे देशों से प्राप्त हुई थीं।

छोटे वस्त्र निर्यातक

7981. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे वस्त्र निर्यातकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या ये निर्यातक वस्त्र कोटे में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो लघु निर्यातकों के लिए कुल वस्त्र निर्यात का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है; और

(घ) इनके निर्यात कोटे में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) भारत और कुछ आयातक देशों द्वारा किए गए द्विपक्षीय वस्त्र करारों के अंतर्गत परिधानों के निर्यात कोटे सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के उपबन्धों के अंतर्गत निर्यातकों को वितरित किए जाते हैं। इस समय प्रचलित नीति के अनुसार आबंटन की विभिन्न प्रणालियां तथा प्रतिशतता निम्नोक्त अनुसार है—

	प्रणाली	प्रतिशत आबंटन
(1)	विगत निष्पादन हकदारी (पी०पी०ई०)	60
(2)	विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एन०ई०ई०)	20
(3)	गैर-कोटा निर्यातक हकदारी (एन०क्यू०ई०)	18
(4)	सरकारी क्षेत्र हकदारी (पी०एस०ई०)	2

छोटे निर्यातकों सहित निजी क्षेत्र के सभी निर्यातक इन तीनों श्रेणियों अर्थात् पी०पी०ई०, एम०पी०ई०, तथा एन०क्यू०ई० में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कोटाओं के आबंटन के पात्र हैं बशर्ते कि

वे संबंधित प्रणाली की सम्बद्ध शर्तों को पूरा करते हैं तथापि, विशेष रूप से छोटे निर्यातकों के लिए आबंटन की कोई प्रणाली नहीं है ।

गुजरात में हथकरघा के लिए क्षेत्रीय विकास परियोजना

7982. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के लिए कई पैकेज योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह परियोजनाएं/योजनाएं कब से राज्य में लागू हैं; और

(घ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और इन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1991-92 और 1992-93 में कितनी आर्थिक सहायया दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 6 अक्टूबर, 1989 को गुजरात के अनुसूचित जाति के हथकरघा बुनकरों के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट पैकेज मंजूर की थी । गुजरात राज्य सरकार, बुनकर सेवा केन्द्र अहमदाबाद को निम्नलिखित घटकों के लिए 71.10 लाख रुपए की राशि जारी की गई ।

	घटक का नाम	लाभान्वित बुनकर
1.	बुनकरों के लिए प्रशिक्षण	225
2.	**करघों का आधुनिकीकरण**	
	(क) नए करघे	675
	(ख) उपकरण	1575
3.	कार्यशाला-सह-आवास	225
4.	विपणन (करघे)	225

चूंकि इस योजना के लिए एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था थी इसलिए उपरोक्त विशेष पैकेज योजना के लिए वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई । इसके अतिरिक्त जनता कपड़ा और प्राथमिक समितियों का सदस्य बनने हेतु हथकरघा बुनकरों सहायता नामक योजनाओं के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 174.03 लाख रुपए की राशि जारी की गई । वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात को विपणन विकास सहायता/रिबेट और जनता कपड़ा योजना के लिए 141.84 लाख रुपए की राशि जारी की गई ।

केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को लाभ/घाटा

7983. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कण्णनोर स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स कण्णनोर, केरल और इसकी सहायक कम्पनी माही स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स को लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत केरल में विद्यमान अन्य मिलों को लाभ/घाटे से संबंधित संगत आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की किसी मिल को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। कण्णनोर स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स, कण्णनोर और कृण्णनोर स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स, माही ने वर्ष 1992-93 के दौरान क्रमशः 2.13 लाख रु० और 10.53 लाख रु० का अनन्तिम नकद लाभ कमाया।

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत केरल में अवस्थित वस्त्र मिलों के लाभ/हानि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केरल में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का लाभ/घाटा

क्रम सं	मिल का नाम	वर्ष 1992-93 के दारान हुए लाभ/हानि (अनन्तिम)
		(लाख रु० में)
1.	अलगप्पा टैक्सटाईल्स, अलगप्पानगर	+30.69
2.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	+44.46
3.	विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम	+29.12
4.	पार्वती मिल्स, क्योलोन	—35.27

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की निर्गम योजना

7984. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ने अपनी 1500 करोड़ रुपए की निर्गम योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी० आई०सी०आई०) ने 1500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों को वर्तमान रूप में जारी करने के लिए आगे कार्रवाई न करने का तथा बाद में जब बाजार, आई०सी०आई०सी०आई० के अनुसार अपनी वास्तविक मूलभूत शक्ति प्रदर्शित करेगा, तब इसकी फिर से जांच करने का निर्णय लिया है।

आयकर अधिकारियों द्वारा रांची हवाई अड्डे पर माल जब्त किया जाना

7985. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने फरवरी, 1993 के दौरान रांची हवाई अड्डे पर कुछ यात्रियों से एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी और आभूषण, जिसका मूल्य नहीं आंका गया है, जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो छापे के दौरान पकड़े गए विशेष दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। तलाशी के दौरान अपराध-आरोपणीय दस्तावेज भी अभिगृहित किए गए थे जिनमें प्रथम-दृष्टया अघोषित व्यापारिक लेन-देनों तथा निवेशों का संकेत मिला है।

(ग) आयकर अधिनियम में तलाशियों के दौरान व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की बाबत कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण

7986. **श्री राम नाईक** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लगभग 20 वस्तुओं को आरक्षित करने का निर्णय लिये जाने के परिणामस्वरूप देश में लाखों विद्युतकरघा जुलाहे बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो विद्युतकरघा के अधिकांश जुलाहों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के कार्यकरण में सुधार

7987. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने अथवा इसका पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) पिछली बार कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का फरवरी, 1991 में 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का कार्यान्वयन आम तौर पर संतोषजनक है। अतः इस स्थिति में इसके पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघे

7988. **श्री राम कापसे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में थाणे जिला के भिवाणी में लगभग चार लाख विद्युत चालित करघों में से 70 प्रतिशत करघे बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेक्सटाइल उद्योग को सुविधाएं

7989. **श्री नवल किशोर राय** :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्सटाइल उद्योग देश में विदेशी मुद्रा के प्रमुख उपार्जकों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवीनतम आयात निर्यात के अन्तर्गत टेक्सटाइल उद्योग को विदेशी व्यापार क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिये पहले की जा रही सुविधाओं में कटौती कर दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उद्योग को क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (घ) आयात और निर्यात नीति के अन्तर्गत वस्त्र क्षेत्र सहित विभिन्न निर्यात क्षेत्रों

को प्रदान की गई मुख्य सुविधाओं में शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत इन्पुटों का शुल्क मुक्त आयात, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात पर रियायती शुल्क, निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन प्रमाणपत्र की स्वीकृति आदि शामिल हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों और कुछ निर्यातकों ने अद्यतन नीति/प्रक्रियाओं में कुछ प्रमुख परिवर्तनों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) निर्यात/व्यापार/स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता के लिये निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन०एफ०ई०) के बजाय संशोधित सिद्धान्त निर्यातों की एफ०ओ०वी० मूल्य के आधार पर हैं।

(2) पुरानी नीति में यह निर्धारित किया गया था कि हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम क्षेत्रों के निर्यात उत्पादों द्वारा अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को तिगुना महत्व दिया जाएगा। जबकि संशोधित नीति में यह निर्धारित किया गया है कि तिगुना महत्व के बजाय दोगुना महत्व दिया जाएगा।

(3) विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना को अब नीति के पैरा 49 के अध्यधीन रखा गया है जिसमें यह निर्धारित है कि लाइसेंस में अन्य बातों के साथ-साथ आयात की सूक्ष्म मदों की मात्रा अथवा मूल्य और मात्रा के साथ-साथ निर्यात के एफ०ओ०वी० मूल्य भी शामिल होगा।

[अनुवाद]

मुद्रा की सप्लाई

7990. **श्री प्रकाश जी० पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा की सप्लाई में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) जून, 1990 में देश में मुद्रा की सप्लाई कितनी थी तथा जनवरी, 1993 में यह कितनी थी;

(ग) वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92 में और मार्च, 1993 तक मुद्रा के सप्लाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा की सप्लाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ङ) मुद्रा की सप्लाई में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी हां। 29 जून, 1990 और 22 जनवरी, 1993 को मुद्रा पूर्ति (एम० 3) की राशियां नीचे दी गई हैं :—

निम्न तारीख को समाप्त पखवाड़ा	(करोड़ रुपए)
29 जून, 1990	241505
22 जनवरी, 1993	353855 (अ)

अ—अनन्तिम

(ग) 31 मार्च के आधार पर 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में मुद्रा पूर्ति (एम० 3) की वृद्धि दरें निम्न प्रकार थीं :—

वर्ष	प्रतिशत
1990-91	15.1
1991-92	18.5
1992-93	14.6

टिप्पणी :—31 मार्च, 1993 के मौद्रिक आंकड़े अनन्तिम हैं और सरकारी लेखों की समाप्ति से पूर्व के हैं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में मौद्रिक नीति की अवस्थिति पिछले वित्तीय वर्ष (1992-93) में दर्ज की गई एम० 3 की वृद्धि दर को उससे नीचे लाने की है।

(ङ) मुद्रा, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन के लिए विनिमय के एक माध्यम का कार्य करती है। यह उत्पादन करने और व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए एक अनिवार्य निविष्ट (अर्थात् वित्त) भी है। इसलिए देश में उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के साथ अनवरत रूप से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी होगी।

इंडियन ओवरसीज बैंक में निष्क्रिय खातों पर ब्याज

7991. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं के खाताधारियों से प्राप्त उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है, जिनमें उन्होंने अपने निष्क्रय खातों में भिन्न-भिन्न ब्याज होने का उल्लेख किया है;

(ख) क्या कुछ खाताधारी कलकत्ता में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उनकी बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण अपने-अपने खातों को सक्रिय नहीं कर सके;

(ग) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक लगभग एक दशक से इस मामले पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा अप्रवर्ती उधार खातों को अवरुद्ध अग्रिम और मुकदमा दर्ज किए गए खातों में वर्गीकृत किया जाता है। कलकत्ता में स्थित शाखाओं सहित बैंक की शाखाओं में ऐसे खातों में शामिल उधारकर्ता वसूली योग्य ब्याज में कटौती, लागू की गई ब्याज दरों में कटौती और चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज लागू करने संबंधी रियायतें मांगते हैं।

(ख) बैंक को पता चला है कि उनकी कलकत्ता-फ्री स्टूल स्ट्रीट शाखा में एक खाताधारी रक्षा

विभाग से अपनी बकाया राशि का भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपने उधार-खाते का परिचालन करने की स्थिति में नहीं था।

(ग) यह सही नहीं है कि कलकत्ता स्थित शाखाओं में खाते से संबंधित मामले बैंक द्वारा निर्णय हेतु लंबित रखे गए थे।

(घ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

बेपुर पत्तन

*7992. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बेपुर पत्तन कालीकट, केरल को सभी मौसम के लिए पत्तन के रूप में विकसित करने संबंधी कोई अभ्यावेदन केरल सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करके केन्द्र सरकार को भेजी जाए।

भारत-ट्यूनिशिया के बीच संयुक्त उद्यम

7993. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ट्यूनिशिया महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्यूनिशिया ने कपास की खेती के लिए भारत की विशेषज्ञत्व सेवा प्राप्त करने में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत-ट्यूनिशिया संयुक्त समिति की 26-28 अक्तूबर, 1992 के दौरान नई दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक में दोनों पक्ष वस्त्र, भेषजीय उत्पाद, इलैक्ट्रानिक्स आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के व्यापारियों के बीच औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उद्यम बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

(ख) दोनों पक्ष कपास की खेती एवं रूपान्तरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए भी सहमत हुए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आपका आभार मानते हुए मैं देश के बड़े हिस्से पर कई प्रदेशों में जो राष्ट्रपति शासन लागू है और जिन इलाकों में हम लोग राजनीति करते हैं, उनके अन्दर एक तरह से पूरे विकास के काम ठप्प हैं। मैं उसमें किसी तरह के आक्षेप की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इस प्रशासन को तकरीबन 350 पत्र मैंने लिखे हैं और कई तरह की समस्याओं को उठाने का काम मैंने किया है। निजी तौर पर जिन समस्याओं को हम जानते हैं, उनकी शिकायत करने का काम किया है लेकिन मध्य प्रदेश और खासकर उत्तर प्रदेश में यह पता ही नहीं चलता है कि प्रशासन का तंत्र कौन सा है, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास एप्रोच करने से काम हो सकता। जो वहां के माननीय गवर्नर साहब हैं, उन को बदलने के लिए अखबारों में छपता है। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता··· (व्यवधान)···अध्यक्ष जी, मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं मर्यादा के बाहर नहीं बोलता। अगर आप ना कर देंगे तो··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ गवर्नर के बारे में आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री शरद यादव : मैं गवर्नर के बारे में जरा सा भी नहीं बोलने वाला। आपकी जो मंशा है···

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, मैं एक बात बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए। फिर आपका समाधान हो गया तो ठीक है नहीं तो आप बोलिये। होम मिनिस्टर साहब ने मुझे लैटर लिखा है कि यह चार प्रान्त हैं, उनमें कन्सलटेटिव कमेटीज मैम्बर्स की बनानी हैं। मैंने नाम मंगा लिये हैं तो दो एक दिन में वह कन्सलटेटिव कमेटीज बन जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कश्मीर के बारे में कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग आज तक हुई नहीं। सात महीने उसे बने हुए हो गये लेकिन उसकी मीटिंग ही नहीं हुई।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जब कन्सलटेटिव कमेटी बन गई तो इसका मतलब है कि अब जल्दी चुनाव होने वाले नहीं हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इसमें इतना विवाद है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। आप जान रहे हैं कि हर आदमी तकलीफ में है। जो लोग इन चार प्रान्तों से वास्ता रखते हैं, वहां सार्वजनिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में जो लोग हैं, गृह मंत्री जी, उनकी दिक्कत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अखबार में निकले कि माननीय गवर्नर साहब को बदला जा रहा है तो वह चलता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी गाहे बगाहे उनके बदलने का बयान देते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप किसको बनाकर रखिये, किसको बनाकर नहीं रखिये। 14 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है और करीब 5 करोड़ की आबादी का मध्य प्रदेश है तो इतने बड़े इलाके की पूरी जनता को मिलाकर लगाएंगे तो करोड़ों लोगों का वास्ता इससे है। रोज गवर्नर के बारे में जिम्मेदार लोग कहते हैं कि बदल दिये जायेंगे, अगर उनको बदलना है तो जल्दी बदलिये और नहीं बदलना है तो काम ठीक करिए, क्योंकि लोगों का काम

सफर कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो सलाहकार है, वह दिल्ली के फलाने आदमी का आदमी है। हर गुटबाजी के अन्दर वहां आदमी बैठा लिए गए हैं। दिल्ली में जिस की हस्ती बन जाती है, वह वहां सलाहकार मजबूत हो जाता है। वह मजबूत होकर दूसरे काम नहीं करता है। मध्य प्रदेश के एक सलाहकार हैं, संसद चल रही है, लेकिन वहां वे सारे काम कर रहे हैं, जो कि संसद को करने चाहिए। आपके पदाधिकारी भी शिकायत करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने मध्य प्रदेश के गवर्नर को जितने पत्र लिखे, उनका जवाब ऐसा है कि उनके यहां मिलने वाले लोगों का काउन्टर है, उसी तरह का एक परफोर्मा है। दस लाख लोगों के प्रतिनिधि पत्र लिखें और समस्याओं को उठायें, वहां की यह हालत है। इस तरह के तकरीबन 150 पत्रों के जवाब हमारे पास आए हैं। उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि जो चुने हुए लोग हैं, जो चार साल और रहते, वे अब एक्स-

12.06 म० प० **(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)**

एम०एल०ए० हो गए हैं। जब वे सचिवालय में जाते हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। चाहे कोई भी दल का सदस्य हो, कर्मचारी लोग उनको धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। जो चुने हुए लोग हैं, जो तीन-चार साल और रहते, उनके काम और जो उनकी शिकायतें हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। इन राष्ट्रपति शासन वाले प्रदेशों में कोई प्रशासन तन्त्र नहीं है। अपनी समस्याओं को उठाने के लिए लोग कहां जायें, अपने कामों को कराने के लिए लोग कहां जायें। मंत्री जी इस तरह की अनार्की बनी हुई है, इस बाबत में आपसे स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि वहां ऐसा तन्त्र बनाना चाहिए, जो···(**व्यवधान**)···आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वहां पंचायत कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···वे नहीं सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इन प्रदेशों में जबर्दस्त हालत खराब है। जनता के सवालों की सब तरह से बर्बादी है, भ्रष्टाचार है। जो सलाहकार आपका मजबूत हो जाता है, वह लूट मचाए हुए है। में नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको आगाह करना चाहता हूं। इतने बड़े पैमाने पर सलाहकारों में कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, अपने मंत्रालय में उनको मैंने अलग किया था। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और कई तरह की शिकायतों के नाम पर मेरे मंत्रालय में दो-तीन आफिसर थे, उन्हें आपने सलाहकार बनाया है। मैं एक दो के बारे में जानता हूं, उनका हमारे मंत्रालय में कैसा काम था। मैंने उनको हटाया था। वे आपके सलाहकार बन कर किस तरह लूट रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे विनती करना चाहता हूं जो सार्वजनिक काम है, जनता इन इलाकों में तंग और तबाह है, जो चुने हुए लोग हैं, खास कर जो यू०पी० के लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनकी बात सुनने के लिए कुछ करेंगे। हम लोगों के जवाब गवर्नर के यहां से जिस तरह से आयेंगे और आते हैं, उसको आप अन्दाज नहीं कर सकते हैं। बड़ा अपमानजनक लगता है। इस बात को सुनने का काम करेंगे या नहीं।···(**व्यवधान**)···

श्री मदन लाल खुराना : चुनाव तत्काल करायें।···(**व्यवधान**)···

श्री शरद यादव : आप चुनाव कल करायें, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में जिला टिकमगढ़ में एक ऐसा किस्सा है, जो आज भी सामन्ती शोषण और सामन्ती उत्पीड़न का शिकार है। अभी दो महीने के अन्दर दो अनुसूचित जातियों के बन्धुओं की मात्र इस वजह से हत्या कर दी गई। इसमें एक हत्या इस वजह से कर दी गई कि क्योंकि उसकी चौदह वर्ष की लड़की को उस गांव के सवर्ण व्यक्ति ने अपने घर में रखैल के रूप में रख लिया। जब उसने आपत्ति की और पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई और कहा कि मुझे जान से मारा जा सकता है। रिपोर्ट लिखकर जब वह घर लौट रहा था, तो पूरे

गांव के सामने उस व्यक्ति को फरसा से काटकर हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। एक घटना और है, जो कल ही घटी है। मैं स्वयं उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति की लाश को देखकर आई हूं। ठाकुरों के घर के सामने वह व्यक्ति जूते पहन कर निकलता था। उसको कहा कि अगर तुम जूते पहनकर निकलोगे, तो काट डाला जाएगा। उसने कहा—यह मेरे आत्म सम्मान का प्रश्न है, मैं आज जूते पहन कर ही निकलूंगा, तो उस हवेली के सामने उन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसको काट डाला। यह कल की घटना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत स्वतन्त्र हो गया है, दूसरी तरफ ऐसी हत्यायें हो रही हैं। जो लोग आज भी मानते हैं कि हम राज्य कर रहे हैं और जहां पर रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि हम गुलामी के दौर में रह रहे हैं। इसमें से सबसे शर्मनाक बात यह है कि वे दोनों ही हत्यारे कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और वहां के विधायक के खास लोग हैं और पूरी तरह से इस समय पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है, पुलिस अधिकारियों के ऊपर, कि वे इस संबंध में कोई भी कार्यवाही न करें। (**व्यवधान**) इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार का अत्याचार बंद हो और जिन लोगों ने भी इस तरह के जघन्य कृत्य किये हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। क्योंकि जो लोग उन हत्यारों को बचा रहे हैं उनके ऊपर एक केन्द्रीय मंत्री का हाथ है, जोकि सवर्ण कहलाते हैं और पिछड़ों के मसीहा हैं लेकिन सवर्णों पर जिनका पूरा हाथ रहता है और वे मध्य प्रदेश के ही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं और चेतावनी भी देती हूं कि यदि इस तरह से वहां पर चला तो बिहार में सवर्णों और अनुसूचित जातियों के जिस तरह से दंगे हो जाते हैं इस तरह की घटनाएं कहीं मध्य प्रदेश में भी न होने लग जाएं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन करना चाहती हूं कि इस बारे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास (करोलबाग) : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप होम मिनिस्टर से कहें कि वे इस पर जवाब दें। (**व्यवधान**)

श्री छेदी पासवान : महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं वे स्टेटमैंट दें। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति जी, इस तरह की घटना का जब भी इस इस सदन में उल्लेख हुआ है तो हमेशा सरकार ने, भले ही उस समय राज्य सरकार वहां पर कोई और हो तो भी उस पर नोटिस लेकर के केन्द्रीय सरकार ने सदन को आश्वासन दिया है कि हम इसकी जानकारी करके आपको देगे। आज यहां पर उनके चुनाव क्षेत्र में, उमा जी के चुनाव क्षेत्र की घटना का इस प्रकार का जब विवरण सदन के सामने रखा गया है तो गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, संसदीय कार्य मंत्री, जो उसी प्रदेश के हैं वे भी यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इसके बारे में सरकार सदन को आश्वासन देगी और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करके देगी। क्योंकि इस समय वहां पर सरकार नहीं है वहां पर राष्ट्रपति का शासन है, केन्द्र सरकार का शासन है इसलिए जवाबदारी और बढ़ जाती है कि इस विषय में सदन को आ करके जानकारी दें। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर जब यहां बैठे हुए हैं और यह शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का मामला है। यह मेरा एक प्रोसिजर का मामला है जब होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं तो होम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं। महोदय, यह एक बहुत ही आपत्तिजनक चीज है कि जब शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई मरता है तो वेलफेयर

मिनिस्ट्री पर छोड़ दिया जाता है और जब अपर कास्ट का मरता है तो होम मिनिस्ट्री जवाब देती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस राज में हत्याएं बढ़ रही हैं जहां कहीं राष्ट्रपति शासन हुआ है और जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है (**व्यवधान**) वहां हत्याएं खास करके शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बढ़ रही हैं। होम मिनिस्टर यहां हैं उनको जवाब देना चाहिए और गंभीरता से इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : हमारे पार्लियामेंट की जो एस०सी०, एस०टी० कमेटी है उस कमेटी ने भी यह रिपोर्ट दी। पहले यह एस०सी०, एस०टी होम मिनिस्ट्री के पास था उस समय इस तरह की घटनाएं होती थीं मगर बहुत कम होती थीं। जब से यह वेलफेयर मिनिस्ट्री में चली गई तब से ये केस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए है। (**व्यवधान**) मैं खास तौर से होम मिनिस्टर से कहूंगा कि आप फिर से इस एस०सी०, एस०टी० को होम मिनिस्ट्री में वापस लाएं और इसको प्रोटैक्ट करें। इस संबंध में आपका क्या रिएक्शन है यह मैं जानना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर रेसपपोंड कर रहे हैं आपको उनकी बात को तो सुनना चाहिए।

(**व्यवधान**)

गृह मंत्री (**श्री एस० बी० चव्हाण**) : मैं तो यह कहूंगा कि यह होम मिनिस्ट्री के पास रहे या वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास रहे, इसके बारे में मैं कोई रिएक्शन यहां पर नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह मेरे अधिकार का विषय नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास : सभापति महोदय, यह कानून व्यवस्था का सवाल है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप पहले गृह मंत्री जी की बात को तो सुनिए। उसके बाद आप अपनी बात कहें।

(**व्यवधान**)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा, इसके बाद भी आप इस तरह की बात करते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि चाहे होम मिनिस्ट्री में हो, वेलफेयर मिनिस्ट्री में हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार हो, राष्ट्रपति का शासन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस०सी०, एस०टीज पर जहां अत्याचार होता है, वह अत्याचार की ही डेफीनेशन में आता है। इसलिए महरबानी करके राजनीति को इसमें लाने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग किस तरह से इसमें से रास्ता निकाल सकते हैं, इस बारे में विचार करेंगे और इस पर्टीकुलर इंसीडेंस के बारे में जानकारी जरूर हासिल करेंगे।

श्री कालका दास : सभापति महोदय, पिछले कई सालों से इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं हुई हैं, अब राष्ट्रपति शासन के बाद हो रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के लोगों की इसमें शह है।

कुमारी उमा भारती : कांग्रेस के लोगों की शह ही नहीं, कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपने एक सवाल उठाया, गृह मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है, अब सुमित्रा महाजन जी को अपनी बात कहने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : क्या आज महिला दिवस है ।

सभापति महोदय : महिला दिवस की बात नहीं है, मैं महिलाओं को प्राथमिकता दे रहा हूं, "लेडीज फर्स्ट ।"

श्री सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं आज सदन के सामने फिर एक गंभीर बात रखना चाहूंगी । टेलीविजन और अन्य समाचार माध्यमों से बार-बार यह चीज दिखाई जाती है कि आज इतने उग्रवादी मारे गए, कश्मीर घाटी में आज इतने उग्रवादी मारे गए और इस तरह से कश्मीर घाटी की स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश की जाती है । लेकिन आज स्थिति यह है कि आतंकवाद कश्मीर घाटी से होते-होते डोडा जिले तक फैल चुका है । कल ही मेरे पास डोडा जिले से कुछ महिलाएं आई हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि वहां पर रोजाना एक-दो लोगों की हत्याएं हो रही हैं । घर में घुस कर हत्याएं हो रही हैं, लोगों की आंख निकाल ली जाती है, जुबान निकाल ली जाती है और लाश को सड़क पर फेंक दिया जाता है । सरकारी कर्मचारियों की भी यही हालत है । घरों में आज वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं । 13 अप्रैल से पटवा तहसील में महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि डोडा जिले को सेना के हवाले कर दिया जाए, लेकिन वहां का डी०सी० शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए महिला-पुरुषों को जाकर धमकाता है, उन लोगों को धमकियां दी जा रही हैं । वहां पर बैंक बंद हैं, कारोबार सब बंद हैं । लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि यहां से चले जाओ । बैंक वालों से भी यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा ट्रांस्फर जम्मू कर देते हैं, चले जाओ, जबकि वहां के लोग वहां पर रह कर आतंकवाद का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और एक प्रकार की यह योजना चल रही है, जिससे कि ये लोग वहां से चले जाएं । इस सिलसिले में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जाकर उन लोगों की सुध नहीं ले रहा है । वहां की महिलाओं ने यहां तक कहा है कि हमें शस्त्र दे दीजिए, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे । इस तरह का प्रयोग पंजाब में भी एक स्थान पर किया गया था । जब लोगों के हाथ में शस्त्र आ जाते हैं तो वे कम से कम अपनी रक्षा कर सकते हैं । यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई तो धीरे-धीरे ये लोग जम्मू आएंगे और फिर जम्मू से भी एक दिन इनको निकलना होगा और पूरा जम्मू और कश्मीर आतंकवादियों के हवाले हो जाएगा ।

सभापति महोदय, आज वहां की महिलाएं हिम्मत कर के दिल्ली में आई हुई हैं और यह मांग कर रही हैं कि वहां जो आन्दोलन चल रहा है कि डोडा जिले को सेना के हवाले कर दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए । आज वहां के निवासियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस वालों के बेटे ही आज आतंकवादियों में शामिल हो चुके हैं और लोगों की हत्याओं का सिलसिला चला रहे हैं । इसलिए मेरा कहना है कि निवासियों को आत्मरक्षा के लिए वहां पर शस्त्र दिए जाएं ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां पर पुलिस की गोली से जो लोग मरते हैं, उनमें दंगाई भी मरते हैं और दूसरे लोग भी मरते हैं, उन सब को 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है, लेकिन आतंकवादियों की गोली से जो लोग शिकार होते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है । सुधीर दास नामक एक व्यक्ति हैं, जिनके माता-पिता अंधे हैं, उनके तीन छोटे बच्चे हैं । 14 अप्रैल को उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी नाक काट दी

गई और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

जिन लोगों पर शस्त्र चलते हैं तो वे जम्मू के अस्पतालों में भर्ती हैं और कोई भी प्रशासन का व्यक्ति न देखने जाता है और न उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवारों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे डोडा जिले को सेना के हवाले कर दिया जाए और वहां की महिलाओं और पुरुषों की कृपा करके सुरक्षा की व्यवस्था करें। पूरे जम्मू-काश्मीर में दो-चार उग्रवादियों को मारकर यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती है (**व्यवधान**)

श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना) : सभापति जी, श्रीमती महाजन जो बात कह रही हैं तो उस विषय में मुझे भी कहना है क्योंकि ज्यादा गंभीर और चिंताजनक बात है। उन लोगों की शिकायत आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिन उग्रवादियों ने इस तरह की हत्या की है तो उनको पुलिस ने जब पकड़ा और हिरासत में रखा तो यहां से श्री गुलाम नबी आजाद जी का टेलिफोन गया कि उनको छोड़ दिया जाए, यह कहां तक सत्य है। इस तरह से उनको शह मिल रही है और वे इस तरह से करते जाते हैं क्योंकि उनको सजा नहीं मिल रही है इसलिए वहां के लोग परेशान हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वहां की हिन्दू महिलाएं भी चौबीस घंटे पहरा देती हैं। मैं महिलाओं की तारीफ करती हूं कि वे बहादुर हैं। कल हम सब लोग उनको लेकर प्रधान मंत्री जी से मिलने गए थे। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया। लेकिन ऐसे आश्वासन कई बार मिल चुके हैं, इसलिए कुछ न कुछ होना चाहिए। वहां के लोग बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। मैं, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि यह मामला हद में बाहर निकल चुका है इसलिए महिलाओं के साहस को देखकर उनकी सहायता करने की कोशिश करें। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुस्लिम परिवार भी उग्रवादियों से तंग आ गए हैं क्योंकि उनकी लड़कियों और बहुओं को सप्लाई किया जाता है, यह शर्म की बात है कि उग्रवादियों के घर में उनको भेज दिया जाता है। मैं सोचती हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। कन्या हिन्दू या मुसलमान, उनकी इज्जत महत्वपूर्ण विषय है। यह हम लोगों पर लानत है और शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की शिकायत आई कि औरतों पर इस तरह का जुल्म हो रहा है। मैं आशा करती हूं कि इस पर ध्यान दिया जायेगा और जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा है मैं उनका पूरा-पूरा सहयोग करती हूं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एस०बी० चव्हाण : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी-अभी जो कहा है, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। मैं उस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा दिखाई जा रही वीरता की सराहना करता हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि डोडा क्षेत्र में कुछ उग्रवादी घुस आए हैं तथा समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम गंभीरता पूर्वक इस बात का पता लगाएंगे कि क्या हम स्थानीय लोगों को यथासंभव हथियार दे सकते हैं। मैं उस क्षेत्र में एक छावनी बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि हम वहां जिस प्रकार की गतिविधि देख रहे हैं, उनको रोका जा सके। प्रतिदिन यह बढ़ रही है। इसलिए हमें उसे नियन्त्रित करने के लिए समर्थ होना चाहिए तथा इस क्षेत्र को उग्रवादियों से मुक्त कराना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह आपकी उदारता है।

अमेरिकन कांग्रेस में सीनेटर टॉम हरकिन द्वारा बाल-श्रम विरोधी विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। इसमें उन उत्पादों पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो बाल-श्रमिकों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं। यह बहुत ही मानवीय प्रस्ताव है लेकिन इसकी मंशा के हमारे देश में विफल होने की संभावना है। इससे उद्योगों को कालीनों, पीतल से बनने वाले सामान तथा बहुमूल्य पत्थरों जैसे उत्पादों के निर्यात में 100 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है और चूंकि उद्योगों को व्यापार के नष्ट होने का डर होगा, इसलिए बच्चों का नियोजन बन्द नहीं होगा बल्कि गुप्त रूप से होने लगेगा तथा बाकी उपसंविदा जैसी प्रणालियों को, जिनमें उनका उत्तरदायित्व कम है, और प्रोत्साहन मिलेगा। हार्किन्स के विधेयक में निर्दिष्ट उद्योगों द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था से केवल देश में बच्चों के शोषण को ही बढ़ावा मिलेगा। मुझे इसी बात का डर है। अब मैं सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं कि सरकार पहले से ही अपने (बाल) श्रम विरोधी विधान में इस बात का आग्रह करते हुए उपयुक्त रूप से संशोधन करके कि जो उद्योग बच्चों को रोजगार में रख रहे हैं, वे उन बच्चों के स्थान पर उन्हीं परिवारों के व्यस्कों को रखें ताकि उन परिवारों को कोई आर्थिक हानि न हो और इसके साथ ही सरकार को उन बच्चों के लिए पर्याप्त कल्याण योजनाएं और शिक्षा योजनाएं बनानी चाहिए जो कि इस प्रकार श्रम के बन्धन से मुक्त होने जा रहे हैं।

महोदय, मैं इसके बारे में काफी लम्बे समय से कहता आया हूं। जब मैंने यह बात शिक्षा मंत्रालय के सामने रखी, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर डाल दी, जब मैंने यह श्रम मंत्रालय के सामने रखी तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय पर बताई। मेरा सुझाव है कि दोनों मंत्रालय को इस बारे में मिलकर विचार करना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय संशाधनों से भी इसके लिए धन उपलब्ध है। उनको इस पर पूर्ण विस्तृत रूप में विचार करना चाहिए ताकि जो बच्चे उद्योगों में मजदूरी कर रहे हैं और इस प्रकार जो अपना बचपन गंवा रहे हैं, उनको उनके इस बन्धन से मुक्त कराया जाए तथा उनका बचपन उन्हें फिर से लौटा दिया जाए··· (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

सभापति महोदय : जिनके नाम जिस प्रकार से इस लिस्ट में टाइप्ड हैं वैसे ही बुलाऊंगा, मैंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है इसलिए उनको बोलने का अवसर प्रदान किया···

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : हम लोग अछूत नहीं हैं···

सभापति महोदय : कोई अछूत नहीं है। जिनका नाम 10 बजे से पहले आया है उनके नाम बारी आने पर पुकारे जायेंगे। आपका भी नाम है···(**व्यवधान**)···तेज नारायण सिंह जी आप बैठ जाएं, आपका भी नाम है, बारी आने पर आपको भी बुलाया जाएगा। आप लोग व्यवधान डालकर अपना समय खराब न करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : बरेली में वायुसेना हवाई अड्डा है जो त्रिशूल के नाम से जाना जाता है वहां आलोक नगर, जयंती नगर, पंत नगर, डिफेंस कालोनी, नगरीय परिषद् और सैनिक विहार, 6 कालोनी हैं। इनमें चार हजार से अधिक पूर्व वायुसेना के अधिकारियों और रेल कर्मियों का निवास है और ये परिवार पिछले 25 वर्षों से रह रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इनको सड़क, बिजली और पानी जैसी कई सुविधायें प्रदान की हुई हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी वायुसेना क्षेत्र के अंदर ऐसे अफसर आ जाते हैं जो इनको उजाड़ने की बात करते हैं। पिछले दिनों ऐसी बात हुई है और इन चार हजार परिवारों को उजाड़ने का नोटिस दिया है। इनके जीवन-मरण

का प्रश्न है। इन्होंने अपने जीवन की कमाई लगाकर अपने मकान बनाए हैं। इसलिए इनको वहां से उजाड़ना अहितकर होगा। मैं चाहूंगा रक्षा मंत्री इस पर ध्यान दें।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : मेरे और गंगवारजी के चुनाव क्षेत्र मिले हुए हैं यह हमारे यहां का भी मामला है और महत्वपूर्ण समस्या है इसका निदान रक्षा मंत्रालय को करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कष्ट में हैं।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : बिहार में सोन नहर 6 जिलों के किसानों को जिंदा रखने का साधन है, उससे 35 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। यह 135 वर्ष पुरानी है और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। उसके दोनों तरफ के बांध टूट गए हैं जिससे सोन का पानी बांधों तक नहीं पहुंच पाता है। इससे इन 6 जिलों के किसान परेशान हैं। 1990 में भारत सरकार द्वारा 22 करोड़ रुपया दिया गया था, इसके बाद तीन बरस से हम पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन रुपया नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो पानी का बंटवारा हुआ है, भारत सरकार उसको लागू नहीं करवा रही है। पानी का बंटवारा नहीं होने के कारण 35 लाख एकड़ जमीन की फसल मारी जाती है। मैंने इस बात को लोकसभा में कई बार उठाया कि भारत सरकार कम से कम 25 अरब रुपया सोन नहर को पक्का बनाने के लिए दे ताकि जो उ०प्र० और बिहार के बीच में पानी का बंटवारा हुआ है, उसे भारत सरकार लागू कर सके परन्तु बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो भारत सरकार ने 25 अरब रुपया ही दिया है और न उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसे लागू करवा सकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि भारत सरकार इस पानी के बंटवारे को लागू करे और सोन नहर को पक्का बनाने के लिए 25 अरब रुपया अविलम्ब स्वीकृत करे ताकि 35 लाख एकड़ जमीन का पटवन हो सके। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, आपको मौका मिलेगा। कृपया बैठ जाइए। मैं यहां पर क्रम संख्या का अनुसरण कर रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार वाले अजमेर के अश्लील छात्राचित्र ब्लैकमेल कांड में सी०बी०आई० द्वारा जांच कराए जाने की मांग करता हूं। गत वर्ष का सबसे ज्यादा सनसनीखेज मामला है जिसमें अश्लील छाया चित्र के माध्यम से कुछ विकृत मनोवृत्ति वाले और युवक कांग्रेस से संबंधित अमीर घरानों के असामाजिक तत्वों ने कालेज और स्कूल में पढ़ने वाले एवं कुछ अन्य समुदाय की महिलाओं तथा छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर अपने फार्म हाऊसेज पर ले जाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और अश्लील फोटो खींचे तथा ब्लैकमेल करने का शर्मनाक और घृणित कार्य किया। इस काण्ड की चर्चा रेडियो, टी०वी० पत्र-पत्रिकाओं और अखबारों में हो चुकी है तथा बी०बी०सी० ने भी इसको बताया है। यह हमारे देश की सामाजिक मर्यादा पर कलंक का टीका है तथा इससे सम्पूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ है। इस घटनाक्रम में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं लेकिन कुछ नेताओं के दबाव अथवा अन्य कारणों से छूट भी गए हैं। अब तो राष्ट्रपति शासन में सारी कार्यवाही ढीली पड़ गयी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस काण्ड में संलिप्त

विकृत मनोवृत्ति वाले अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए और सी०बी०आई० द्वारा इसकी जांच करायी जाए एवं जो दोषी पाए जाएं, उनको कठोर सजा दी जाए ताकि इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं हो सके तथा नारी समाज, बहन-बेटियों की इज्जत की रक्षा हो सके।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों में की जा रही उपेक्षा की ओर खींचना चाहता हूं। उक्त क्षेत्र में कुल 10 परसेंट जमीन की सिंचाई की व्यवस्था है। आज से 8 साल पहले जो योजनाएं चल रही थीं, वे उसी समय से बंद हैं। एक भी नयी योजना नहीं ली जा रही है। लघु सिंचाई विभाग से एक भी पैसा नहीं मिलने से छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे हैं। 3 साल पहले जो सिंचाई योजनाएं चालू थीं, वे भी बंद हैं। फलतः छोटा नागपुर और संथाल परगना अकाल की चपेट में पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र जो झारखण्ड के नाम से जाना जाता है, उसमें सिंचाई करने के लिए अलग से केन्द्रीय सरकार विचार करे और उसमें सिंचाई की व्यवस्था करे ताकि वहां बराबर अकाल से बचा जा सके।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित मामला जो सामाजिक और लोक महत्व का है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 2-4-93 से विश्वविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह हड़ताल चलती रही तो परीक्षाएं देर से होंगी जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। शिक्षकों की यह हड़ताल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाए गए रवैये से हुई है जिसमें शिक्षकों को लगता है कि उनकी प्रोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनकी उम्र सीमा, कालबद्ध प्रमोशन और समय पर वेतन मिले—इन सब मांगों को लेकर उनकी 2 अप्रैल से हड़ताल चल रही है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इनकी जो उचित मांगें हैं, उनको मान ले और इस हड़ताल को समाप्त करवाये।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, शायद आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि मुम्बई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पैंथर्स बाहर आते हैं और एक पैंथर तो "बैस्ट" बस के नीचे भी आया था, जिसका फोटो मैंने यहां पेश किया था। सभापति महोदय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के एक बाजू मुम्बई शहर है और दूसरी ओर ठाणे है और वहां पैंथर्स की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। अपना भक्ष्य पाने के लिए पैंथर्स वनों को छोड़कर शहर में आने लगे हैं। पिछले तीन सालों में लगभग 13 बच्चे वहां पैंथर्स के शिकार हुए हैं और कई बच्चों पर इस प्रकार का हमला रात को सोते समय हुआ है। अभी-अभी 4 मई को सुबह 11 बजे जब लोग टी०वी० देख रहे थे तो एक पांच साल का पैंथर बाजू के घर से कूदकर अंदर आया वहां टी०वी० पर एक बड़ी हत्या दिखाई जा रही थी। उस समय उस पैंथर ने टी०वी० पर झपट्टा मारा और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि घर में क्या स्थिति पैदा हो सकती थी।

इसलिए मेरी मांग है कि शहर के नजदीक जब राष्ट्रीय उद्यान है तो उस राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रौटेक्शन वॉल (संरक्षक दीवार) बनाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पैंथर बार-बार बाहर आएंगे। वहां पैंथर तो रहने चाहिए, लेकिन उनसे लोगों को रक्षा देने के लिए तुरंत इसके बारे में सोचकर एक सुरक्षा दीवार बनाई जाए और इसका स्थायी हल निकाला जाए। इस

प्रकार की मांग मैं करता हूं और यह भी चाहता हूं कि दोबारा इस बात की शिकायत करने का मौका हमें न मिले। राष्ट्रीय उद्यान की ठीक प्रकार से निगरानी रखने का काम केन्द्र सरकार करे और इसके बारे में वह क्या करना चाहती है इस प्रकार का एक वक्तव्य सदन में दे। यही मैं कहना चाहता हूं। ···(**व्यवधान**)

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : हमारे क्षेत्र में कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज है।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज क्या आप जीरो आवर में ही रिजॉल्व कर लेंगे ? आप बैठ जाइए। नंबर से सबको मौका दे रहे हैं।

(**व्यवधान**)*

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : आपको अवसर मिलेगा। कृपया बैठ जाइए। आप क्यों चिल्ला रहें हैं ? कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा जो कुछ भी बोलेंगे, उसे कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित किया जाएगा।

***श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** (क्योंझर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान पलास्तपोंघ, जिला क्योंझर, उड़ीसा में, स्पोंज आइरन प्लांट के श्रमिकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। स्पोंज आयरन प्लांट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। प्लांट में कार्यरत अधिकांश कामगार स्थानीय लोग हैं। अब प्लांट प्राधिकारियों ने जो रवैया अपनाया है वह श्रमिकों के लिए हितकर नहीं है। 1 जनवरी, 1993 से प्राधिकारियों ने किसी न किसी बहाने से कामगारों की छंटनी शुरू कर दी है। छंटनी में ये सभी श्रमिक क्योंझर के हैं तथा ये अनुसूचित जनजातियों उनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हैं। हटाए गए व्यक्तियों को अब गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे बहुत ही दुःख में अपने दिन गुजार रहे हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते ही हैं, सम्पूर्ण क्योंझर जिला गम्भीर सूखे से पीड़ित रहा है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है। उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि हटाए गए सभी 200 कामगारों को दोबारा काम पर लिया जाए तथा और किसी कामगार की छंटनी न की जाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे इस बहुत गम्भीर मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। कल उड़ीसा के सचिवालय में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई थी।

सभापति महोदय : आपको दिल्ली में पेयजल की कमी के मामले पर बोलना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने दो विषयों के बारे में सूचना दी थी···(**व्यवधान**)

मैंने दो विषयों पर सूचनाएं दी हैं। मैंने इसे प्रथम प्राथमिकता दी है। मैं इसे नम्बर एक मानता हूं। यह अत्यन्त राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। उड़ीसा के सचिवालय में, जो राज्य प्रशासन का मुख्यालय है, अत्यधिक शोर-शराबा मचाया गया था। (**व्यवधान**)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में पानी की शौर्टेज के बारे में आज शाम को साढ़े चार बजे प्रधान मंत्री जी के यहां मीटिंग है । इसलिए उसकी चर्चा करनी है । (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के विषय पर इस सदन में चर्चा की जा सकती है । (**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जब आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते । आप बैठ जाइए । आप सुनिए कि हम क्या कहना चाहते हैं । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, मुझे बोलने का अवसर दीजिए । कृपया मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें ।

सभापति महोदय : क्या आप दिल्ली में पेयजल की कमी का मामला नहीं उठा रहे ? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने दो अलग-अलग विषयों पर सूचनाएं दी हैं । यह ऐसे किस प्रकार हो सकता है ? (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने भी इस विषय पर सूचना दी है ।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, मैं आपको बुला लूंगा ।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाए । मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है । मैंने दो विषयों पर सूचनाएं दी हैं । मैंने पहले इस विषय को चुना है । राज्य प्रशासन पंगु हो गया है । संवैधानिक तन्त्र खराब हो गया है । मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव इत्यादि के साथ हाथापाई की गई है । वहां कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं है । यह क्या है ? वहां कोई नियम, कानून और व्यवस्था नहीं है । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : खैर, आप जो कहना चाहते हैं कहिए ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : वहां क्या हो गया, मुख्य मंत्री पर पत्थर फेंक रहे हैं क्या ! (**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक काण्ड पहले हो चुका है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के मामलों पर क्या यहां चर्चा होगी । कांग्रेस पार्टी के अनुशासन करने से क्या कुछ हो सकेगा । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने दो विषयों पर सूचनाएं भेजी हैं । पहले मैं इस विषय को चुन रहा हूं । कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें । कृपया आप उन्हें अच्छा व्यवहार करने के लिए कहें ।

सभापति महोदय : आपको मैंने अनुमति प्रदान कर दी है । कृपया आप बोलिए ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं उठता । मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं । वे इस विषय पर क्रोधित न हों । मुझे बोलने का अवसर दें ।···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

कांग्रेस पार्टी के आफिस में क्या हुआ, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । आप पहले मेरी बात सुनिए । मैं वहां के एड्मिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित मामला यहां उठा रहा हूं—एड्मिनिस्ट्रेशन एण्ड हैडक्वाटर एक ही बात है ।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

जैसा कि मैंने पहले कहा है यह अत्यन्त राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है । कल उड़ीसा सचिवालय में क्या हुआ, राज्य प्रशासन के मुख्यालय में उत्पात मचाया गया ।

सभापति महोदय : आपने 'उड़ीसा सचिवालय कर्मचारियों की हड़ताल' विषय पर सूचना दी है । आपने इस विषय पर भी सूचना दी है ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस ऑवर में क्या एक माननीय सदस्य को दो अलग-अलग विषयों पर सवाल उठाने की इजाजत है, क्या ऐसा नियम है ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बैठिए । आप बोलिए, क्या कह रहे थे ।

(**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह : क्या एक मैम्बर एक से ज्यादा सब्जैक्ट उठा सकता है ।

[**अनुवाद**]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर हैं । उन्हें पिछले कुछ वर्षों से प्राप्त कुछ सुविधाएं, जैसे एल०टी०सी० इत्यादि, छुट्टी प्रतिपूर्वक सुविधा इत्यादि बन्द कर दिए गए हैं । वे बहुत क्रोधित हैं । यह बताया गया है कि उन्होंने शोर-शराबा मचाया है । (**व्यवधान**)

कृपया मुझे अवसर दें । यह कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है । वहां हिंसा हुई है । मैं हिंसा की निन्दा करता हूं । लोकतन्त्र में हिंसा गलत चीज है । सभी व्यक्तियों को हिंसा की निन्दा करनी चाहिए । परंतु इसके साथ ही, अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संयमित व्यवहार करना चाहिए । उन्हें स्वयं पर संयम रखना चाहिए** ।···उड़ीसा में अभूतपूर्व स्थिति है । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

सभापति महोदय : स्टेट गवर्नमैंट एम्पलाईज की स्ट्राईक के संबंध में यहां पर चर्चा हो सकती है क्या ? आपको इसकी इजाजत नहीं है ।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

सभापति महोदय : वहीं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्पलाईज की स्ट्राइक पर क्या यहां बात की जा सकती है ? चीफ मिनिस्टर ने किसी को मारा, उस बात को यहां कहने की जगह नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा में कर्मचारियों को एक तारीख को वेतन नहीं मिलता है । उन्हें 10 तारीख को वेतन मिलता है । प्रधान मंत्री राहत कोष से उड़ीसा को राहत कार्यों के लिए जो लगभग 70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं वे भारतीय रिजर्व बैंक में जमा थे और वेतन के भुगतान के लिए इस धनराशि में से खर्च किया जा रहा है । ऐसी स्थिति चल रही है । उड़ीसा में कोई संवैधानिक तन्त्र नहीं है । कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है । वहां अत्यधिक वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं । कर्मचारियों को अगले माह की एक तारीख को वेतन नहीं मिलता । विद्यार्थी उत्तेजित हैं कर्मचारी उत्तेजित हैं । मैं एक बार फिर कहता हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए । इसके साथ ही स्थिति जो उत्पन्न हो गई है सामान्य होनी चाहिए । अब संविधान के अन्तर्गत, ऐसा प्रशासन नहीं चल सकता है । इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार वहां कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करे और तत्काल कदम उठाए । **(व्यवधान)** सरकार को ऐसी स्थिति में उड़ीसा में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राम सागर बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है ।

सभापति महोदय : यह सही नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त : हर बार ऐसा ही होता है और अब आप इसे बदल रहे हैं । **(व्यवधान)** हर बार, एक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है । यदि उस विषय पर मैंने सूचना नहीं दी होती तो आप मुझे नहीं बुलाते । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए । आपको भी बोलने का समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम सागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री हैं, उनकी 4 मई को सायंकाल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई जनसभा जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष और नौजवान जमा थे, उस सभा में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रास्ते में भी उनके ऊपर हमला करने का षड़यंत्र किया गया । मान्यवर, मैं आपसे

निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। ये लोग देश में अशांति पैदा कर प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं ने इस प्रकार की जानकारी वहां के पुलिस कप्तान और डी०एम० को पहले ही दे दी थी कि मुलायम सिंह जी की जनसभा में कुछ लोग गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद वहां के डी०एम० और पुलिस कप्तान ने कुछ नहीं किया और कोई भी जिम्मेदार आदमी या अधिकारी सभा में मौजूद नहीं था। (**व्यवधान**)

मान्यवर, एस०पी० और डी०एम० को समाजवादी कार्यकताओं ने यह कहा था, अगर इसके बावजूद वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। वहां पर भयंकर विस्फोट किया गया और लाइन काटी गई और रास्ते में षड्यंत्र किया गया। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सरकार से और माननीय गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि इस घटना की सी०बी०आई० से जांच करवाई जाए और जिन लोगों का इस घटना में हाथ है उनको सजा देने का काम करें।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी पर बार-बार हमले की घटनाएं हो रही हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए और मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस घटना के बारे में एक वक्तव्य इस सभा में आना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। यहां पर गृहमंत्री तो नहीं बैठे हैं, लेकिन राजेश पायलट जी बैठे हैं जो सरकार के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें उनकी जानकारी में दे रहा हूं, इसलिए इनको कुछ इसके ऊपर अभी कहना चाहिए और सी०बी०आई० की जांच की घोषणा उन्हें तत्काल करनी चाहिए।

श्री मनोरजंन भक्त : सभापति महोदय, आज के समाचार पत्रों में यह बात छपी है कि उड़ीसा प्रदेश में जो राज्य सरकार का प्रशासनिक हैडक्वार्टर है, भुवनेश्वर, उसके अंदर मुख्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों की वहां के कर्मचारियों द्वारा पिटाई की गई है। मैं यहां राज्य सरकारों के विषय के ऊपर तो कोई बात नहीं करना चाहता हूं। राज्य सरकार सही है या गलत है, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीजू पटनायक जैसे वरिष्ठ नेता और उनके अन्य साथियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, सदन के सभी वर्गों द्वारा उसकी निन्दा होनी चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे वाली बात है। इस प्रकार की वायलैंस नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि राज्य के मुख्य मंत्री तथा दूसरे मंत्री प्रशासनिक हैडक्वार्टर में जाकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेंगे तो प्रशासन का क्या होगा। प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, यह बात सोचनी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि रिलीफ का कार्य किस प्रकार करना आवश्यक है। जो घटना घटी है, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए और जो भी सही कार्यवाही है, वह होनी चाहिए।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, निश्चय ही अत्यन्त खेद और वेदना के साथ हमें शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि श्री बीजू पटनायक और अन्य अधिकारी,

जिन्हें कर्मचारियों द्वारा पीटा गया था, को समाचार पत्रों और बी०बी०सी० लन्दन द्वारा दिखाया गया है। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है कि श्री बीजू पटनायक के साथ कर्मचारियों द्वारा हाथापाई की गई जब वह कर्मचारियों को शान्त करने नीचे जा रहे थे। चप्पलें और टूटे हुए फूलदान उन पर फेंके गए थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए मौका दिया है तो आप अखबार से पढ़ रहे हैं। जो श्री पाणिग्रही और श्री भक्त ने कहा है, उसके अलावा यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, मैं एक नई बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय : अन्यथा, मैं श्री श्रीकान्त जैना को बुलाऊंगा।

डा० कृपासिन्धु भोई : सभा में हम संघीय ढांचे की बात करते हैं। यह राज्य सूची का विषय है और हमें इन बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु यहां, मुख्य मंत्री और सम्पूर्ण प्रशासन को पीटा गया।*

सभापति महोदय : यह सही नहीं है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : इस संकटकालीन स्थिति में, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र उड़ीसा सरकार के बचाव के लिए कदम उठाए और बीजू पटनायक और उनके कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर राज्य में शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलवनी) : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : इस पर क्या रैगुलर डिबेट होगी। दूसरे सदस्य कोई और विषय पर बोलना चाहते हैं तो उनको कैसे मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : सभापति महोदय, उड़ीसा राज्य की राजधानी में क्या हुआ, कुल··· (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप क्या कह रहे हैं।··· (**व्यवधान**) आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यह क्या है ? कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैंने श्री श्रीकान्त जैना को बुलाया है।

श्री मृत्युन्जय नायक : मैं भी सदस्य हूं।

सभापति महोदय : जी हां, आप सदस्य हैं और वह भी सदस्य हैं। यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति सदस्य है आप दूसरे सदस्यों को बोलने में विघ्न क्यों डाल रहे हैं ?

श्री मृत्युन्जय नायक : मेरा प्रश्न दूसरा है।

सभापति महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

श्री श्रीकान्त जैना : सभापति महोदय, उड़ीसा में जो कल हुआ है वह वास्तव में अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति उसकी निन्दा करता है।

माननीय सदस्य श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही और श्री मनोरंजन भक्त ने यह मामला उठाया है और उन्होंने यहां तक कहा है कि केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्य मंत्री यह नहीं चाहते। वह मित्तव्ययता के उपायों के शिकार हुए जो श्री मनमोहन सिंह और श्री नरसिंह राव का नारा था। राष्ट्रीय विकास परिषद के मित्तव्ययता उपायों संबंधी उप-समिति के चेयरमैन हैं। वे कर्मचारियों से सहमत नहीं थे उन्हें कुछ लाभ प्राप्त नहीं दे रहे थे जो उन्हें प्राप्त थे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है और राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और वे वह लाभ देने की स्थिति में नहीं हैं जो उन्हें प्राप्त हो रहे थे। यही कारण है कि कर्मचारी उत्तेजित हुए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

जिस तरह कांग्रेस दल उड़ीसा में व्यवहार कर रहा है और सारी स्थिति को जिस प्रकार उभार रहा है वह अत्यधिक दुर्भाग्यशील है··· (**व्यवधान**)···जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने इस मामले पर प्रदर्शन किया, कांग्रेस दल कार्यालय में हिंसा ने इस मामले को इस स्थिति पर ला दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर कर्मचारियों के कुछ वर्गों को भड़काया जिन्होंने यह स्थिति पैदा की यद्यपि पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को देखते हुए गोली चलाने को कहा था लेकिन मुख्य मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से गोली न चलाने को कहा लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा कि वे जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें करने दो। पुलिस कर्मियों को गोली चलाने की अनुमति न दें। स्थिति यह थी।

वह स्थिति के शिकार हैं क्योंकि राज्य सरकार वास्तव में वित्तीय संकट में चल रही है। इस स्थिति के कारण मैं समझता हूं कि यदि श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही वास्तव में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस दल से अपील करूंगा कि वे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री से तत्काल स्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ धनराशि देने का अनुरोध करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वे धोखे से राशि तो ले लेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऐसे कैसे चलेगा । यह उड़ीसा पर डिबेट नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने श्री मृत्युन्जय नायक का नाम बुलाया है ।

(व्यवधान)*

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : उड़ीसा में स्थिति काफी गम्भीर है । वहां महंगाई भत्ते और और अन्य स्थानीय प्रोत्साहनों, जो वहां दिए जाते थे, में कटौती को देखते हुए कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है । यह एक पिछड़ा हुआ राज्य है और यहां पिछड़े जिले भी हैं । यह एक प्रोत्साहन है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से उपलब्ध कराया गया है । इसलिए वहां असंतोष है ।

सभापति महोदय : आप कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं । श्री नायक आपने कोई सूचना नहीं दी है । आपने अपना हाथ खड़ा किया और मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी । उड़ीसा के बहुत से सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें । श्री भगवान शंकर रावत ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज (प्रारम्भिक) परीक्षा 1993 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 22 फरवरी 1993 तक आवेदन स्वयं आकर या पंजीकृत डाक से भेजने थे । देश भर के अभ्यार्थियों ने डाक से आवेदन भेजे मगर आर०एम०एस० कार्यालय में ओवर टाइम भत्ते की मांग के संदर्भ में कर्मचारियों ने धीमे काम करने आन्दोलन के अन्तर्गत आवेदकों को पंजीकृत डाक को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में नहीं भेजा । डाक आर०एम०एस० के सॉर्टिंग विभाग में ही पड़ी रही । इसके कारण निर्धारित तिथि के अन्तर्गत वह डाक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा नहीं हो सकी । लम्बित डाक दिनांक 23 व 24 फरवरी को लगभग 18000 आवेदकों की पंजीकृत डाक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भेजी गई जबकि वह अनेक दिनों से आर०एम०एस० ऑफिस में पड़ी रही थी । संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसे आवेदक अभ्यार्थियों को विलम्ब आवेदन प्राप्त होने के आधार पर उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया है । परीक्षा 13-6-93 को होनी है अभ्यार्थियों को बिना किसी गलती के कारण दण्डित किया जा रहा है तथा परीक्षा में बैठने से वंचित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है अतः मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे अभ्यार्थियों को जिनके प्रार्थना पत्र आर०एम०एस० में 22 फरवरी से पूर्व बंटने के लिए लम्बित पड़े थे, उन सभी को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्रारम्भिक परीक्षा 1993 में बैठने की अनुमति प्रदान करें ।

1.00 म० प०

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : पूरे एक घण्टे से मैं खड़ा हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए । **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : आपकी टर्न आयेगी, तभी मौका मिल सकता है ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : सब की टर्न है क्या ? आप ऐसा नहीं करें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री यादव, आपकी क्रम सं० 34 है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : 35 लोगों ने नोटिस दिए हैं ।···(व्यवधान)··· ऐसा कोई आरोप नहीं लग सकता सीधे सीरियल फॉलो हुआ है । आप बैठ जाइये । सारे लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है । 35 लोगों ने नोटिस दिया है···

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : मैंने भी नोटिस दिया है ।

सभापति महोदय : आपने भी दिया होगा । रवि राय जी, कोई बहुत जरूरी हो तो आप लीजिए, नहीं तो इसको दूसरे दिन रेज करेंगे । इस सवाल को उठाने में आप बहुत कन्सर्न हैं ?

(व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर आपका ध्यान और हाऊस का ध्यान खींचना चाहता हूं । आपको पता है कि पांच तारीख को चालीसवें नेशनल फिल्म एवार्ड फंक्शन के बारे में सारे देश में, सारे अखबारों में···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपका नोटिस समय पर नहीं आया है । चेयर के साथ आर्ग्यू मत करिए । आपका कोई नोटिस 10 बजे के पहले प्राप्त नहीं हुआ । सैक्रेटेरिएट की लिस्ट में आपका नाम नहीं है । आप बैठ जाइये, आर्ग्यू मत करिये ।

श्री रवि राय : सभापति जी, मैं बहुत ही शर्मनाक इन्सीडेंट के सिलसिले में आपका ध्यान और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं । पांच तारीख को चालीसवें नेशनल फिल्म एवार्ड फंक्शन हुआ था···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कटियार, यहां उन सदस्यों की सूची है जिनकी प्रश्नकाल के बाद अविलम्बीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए सूचनाएं प्रातः 10 बजे से पहले प्राप्त हो चुकी थीं । आपका नाम उस सदस्यों की सूची में है जिन्होंने अपनी सूचनाएं प्रातः 10 बजे के बाद दी हैं । लेकिन आप बार-बार हाथ उठा रहे हैं और मुझसे तर्क कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० कृपासिन्धु भोई : सभापति महोदय, इसमें मेरा भी नाम है ।

सभापति महोदय : अभी आपको मौका मिला है, फिर आप रेज कर रहे हैं । वह अलग है

क्या ? यह कोई तरीका है क्या ?···(व्यवधान)···सबमिशन बाद की बात है। अभी सबमिशन हो रहा है क्या ?

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं है श्री वासनिक, कृपया अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रखें ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : सभापति जी, मैं बता रहा था कि चालीसवें नेशनल फिल्म एवार्ड फंक्शन में पांच तारीख को जो हुआ, उसके बारे में सारे सदन को पता है । मैंने सोचा था कि सरकार इस सिलसिले में सो मोटो एक बयान देगी । राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी चालीसवें नेशनल फिल्म एवार्ड फंकशन में वहां एवार्ड देने के सिलसिले में गये थे । वहां जो हुआ, वह बहुत ही शर्मनाक चीज है । जो हुआ, उसके लिए सरकार को राष्ट्रपति जी के पास जाकर क्षमा-याचना करनी चाहिए थी । इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हुआ, उसमें देश के एक बड़े ही नामी अखबार ने जो टिप्पणी आज के अखबारों में की है, उसको मैं पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं । यह फंक्शन भारत सरकार के इन्फोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की ओर से हुआ था, और राष्ट्रपति जी को वहां जाकर भाषण देने के बारे में जो सारा इन्तजाम हुआ था, वह इन्तजाम फेल हो गया और जो हुआ, उसके बारे में सारे कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त डिप्लोरेबल लैप्स है । अखबारों में जो टिप्पणी आई है, उससे पता चलता है कि किस तरीके से लोग इसके बारे में सोचते हैं । उस अखबार की सम्पादकीय टिप्पणी यह है···

सभापति महोदय : आप सम्पादकीय टिप्पणी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिये ।

श्री रवि राय : एक वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

यह घटना असाध्य विश्वसनीय मानी जाएगी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और उसके अन्तर्गत संगठन किसी शो की सफलता के लिए सामान्यतः व्यवसायिक रूप से तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों के होने की परवाह नहीं करते ।

मेरा इतना ही कहना था कि इस सिलसिले में सरकार को खुद ही बयान देना चाहिए था और मेरी यह शंका है कि इसके बारे में कोई सबोटाज हुआ है । सरकार ने सिर्फ एक इन्क्वायरी कमेटी बिठा दी लेकिन इस सबोटाज के बारे में भी सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए कि कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति एक अपमान हुआ और एक एम्बेसमेंण्ट हुआ ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार आज इस बारे में सदन को विश्वास में ले और बयान दे ।

इतना ही मेरा इसके बारे में कहना है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1.05 म० प०

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (जून, 90) आदि के सामान्य सम्मेलन के 77वें सत्र द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन 170 और सिफारिश सं० 177 पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :

[अनुवाद]

महोदय, मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (जून, 1990) के सामान्य सम्मेलन के 77वें सत्र के द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन संख्या 170 और सिफारिश संख्या 177 पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4009/93]

(2) अन्तर्राष्ट्री श्रम सम्मेलन (जून, 1990) के 77वें सत्र के द्वारा स्वीकृत कन्वेंशन संख्या 171, सिफारिश संख्या 178 और 1990 के नयाचार पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4010/93]

उत्तर प्रदेश, मोटर-गाड़ी (यात्री-कार) (नौवां संशोधन) नियमावली 1992 और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 6 दिसम्बर, 1992 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्री-कार) (नौवां संशोधन) नियमावली, 1992, जो 2 सितम्बर, 1992 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1339-टी/XXX-4-2(1)-पी-88 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4011/93]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (कर्मीदल आवास) संशोधन नियम, 1993, जो 29 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 339(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4012/93]

(4) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 (2ख) के अन्तर्गगत अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (उतराई स्थानों, घाटों, जहाजी घाटों, भाण्डागार शैडों तथा अन्य प्रकीर्ण सेवाओं के उपयोग के लिए दरों का निर्धारण) नियम, 1991, जो 21 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 428(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 4013/93]

(5) राजस्थान राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 15 दिसम्बर, 1992 को जारी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4014/93]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर के वर्ष 1991-92 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4015/93]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य-मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयात (नियंत्रण)

(संशोधन) आदेश, 1993, जो 26 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 206 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4016/93]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

(एक) सा०का०नि० 293(अ) जो 22 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बर्मा में और निर्मित तथा उत्पादित या निर्मित लकड़ी को छोड़कर खुरदरी लकड़ी तथा खुरदरी चोकोर तथा आधी चोकोर लकड़ी पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की सीमा-शुल्क की रियायती दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०का०नि० 344(अ) जो 30 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा-शुल्क से उस दशा में छूट देने के बारे में है जब उसका आयात भारत में किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 353(अ) जो 31 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नेपाल में निर्मित ऐसे माल को जिसमें नेपाल के श्रमिकों का योगदान हो, नेपाल की सामग्री लगी हो तथा भारतीय सामग्री लगी हो तथा मूल्य की दृष्टि से जिसका कुल मूल्य नेपाल से भारत में आयात किये गए माल के कारखाने के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम न हो, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) का०आ० 211(अ) जो 29 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण तथा स्टैम्प ड्यूटी के परिकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) का०आ० 212(अ) जो 29 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के निर्धारण तथा स्टैम्प ड्यूटी के परिकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(छह) का०आ० 273(अ) जो 27 अप्रैल, 1993 की भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के निर्धारण तथा स्टैम्प ड्यूटी के परिकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का०आ० 274(अ) जो 27 अप्रैल, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण तथा स्टैम्प ड्यूटी के परिकलन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4017/93]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 345(अ) जो 30 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०का०नि० 351(अ) जो 31 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं ताकि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु क्षेत्र उद्योग विकास निगम के ब्रैंड नामों का उपयोग करने वाली इकाइयों द्वारा अनुमति दिये गए माल को भी छूट की सुविधा प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०का०नि० 363(अ) जो 2 अप्रैल, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 दिसम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 258/67-के०उ०शु० को विखण्डित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा०का०नि० 352(अ) जो 31 मार्च,1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 13/92-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4018/93]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1993 का संख्या 2), (वैज्ञानिक विभाग)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4019/93]

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1993 की संख्या 6), (सिविल)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4020/93]

(तीन) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1993 का संख्या 14) (सिविल)—वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में सरकारी शेयरधारण का अपनियोजन।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4021/93]

(चार) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1993 का संख्या 8), (सेना और आयुध निर्माणी)—रक्षा सेवाएं।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4022/93]

(पांच) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1993 का संख्या 10), (रेल)।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4023/93]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1993, जो 4 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4024/93]

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार कर्मचारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1993, जो 4 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4025/93]

मध्य-प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1993
(1993 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री रंगराजन कुमारमंगलम की ओर से मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9), जो 3 अप्रैल, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4026/93]

1.06 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौदहवीं से इक्कीसवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की हुई चौदहवीं से इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

10.07 म० प०

सभा के कार्य

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 10 मई, 1993 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

[अनुवाद]

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—
   (क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1993

(ख) हाथ से झाड़ू-बुहारी कर्मकार नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिबन्ध) विधेयक, 1993

(ग) राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1990

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में केन्द्रीय विधि (अरुणाचल प्रदेश पर विस्तारण) विधेयक, 1992

(ङ) राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1992

(च) राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में तेजपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 1992

(छ) शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद विधेयक, 1993

3. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने से संबंधित संकल्पों पर चर्चा ।

4. वर्मा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. राजस्थान की हृदय-स्थली अजमेर से निकलने वाले दैनिक समाचार-पत्रों के लाभार्थ पत्र सूचना कार्यालय (प्रैस इन्फार्मेशन ब्यूरो) कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।

2. करोड़ों व्यक्तियों के श्रद्धाकेन्द्र तीर्थराज पुष्कर में जमा मिट्टी हटाकर तथा पहाड़ों से बह कर आने वाली रेत को रोकने एवं तीर्थ यात्रियों के स्नानार्थ पुष्कर सरोवर में समुचित जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :

1. भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की घोषणा इसी सत्र में की जाए ।

2. पिछड़ी जातियों के आरक्षण इसी वित्तीय वर्ष से किए जाने की घोषणा सरकार द्वारा की जाए ।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

1. दूरभाष उपभोक्ताओं तथा दूरभाष बूथ परिचालकों, जिनमें ज्यादातर गरीब तथा विकलांग हैं, द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में ।

2. 10,000 रुपये के प्राकृतिक रबड़ का आयात करने तथा आयात शुल्क को घटाकर

70 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने के निर्णय से गंभीर समस्याओं का सामना करने वाले किसानों के बारे में ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए :

पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर देवरिया जिले में लगने वाले भीषण अग्नि कांड से हुई व्यापक क्षति और ग्रामीण जनों को राहत सामग्री आबंटित करने के संबंध में ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :

1. राजस्थान की कई नई बड़ी सिंचाई योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं ।

2. कोटा में टेलीफोन एक्सचेंज के कार्य में विलम्ब के बाबत ।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करें :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देव-नागरी है । इसलिए राजभाषा हिन्दी के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षायें संचालित की जाएं ।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करें :

1. मध्य प्रदेश में व्याप्त भीषण पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रबन्ध किये जाएं ।

2. सामान्य जनता एवं रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए रेलों में अतिरिक्त कोचेस बिना अतिरिक्त अधिभार के की जाए ।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

(1) उड़ीसा के संबलपुर जिले में दूर-संसार परियोजना निदेशालय द्वारा 20 करोड़ रुपये में ठेका कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच करने की आवश्यकता के संबंध में ।

(2) उड़ीसा के संबलपुर और बारगढ़ जिलों में भयंकर सूखे की स्थितियां पेय जल समस्या से निबटने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में ।

1.11 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 5 मई, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 5 मई, 1993 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.12 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.26 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए।)

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

संपूर्ण विश्व में यह महसूस किया जा रहा है कि अपराध तथा आतंकवाद तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय रूप ले रहा है। हाल में परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में हुई प्रगति से इस प्रवृति में काफी वृद्धि हुई है। देश के, बाहर से अपराध तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और उसके समर्थकों के बीच सांठ-गांठ को खत्म किया जा सकता है तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तभी कार्यवाही की जा सकती है जब विभिन्न देशों की कानून लागू करने वाले अभिकरणों के बीच काफी व्यापक सहयोग स्थापित किया जाए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में अपराध करने की जांच करने तथा कार्यवाही करने और

अपराधियों के ढूंढ़ने, प्रतिबन्धित करने और अपराध के साधनों व लूट को तथा आतंकवादियों की धनराशि को जब्त करने में परस्पर सहयोग के लिए 22 सितम्बर, 1992 को लंदन में भारत सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन की सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते वाले देशों में अन्य बातों के साथ-साथ तलाशी, कुर्की तथा अपराध से बनाई सम्पत्ति को जब्त करने अपराधिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों की खोज करने और उन्हें स्थानान्तरित करने में सहायता, जांच में सहायता करने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायता आदि का प्रावधान है। इस समझौते को लागू करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह प्रावधान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना है। मैं इस सभा से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

श्री रामेश्वर पाटीदार

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : (खारगोन) : सभापति महोदय, अभी आदरणीय गृह मंत्री ने कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट में संशोधन के लिए बिल पेश किया है। जैसा गृह मंत्री महोदय बता रहे थे दुनिया बहुत नजदीक आ गई है, अच्छे कामों के लिए नजदीक आ गई है तो बुरे कामों के लिए भी नजदीक आ गई है। एक देश में लोग अपराध करके दूसरे देश में जाकर आश्रय ले लेते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए भारत सरकार ने यह बिल पेश किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह इतनी देर से क्यों आया। बरसों से कम से कम 1980 से भारत में आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हैं और आतंकवादी दूसरे देशों में जाकर छुप जाते हैं और वहां आश्रय लेकर वहां से अपने एजेंटों के माध्यम से यहां अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। भारत सरकार ने 1992 के अंत में ब्रिटेन से समझौता किया, यह देर क्यों हुई यह तो गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, इस तरह के अपराधों में अपराधी बहुत आसानी से दूसरे देशों में छुप जाते हैं इसलिए वे पकड़ में नहीं आते और भारत सरकार ने इसीलिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया, यह एक मायने में स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है कि इस तरह का प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

जैसा अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि अपराधियों को सजा देने के मामले में बहुत तेजी से निपटेंगे। और अपराधी अब राजनीति का स्वरूप बताकर अपना बचाव नहीं कर सकता है। विमान अपहरण, व्यक्ति अपहरण, किसी को बंधक बनाना, किसी की हत्या सम्पत्ति संबंधी हानि पहुंचाना, विस्फोटक रखना या हथियार रखना—जैसे मामले इस संधि के अन्तर्गत दिये गए हैं। इसलिए ब्रिटेन के साथ यह संधि हुई है। क्या केवल ब्रिटेन के साथ यह संधि कर लेने से—हम संसार में दूसरे देशों में जहां अपराधी या आतंकवादी छिपे हुए हैं—उनसे निपट सकते हैं? इसलिए दूसरे देशों के साथ—अमेरिका, कनाडा, या खाड़ी के देश और सार्क देश हैं—उनके साथ भी यह समझौता होता तो हम आतंकवादी गतिविधियों से आसानी से निपट सकते हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि सार्क देशों के सम्मेलन में वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री भाग लेते आ रहे हैं और इस ख्याल से सार्क देशों के साथ भी यह समझौता हो जाना चाहिए था? क्या सार्क देशों को इसी आधार पर नहीं लिया जायेगा कि यह जो संधि पेश की गयी है या जो बिल पेश किया गया है, इन प्राविजनों को मंजूरी नहीं देते हैं या

इस तरह का समझौता हमारे देश के साथ नहीं करते हैं, तब तक हम सार्क में भाग नहीं लेंगे ? क्या इन्हीं प्रावधानों के साथ हमें पाकिस्तान से नहीं निपटना चाहिए था ? आज सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुम्बई बम काण्ड के अपराधी दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंच गये हैं। मैं आज गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमने अभी तक पाकिस्तान के साथ इस दिशा में क्या कार्रवाई की है ? हम कहां तक आगे बढ़े हैं ? इसलिए यदि सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ इस तरह की संधि हुई होती तो बम काण्ड के अपराधियों को खोजने में जो अपमान महसूस करना पड़ रहा है, संसार में भारत की दुर्गति हो रही है, वह आज नहीं हो पाती।

सभापति महोदय, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है और केवल आतंकवादी गतिविधियों से ही सारे अपराधों का संबंध होता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज के विश्व में एक देश से दूसरे देश के लोगों के बीच में व्यापारिक हित बढ़ गये हैं। उनकी सांस्कृतिक रुचियां हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुबई का एक नामी उद्योगपति, एक नामी आदमी या दुर्नामी आदमी किस तरह से भारत की फिल्मों में रुपया लगाता है और जिस तरह से इस देश में घुसपैठ हुई, उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है या अपराध मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया है या नशीली दवाओं की तस्करी में उन्होंने भाग लिया है, क्या इस बात की ओर भारत सरकार का ध्यान पहले नहीं गया था ? जब भारत में फिल्मों में रुपया लगा रहे थे, तब भी हमारी नजर उस पर नहीं गयी ? इस काम में वह बुरे आदमी को साथी बनाता चला जा रहा रहा है, तब भारत सरकार की नजर इस बात पर क्यों नहीं गयी ? यदि नजर नहीं गयी तो इसके लिए अपराधी कौन है ? आश्चर्य इस बात का होता है कि मुम्बई बम काण्ड के संबंध में 7 या 9 बड़े-बड़े अधिकारियों को पकड़ा गया है। क्या भारत सरकार उन अधिकारियों को बनाकर या बैठाकर या पदस्थ करने का काम करती है, उनकी तरफ पूरी तरह से देखना ही बंद कर देती है। यदि वह छोटे अपराधियों के साथ या बुरे लोगों के साथ संबंध बनाये रखे तो भी भारत सरकार की नजर उन पर नहीं जाती ? सी० बी० आई० या दूसरी संस्थाओं की नजर उन पर जानी चाहिए थी, वह क्यों नहीं गयी ? यही कारण है कि भारत सरकार को बड़े बुरे दिन देखने पड़े। मुम्बई बम काण्ड में अपार क्षति हुई, निरोह लोगों की हत्यायें हुईं, कई मारे गए, उसके लिए आज सारे देश को शर्म महसूस हो रही है। केवल आज ही यह बिल पास कर लेंगे तो क्या हम सारी आतंकवादी गतिविधियों से निपट लेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए भारत सरकार और दूसरे देशों में भी जैसा मैंने कहा—सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दे जुड़े हुए हैं—और अन्त में अपराधिक मनोवृत्ति में परिवर्तित होते हैं, उन पर नजर नहीं जायेगी, जब तक उनसे नहीं निपटेंगे, तब तक पूरी तरह से हम सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए किसी तरह से यह प्रावधान जोड़कर या दूसरा कानून बनाकर जब तक हम उनको नहीं लपेटेंगे, पूरी तरह से दृष्टि रखकर उनको नहीं पकड़ पायेंगे या उनको सजा दिलवाने के लिए पूरे प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इसमें सफल नहीं हो सकेंगे। आज ऐसे लोगों से भारत के लोगों के साथ संबंध हो गये हैं, उनको रोकने के लिए या उन संबंधों को तोड़ने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, यह गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। देश में नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके, इसलिए इस कानून को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और दूसरे देशों के साथ जिनसे अभी तक इस तरह के समझौते नहीं हुए हैं, उनसे भी समझौते करने की गति में तीव्रता आनी चाहिए।

आज अंडर वर्ल्ड के अपराधियों के जो संबंध भारत के लोगों से हैं या भारत के नामी गिरामी

लोगों से भी हैं वह किसी से छिपे नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के संबंध राजनीतिज्ञों तक भी आ पहुंचे हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं रही है। इसके लिए हमें जिस सीमा तक जाना पड़े, भले ही वह कितना बड़ा राजनेता हो, कितने बड़े राजनीतिक से वह संबंध रखता हो, उन लोगों तक हाथ डालना चाहिए और उन लोगों को भी पकड़ सकें ऐसा प्रोविजन इसमें डालने की कोशिश करनी चाहिए।

अभी दुबई के एक नामी गिरामी आदमी का एक खास आदमी बम्बई बमकांड के बाद भारत में आया और भारत में आने के बाद दिल्ली और बम्बई में बड़े-बड़े अधिकारियों से या भूतपूर्व बड़े अधिकारियों से मिलकर चला गया और वापस दुबई पहुंच गया, यह कितने आश्चर्य की बात है! उनके आपसी संबंध जब तक तोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अभी पिछले दिनों दुबई में गुजराती व्यापारी के परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई और अपराधी भागकर भारत में आ गया। दुबई सरकार ने भारत सरकार से उस अपराधी को वापस मांगा और वह शख्स जो इन दिनों भारत में है 12 मार्च की घटना के बाद, उसके इतने संबंध थे कि उसने किस तरह से अधिकारियों के साथ या राजनेताओं के साथ सम्बन्ध करे कि भारत सरकार उस हत्यारे को वापस दुबई नहीं भेज पाई या भारत सरकार ने उसको दुबई भेजने से मना कर दिया। यह क्यों हुआ? यदि हम किसी से संबंध रखना चाहते हैं तो अगर एक हत्यारा दूसरे देश से आकर हमारे देश में छिप जाता है तो उसको वापस भेजने में हम इतनी देर क्यों करते हैं? दुबई में गुजराती परिवार के हत्यारे को भारत सरकार ने अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा? आज इसी लिए दुबई सरकार ने पिछले दिनों बमकांड के अपराधियों को भारत को वापस लौटाने से आनाकानी की और मना किया कि जब हमने हत्यारे को वापस मांगा था तो भारत ने सहायता नहीं की थी, आज हम भी सहायता करने में असमर्थ हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं। इन पर जब तक नीचे से ऊपर तक आप नजर नहीं रखेंगे, तब तक हम इन घटनाओं को रोक नहीं सकेंगे।

अभी पिछले दिनों केरल का एक नागरिक जो खाड़ी देश में नौकरी कर रहा था, वहां पर दो करोड़ की चोरी करके भारत में आ गया। वहां की सरकार ने उसको कुछ वर्षों की सजा दी और और 50 हजार रुपए जुर्माना कर दिया और उसके बाद वह केरल में रह रहा है और केरल के अखबार में उसके फोटो छपे और उसको वापस लौटाने की बात भी छपी मगर भारत सरकार उसको वापस नहीं भेज रही है। जब हम दूसरे देशों के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हम उनसे कैसे सहयोग की अपेक्षा कर पाएंगे? इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम सभी मुद्दों पर पूरी तरह से दूसरे देशों के साथ इस तरह का समझौता कर पाएं।

सभापति महोदय, मैं नहीं मानता कि आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन करने जा रहे हैं ये व्यापक नहीं हैं क्योंकि ये संशोधन आज भी अधूरे हैं। यह कंप्रिहेन्सिव बिल नहीं है। 1973 में जब हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किया तो 1898 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना था उसकी धारा 320 में कौन-कौन से केस कंपाउंडेबल होंगे और किन-किन केसेज में राजीनामा किया जा सकता है, उनकी लंबी सूची दी गई है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि आई० पी० सी० में धारा 379 जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कोर्ट में समझौता किया जा सकता है। वह 1898 में ढाई सौ रुपए तक की चोरी करे तो कोर्ट में उसका समझौता हो सकता है। 1973 में भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इतना बड़ा संशोधन हुआ और उसमें भी ढाई सौ रुपए शब्द ही लिखे

हुए हैं। इसका अगर पच्चीस गुना भी कर दिया जाए, तो 25 हजार रुपए कर दिया जाए तो क्या हर्ज है ?

इसलिये ऐसी छोटी बातें, जिनमें अब तक संशोधन हो जाना चाहिए था, वह काम आज तक नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल के साथ वे संशोधन भी क्यों नहीं किये जा सकते थे जबकि पूरी मशीनरी आपके यहां इस बारे में काम करती है। बड़े-बड़े अधिकारी इस बारे में बैठे हुए हैं जो रात-दिन देखते रहते हैं, क्या उनका इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे दूसरे अपराधों में भी, जिनमें हमारे देश के साथ या दूसरे देशों के साथ राष्ट्र-विरोधी अपराध हो या दूसरे ऐसे बड़े अपराध हों या हत्या के अपराधों को छोड़कर, दूसरे सभी मामलों में यदि पार्टियां आपस में राजीनामा करना चाहती हैं, तो वे क्यों राजीनामा नहीं पेश कर सकतीं ; इस तरह का संशोधन भी हमको पेश करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।

अभी मैं जानता हूं कि कई स्टेटस ने एन्टीसिपेटरी बेल के मामले में अपने यहां इस प्रावधान को सस्पेंड कर रखा है, जिसके कारण कई अच्छे लोग, कई बेगुनाह लोग, जिनको फंसा लिया जाता है, उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसको भी रेस्टोर करने के बारे में हमें इसमें संशोधन करना चाहिए, यह सुझाव मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को देना चाहूंगा।

अंत में, एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि पिछले दिनों जसवंत सिंह आयोग ने कई सिफारिशें की थीं। हम न्याय को अधिक से अधिक विस्तृत कर सकें, विकेन्द्रीकृत कर सकें, इस सम्बन्ध में जसवंत सिंह आयोग ने सुझाव दिया था कि हाई कोर्टस की बेंचेज जगह-जगह होनी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के रायपुर में हाई कोर्ट की बेंच बनाने का सुझाव दिया था। वैसे ही मदुरई में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आगरा में एक बेंच बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक भारत सरकार ने उस सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं चाहता हूं कि इसके साथ-साथ, ये सभी संशोधन भी इस बिल में जोड़ दिये गए होते तो उससे सभी को लाभ हो सकता था। इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने टाडा की अवधि बढ़ाने और उसी से सम्बन्धित जाब्ता फौजदारी के तहत ब्रिटेन से जो समझौते हुए हैं, उन समझौतों के अंतर्गत सम्पत्ति को जब्त कर लेने से संबंधित एक संशोधन विधेयक इस सदन के सामने विचारार्थ रखा है। मैं असफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के सिलसिले में न तो यह सरकार गर्म है और न यह सरकार नर्म है। कहीं-कहीं जब उनकी शक्ति मजबूत होती है तो पूरे का पूरा राज्य उनके सामने आत्म-समर्पण जैसा कर देता है।

आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, उनकी हिंसक कार्यवाहियों के कारण, तमाम ऐसे लोगों को, जो अपराधिक धाराओं के तहत आंध्र प्रदेश की जेलों में बंद थे, उसके बाद उन्होंने कुछ विशिष्ट लोगों का अपहरण किया, जिसके कारण वहां की सरकार को उनसे एक समझौता करना पड़ा और उनको जेलों से छोड़ने का काम किया गया। उसी तरह से आज जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, जब इस देश में 1985 में टाडा लगाया गया था तो यह कहा गया था कि केवल जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही इसे लाया गया है और दो साल के भीतर सरकार वहां इस तरह का वातावरण बनायेगी ताकि देश को इस तरह की गतिविधियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ज्यों-ज्यों ये दवा कर रहे हैं, मर्ज उतना ही बढ़ता चला जा

रहा है। कहीं भी देख लीजिये, देश के अन्दर इस तरह की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनको रोकने में यह सरकार अक्षम है।

पहले सार्क देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि सार्क देशों के भीतर जो भी आतंकवादी गतिविधियां होंगी, सभी सार्क देश आपस में मिल-जुलकर उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का काम करेंगे लेकिन बम्बई में जो बम विस्फोट की घटनायें हुईं, उसके अपराधी एक दूसरे देश में पहुंच गए और उनके बारे में विदेश मंत्री जी की भाषा कुछ और होती है, और गृह मंत्री जी की उस सिलसिले में दूसरी भाषा होती है।

अभी इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन करांची में हुआ था जिसमें 51-52 देशों के प्रतिनिधि वहां जमा हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर वहां एक प्रस्ताव पास किया कि यदि कश्मीर में दमन सम्बन्धी कार्यवाहियां भारत सरकार नहीं रोकती है तो भारत के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक सारे सम्बन्ध वे 51-52 इस्लामिक देश तोड़ लेंगे, खत्म कर देंगे। यह साफ-साफ प्रस्ताव उन देशों के सम्मेलन में बैठकर पास किया गया। उन्होंने इस बात की धमकी भी भारत को दी कि भारत के लाखों कमाने वाले लोग उन मुस्लिम देशों में रहते हैं और यदि कश्मीर के अन्दर दमनात्मक कार्यवाही भारत सरकार ने नहीं रोकी तो ऐसे सभी प्रवासी भारतियों को उन मुस्लिम देशों में काम करने से, वहां की सरकारें रोकेंगी। ऐसा प्रस्ताव उन इस्लामिक देशों की समिति में पास किया गया।

मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जिस तरह का कड़ा प्रस्ताव और विरोध करना चाहिए था, किसी भी मंच पर करने का काम नहीं किया। अभी अमरीका से खबरें आ रही हैं इस बात की कि पिछले दिनों अमरीकी नीति में परिवर्तन आया है और अब एकाएक कि आतंकवाद के विरुद्ध हो गए हैं। जिन देशों को उन्होंने आतंकवादी सूची में शामिल किया है, वहां के चार-पांच देशों को जिनमें क्यूबा, ईराक, ईरान और सीरिया आदि हैं, उनके नागरिकों की सम्पति को जब्त करने का काम अमरीकी सरकार ने अभी किया है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे देश नहीं हैं जिन में क्यूबा भी शामिल है वहां अमरीकी सरकार आतंकवादी गतिविधियों का सहारा न लेती हो। स्वयं क्यूबा के अंदरूनी मामलों में अमरीकी सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी हथकंडों का सहारा लिया है और आज समूचे विश्व में वातावरण बनाकर आतंकवाद विरोधी शक्तियों का चैम्पियन बनने के नाम पर देशों को आपस में लड़ाने की एक नयी रणनीति अमरीका की सरकार ने अपनाई है। भारत की सरकार को उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यहां सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि भारतसरकार इस बात में गंभीर है, तो इस बात के स्पष्ट उदाहरण इस देश के अंदर मौजूद हैं कि माफिया एक्टिविटीज के जरिये, तमाम लोगों ने सम्पत्ति का संग्रह कर रखा है। उनको इस देश में राजनीतिक संरक्षण, सरकारी पार्टी का प्राप्त होता है। इसी तरह इस देश में सरकार की ओर से अफीम की खेती करने का लाइसेंस दिया जाता है। उस अफीम की खेती में इस तरह के तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि सरकारी पार्टी से संबंधित लोग जितना लाइसेंस प्राप्त होता है, उससे अधिक उस अफीम की खेती को करने का काम करते हैं और वह एक बहुत बड़ा माध्यम इस देश के बाहर तस्करी करने का काम कर रहे हैं और उस पैसे से इस देश के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं भारत

सरकार से मांग करता हूं कि क्या भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अफीम की खेती को रोकने के लिए जो भारत में लाइसेंस दिया जाता है, इसमें पूरी तरह से कड़ाई करने और उस पर प्रतिबन्ध लगाने का काम भी सरकार करेगी ? यदि ऐसा नहीं करती है, तो यह जो सम्पत्ति जब्त करने का आपने समझौता ब्रिटेन के साथ किया है, इतने से ही विदेशी हस्तक्षेप इस देश में रुकेगा और आतंकवादी कार्रवाइयां बन्द हो जाएंगी, ऐसा सोच पाना मुश्किल होगा।

सभापति महोदय, अभी एक घटना असम के अंदर हुई, भारत सरकार ने समझौता किया बोड़ोवादी आंदोलनकारियों से और सरकार ने कहा कि बोड़ों का जो उग्रवादी आंदोलन है, वह हमने खत्म कर दिया। बहुत धूम-धाम के साथ आंतरिक सुरक्षा मंत्री की इस देश में तारीफ हुई कि उन्होंने जो पनप रहा उग्रवाद था, असम के अंदर, उसको समाप्त करने का काम किया, लेकिन उसके तत्काल बाद श्रीमन क्या हुआ, अपहरण कर लिया महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रथम मुख्य मंत्री श्री बारदोलाई के पुत्र का जो एक टी कम्पनी, जो निर्यातक कम्पनी है, उसके वरिष्ठ अधिकारी थे और आज उग्रवादी संगठन के लोग 10 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। अभी प्रातःकाल प्रश्न आया था कि जो चाय-बगान हैं, इनसे चाय और काफी के ऊपर आने वाले 5 वर्षों में जो निर्यात होगा, भारत सरकार को उससे साढ़े सात हजार करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन असम के अंदर चाय बागान में काम करने वाली जो कम्पनियां हैं, उन्होंने साफ तौर पर भारत सरकार को कह दिया है, आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे अधिकारियों का अपहरण हो रहा है और सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है और दस-दस करोड़ रुपये वे अगउग्रवादी ग्रुप उनसे मांगने का काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें अपने चाय बागान के काम को आसाम के अन्दर बन्द करने का काम करना पड़ेगा।

आप एक के बाद एक कानून बनाते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं, यह सदन इस बात का आपको अधिकार देता है कि इस समाज और इस देश में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का काम आप करेंगे, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं सभापति जी कि सारे अधिकारों से सज्जित होने के बावजूद हिन्दुस्तान की सरकार इन गतिविधियों को रोकने में विफल रही है और निरंतर हर जगह अधिकारी लोग इन कानूनों और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि जैसे टाडा के कानून के तहत, दूसरी धाराओं के तहत दुरुपयोग कर रहे हैं और अब जो प्रापर्टी को कान्फिस्केट करने का अधिकार आप लेना चाहते हैं, उसी शक्ल में, इसका भी दुरुपयोग नहीं होगा, यह आश्वासन आप इस सदन के सामने दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस वचन के साथ कि कितने भी अधिकार इनको दे दिए जाएं, आतंकवादी गतिविधियों को इस देश में रोकने में ये विफल रहे हैं और आगे भी विफल रहेंगे और इनमें आगे भी बढ़ोत्तरी होगी, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं खुशी के साथ इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं, एक अच्छा कानून है। यह विधेयक हमारे गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण और ब्रिटेन के गृह सचिव श्री केनेथ क्लार्क द्वारा सितम्बर में हस्ताक्षरित सन्धि के परिणामस्वरूप लाया गया है। विधेयक का उद्देश्य बता दिया

गया है और इसके प्रशंसनीय प्रयोजन के बारे में दो राय नहीं हो सकतीं। इसमें विरोध की गुंजाइश नहीं है और सभा के सभी वर्गों द्वारा इसका व्यापक समर्थन किया जा रहा है। यद्यपि प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद (स्व०) प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जब ब्रिटेन गये थे तब से इस बारे में एक शुरूआत की गई थी, परन्तु इस पर गम्भीरतापूर्वक आगे कार्यवाही नहीं की गई। फिर भी पिछले एक साल से भारत सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये हैं और इसके परिणाम-स्वरूप यह सन्धि हुई है जिसकी काफी जरूरत थी। यह सभी जानते हैं कि आतंकवादी भारत में जघन्य अपराध करके खुशी-खुशी विदेशों में भाग जाते हैं। ऐसा ही एक देश ब्रिटेन भी है वहां उनके लिये पनाह जैसा है वे भागकर अन्य देशों में भी चले जाते हैं। यह बात हमारे देश में सभी जानते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से बढ़ावा मिल रहा है। यह सफलता की एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे इस विषय में न्यूनतम कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद ब्रिटेन में पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत कर दी है। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक प्रत्यावर्तन सन्धि हुई और उग्रवादियों की सम्पत्ति जब्त करने का भी समझौता हुआ जिससे उग्रवाद और नशीली द्रवों के अनधिकृत व्यापार के विरुद्ध द्विपक्षीय सहयोग के लिये एक नये युग का सूत्रपात हुआ। परन्तु ये नये समझौते जो एक-दूसरे के पूरक है भारत के हितों को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन समझौतों को ठीक से लागू किया जाये।

जैसाकि हम जानते हैं कि उग्रवाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ रहा है। तथापि, हम अनन्य रूप से अकेले जो भी प्रयास करते हैं उससे इसे रोक नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जहां कहीं भी सम्भव हो अन्य देशों से; पड़ौसी देशों और अन्य देशों से भी; ऐसी ही सन्धि की जाये। अतः यह एक शुरूआत है। उग्रवाद के बारे में 'सार्क' देशों में कुछ बातचीत हुई है परन्तु प्रत्येक सार्क देश के बीच ऐसी सन्धि होना जरूरी है। जैसाकि हम जानते हैं कि उग्रवादी न केवल ब्रिटेन में पनाह ले रहे हैं, बल्कि लन्दन के कुछ गुरूद्वारे भी उग्रवादियों को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। ब्रिटेन के गुरूद्वारों से उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलने की बात काफी जानी पहचानी है। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटेन के 80 प्रतिशत गुरूद्वारे उग्रवादियों के ठिकाने हैं और सालाना लगभग 10 लाख पाउन्ड छिपे रूप में, अधिकांशतः पाकिस्तान के माध्यम से पंजाब में पहुंचाये जाते हैं। इस सन्धि और अन्य समझौतों के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्वतः ही संशोधन करने की आवश्यकता है। अतः अनेक पहलुओं से यह सन्धि महत्वपूर्ण है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा भ्रामक प्रचार का एक व्यवस्थित अभियान चलाया जा रहा है। हमें यह बात पता है और हम इस दिशा में आवश्यक उपचारी कदम उठा रहे हैं। हाल में करांची में मुस्लिम देशों के संगठन का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने कश्मीर के मसले पर भारत के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था। क्या यह हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान द्वारा अन्धाधुंध चलाये जा रहे हैं दुष्प्रचार अभियान का परिणाम नहीं है ?

श्रीलंका में श्री प्रेमदासा जोकि उग्रवाद के शिकार हो गये, की राजकीय सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि की गई। राजीव गांधी की हत्या के प्रमुख अभियुक्त प्रभाकरण ने भी श्रीलंका में ही शरण ली है। श्रीलंका को इस अभियुक्त के प्रत्यर्पण में, भारत से सहयोग करना चाहिये और भारत सरकार को जहां कहीं भी सम्भव हो, संयुक्त समरूप कार्यवाही के बारे में अन्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिये।

सबको पता है कि मुम्बई बम विस्फोट के दोषी मेमन बन्धु कहां छिपे हैं ? हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने उनको किस प्रकार की सहायता दी है। यह सन्धि जो श्री एस० बी० चव्हाण ने अपने ब्रिटेन के समकक्ष के साथ की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक शुरूआत

3.00 म० प० मात्र है परन्तु इसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को स्वत: ही मजबूत किया है। इसने एक नये अध्याय की शुरूआत की है जो अन्य देशों के बीच भी होनी चाहिये। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं गृह मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं जिन्होंने इस दिशा में पहल की। पहले यह एक शुरूआत थी और अब उन्होंने इसकी सार्थक इतिश्री कर दी है। मैं कामना करता हूं कि इस विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य भारत सरकार के गम्भीर और सही प्रयासों द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सहयोग से ही कुल मिलाकर प्राप्त होंगे।

श्री एन० रमन्ना राय (कासरगोड) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक की लम्बे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, विशेषकर हम यह महसूस करते थे कि हमारे देश के चारों ओर सब तरफ हमारे दुश्मन मौजूद हैं और वे हमारे हितों और हमारी सीमाओं पर हमला करने की ताक में है।

अब सरकार ने महसूस किया है कि यह विधेयक जरूरी है और इस विधेयक को दूसरी सभा में पुन:स्थापित किया गया था। इस पर वहां व्यापक चर्चा हुई और इसे वहां पारित कर दिया गया। जहां तक इस सभा का सवाल है इस पर हम चर्चा कर सकते हैं और जरूरी हो तो संशोधन आदि भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

3.02 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

महोदया, मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा। हमारे देश में भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है। ब्रिटिश समय में भी हमने इसे आजमाया है। वास्तव में जहां कहीं यह बेहद जरूरी नहीं था, वहां इसे लागू नहीं किया गया था। विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने देखा है कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ते समय शासक दल राजनीतिक चाल चलता है। भारत में किये गये अपराधों के दोषी व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन के लिये, इस विधेयक को पारित किया जाना जरूरी नहीं है। इस देश में कई कानून हैं। परन्तु इनको लागू करते समय राजनीतिक चालें चलीं जाती हैं।

महोदया, अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत में अपराध किये हैं, जैसे कि बोफोर्स मामले में। वे निर्बाध देश में आ रहे हैं और देश से जा रहे हैं। वे यहां अपने दोस्तों और सम्बन्धियों से मिलते हैं और अपने हितों को सुरक्षित कर रहे हैं। हमारे कानून में उनके देश में प्रवेश के समय ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिये पर्याप्त प्रावधान हैं और हम उन्हें जेल में भी डाल सकते हैं। हम इस स्थिति को केवल तभी समझ पाते हैं, जब वे देश में आते हैं और देश से चले जाते हैं। अत: मेरा कहना केवल इतना है कि यह संशोधन पर्याप्त नहीं होगा। सरकार में इसे लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, मुम्बई बम विस्फोट के मामले में हमने सुना है कि दुबई में रहने वाले कुछ भारतीय मूल के लोग इसके पीछे हैं और हम आगे यह भी सुनते हैं कि वह हर तीसरे या चौथे महीने यहां आता है और मुम्बई और बंगलौर जाता है और बंगलौर में उसकी पत्नी है। वह यहां बिना किसी कठिनाई

के आता रहता है। अब दुबई की सरकार उसका यहां प्रत्यावर्तन करने को तैयार नहीं है। वह यहां खुलेआम बिना किसी रुकावट के आता है और हम उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं। अतः मुझे आशंका है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी जब तक सरकार काफी दिलचस्पी नहीं लेगी और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये तत्पर नहीं होगी, इस विधेयक से भी कोई खास फायदा नहीं होगा।

विगत में हमने पाया कि कोई भी गम्भीर अपराध करने के बाद उसमें राजनीतिक ठूंस दी जाती है और फिर सब बेकार हो जाता है। उदाहरणार्थ, मुम्बई बम विस्फोट के मामले में देश के सभी राजनीतिक दल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरो से जांच करवाने के पक्ष में थे क्योंकि देश में सभी राजनीतिक दल अब यह महसूस करते हैं कि यदि यह काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यौरो को दिया जाता है, तो सभी आवश्यक लोगों से पूछताछ की जायेगी और सच्चाई का पता लगा लिया जायेगा। किन्तु यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय अन्वेषण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाना नहीं चाहती है और यह कह रही है कि महाराष्ट्र की पुलिस अपराधियों का ठीक-ठीक पता लगाने में सक्षम है परन्तु जब अपराधी ही दुबई में है तो किस प्रकार से उसका पता लगाया जा रहा है ? चूंकि दुबई में रहने वाले अपराधी के देश के सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध हैं। उस मामले में, यदि इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाता है, तो सत्य सामने आ जायेगा और कई राजनैतिक नेताओं को सत्य का सामना करना पड़ेगा। अतएव केवल इस विधेयक को पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को पूरी गम्भीरता और ईमानदारी से इसे लागू करने के लिये सभी आवश्यक कदम अवश्य उठाने चाहिए। केवल तभी हम जान सकेंगे कि इस देश में कौन हमारे मित्र हैं और कौन शत्रु।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ ही सरकार द्वारा लाये गए विधेयक का समर्थन करता हूं और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सभापति महोदया का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह दो देशों का मामला है, इसलिए इसका विरोध करना उचित नहीं है। सरकार ने एग्रीमैंट किया है और उस एग्रीमैंट के मुताबिक अमेरिका और इंगलैण्ड के लोगों ने भी आतंकवाद से लड़ने के लिए इसे स्वीकृति दी है इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की स्थिति देश में क्यों पैदा हुई। क्या कारण है कि आज आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें देश और विदेशों में हाथ पसारना पड़ता है। क्या हमारे देश के कानून को हमने लागू किया ? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश में जो वर्तमान कानून है, चाहे वह इण्डियन पेनल कोड हो, चाहे वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या भारतीय संविधान हो, अगर इन तीनों को ठीक से देश में लागू कर दिया जाय तो देश में किसी भी आतंकवाद से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। वह कानून सक्षम है, तमाम चीजों को रोकने के लिए लेकिन सरकार को न मालूम क्या दर्द हो जाता है, जब उसे लागू करना होता है और वह उसे लागू नहीं करती है। सी० पी० सी० के आर्डर 139(1) और (2) में किसी भी जमीन पर जाने के लिए, रोकने के लिए सिविल कोर्ट की इन्तनाई करनी पड़ती है और उस इन्तनाई के द्वारा किसी आदमी को उस जमीन पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जो कानून लागू होता है, उसे देश के सभी लोग मानने के लिए कटिबद्ध हैं। सरकार उसका खुद ही उल्लंघन करा देती

है। जिस समय छः दिसम्बर को अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त कानून की रखवाली करने के लिए सैशन जज बैठा था, तो सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर भारत सरकार ने कानून की रक्षा की होती आज वह बाबरी-मस्जिद ढहती नहीं। अगर बाबरी मस्जिद नहीं ढहती, तो देश में इस तरह के बमकांड का होना प्रारम्भ नहीं होता। इसका असर यह हुआ कि विदेश के लोग यह समझे कि भारत की सरकार देश में कानून को लागू नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं ससझता हूं कि इस तरह के कांड होना शुरू हो गये। मेरे जैसा आदमी यह समझता है कि अयोध्या के कांड के कारण ही बम्बई का कांड हुआ है। अगर अयोध्या में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ होता, तो पाकिस्तान के द्वारा बम्बई में इस तरह के कांड नहीं किए गए होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप देश को एक रखना चाहते हैं तो आपके पास जो सी० आर० पी० सी०, जो कान्स्टीचूशन आपके पास है, जो सिविल प्रोसीजर कोड आपके पास है, उसको अक्षरक्षः लागू करवा दीजिए। अगर लागू नहीं कराइएगा, तो कोई माई का लाल देश को नहीं रख सकता है। आपने यह भी देखा कि बंगलादेश के मुसलमान भाइयों ने मार्च किया था। किस लिए ? अपने धर्म की रक्षा के लिए। आपने यह भी देखा कि आपने किसी एक धर्म पर चोट की इस देश में, तो विदेशों में भी आपके धर्म पर चोट की गई। पाकिस्तान में हिन्दुओं के मन्दिर में, अमरीका और इंग्लैण्ड में हिन्दुओं के मन्दिर में चोट की गई तब, छः दिसम्बर को आपने मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले कानून को ठीक से लागू करा दीजिए और कानून की रक्षा ठीक से कराइएगा, तब देश में आतंकवाद नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं कराइएगा तो निश्चित रूप से आतंकवाद बढ़ेगा।

आपका सीलिंग एक्ट 1956 से लागू है। आज तक आपने जमीन का बंटवारा नहीं कराया है। राज्य सरकारों की जमीन गरीबों की जमीन है। लेकिन उस पर गांव का धनी आदमी कब्जा करके बैठा है। लेकिन अगर गरीब आदमी उसके खिलाफ जाता है, तो आप ही उस पर कानून लागू करवा देते हैं और कहते हैं कि यह उग्रवादी हो गया है और नक्सलवादी हो गया है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपका जो सीलिंग एक्ट है, चकबन्दी एक्ट है और जो दूसरे कानून हैं, उनको आप ठीक से लागू करवाइए।

यहां काश्मीर के बारे में बहुत जोर से कहा जाता है। हमारे बी०जे०पी० के भाई भी जोर से कहते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलमान भाई आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो परसेंट भी काश्मीर के लोग वहां सरकारी नौकरी में काम नहीं करते हैं। वहां 98 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो देश के दूसरे कोने से आए हैं। काश्मीर के लोग उसमें काम नहीं करते हैं। बिहार में अगर दिल्ली का आदमी काम करेगा, तो बिहार का आदमी चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जिस राज्य में जहां के लोगों का बाहुल्य हो, उनको नौकरी देने का काम कीजिए। अगर उनके साथ अत्याचार किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपके साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाएगा। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, चाहे कश्मीर हो या बम्बई हो या बिहार हो या पंजाब हो, अगर इन तमाम देश के राज्यों में आप स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं, तो जो कानून आपके पास हैं, उनको आप ठीक से लागू कीजिए। अगर एक आदमी को कानून को हाथ में रखने को कहिएगा तो दूसरा आदमी आज आजादी के बाद चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। इसलिए बिहार के बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं कि हो रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिहार में कुछ नहीं होता है। अगर आज वहां अत्याचार होता है तो बिहार के लोग उसका जवाब देते हैं, लेकिन कोई अत्याचार नहीं करते हैं। इसलिए आज बिहार बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं कि बिहार में घटनायें होती हैं, मैं कहता हूं कि

बिहार में घटनायें नहीं होती हैं। बिहार में केवल अत्याचार का मुकाबला करने के लिए घटनायें होती हैं। वहां के अत्याचार को बर्दास्त न करने के लिए घटनायें होती हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कानून आप ठीक से लागू करवा दीजिए, तो यह देश निश्चित रूप से एक रहेगा। अगर सी०आर०पी०सी० को आप रोज नया बनाते रहिएगा, तो देश एक रहने वाला नहीं है। संविधान में सबको धर्म मानने का अधिकार है। सबको अपना धर्म मानने की छूट है। अगर एक आदमी को कहिएगा कि हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप करो, तो निश्चित रूप से एकता को रखने में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह देश धर्म निरपेक्ष देश है और धर्म के नाम पर कोई खिलवाड़ करना चाहता है, तो आपको खुद उस बात को देश के सामने लाना चाहिए। यह आप नहीं कीजिएगा तो भगवान भी खड़ा होकर इस देश को नहीं बचा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल प्रासीजर कोर्ड आपके पास है, जो संविधान आपके पास है, जो इण्डियन पेनल कोड आपके पास है और जितने भी कानून आपके पास है, उन कानूनों को आप ठीक से लागू करवा दीजिए, जिससे यह देश एक रह सके और यह देश टूटे नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, बातों को न दोहराते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में इस बिल को लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ग्रेट-ब्रिटेन और उत्तर-आयलेंड से जो समझौता किया था, उसके तहत हमें इसमें संशोधन करना था। इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने की बात नहीं है। पर आतंकवाद केवल इन्हीं दो देशों में नहीं है, जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने भी कहा है। हमारा देश स्पष्ट रूप से जिनसे प्रभावित हो रहा है, अमरीका, कनाडा, खाड़ी के देश, ऐसी स्थिति में मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में विचार करके लाना चाहिए था।

हमारे देश में समस्यायें निरन्तर बढ़ रही हैं और खास तौर से हमारे जो नजदीकी देश हैं, उनके साथ भी जैसा व्यवहार चल रहा है, इन सब बातों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ने से ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि इसमें केवल दो ही देशों का जिक्र है। ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण विश्व के अन्य देशों के साथ भी हमारा इरादा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आतंकवाद के साथ अपराध की घटनाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि यह एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहीं-न-कहीं दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं, एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, चाहे ड्रग्स के लोग हों या चाहे किसी दूसरे तरीके के लोग हों। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में जिस जनपद का रहने वाला हूं, वहां अक्सर चोरी की घटनायें हो जाती हैं और हत्याओं की घटनायें भी हो जाती हैं। लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि हत्यारा भाग कर नेपाल में चला जाता है। नेपाल हमारा पड़ौसी देश है और हत्यारे नेपाल में चले जाते हैं। लोग हमसे आकर आग्रह करते हैं कि हमारा हत्यारा नेपाल में है और हमारा चोरी का सामान नेपाल में है। हम यह कह सकते हैं कि हम तो खाली आतंकवादी घटनाओं के बारे में ही लेकर आए हैं और उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक काम्प्रिहैसिव सदन में लेकर आए हैं।

जहां तक सार्क देश के सदस्य हैं, उनमें तो कम से कम यह लागू होना चाहिए। लागू करने के लिए हम कहें। जिस प्रकार से खाड़ी के देशों में हो रहा है, दाऊद किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं और मेमन बन्धुओं ने क्या किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह बात अवश्य है कि हमारी

नीयत खाली हमारे देश के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी देश में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा न मिले, उसकी रोकथाम करने की दिशा में काम करने के लिए हम सक्रिय रहें। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिल लाने की बात है। सारे देश आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं। पर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम उसको गम्भीरता से लें। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में बतायें कि अन्य देशों के साथ, निश्चित रूप से इस्लामिक कन्ट्रीज के लोग फैसला करते हैं और उसका असर हमारे देश पर पड़ना है, किस प्रकार का प्रभाव हो। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, हम चाहते हुए भी राजीव गांधी के हत्यारे को इस देश के अन्दर नहीं ला पाए। यह बात आपकी समझ में है, जानकारी में है, इसकी किस रूप में कार्यवाही कर सकते हैं, यह बात विचार करने की है।

मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में काम्प्रिहैंसिव बिल लाकर अपनी जो समस्यायें हैं, उनका समाधान करने की दिशा में काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। परन्तु मैं इस अवसर पर एक संशोधन का सुझाव भी दूंगा और कुछ स्पष्टीकरण भी मांगों में करूंगा।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में एक सार्वभौम समस्या का जिक्र किया है और वास्तव में इस विधेयक को सामान्य अभिव्यक्ति दी गई है। तथापि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ही यह बताया गया है कि इस विधेयक को भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की सरकार के साथ किये गये एक समझौते के फलस्वरूप ही लाना पड़ा है। इस समय चूंकि आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है हमें अन्य कई देशों के साथ ऐसी ही आपसी व्यवस्था करनी है। जैसा कि बताया गया है। मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि इस विधेयक में उल्लिखत उद्देश्यों और कारणों को सम्बन्ध भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किसी समझौता विशेष के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिये कि यह समझौता नहीं हुआ होता, तब भी हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसी कि उन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में हैं जिनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य उन अपराधियों को पकड़ने में एक-दूसरे के साथ सम्पर्क कर सकते हैं जो किसी एक देश में अपराध करने के बाद किन्हीं अन्य देश में शरण अथवा आश्रय ले लेते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के रूप में वे परस्पर सहायता करने को आबद्ध हैं। यदि इस मामले में हमारे लिए पूर्ण रूप से सहयोग करना संभव बनाने के लिए हमारी अपनी संहिता के दृष्टिकोण से यदि कतिपय उपबंधों की आवश्यकता होती है। तो इस समझौता विशेष का जिक्र करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

खैर, मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी दूसरे देशों के साथ भी ठीक, वैसे ही समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति के लिये उनके अपने कारण भी हो सकते हैं और इसीलिए यह विधेयक ब्रिटेन के साथ हुए हमारे समझौते के मूलपाठ में प्रयुक्त वाक्य रचना पर ही आधारित है, तो इससे हमें उस समय कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां हो सकती हैं जब हम दूसरे देशों के साथ भी इसी प्रकार में समझौते करेंगे।

मैं यहां पर यही बात कहना चाहता था। चूंकि इस समय हमारे पास ब्रिटेन के साथ हुए

समझौते का मूलपाठ नहीं हैं, मैं इस बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं दे सकता। परन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या इस विधेयक का प्रारूप सामान्य भाषा में तैयार किया गया है अथवा ब्रिटेन के साथ हुए हमारे समझौते के वास्तविक मूल पाठ पर ही यह आधारित है और जिन अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ इसी प्रकार के समझौते किए जाने की आशा है, क्या उनके साथ भी सरकार का इसी प्रकार का समझौता करने का विचार है ?

महोदया, मैंने अध्याय 7 क की पहली ही पंक्ति में एक छोटे से संशोधन का सुझाव दिया है। उसमें अनुबंधकर्ता देश को परिभाषित किया गया है। यहां पर यह बताया गया है कि संविदाकारी देश से अभिप्राय भारत के बाहर का कोई ऐसा देश अथवा स्थान है जिसके सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्थायें की गई हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का अभिप्राय निश्चित रूप से आपसी व्यवस्था से है। इसमें कोई संदेह नहीं है परन्तु मैं चाहता हूं कि सावधानी पूर्वक यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये आपसी व्यवस्थायें हैं और जब हम दूसरे देशों के साथ वैसे ही समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे तो उनमें इस मामले में कोई एक तरफा व्यवस्थायें नहीं करनी हैं।

इस स्पष्टीकरण के साथ ही मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमें बतायें और चूंकि विदेश राज्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं और संभवतः वह भी इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं कि कौन-कौन से विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय अभि समय हैं जिनका, उपयोग यदि कोई द्विपक्षीय समझौता न भी किया गया हो तब भी ऐसी ही स्थिति में आह्वान किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

सभापति महोदय : क्या आप स्पष्ट करना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अभी उत्तर देना चाहूंगा। सभापति महोदया, मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं। प्रत्येक ने स्पष्ट रूप से विधेयक का समर्थन किया। परन्तु एक या दो माननीय सदस्यों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वे विधेयक का समर्थन कर रहे थे, या विरोध। फिर भी, जो प्रश्न उठाए गए वे एक ही तरह के हैं।

मैं शुरूआत में ही यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यद्यपि हमने ब्रिटेन की सरकार के साथ समझौता किया है तथा अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के समझौते करना चाहेंगे, माननीय सदस्य का अनुमान सही नहीं है। मेरी समझ में वह विदेश मंत्रालय में थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम है। कई संधियां की गई हैं। जब संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे वह वहां अवश्य होंगे। हस्ताक्षर-कर्ताओं द्वारा अपने हस्ताक्षर करने की अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा होने का यह अर्थ नहीं है कि वे इसका पालन भी करेंगे। यह तो सिर्फ ऐसा करने का उद्देश्य है जिसे परम्परा में प्रकट किया जाता है। परन्तु आपको इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समझौते करने पड़ेंगे। हमें विभिन्न देशों के साथ समझौते करने पड़ेंगे।

मेरे पास कम समय होने के कारण मैं यह कहना चाहूंगा कि यही बात 'दक्षेश' (सार्क) के विषय में भी लागू होती है। एक प्रस्ताव स्वीकृत होने से ही इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी देश इसके प्रति वचनबद्ध हैं, जब तक कि हम सभी देशों के साथ अलग-अलग समझौते न करें।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में घटने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में यह जानने के लिए कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं वास्तव में सम्यक जांच की आवश्यकता होती है। राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण तथा राजनीतिज्ञों का किसी न किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में प्रवेश ऐसा तथ्य है जिसे मैं संभवतः इन्कार नहीं कर सकता हूं। परन्तु उसका यह निश्चित अर्थ नहीं है कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय न करें।

कई माननीय सदस्य अन्य सभी क्रियाकलापों को शामिल करना चाहेंगे। उन्होंने राय दी कि तस्करी को शामिल किया जाना चाहिए; अन्य सभी अपराधिक गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम स्वयं को आतंकवादी गतिविधियों तथा आतंकवादी गतिविधियों से आने वाले धन तक ही सीमित रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह दो बातें हैं जो वास्तव में इस समझौते के अन्तर्गत आती हैं। मुझे विश्वास है कि उस मुद्दे पर माननीय सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा।

निश्चित रूप से मैं दो विशेष घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगा जिनका उल्लेख किया गया था। दुबई में कोई घटना हुई थी जिसके सम्बन्ध में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने हमारे सहयोग की मांग की थी, और वे अपराधी हमारे द्वारा वापस नहीं किए गए थे। यह एक मुद्दा है जिसका उल्लेख एक माननीय सदस्य ने किया था। निश्चय ही मैं इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करूंगा तथा उसका पता लगाऊंगा। वास्तव में यह बहुत आवश्यक है कि किसी देश में अपराध करने वाले अपराधियों को लौटाने में जो कोई भी हमारी सहायता चाहे, यह हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए कि सहायता प्रदान की जाए। यदि हम उनसे किसी प्रकार की सहायता ले रहे हैं हम संभवतः दूसरी तरह का मानदण्ड नहीं अपना सकते हैं यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए। कि जो भी किसी देश में अपराध करके आता है। हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि इन अपराधियों को उस देश या देशों को मुकदमा चलाये जाने तथा दण्ड देने के लिए वापस कर सकें।

मैं नहीं समझता कि मुझे अन्य मुद्दों पर बात करनी चाहिए क्योंकि मैं इस विधेयक को पास करवाना चाहूंगा। यही कारण है कि मैं सभी सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। मैंने आप द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है। मैं यहां उठाये गए सभी मुद्दों पर निश्चित रूप से विचार करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार प्रारम्भ करेगी। अब हमें खण्ड-2 पर विचार करना चाहिए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : माननीय मंत्रीजी द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.29 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 मई, 1993 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 मई, 1993 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.30 म० प०

इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

[अनुवाद]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विश्वेश्वर भगत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

3.30½ म० प०

केन्द्रीय सचिवालय सेवा विधेयक*

[अनुवाद]

श्री राम प्रकाश चौधरी (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा शर्तों को नियमित करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए भर्ती किए गए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा के लिए भर्ती किए गए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम प्रकाश चौधरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

* भारत के राज-पत्र, असाधारण, खण्ड दो, भाग 2, दिनांक 7-5-93 में प्रकाशित ।

3.31 म० प०

मुम्बई उच्च न्यायालय (कोल्हापुर में एक स्थायी न्यायपीठ) की स्थापना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोल्हापुर से मुम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

(विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन, आदि)—जारी

सभापति महोदय : अब हम रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने रेल संरक्षण बल का जो विधेयक पेश किया है तो मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक न केवल न्याय-संगत है बल्कि संविधान संगत है और संविधान के 19 आर्टिकल में जो फण्डामेंटल राइट हैं तो उसके "सी" भाग में कहा गया है :

[अनुवाद]

"यूनियन या संघ बनाने के लिए"

[हिन्दी]

इस राइट के बाद किसी भी सिटीजन को हिन्दुस्तान में इस राइट को छीनने का काम 1985 में किया गया है, मैं समझता हूं कि यह न्याय-संगत नहीं हुआ। इसके बाद जो क्लाज हैं संविधान में

---

* भारत के राज-पत्र, असाधारण, खण्ड 2, भाग दो, दिनांक 7-5-93 में प्रकाशित।

तो इसमें दिया गया है कि किस परिस्थिति में यह राइट छिना जायेगा । उक्त खण्ड "सी" में यह है कि यदि कोई बात उस उक्त खण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता, और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन । जहां तक विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी । वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि अपनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी । राइट कानून है और राइट अधिकार छिन सकता है । लेकिन एसोसिएशन कोई प्रशासनिक मामला नहीं है । यह रेल कर्मचारी का है और यह रेल का अंग है इसलिए आर० पी० एफ० के अधिकार छिनना एसोसिएशन बनाने का किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, न न्याय और न संविधान के दृष्टिकोण से, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं कि इसमें साफ दिया गया है ।

[अनुवाद]

रे० सं० बल के कर्मचारी सरकारी नौकर हैं और भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 उन पर लागू होता है । रे० सं० बल अधिनियम के धारा 9 के अनुसार यह अधिनियम सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है ।

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, मैं इन दोनों का सम्पर्क क्या है यह भी बताना चाहता हूं । सी० आई० एस० एफ० और आर० पी० एफ० का, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर० पी० एफ० रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए निर्मित की गई है । इसमें 1984 में संसद में एक संशोधन हुआ ।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन करते समय इसने रे० सं० बल को सशस्त्र बलों की श्रेणी में शामिल करने से मना कर दिया ।

[हिन्दी]

मैंने इसीलिए जिक्र किया कि 1984 मे इसको आर्मी फोर्स की तरह नहीं माना गया, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो इसमें दोनों में मौलिक अन्तर है आर० पी० एफ० में और सी० आई० एस० एफ० में । इसमें साफ लिखा गया है कि :

[अनुवाद]

"अथवा वे बल जिन्हें उपर्युक्त आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है ।"

[हिन्दी]

आर० पी० एफ० को एसोसिशन बनाने के लिए 1972 में मान्यता मिली थी, रेल कर्मचारी के रूप में, इसमें आगे भी तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट है । अक्तूबर 1990 में जब भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी तो उस समय रेल मंत्री जार्ज फर्नान्डीज ने फैसला लिया था,

[अनुवाद]

"भारत सरकार ने पुनः मान्यता प्रदान करने के लिए लिखित रूप में एक निर्णय लिया था परन्तु वह उसे लागू नहीं कर सकी, क्योंकि यह गिर गई थी।"

[हिन्दी]

वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस के कई नेताओं ने जिनमें काफी दिग्गज लोग थे, आज के संसदीय कार्य मंत्री कुमार मंगलम् भी थे उन्होंने उस वक्त धमकी दी थी इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इसमें साफ है

[अनुवाद]

"27-2-1991 को कांग्रेस संसद सदस्यों ने लोक सभा में ही अनिश्चत कालीन अनशन किया।"

[हिन्दी]

बंसल जी ने भी कहा था कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे यदि आर० पी० एफ० की एसोसिएशन का या हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया। पता नहीं रातों रात कैसे कांग्रेस इन सदस्यों का हृदय परिवर्तन हो गया। इनको तो इसे स्वीकार करना चाहिए। आचार्य जी को जो मेहनत करनी पड़ रही है, पूरे सदन में इस पर डिबेट हो रही है, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है और सदन भी एकमत है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास हो रहा है यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह दिया गया अधिकार था 1985 में, उसको छीना गया और आज रिस्टार करने के लिए यह सदन चर्चा कर रहा है। आर० पी० एफ० का काम रेल सम्पत्ति की रक्षा करना है और यह रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अगर इसको मंजूर कर लिया जायेगा तो कोई अतिरिक्त व्यय नहीं पड़ेगा। इसमें एक पैसा भी सरकार का खर्च नहीं होगा। इसमें कोई मानेटरी लॉस नहीं है। जो एसोसिएशन का अधिकार छीना गया है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत कदम है, इसलिए इस कदम पर पुनर्विचार करते हुए इस अधिकार को लौटने की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि आज रेल में चोरी, डकैती या अन्य शिकायत आती है, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए इस बात को मान लेने से आर० पी० एफ० का मनोबल बढ़ेगा। मेरे ख्याल से उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदया, आप जानती हैं कि विश्व में एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों को पाने में एक होड़ सी लगी हुई है, दूसरी तरफ हिन्दुस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां इस अधिकार को नहीं लौटाया जा रहा है। क्या सब उचित होगा कि संविधान में दिये गये अधिकार को छीन लें ? संविधान की धारा-19 में दिए हुए अधिकार को छीनने का काम करते हैं, यह दोतरफा कदम नहीं चलने वाला है। हमारे मूल अधिकार को यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा ? जब सदन एकमत है, सहमत है और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी जब समर्थन किया था, तो आज उनकी बुद्धि में क्यों गड़बड़ी हो सकती है ? सरकार की नीयत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हां, यह हो सकता है कि सत्ता में जाने से सुख-सुविधा मिलने पर बुद्धि में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है फिर भी

डेमोक्रेटिक राईट पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)··· आप बिहार पर दृष्टि रख रहे हैं, मैं भी इस बिल पर बोलना चाहता हूं। बिहार के चीफ मिनिस्टर तो गरीब के बेटे हैं, जब गरीब का बेटा सत्ता में आए तो सब को चिन्ता होती है, कलेजा लोगों का फटने लगता है। जनतंत्र है, कुछ बर्दाश्त करें और एक गरीब को राज करने दीजिए। गरीब का बेटा राज करता है, आप को चिन्ता क्यों हो रही है ? थोड़ा मन को उदार कर लीजिए। जब दिल छोटा होता है तो टूटने लगता है। आप अपना दिल बड़ा कीजियेगा तो नहीं टूटगा। देश टूटने वाला नहीं है। अब देखिए श्री वीरेन्द्र सिंह जी हमारे मित्र हैं, वे खुश हैं···

हां, तो मैं कह रहा था कि सत्ता में जो चले जाते है···अब यहां माननीय मुकुल जी बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि जो 1991 में आप लोगों ने आर० पी० एफ० को रेस्टोर करने का अधिकार, यूनियन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार था, उसका समर्थन करने का काम किया था तो मैं चाहता हूं कि आप उस बात पर ठीक रहें, उस पर मजबूती से अड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं करना लेना चाहिए। यह सही है कि सत्ता में जाने के बाद बुद्धि परिवर्तन हो सकता है लेकिन नीयत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह मेरी राय है। नीयत खराब होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अतः आर० पी० एफ० के अधिकार को छीनने को जो मानसिकता है, जो आपने पहल की है, उस पर पुनर्विचार कीजिए, यही मेरा अनुरोध है।

अंत में यही कहना चाहता हूं कि जब इस बिल पर अन्तर विरोध नहीं है जब पूरा सदन सहमत है, जब पिछले दिनों माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मौका मिला था तो कोई असहमति नहीं है। इसलिए आर० पी० एफ० की यूनियन बनाने का अधिकार इस सदन को देना चाहिए तथा सरकार को इसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। सरकार को सहर्ष इस बिल को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह प्रजातन्त्र के हित में है, देश हित में है तथा जो अधिकार छीनने का काम हुआ है, उसे फिर से लौटाना है। यह एक प्रगतिशील कदम होगा। इसलिए सरकार को इसे मान लेना चाहिए और संघ बनाने का अधिकार आर० पी० एफ० को देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला तो आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को अपने उत्तरदायित्वों के निपटान के उद्देश्य से अधिक सार्थक बनाना है यदि उन्हें पर्याप्त और काफी शक्तियां प्रदान की जाएं तो वह वस्तुतः अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। इस विधेयक का दूसरा पहलू रेल सुरक्षा बल आर० पी० एफ० के अधिकार को पुनः दिलाना है, जो कि श्री सी० के० जाफर शरीफ और श्री लेंका जी के साम्राज्य, अर्थात् रेल मंत्रालय का एक अंग है, कि उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय रेल मजदूर यूनियन आन्दोलन एक महत्व-पूर्ण मजदूर यूनियन आन्दोलन है। इसलिए यदि रेल मजदूर यूनियन है और यदि उस मजदूर यूनियन को स्वीकृति और मान्यता प्राप्त है तो आर० पी० एफ० को ही क्यों, जो भारतीय रेल कर्मचारियों को जोड़ने का ही अनिवार्य अंग है, को यूनियन बनाने के मूलभूत अधिकार से वंचित क्यों रखा गया है ? इन दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए श्री बसुदेव आचार्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

जहां तक आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को और शक्ति प्रदान किए जाने का सम्बन्ध है, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस समय आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के बीच द्विभाजन है। इसलिए उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों और अपनी सम्बन्धित शक्तियों के प्रयोग के मामले में खुले आम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, आर० पी० एफ० का कर्तव्य रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करना है और जी० आर० पी० को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और रेलवे में होने वाले अपराधों के निपटान का कार्य सौंपा गया है। इन दोनों बलों के क्षेत्राधिकार को देखें।

अन्य मूलभूत बात यह है कि आर० पी० एफ० संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित की गई है। जी० आर० पी० राज्य पुलिस का एक अनिवार्य अंग है। कौन अधिक प्रबल है? किस की शक्ति अधिक है? आर० पी० एफ० एक ऐसा बल है, जिसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है, उसे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। जी० आर० पी० राज्य पुलिस का एक अनिवार्य अंग है जिसे सीधे राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित, निर्देशित, संचालित किया जाता है। अब जांच के मामले में, आपराधिक स्वरूप के मामले के निपटान के सम्बन्ध में, जो रेलवे में अथवा रेलवे स्टेशन पर हुआ है, मैं नहीं जानता कि किसे अधिक शक्ति प्राप्त है।

हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आर० पी० एफ० ने कुछ उपद्रवी यात्रियों पर गोली चलाई थी। मैं उसकी आलोचना करने के लिए यह सारे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। वहां कुछ असन्तोष था। एक व्यक्ति बोगांव रेलवे स्टेशन पर मारा गया और लोग उत्तेजित हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर का और अन्य लोगों का घेराव इस आधार पर किया कि वहां यात्रियों की उपयुक्त सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका निपटान कौन करेगा? जी० आर० पी० वहां है। परन्तु, वस्तुतः यह घटना बोगांव पुलिस स्टेशन के अहाते में हुई थी, इसलिए राज्य सरकार को इस पर कार्यवाही करनी थी, गोली चलानी थी अथवा केस दर्ज करना था। परन्तु आर० पी० एफ० ने कुछ कार्यवाही की इसलिए यह कार्यों का द्विभाजन है।

बसुदेव आचार्य जी का यह मत है कि यह दोनों बल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रेल के सक्षमपूर्ण ढंग से कार्यकरण के लिए यह दोनों बल आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए—किसी भी राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं, इस प्रकार के किसी कार्य के लिए नहीं, आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के अधिक सक्षम ढंग से कार्यकरण के लिए, दोनों के अधिकार और कार्यों में अधिक सक्षम समन्वय के लिए, किसी प्रकार से शक्ति का निरूपण, शक्ति में सुधार, अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह एक पहलू है।

वस्तुतः अधिक शक्ति प्रदान करने का सिद्धान्त सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक मुझे याद है श्री बसुदेव आचार्य मेरी बात से सहमत होंगे कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन वर्ष 1966-68 के अन्त में किया गया है। बिहार के एक रेल मन्त्री श्री राम सेवके सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। रेल मंत्री की अध्यक्षता में उस उच्च शक्ति प्राप्त समिति को इस प्रश्न की जांच करनी थी कि आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को अधिक शक्ति क्यों नहीं प्रदान की जानी चाहिए। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं :

डेमोक्रेटिक राईट पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)··· आप बिहार पर दृष्टि रख रहे हैं, मैं भी इस बिल पर बोलना चाहता हूं। बिहार के चीफ मिनिस्टर तो गरीब के बेटे हैं, जब गरीब का बेटा सत्ता में आए तो सब को चिन्ता होती है, कलेजा लोगों का फटने लगता है। जनतंत्र है, कुछ बर्दाश्त करें और एक गरीब को राज करने दीजिए। गरीब का बेटा राज करता है, आप को चिन्ता क्यों हो रही है ? थोड़ा मन को उदार कर लीजिए। जब दिल छोटा होता है तो टूटने लगता है। आप अपना दिल बड़ा कीजियेगा तो नहीं टूटगा। देश टूटने वाला नहीं है। अब देखिए श्री वीरेन्द्र सिंह जी हमारे मित्र हैं, वे खुश हैं···

हां, तो मैं कह रहा था कि सत्ता में जो चले जाते है···अब यहां माननीय मुकुल जी बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि जो 1991 में आप लोगों ने आर० पी० एफ० को रेस्टोर करने का अधिकार, यूनियन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार था, उसका समर्थन करने का काम किया था तो मैं चाहता हूं कि आप उस बात पर ठीक रहें, उस पर मजबूती से अड़ना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं करना लेना चाहिए। यह सही है कि सत्ता में जाने के बाद बुद्धि परिवर्तन हो सकता है लेकिन नीयत में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह मेरी राय है। नीयत खराब होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अत: आर० पी० एफ० के अधिकार को छीनने को जो मानसिकता है, जो आपने पहल की है, उस पर पुनर्विचार कीजिए, यही मेरा अनुरोध है।

अंत में यही कहना चाहता हूं कि जब इस बिल पर अन्तर विरोध नहीं है जब पूरा सदन सहमत है, जब पिछले दिनों माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मौका मिला था तो कोई असहमति नहीं है। इसलिए आर० पी० एफ० की यूनियन बनाने का अधिकार इस सदन को देना चाहिए तथा सरकार को इसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए। सरकार को सहर्ष इस बिल को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह प्रजातन्त्र के हित में है, देश हित में है तथा जो अधिकार छीनने का काम हुआ है, उसे फिर से लौटाना है। यह एक प्रगतिशील कदम होगा। इसलिए सरकार को इसे मान लेना चाहिए और संघ बनाने का अधिकार आर० पी० एफ० को देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदया, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। पहला तो आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को अपने उत्तरदायित्वों के निपटान के उद्देश्य से अधिक सार्थक बनाना है यदि उन्हें पर्याप्त और काफी शक्तियां प्रदान की जाएं तो वह वस्तुत: अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। इस विधेयक का दूसरा पहलू रेल सुरक्षा बल आर० पी० एफ० के अधिकार को पुन: दिलाना है, जो कि श्री सी० के० जाफर शरीफ और श्री लेंका जी के साम्राज्य, अर्थात् रेल मंत्रालय का एक अंग है, कि उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय रेल मजदूर यूनियन आन्दोलन एक महत्व-पूर्ण मजदूर यूनियन आन्दोलन है। इसलिए यदि रेल मजदूर यूनियन है और यदि उस मजदूर यूनियन को स्वीकृति और मान्यता प्राप्त है तो आर० पी० एफ० को ही क्यों, जो भारतीय रेल कर्मचारियों को जोड़ने का ही अनिवार्य अंग है, को यूनियन बनाने के मूलभूत अधिकार से वंचित क्यों रखा गया है ? इन दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए श्री बसुदेव आचार्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

जहां तक आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को और शक्ति प्रदान किए जाने का सम्बन्ध है, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस समय आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के बीच द्विभाजन है। इसलिए उनके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारों और अपनी सम्बन्धित शक्तियों के प्रयोग के मामले में खुले आम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, आर० पी० एफ० का कर्तव्य रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करना है और जी० आर० पी० को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और रेलवे में होने वाले अपराधों के निपटान का कार्य सौंपा गया है। इन दोनों बलों के क्षेत्राधिकार को देखें।

अन्य मूलभूत बात यह है कि आर० पी० एफ० संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित की गई है। जी० आर० पी० राज्य पुलिस का एक अनिवार्य अंग है। कौन अधिक प्रबल है? किस की शक्ति अधिक है? आर० पी० एफ० एक ऐसा बल है, जिसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है, उसे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। जी० आर० पी० राज्य पुलिस का एक अनिवार्य अंग है जिसे सीधे राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित, निर्देशित, संचालित किया जाता है। अब जांच के मामले में, आपराधिक स्वरूप के मामले के निपटान के सम्बन्ध में, जो रेलवे में अथवा रेलवे स्टेशन पर हुआ है, मैं नहीं जानता कि किसे अधिक शक्ति प्राप्त है।

हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आर० पी० एफ० ने कुछ उपद्रवी यात्रियों पर गोली चलाई थी। मैं उसकी आलोचना करने के लिए यह सारे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। वहां कुछ असन्तोष था। एक व्यक्ति बोगांव रेलवे स्टेशन पर मारा गया और लोग उत्तेजित हो गए। उन्होंने स्टेशन मास्टर का और अन्य लोगों का घेराव इस आधार पर किया कि वहां यात्रियों की उपयुक्त सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका निपटान कौन करेगा? जी० आर० पी० वहां है। परन्तु, वस्तुतः यह घटना बोगांव पुलिस स्टेशन के अहाते में हुई थी, इसलिए राज्य सरकार को इस पर कार्यवाही करनी थी, गोली चलानी थी अथवा केस दर्ज करना था। परन्तु आर० पी० एफ० ने कुछ कार्यवाही की इसलिए यह कार्यों का द्विभाजन है।

बसुदेव आचार्य जी का यह मत है कि यह दोनों बल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भारतीय रेल के सक्षमपूर्ण ढंग से कार्यकरण के लिए यह दोनों बल आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए—किसी भी राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं, इस प्रकार के किसी कार्य के लिए नहीं, आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० के अधिक सक्षम ढंग से कार्यकरण के लिए, दोनों के अधिकार और कार्यों में अधिक सक्षम समन्वय के लिए, किसी प्रकार से शक्ति का निरूपण, शक्ति में सुधार, अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह एक पहलू है।

वस्तुतः अधिक शक्ति प्रदान करने का सिद्धान्त सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक मुझे याद है श्री बसुदेव आचार्य मेरी बात से सहमत होंगे कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन वर्ष 1966-68 के अन्त में किया गया है। बिहार के एक रेल मन्त्री श्री राम सेवके सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। रेल मंत्री की अध्यक्षता में उस उच्च शक्ति प्राप्त समिति को इस प्रश्न की जांच करनी थी कि आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० को अधिक शक्ति क्यों नहीं प्रदान की जानी चाहिए। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं :

"जब तक रेलवे में अपराधों पर नियन्त्रण, विशेष रूप से रेल सम्पत्ति की सुरक्षा दो एजेन्सियों जी० आर० पी० और आर० पी० एफ० के नियन्त्रणाधीन रहती है, नियन्त्रण कार्य आर० पी० एफ० के अधीन और जांच और मुकदमे का कार्य जी० आर० पी० के अधीन रहेगा, तब तक इनमें से एक भी एजेन्सी द्वारा पर्याप्त सक्षम ढंग से कार्य करना सम्भव नहीं होगा।"

मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसे उस उच्च शक्ति प्राप्त समिति के वक्तव्य, सिफारिश, टिप्पणी में समर्थन प्राप्त है।

पुनः उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने उल्लेख किया था कि :

"आर० पी० एफ० अधिनियम, 1957 और रेल सम्पत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम, 1966 में दी गई शक्तियां पर्याप्त नहीं है और इससे रेल सुरक्षा बल अत्यधिक अप्रसन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस बल के सदस्यों को इतनी भी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, जितनी एक साधारण नागरिक के पास होती हैं।"

यह सुरक्षा बल है। आपने देश के संविधान के अनुच्छेद 33 के अधीन जिसमें सशस्त्र बलों सेना, मिलिट्री द्वारा यूनियटों के गठन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, ट्रेड यूनियन के गठन पर प्रतिबन्ध लगाया है। यहां यह सिफारिश की गई है कि आर० पी० एफ० को एक सामान्य नागरिक के अतिरिक्त कोई शक्ति प्राप्त नहीं हैं। एक सामान्य नागरिक पुलिस स्टेशन में जा सकता है और प्रथम सूचना दर्ज करा सकता है। आपने आर० पी० एफ० को ट्रेड यूनियन के गठन पर इस आधार पर प्रतिबन्ध लगाया है कि वह एक सशस्त्र बल है और देश के संविधान के अनुच्छेद 33 के अधीन ट्रेड यूनियन का गठन नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि क्या मंत्रालय ने अथवा मंत्रालय में किसी अधिकारी ने कभी इन रिपोर्टों और सिफारिशों की जांच की है और अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए मुझे यह कहना पड़ेगा कि हमें इस देश को चलाने के लिए केवल बुद्धिहीन अधिकारी तन्त्र प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : चित्त बसु जी, आप एक मिनट के लिए बैठिए।

[अनुवाद]

इस चर्चा के लिए निर्धारित समय अब समाप्त हो गया है। सभा की अनुमति से, हम इस चर्चा के लिए आबंटित समय को बढ़ा सकते हैं। अभी लगभग 10 और वक्ता हैं।

[हिन्दी]

क्या सदन की अनुमति है कि एक घंटा इसके लिए और बढ़ाया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : सदन की अनुमति से इस पर समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : महोदया, मेरे पास सारी सिफारिश है और मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः उद्धृत करूं मैं समझता हूं कि श्री वसुदेव आचार्य ने शायद इसे पुनरुद्धृत किया होगा। वर्ष

की लाल समिति और 1966 की कृपाल सिंह समिति द्वारा सिफारिशों को दोहराया गया था। फिर, उच्च शक्ति प्राप्त समिति की भी सिफारिश थी। इन दो समितियों द्वारा इनकी फिर सिफारिश की गई, दोहराया गया और पुनः सुदृढ़ किया गया।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1985 में इसमें संशोधन किया गया था। वर्ष 1985 में किए गए संशोधन से स्थिति में सुधार होने के स्थान पर, स्थिति और बिगड़ गई। वर्ष 1985 के संशोधन के समय पहली समितियां अर्थात लाल समिति, कृपाल सिंह समिति इत्यादि द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में नहीं रखा गया। वर्ष 1985 का संशोधन उच्च शक्ति प्राप्त समिति के अनुरूप नहीं था। दूसरी ओर, 1985 के संशोधन ने एसोसिएशन के गठन के अधिकार की भूमिका के संबंध में आर० पी० एफ० की स्थिति को अत्यन्त खराब कर दिया।

संविधान के अनुच्छेद 33 को लागू करने के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यदि आप केवल 1985 के संशोधन अधिनियम की धारा 12, सा० दंड संहिता की धाराओं 131 और 132 की जांच और संवीक्षा करते हैं, तो आपको यह समझ आएगा और आपको यह ज्ञात होगा कि रेल संरक्षण बल को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। यह शक्तिहीन है। क्या उसे ऐसी कोई वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए जो कि एक साधारण सरकारी व्यक्ति द्वारा एक सरकारी व्यक्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से अधिक है यह आर०पी०एफ० की कमजोरी है। श्री वसुदेव आचार्य के विधेयक की धारणा यह थी कि यह एक बल होना चाहिए, रेलवे में शत्रुओं देश और राष्ट्र के शत्रुओं के साथ निपटने वाला एक बल होना चाहिए। यह उद्देश्य होना चाहिए।

जहां तक प्रजातंत्रीय अधिकारों के पुनःस्थापन का संबंध है, मैं केवल श्री वेनूगोपाल महत्वपूर्ण वैधानिक विद्वान द्वारा की गई टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूगा। उनका विचार है कि रेल संरक्षण बल (संशोधन) अधिनियम, 1985 सामान्यतः और विशेष रूप से इसकी धारा 12 किसी भी रूप में कोई वैधानिक अधिकार नहीं दिलाती है और आर० पी० एफ० के प्रारम्भिक कार्यों और अधिकार पत्रों में परिवर्तन नहीं करती। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 33

4.00 म०प० आर० पी० एफ० के सदस्यों पर लागू नहीं होता और संशोधित रेल संरक्षण बल अधिनियम की धारा 15-क जिसके बहाने हमने आर० पी० एफ० एसोसिएशनों की मान्यता रद्द की है, अनुच्छेद 19(1)(ग) का उल्लंघन है और देश के संविधान के अनुच्छेद 94 से रक्षा नहीं करता।

मैं बहुत अधिक इसको उद्धरत करना नहीं चाहता क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है। केवल बात इतनी है कि बुद्धि हीन अधिकारी तंत्र इसे कब समझेगा। वे भले ही बुद्धिहीन हों लेकिन दूसरे संपूर्ण देश की जनता को अपने पर विश्वास है, लोकतंत्र विदेशी मामलों का ज्ञान है। इस संबंध में कांग्रेस दल न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि स्वेच्छा से प्रतिबद्ध है। यह संसद है। आप मुझ से यह आशा नहीं कर सकते कि मुझे वहां जाना चाहिए और आपके पीछे-पीछे यह कहते हुए चलना चाहिए कि यह कीजिए और यह न कीजिए मैंने श्री कुमार मंगलम और अन्य मित्रों को वहां नहीं देखा। श्री मनोरंजन भक्त और अन्य बहुत अनुभवी सांसद हैं। उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए और वे चाहते हैं कि उनकी यह पहचान बनी रहनी चाहिए। श्री ज्ञानेश्वर मिश्र, जो उस समय रेल मंत्री थे उन्होंने यह कहते हुए श्री कुमार मंगलम को एक पत्र लिखा था।

"यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित औपचारिकताओं के अध्यधीन एसोसिएशन को मान्यता दी जाए।"

मैं नहीं जानता कि औपचारिकताएं क्या हैं और क्या भूतपूर्व रेल मंत्री को इन निदेशों पर विचार किया गया है या बाद के मंत्रियों द्वारा इन पर कार्यवाही की गई है। इसके साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में अपना व्यवहार नहीं बदलती तो यह देश के लिए एक बुरा दिन होगा।

4.02 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को अपने विशेष 301 कानून के अधीन एक प्राथमिकता वाला देश घोषित करने के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : हम यह बात दुख के साथ नोट कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत को हमारी पेटेन्ट प्रणाली में कुछ तथाकथित कमियों के आरोप पर अपने विशेष 301 कानून के अधीन एक प्राथमिकता वाला देश घोषित रखने का निर्णय जारी रखा है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण लगातार यही रहा है कि ऐसे मामलों को बहुपक्षीय प्रणाली के तहत निपटाना ही सर्वोत्तम उपाय है और इस सम्बन्ध में किसी भी देश द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उस उरुग्वे दौर का ही एक वार्ताविषय है जो इस समय चल रहा है। जहां तक पेटेंटों का संबंध है, औषधियों का सबको अपनी पहुंच के भीतर कीमतों पर मिलते रहना सरकार के लिए सर्वाधिक चिंता और सरोकार का विषय है। हमारी यह राय है कि किसी पेटेंट प्रणाली में आविष्कर्ता को पुरस्कार और जनसाधारण की आवश्यक जरूरत, इन दोनों बातों को पूरी मान्यता अवश्य मिलनी चाहिए। हम संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से लगातार जोर देकर यह कहते रहेंगे कि ऐसे मामलों को बहुपक्षीय प्रणाली के जरिए ही हल किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अमरीका की एकपक्षीय कार्रवाई अवांछित है।

4.04 म० प०

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन आदि—जारी

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, इस वाद-विवाद से रेलवे के रेल संरक्षण बल कर्मचारियों से संबंधित बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि समस्या

का समाधान ढूढ़ा जाए। निश्चित रूप से दोनों तरफ से बहुत अच्छे तर्क दिए गए हैं। रेल संरक्षण बल के कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान दिया जाए। वह ऐसा संघ चाहते हैं जहां वह अपनी शिकायतें रख सकें। हमने कहा है कि आर०पी०एफ० को मान्यता देने में प्रशासन को कुछ वास्तविक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बल का मनोबल बनाए रखने के लिए हम महसूस करते हैं कि यदि किसी प्रकार की मान्यता दी जाती है, तो वह निश्चित रूप से उस संगठन के लिए वफादार होंगे जिसके लिए वह कार्य कर रहे हैं और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा करके अच्छी उत्पादकता देने में सहायक होंगे। मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहना चाहता कि कृपया समस्या का समाधान ढूढ़ा जाए। यही मैं कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदया, बसुदेव आचार्य जी जो रेल सुरक्षा बल संशोधन विधेयक लाये हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस देश की रेलों में जो पुलिस की बहाली है, जो राज्य सरकार से आप लेते हैं, आर० पी० एफ० की भी है लेकिन वास्तविकता में उसके पास कोई पावर न रहने की वजह से वह अपनी पावर को मिसयूज भी करते हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं। जब दिल्ली से हम लोगों के यहां के मजदूर जाते हैं, ट्रेन के द्वारा और राज्यों के लिए और वह अपनी कमाई से कुछ साधारण समान भी लेते हैं तो पुलिस के लोग उन्हें तंग करने का काम करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि उसे जो अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलने की वजह से वह उपेक्षित हो गए हैं और ऐसा काम करते हैं। इसके पूर्व भी यह कानून इस तरह का बना हुआ था तो इस कानून को विलोपित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं ऐसा मानता हूं। तत्कालीन रेल मंत्री जार्ज फर्नान्डीज साहब और उसके बाद जनेश्वर मिश्र जी ने हाऊस में इस बात को एलानिया ढंग से कहा था कि वे इसको मान्यता देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे मांग करूंगा कि इस विधेयक को आज आप मान लें और आप ऐसा कानून बनायें ताकि रेलवे सुरक्षा बल को पूरी ताकत मिले और वह अपने कर्तव्य को कर सके। आज रेलवे की एक-एक रेंज इतनी बड़ी है, मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि समस्तीपुर से कटिहार जोन में आपका एक मात्र एस० पी० या इन्सपैक्टर रहता है और पूरे प्रदेश में एक आई० जी० होता है और वही पूरा कण्ट्रोल करता है। नतीजा यह होता है कि जितने सुरक्षात्मक ढंग से यात्रा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। यह अधिकार उनको देने से कम बल की भी ज्यादा उपयोगिता होगी इसलिए मैं जाफर शरीफ साहब से मांग करता हूं कि आज इसको मानें।

इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस बल उपेक्षित है और उनकी उपेक्षा की भरपाई के लिए बसुदेव आचार्य जी जो बिल लाये हैं, इसको मानने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर)*: अध्यक्ष महोदय मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा सभा में प्रस्तुत रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं श्री आचार्य विधेयक के प्रस्तुत फर्ज की अच्छी धारणा की प्रशन्सा करता हूं। वह महसूस करते हैं कि देश में रेल संरक्षण बल की आव-

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण का अंग्रेजी में रूपान्तर

श्यकता है । वे रेलवे और रेल उपभोक्ताओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । इसलिए मैं विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

महोदय, रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है । रेलवे की राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है अत: वहां रेल संरक्षण बल की स्थापना की आवश्यकता है । भारत सरकार रेल मालिक है । हम केवल रेल यात्री हैं । जहां तक गाड़ियों के चलने का सम्बन्ध है, रेल मंत्री सर्वेसर्वा हैं । लेकिन रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुरक्षा के लिए बराबर का जिम्मेदार होना चाहिए । केवल रेल संरक्षण बल के सृजन से सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाएगी । उन्हें देखना चाहिए कि वास्तव में क्या रेल संरक्षण बल यात्रियों को पूर्ण संरक्षण देने में समर्थ है । कुछ तर्क देने के पीछे कुछ कारण हैं । हम विभिन्न वर्गों के यात्री रेल द्वारा यात्रा करते हैं । मैं पिछले कई वर्षों से रेल का उपयोग कर रहा हूं । मैं संसद का सदस्य बनने से पहले से रेल का उपयोग कर रहा हूं । यदि मैं जीवन के अपने अनुभवों को व्यक्त नहीं करता हूं, तो मैं अपने कर्तव्यों के पालन में असफल होऊंगा । मुझे यह कहते हुए खेद है कि रेल पुलिस यात्रियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है । वह गाड़ियों में चोरों की जांच करने में समर्थ नहीं है । यात्रियों के सामान की चोरी और रेल सम्पत्तियों की चोरी दिन प्रतिदिन की बात हो गई है ।

दूसरे, महोदय, जब यात्रियों का सामान चोरी होता है तो वह शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन वह असमर्थ रहते हैं ड्यूटी पर तैनात कोई भी रेल पुलिस कर्मी उनकी शिकायत नहीं लिखता । मैंने रेलवे स्टेशनों पर देखा है कि कभी-कभी तैनात अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करते । यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख भी ली जाती है तो इसकी कोई गारन्टी नहीं है कि यात्रियों का सामान उन्हें लौटा ही दिया जाएगा । बहुत से मामलों में रेलवे पुलिस खोई हुई सम्पत्ति का पता लगाने में असफल रहती है । यह कोई नई बात नहीं है । मैंने इन मुद्दों विशेष रूप से रेल पुलिस की गैर जिम्मेदारी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और उनको प्राप्त संरक्षण के कारण रेल यात्रियों की समस्याओं को उठाया है ।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा खानपान सेवा से सम्बन्धित है । गाड़ियों में मौजूदा खान-पान सेवा बहुत अधिक असंतोषजनक है । यहां खान-पान सेवा में सुधार करने की आवश्यकता हैं । दूसरी श्रेणी में परोसे जाने वाले खाने में सुधार होना चाहिए । प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित डिब्बों में भी खाना अच्छा नहीं होता । खाने का प्रभार यात्रा किराए के साथ ही ले लिया जाना चाहिए । यात्रियों को गाड़ियों में कुछ देने की आवश्यकता होनी चाहिए । गाड़ियों में खाना उसी प्रकार परोसा जाना चाहिए जैसे हवाई जहाजों में परोसा जाता है । इसी प्रकार महोदय पेय जल भी प्रत्येक डिब्बे में उपलब्ध होना चाहिए ।

यह खेद की बात है कि यह कुछ स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं है । इसके बाद लोक स्वास्थ्य विभाग भी इसमें आता है । चिकित्सकों को यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन को परोसने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए । यह देखा जाना चाहिए कि क्या जल पेय योग्य है या नहीं । शौचालयों को स्वच्छ रखना चाहिए । यह सभी कार्य ठीक से देखे जाने चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । यदि किसी देश में रेल सेवाएं बेहतर हों तो उसे सुसंस्कृत समझा जाता है । हम सौभाग्यवान हैं कि हमारे पास इस समय दो योग्य रेल मंत्री हैं, एक श्री सी०के० जाफर शरीफ और राज्य मंत्री श्री के० सी० लेंका । यह हमारे राज्य के हैं । वे बहुत होशियार हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे ।

अन्त में महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की दैतारी—बांसपानी लाइन की लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकृति दे दी गई है। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री महोदय पर्याप्त धनराशि प्रदान करके और निर्माण कार्य को तेज करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर उचित ध्यान देंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसक घटनायें हो रही हैं। ऐसी घटनायें पहले पंजाब, मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, और देश के अन्य अनेक भागों में हो रही थीं। उड़ीसा हमेशा से ही एक शान्त राज्य रहा है। दुर्भाग्यवश ऐसी घृणित घटनायें उस राज्य में भी हुई हैं। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री महोदय इसको समझेंगे और यह देखेंगे कि रेल यात्रियों और रेलवे में पिछड़े उन राज्यों के साथ ऐसा अन्याय न हो। वर्ना जो "महाभारत" उड़ीसा में शुरू हुई है वह अन्य राज्यों में भी शुरू हो सकती है। यदि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो यह भविष्यवाणी सत्य साबित हो जाएगी कि जो आंदोलन उत्तर में शुरू हुआ है वह दक्षिण में भी हिंसक रूप ले लेगा। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिए कि रेल दुर्घटनायें न हों।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

4.15 म० प०

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय सभापति महोदय, बसुदेव आचार्य जी द्वारा जो आर० पी० एफ० बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। रेलवे विभाग के अन्दर जिस तरीके से दिन-प्रति-दिन इसकी सम्पत्ति की चोरी और दूसरे अपराध बढ़ रहे हैं उस अपराध को रोकने के लिए सरकार ने दो बलों की व्यवस्था की—एक जी० आर० पी० और दूसरा आर० पी० एफ०। आर० पी० एफ० के, जो मुख्य रूप से रेलवे की सम्पत्ति और संरक्षण का जिसको अधिकार दिया गया, धीरे-धीरे उस अधिकार को जो पहले उसे मिला हुआ था उसे वापस ले लिया गया। जितने बीच में आयोग बने, सारे आयोगों ने इस बात को महसूस किया और फिर उन्होंने अपनी रिकोमेंडेशन दीं कि आर० पी० एफ० के अधिकार बहाल किया जाए। लेकिन इस बीच उसमें रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी और संरक्षण की जिम्मेदारी आर० पी० एफ० को सौंपी गई और जी०आर०पी० को कानून-व्यवस्था का मामला दिया गया जो जी० आर० पी० मुख्य रूप से राज्यों के तहत आती है। उस जी० आर० पी० के अन्दर सिविल पुलिस के सिपाहियों से जब जनता नाराज होती, उनके खिलाफ शिकायतें होती हैं और स्वयं पुलिस के अधिकारी उससे असन्तुष्ट हो जाते हैं तो फिर अनुशासित रखने के लिए उनको कोई चारा नहीं मिलता है तो जी० आर० पी० में आ जाते हैं तो सोचते हैं अब हमारा कोई क्या करेगा।

महोदय, वे अपने ढंग से कार्य को करते हैं। इस तरीके से हमारे रेलवे के अन्दर दो बलों की व्यवस्था में आपस में कोई तालमेल नहीं होता और जो पूरे तौर पर जो मकसद है उसका पूरा नहीं होता। इसलिए हमारी समझ से जो पहले के भी आयोगों ने रिकोमेंडेशन दीं, जो आर० पी० एफ० को पहले अधिकार मिले हुए थे वे अधिकार पुनः आर० पी० एफ० को बहाल किये जाएं और उन्हें और अधिकारों से सम्पन्न किया जाए। क्योंकि जब रेलवे की चोरी और दूसरे अपराध बढ़ते हैं तो

उससे संबंधित जो विभिन्न तरीके के नेचर होते हैं आर० पी० एफ० उससे इतना वाकिफ होती है जिस ढंग से उस केस को पुटअप कर सकती है वह जी० आर० पी० नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो कानून-व्यवस्था से संबंधित रहती है। इस तरीके की जो रेलवे के अन्दर सुरक्षा गैर कानून-व्यवस्था कायम होनी चाहिए, रेलवे सम्पत्ति का जो संरक्षण होना चाहिए वह नहीं हो पाता। एक तो मुझे यह कहना है कि आर० पी० एफ० को पुनः और अधिकार बहाल किये जाएं। (**व्यवधान**)

महोदय, मेरा एक कहना यह भी है कि जिस तरीके के अधिकार हमारे सी० आर० पी० को, हमारे दूसरे अर्द्धसैनिक बलों को मिले हुए हैं उस श्रेणी में अब आर० पी० एफ० नहीं है तो उसको आप एसोसिएशन बनाने का अधिकार क्यों नहीं देते, जबकि पहले से बना हुआ अधिकार उनको था। आपने बीच में उन अधिकारों को छीना, इसके सम्बन्ध में हमारी स्पष्ट समझ है कि उनके एसोसिएशन बनाने के अधिकार को बहाल किया जाए। यह और आश्चर्यजनक लगता है जो आज हमारे मित्र उधर बैठे हुए हैं वही मित्र जनता पार्टी के रिजीम के अन्दर आ करके, धरना देना, मांग करना, भूख-हड़ताल करना, सदन की कार्यवाहियों को न चलने देना व तरह-तरह की डिमाण्ड करते रहे हैं और इन लोगों के इस आन्दोलन और प्रदर्शन से··· (**व्यवधान**)

श्री सूर्यनारायण यादव : कुमार मंगलम।··· (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ शास्त्री : हां-हां, कुमार मंगलम साहब उसके नेता थे और उनके भूख-हड़ताल करने वाले श्री रावत थे। (**व्यवधान**) इसके बाद जनता दल रिजीम के अन्दर तत्कालीन रेलवे मंत्री ने इस बात को माना और आश्वासन भी दिया कि आर० पी० एफ० को ऐसोसिएशन बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसके बाद वह सरकार गिर गई। हमारे वर्तमान मन्त्री का नाम भी शरीफ है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे अपने नाम के अनुरूप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। पिछली सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप मैं समझता हूं कि परम्पराओं का निर्वाह करते हुए शरीफ साहब इस कर्त्तव्य को भी पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, आर० पी० एफ० को यूनियन बनाने का अधिकार दे दिया जाए, उनकी ऐसोसिएशन को पुनः बहाल कर दिया जाए, इन मांगों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : सभापति महोदय, आचार्य जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें आर० पी० एफ० को यूनियन बनाने का अधिकार देने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि जब आर० पी० एफ० के सारे अधिकारों की रक्षा और उनके वेलफेयर का काम सही ढंग से सरकार कर सकती है तो यूनियन बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आर० पी० एफ० को जब बाकी अधिकार दिये गए हैं, बाकी सुविधाएं दी गई हैं, जो सुविधाएं डिफेंस फोर्सेस को जाती दी हैं, वे सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, तब भी इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। यूनियन बनाने की आवश्यकता तब होती है जब कोई कर्मचारी अपने एंप्लायर से अपना हक नहीं मांग सकता है। यूनियन का कई बार बुरा असर भी होता है, इसका सबसे ज्यादा सफरर वेस्ट बंगाल रहा है, जहां से सारी इंडस्ट्री बाहर चली गई है, यूनियन की वजह से बाहर चली गई है। कुछ वक्ताओं ने यहां पर कहा कि कुछ दिन पहले कुमार मंगलम जी और कई अन्य सांसद आर० पी० एफ० को यूनियन बनाने के अधिकार देने के विषय में बहुत जोरों से मांग कर रहे थे और जार्ज फर्नान्डीज साहब ने आश्वासन दिया था,

जब वे रेलवे मंत्री थे, मगर वह अधिकार पेपर पर नहीं आ पाया, इसलिए यह बिल यहां पर लाया गया है। मैं समझता हूं कि उसके बाद की स्थिति में बहुत बदलाव आया है।

सभापति महोदय, हम देखते हैं कि लोकशाही में, प्रजातन्त्र में कभी-कभी यूनियन का बहुत गलत इस्तेमाल होता है और आज के परिपेक्ष्य में तो इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन एअर लाइंस के पायलटों की हड़ताल हमारे सामने है। आम जनता को उसमें बहुत नुकसान हुआ, सरकार को बहुत नुकसान हुआ और मुझे नहीं लगता कि इससे पायलटों को भी कुछ बहुत फायदा हुआ हो। इसी तरह से अभी एक दिन पहले उड़ीसा के अन्दर जो कुछ हुआ, उसको देखते हुए भी हमको अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए। यूनियन के माध्यम से चुनी हुई सरकार के प्रथम व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के मुख्य व्यक्ति यानी मुख्य सचिव के साथ सारे अधिकारों को हाथ में लेते हुए हाथापाई की गई। इसमें कौन-सी वेलफेयर की बात है, कौन-सा डिसीप्लेन है और यूनियन के कौन-से डायरेक्टिव्श हैं, यह हमें समझने की जरूरत है।

ये बातें हमें समझने की जरूरत है। आए दिन हम देखते हैं कि आर० पी० एफ० को प्रशासनिक या कानूनी अधिकार नहीं हैं और दूसरी रेलवे फोर्स भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। हजारों चैन-पुलिंग की घटनाएं होती हैं लेकिन उसमें गिने-चुने लोगों का काम होता है और बहुत-से केसेज दब जाते हैं। रेलवे की प्रापर्टी की चोरी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आर० पी० एफ० को कानूनी अधिकार देने से कुछ बनेगा। आर० पी० एफ० को दूसरे एरिया में या डिस्टरबेंस में जाना पड़ता है इसलिए उसको बनाया गया है, उसको देखते हुए, दिये गए अधिकार पर्याप्त हैं। श्री बसुदेव आचार्य जी ने यह बिल पेश किया है और उनकी एक प्रमुख मांग है कि वेलफेयर के लिए कुछ प्रोविजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें ध्यान दे। अगर सरकार आश्वासन देती है कि शार्ट आफ यूनियन, पावर टू यूनियन तो वह अधिकार से कम है। लेकिन दूसरे तरीके से ऐसोसिएशन का आपको कुछ आश्वासन मिलता है या उसका अमल होता है तो उसको देखते हुए जो बिल पेश किया है उसको विदड्रा करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सांसदों ने और पहले राजीव जी ने आर० पी० एफ० के बारे में कुछ सोचा होगा, उसको पूरा करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। हम भी कहेंगे कि जो आपको आश्वासन दिया है उसको पूरा कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल पर वोटिंग न डालते हुए इसको विदड्रा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यह वास्तव में उसके बारे में नहीं है जो वे कहते हैं। यह विधेयक मैंने भी पुरःस्थापित किया था, परन्तु मैंने पाया कि नवीनतम परिचालित की गई प्रतियों में मेरा नाम नहीं है। मैं इसका कारण जानना चाहूंगा कि यह कैसे हुआ।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, हमारे साथी श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं समर्थन नहीं करूंगा तो अपने साथी के प्रति ज्यादती होगी।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : ठीक है, मैं इसका पता लगाऊंगा। श्री पासवान कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। एक तो संवैधानिक पहलू के आधार पर एसोसिएशन को मान्यता दी जानी चाहिए। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि एसोसिएशन अर्द्ध सैनिक बल है। मैं समझता हूं कि आर० पी० एफ० का मामला अर्द्ध सैनिक बल की कैटेगिरि में नहीं आता है, यदि आता है तो मंत्री जो बतायेंगे कि किस रूप में आता है। हमारे यहां बिहार में पुलिस-मैन एसोसिएशन है, उसको मान्यता प्राप्त है और सबसे बड़ी आई० पी० एस० आफिसर्स का एसोसिएशन है। जब पुलिस मैन एसोसिएशन और आई० पी० एस० आफिसर्स एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त है तो आर० पी० एफ० को मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। 1985 के पहले उनको एसोसिएशन की मान्यता थी तो उसकी मान्यता को खत्म किया गया है। 1985 के पहले जब मान्यता थी तो आर० पी० एफ० के द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई जिससे पुलिस बल में जो आशंका व्यक्त की जाती है उस आशंका का वहां जरा-सा प्रवास हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ कल्पना या शंका के आधार पर किसी का संवैधानिक अधिकार है उसको रोकने का काम किया जाए। जब से इस पर चर्चा शुरू हुई है मैंने दोनों पक्षों को सुना है सभी ने इसका पूर्ण समर्थन किया है। इस सदन में बार-बार इस सवाल को उठाया गया, जैसाकि हमारे साथी ने कहा कि कुमार मंगलम जी और अन्य साथी जो अब मंत्री हैं उन्होंने भी पहले इसको उठाया था, जार्ज फर्नान्डीज जो पहले रेल मंत्री थे उन्होंने भी इसकी अनुशंसा की थी। वैसे तो यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बिल को देख रहा था और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई वित्तीय भार आप पर नहीं पड़ेगा। राजनैतिक दृष्टिकोण से भी देखें, संवैधानिक दृष्टकोण से भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले को लटकाया जाए। पिछले डेढ़ साल से संसद दबाव में पड़ रहा है, रेल मंत्रालय और मंत्री जी के द्वारा यह नहीं कहा गया कि वे इसके विरुद्ध हैं, सिर्फ कुछ उलझनें हैं उनको सुलझाने का काम सरकार कर रही है। यदि सरकार की मंशा है, मंशा होगी, तो निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो इस मामले को सुलझाकर आर० पी० एफ० को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और संसद में तथा यहां सदन में जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उनका आदर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : सभापति जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। पहले इसको मान्यता थी, अब वह खत्म कर दी गई है। उनका काम रेलवे की सिक्योरिटी करना है इसलिए मेरी गुजारिश है कि आर० पी० एफ० को मान्यता दी जाए। यह कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री एस० एम० लालजान बाशा (गुन्टूर) : आचार्य जी जो बिल लेकर आए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा का काम आर० पी० एफ० के सुपुर्द है। यह रेलवे की और देश की बहुत बड़ी संस्था है। इनकी जो मांगें हैं वे सही हैं और उनके ऊपर सरकार को जल्दी से जल्दी विचार करके पूरा करना चाहिए। रेलवे में जो चोरियां होती हैं और सालाना करोड़ों रुपये का जो क्लेम उसको भरना पड़ता है तो आर० पी० एफ० को ज्यादा पावर देकर रोका जा सकता है। अत: रेलवे की सुरक्षा के लिए इनको जितना हो सके अधिकार देना चाहिए। क्योंकि आर० पी० एफ० जितना मजबूत होगा रेलवे भी उतना मजबूत होगा इसलिए आर० पी० एफ० को जितना अधिकार देना है जो उनकी मांग है वे पूरी करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : महोदय, मैं श्री पवन कुमार बंसल और श्री बसुदेव आचार्य को बधाई देता हूं जो रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957, में संशोधन करने संबंधी यह गैर सरकारी सदस्य विधेयक संयुक्त रूप से लाए हैं। दो माननीय सदस्यों ने वास्तव में रेल संरक्षण बल के विभिन्न पहलुओं में संशोधन करने की आवश्यकता पर अनेक प्रकार से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। परन्तु यह विधेयक जो माननीय सदस्य लाए हैं, इसमें अनेक कमियां हैं और मैं महसूस करता हूं जिनके कारण इसका समर्थन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा परन्तु मैं मंत्री महोदय जो यहां उपस्थित हैं से निवेदन करूंगा कि वे यह नोट करें कि समितियों की विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद रेल संरक्षण बल के मार्ग निर्देशन हेतु एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है।

विधेयक के विस्तार में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह जान लें कि रेल संरक्षण बल के जवान जोकि अक्सर गाड़ियों में चलते हैं, हमने पाया है कि कुछ लम्बी दूरी की गाड़ियां जोकि पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तक जाती हैं ये जवान पटना में उतर जाते हैं और यात्रियों को गाड़ियों में डकैतों और अन्य अवांछित तत्वों की मौज पर छोड़ देते हैं। हमें अक्सर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

मुझे पिछले वर्ष अक्तूबर में की गई एक शिकायत के बारे में अच्छी तरह याद है जिसमें अनेक यात्री मेरे शिलांग क्षेत्र से आ रहे थे पटना और सिलीगुड़ी के बीच लूट लिए गए। अब जो लोग गुवाहाटी-दिल्ली के बीच चलने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों से आए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि पटना के बाद रेल संरक्षण बल का एक भी जवान गाड़ी में नहीं रहता है ताकि वह असम, बंगाल, सिलीगुड़ी, मालक्ष आदि के यात्रियों को संरक्षण प्रदान कर सके। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह बल के इस पहलू की जांच करें कि उन्हें गाड़ियों में चलना चाहिए। हम जानते हैं कि असम में जैसे बोडोलैण्ड क्षेत्र में अनेक प्रयास किये गये अथवा सिलीगुड़ी क्षेत्र में बम विस्फोट हुए और यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पहलू पर ध्यान दिया जाए कि जो बल के जो जवान गाड़ियों में चलते हैं वह गुवाहाटी तक जायें जहां पूर्ण बड़ी लाइन समाप्त होती है। और वहां यात्री उतर जाते हैं, ताकि हमें आगे दोबारा शिकायतें न मिलें।

इस विधेयक से हमने पाया है कि मूल अधिनियम अर्थात् रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957, की धारा 3 में "संघ का सशस्त्र बल" शब्द उसमें थे। संघ का सशस्त्र बल कोई यूनियन नहीं बना सकता। अतः मैं समझता हूं कि सरकार को रेल संरक्षण बल को यूनियन बनाने की अनुमति से पहले इस मामले पर गहराई से विचार करना चाहिए। मुझे विधेयक से यह दिखाई देता है कि माननीय सदस्य इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि रेल संरक्षण बल एक बल रहना चाहिए न कि उसे संघ का सशस्त्र बल बनाया जाए। क्या उनको अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए यूनियन बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए? पुलिस बल में पुलिस के लोगों की यूनियन है, परन्तु इस बल विशेष में भारत सरकार के मूल अधिनियम के अनुसार यह सेना नौसेना और वायुसेना के समतुल्य भारत का एक सशस्त्र बल है और वह अर्द्धसैनिक बलों के समतुल्य भी है। जहां तक प्रश्न के इस भाग का सवाल है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मामले पर गहराई से विचार करके यह पता

लगायें कि किस प्रकार संशोधन लाया जा सकता है क्योंकि एक ऐसे विधेयक के बारे में सोचना भी बेकार है जो माननीय सदस्य लाए हैं, जिनके अनुसार बल के पास कोई शक्ति नहीं है।

अब माननीय सदस्य बल को और अधिक शक्ति देना चाहते हैं। तथापि मैंने देखा कि भारत सरकार के मूल अधिनियम में धारा 12 के अन्तर्गत अनेक धाराएं हैं जिनमें भारत सरकार के रेल संरक्षण बल को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है और बिना वारन्ट के तलाशी लेने की शक्ति भी उसमें दी गई है। बल के अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर तैनात होंगे और रेलवे के किसी भी भाग में तैनात किए जा सकते हैं।

इस समय इन सभी बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है क्योंकि यहां पर केन्द्रीय सशस्त्र बल कार्यरत है जिसकी भारत में हर जगह पर जरूरत है। यद्यपि मैं समझता हूं कि एक अधिक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। कम से कम मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करने पर जोर न दें और माननीय मंत्री के उत्तर को स्वीकार करें। अतः व्यक्तिगत रूप से मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सभापति महोदय, मैं वास्तव में सभी माननीय सदस्यों और विशेष रूप से श्री बसुदेव आचार्य का इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए आभारी हूं। मैं श्री बसुदेव आचार्य को बताना चाहता हूं कि यह यद्यपि यह विधेयक उनके नाम में है परन्तु रेल संरक्षण बल के हितों का समर्थक हमारा दल ही है। यदि आप श्री जनेश्वर मिश्र के पत्र को देखें, तब आप पाएंगे कि यह पत्र श्री रंगराजन कुमार मंगलम को लिखा गया था न कि श्री बसुदेव आचार्य को। दूसरे शब्दों में कांग्रेस दल इस अनुशासित बल की समस्याओं के बारे में अधिक चिन्तित और सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाए हुए है। इस अवसर पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि एक अनुशासित बल, जो कि एक विशाल आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इस सभा के विभिन्न वर्गों से इतनी अधिक सहानुभूति प्राप्त कर रहा है।

4.45 म०प०

(श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए)

महोदय, यदि मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों की भावना को समझ लिया है तो मैं कहूंगा कि उन सभी ने रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारों में वृद्धि करने पर अधिक बल दिया है ताकि उनकी भूमिका और अधिक प्रभावी और लाभदायक हो सके। वास्तव में संशोधन द्वारा ही यह हुआ है। जब इसे एक सशस्त्र बल बनाने के लिए संशोधन लाया गया था, इसके पीछे यही भावना थी और अब श्री बसुदेव आचार्य और श्री पवन कुमार बंसल के इस विधेयक पर इस वाद-विवाद के दौरान भी, उसके अधिकारों को बढ़ाने पर ही अधिक बल दिया जा रहा है।

महोदय, जब श्री चित्त बसु ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए तब उन्होंने सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल दोनों का जिक्र किया था। कभी-कभी यह अत्यन्त भ्रामक हो जाता है और कई माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि सरकारी रेलवे पुलिस की क्या भूमिका है और रेलवे संरक्षण बल की क्या भूमिका है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकारी रेलवे पुलिस केन्द्र या रेल मंत्रालय के नियन्त्रण में नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार के नियन्त्रण में है और रेल मंत्रालय इसकी 50 प्रतिशत लागत वहन करती है। यद्यपि रेल मंत्रालय इसकी 50 प्रतिशत लागत में

वहन करता है, रेल मंत्रालय का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। अतः कानून और व्यवस्था की आम स्थिति की सारी समस्यायें रेलवे से ही सम्बन्धित होती हैं और इस सभा में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। चूंकि रेलवे एक केन्द्रीय विषय है और इसके लिए रेल मंत्रालय है इसलिए हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। संशोधन लाने और 1985 में इसे एक सशस्त्र बल के रूप में स्थापित करने का एक कारण यह भी हो सकता है।

सभापति महोदय, जबकि हमारे हृदय में सभी के लिए सहानुभूति है, मेरे विचार से रेलवे सुरक्षा बल किसी भी प्रकार से उन सभी रेलवे कर्मियों से भिन्न नहीं है जो रेल मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि फिर जी०आर०पी० को रेलवे में क्यों लाया गया। जी० आर० पी० के मामले में जब सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पौंसिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमैंट जिम्मेदार हैं, फिर उसे रेलवे के अण्डर कैसे लाया गया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : लाया नहीं गया, अभी भी स्टेट गवर्नमैंट के अण्डर है।

श्री राम विलास पासवान : वह तो ठीक है, जब उसका खर्च 50 परसेंट स्टेट गवर्नमैंट देती हैं और 50 परसेंट रेलवे को वहन करना पड़ता है तो रेलवे के अण्डर उसको लाने पीछे आइडिया क्या था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : पुरानी परम्परा है, इतना बड़ा मुल्क है इतना बड़ा नैट वर्क है।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है और जब कोई अप्रिय घटना घटती है, मामला दर्ज किया जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है। स्थानीय नागरिक पुलिस इतना ही करती है।

इसी कारण इस विषय को राज्य को सुपुर्द किया गया था और राज्य ने सरकारी रेलवे पुलिस नामक एक बल का सृजन किया। रेलवे संरक्षण बल सीधे रेल मंत्रालय के अधीन है।

जैसा कि मैं बता रहा था, हमें यथार्थ स्थिति पर विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अनुशासित बल की समस्याओं को समझने में उनकी प्रशंसा और उनके समर्थन में और उसके प्रति मेरी सहानुभूति किसी से भी कम नहीं है। आज देश में जैसा कि हम देख रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से इस सभा में वादविवाद कर रहे हैं, आज देश का वातावरण बदल रहा है। सुरक्षा का वातावरण बदल गया है। उस तरफ बैठे हुए हमारे मित्र भी कभी-कभी ऐसा कर सकते हैं जैसा कि उस तरफ बैठकर हमने भी ऐसा किया था और यही कारण है कि श्री कुमार मंगलम और अन्य व्यक्ति वादविवाद में भाग ले रहे हैं। मान लीजिए कि अचानक ही कुछ राज्यों में रेलवे स्टेशन के बीच कहीं समस्या खड़ी हो जाती है, तब बड़ी संख्या में बलों की आशा करना भी कठिन है, क्योंकि उनका बल कहीं अन्य जगह पर भी तैनात हो जाता है। मान लीजिए कि किसी स्थान पर कोई गाड़ी रुक जाती है, उसका यातायात बन्द हो जाता है कोई आन्दोलन कहीं पर हो रहा है, चोरी या डकैती की घटना

हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए ? 1985 में रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करने का एक यह कारण भी है जिसमें रेल संरक्षण बल को सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया है। पंजाब में यही बल कार्यरत है। आज भी रेलवे संरक्षण बल की बटालियनें पंजाब, असम और कश्मीर में कार्यरत हैं। अभी हाल ही में अयोध्या मुद्दे के सम्बन्ध में उन्हें देश भर में तैनात किया गया था।

श्री चित्त बसु : क्या उन्हें केन्द्रीय सशस्त्र बल के रूप में मान्यता दी जाती है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वे उन्हीं के समान हैं। उन्होंने इस समय यही किया है। यदि हमें कहीं इस बल से कार्य लेना है, तो अन्य अनुशासित बलों पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। यहां हमें इस बारे में अत्यन्त सावधानी बरतनी है। इसमें दो राय नहीं हैं कि उनकी समस्याओं और शिकायतों पर ध्यान दिया जाये। मैं सभा को इस बारे में स्पष्ट रूप से आश्वस्त कर सकता हूं।

वास्तव में यह धारणा है कि रेलवे संरक्षण बल को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिक अधिकारी लिए जाते हैं। मुझे सभा को यह जानकारी जरूर देनी चाहिए। आप श्री जार्ज फर्नान्डीज अथवा श्री जनेश्वर मिश्र की बात कर सकते हैं परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मैं यह कह रहा हूं कि कार्यवाही वृत्तान्त में इसे सम्मिलित किया जा रहा है। वास्तव में, मैं देख रहा हूं कि आई० पी० एस० संवर्ग आर० पी० एफ० के अवसरों को ही कहीं न हड़प ले। इस समय सात पदों में से केवल चार पद आई० पी० एस० को मिले हैं तथा तीन पद आर० पी० एफ० के पास हैं जो कि पहले ऐसा नहीं था। आप रिकार्ड देख सकते हैं। जो व्यक्ति इनके कल्याण सम्बन्धी कार्य को देखा करता था, विशेष रूप से इसके प्रशासनिक अंग के कार्यभार को हमेशा कोई आई० पी० एस० अधिकारी ही संभाला करता था। जब भी कोई पद रिक्त होता है, मैंने महसूस किया कि आर०पी०एफ० के कार्यभार को केवल किसी आर० पी० एफ० अधिकारी द्वारा ही सम्भाला जाना चाहिए ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सके और उनके हितों की देखभाल कर सके। मैंने यही किया है। मैंने आई० पी० एफ० वर्ग के सभी प्रकार के दबावों का विरोध किया है और मैंने आर० पी० एफ० का समर्थन किया है। हमारे मित्रों के तर्क में कोई दम नहीं है। यह मान लेना गलत है कि सरकार रेल सुरक्षा बल के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। मैंने रेलवे बोर्ड को बताया है कि "आपने अपनी सेवा के लिए दो अलग संगठनों का सृजन किया है। एक स्वास्थ्य तथा दूसरी रेल सुरक्षा बल है।" उनके पास बोर्ड के सदस्यों जैसी क्षमता नहीं है क्योंकि रेल प्रणाली में बोर्ड के सदस्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैंने उन्हें बताया कि चूंकि वे निर्णय नहीं लेते "जब तक आप उनकी समस्याओं का उचित उपचार और उचित देखभाल नहीं करते, मैं आपकी किसी सिफारिश या निर्णय को स्वीकार नहीं करूंगा। उन क्षेत्रों से सम्बन्धित किसी भी मामले पर उस संगठन का प्रमुख अनन्तिम प्राधिकारी है। यही मैंने किया है। मैं ऐसे ढंग से निरीक्षण कर रहा हूं। मुझे आपको सूचित करना है कि यद्यपि सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बोला है, मैं उन सभी पहलुओं की जांच करूंगा। श्री चित्त बसु ने समिति के किसी प्रतिवेदन और सिफारिश का उल्लेख किया है।

श्री चित्त बसु : वह लोक सभा समिति का प्रतिवेदन है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम उस की भी जांच करेंगे। मैं यह कहता हूं कि यहां पर रचनात्मक और बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं तथा वे देश के व्यापक हित में हैं।"

हम उन सभी मामलों को ध्यान में रखेंगे जो विचार विमर्श योग्य हैं। हमें सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखना होगा जैसे कि वे किस प्रकार की एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, उसके क्या विशेष अधिकार है, क्या वह होने चाहिए या नहीं, किन तरीकों का अनुकरण किया जाना है तथा अन्य संगठनों पर इसका क्या असर होगा। हमें उस तरीके को तैयार करना होगा तथा समाधान खोजने होंगे जितने अच्छे ढंग से किए जा सकें और देखना होगा कि क्या यह देश के हित में है या नहीं।

मुझे इन प्रश्नों पर गृह मन्त्री, गृह मंत्रालय और गृह मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करनी होगी। ऐसा करना बहुत आवश्यक हो सकता है।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस वाद-विवाद ने जी० आर० पी० पर भी काफी प्रकाश डाला है। मैं मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने के बारे में उत्सुकता से सोच रहा हूं क्योंकि जब तक वे पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करते और सामान्य कानून और व्यवस्था स्थिति में रुचि नहीं लेते तथा जी० आर० पी० को एक अच्छा संगठन नहीं बनाते तब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके लिए इसका गठन किया गया है।

इन सभी पहलुओं पर किचार किया जाएगा। हमें तैयार किए जाने वाले तरीकों को देखना है तथा कितनी अच्छी प्रकार से हम हल निकाल सकते हैं। इसके लिए समय की आवश्यकता है।

मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि सभा स्थगित हो जाने के बाद मैं गृह मंत्री के साथ बैठक करूंगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो मैं मुख्य मंत्रियों को विश्वास में लूंगा। हम कुछ कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा देखेंगे कि हम उनकी शिकायतों का निवारण कैसे कर सकते हैं और इस एसोसिएशन को कुछ मान्यता प्रदान करके या मान्यता न देकर इसे प्रभावशाली तंत्र बना सकते हैं। हम देखेंगे कि इसे करने का अन्य तरीका कौन-सा है। हम इसके बारे में ठण्डे दिमाग से सोचेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य और श्री पवन कुमार बंसल यहां पर हैं, हालांकि मेरे अन्य मित्र, जो कि मेरे साथी है, आज यहां उपस्थित नहीं हैं।

5.00 म० प०

जैसे भी हो, मैं श्री बसुदेव आचार्य से विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं सोचता हूं, किसी अवस्था में किसी समय मैं इनमें से कुछ मित्रों, जिन्होंने इसमें काफी रुचि ली है, को गृह मंत्री तथा हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए भी कह सकता हूं। हम मिलकर बैठेंगे तथा देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

मुझे अवश्य ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बात ध्यान दिलानी है क्योंकि बजट पर उत्तर देते हुए मैं इसे भूल गया था। मुझे श्री बसुदेव आचार्य से एक समस्या का सामना करना पड़ता है वह यह है कि मैं सभा में जितना ही उनका ध्यान रखता हूं वह सभा में उतना ही हटी बन जाते हैं। शायद उनको मुझ से अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा ज्यादा जानकारी मिली होगी। वास्तव में मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। (**व्यवधान**) यह रेल मंत्रालय है,...मुझे विश्वास है कि सदस्य सहमत होंगे और विशेषकर सहमत होंगे—जो कि आपके सामने स्पष्ट है, मंत्रालय का सम्पूर्ण कार्यकरण स्पष्ट है। रेल मंत्रालय ने इसे रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के तीन दलों को दिया है जिसमें से एक

दल रेल मंत्रालय के कार्यकरण की जांच कर रहा है। वह स्वयं उसके संयोजक हैं। सभी तीनों संयोजक विपक्षी दलों के हैं। ऐसे खुले मंत्रालय जिसने आपको उचित सम्मान दिया है, के होते हुए मैं आशा करता हूं, कि यदि मेरी पार्टी के सदस्य भी चिल्लाते हैं, उन्हें मुझे समर्थन देना चाहिए। इसलिए अब मैं श्री बसुदेव आचार्य से इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं तथा इसे उस पर छोड़ दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। 36 सदस्यों ने भाषण दिया तथा रेल सुरक्षा बल के मामले को अपना पूर्ण समर्थन दिया। मैं यह भी आशा करता हूं कि रेल मंत्री उन सभी मुद्दों से निपटेंगे, जो बहुत ही वैध और संवैधानिक मुद्दें हैं। लेकिन उन्होंने रेल सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां देने के एक या दो को छोड़कर, उन मुद्दों से नहीं हुआ है।

जब 1985 में मूल अधिनियम में संशोधन किया गया था तो उस समय विपक्ष में हम सभी ने उसका कड़ा विरोध किया था। यहां तक कि जब विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब हमने उसका विरोध किया था। अधिनियम की उद्देशिका में शामिल करने के लिए इस संशोधन को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य था संघ के इस सशस्त्र बल को प्रदान किए बिना यह रेल मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन कार्य करता रहेगा हालांकि सभी उद्देश्यों के लिए इसे संघ का सशास्त्र बल समझा जाता था फिर भी इसके कर्मचारी रेल कर्मचारी हैं। हालांकि अधिनियम में संशोधन किया गया था फिर भी यह गृह मंत्रालय के स्थान पर रेल मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहा है। हम रेल सुरक्षा बल को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बराबर कैसे माना सकते हैं। हम रेल सुरक्षा बल को सीमा सुरक्षा बल के बराबर कैसे मान सकते है ? हम रेल सुरक्षा बल को आई०टी०बी०पी० या सी० आई० एस० एफ० के बराबर कैसे मान सकते है ? ये सभी अर्ध सैनिक बल गृह मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन हैं। जबकि इस सभा के सभी वर्गों ने इसका समर्थन किया है, एक भी राजनीतिक दल ने रेल सुरक्षा बल को मान्यता प्रदान करने का विरोध नहीं किया फिर क्या कारण था कि रेल मंत्री ने स्वयं इस सम्माननीय सभा की एकमत राय का सम्मान नहीं किया ? यही एक मुद्दा था जिस पर सम्पूर्ण सभा एकमत थी। यहां तक कि श्री पटेल ने भी मान्यता देने का पूर्णतः विरोध नहीं किया था। लेकिन उनकी यह राय थी कि एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अन्य सभी ने इसे अनुशासित बल की एक एसोसिएशन माना है। वहां यह डर क्यों है ? मुझे यह समझ नहीं आता। उन्हें यह आशंका क्यों है कि यदि एसोसिएशन बनाने का अधिकार किया जाता है तो अनुशासन हीनता आएगी ? राज्य पुलिस को यह अधिकार है। पश्चिम बंगाल पुलिस को यह अधिकार है। इससे पहले 1976 में काफी अनुशासन हीनता थी। वर्ष 1967 में पुलिस राज था। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार थी और श्री ज्योति बसु मुख्य मन्त्री थे। पुलिस ने तब उनका घेराव किया था कि पुलिस को एसोसिएशन बनाने का कोई अधिकार नहीं था अथवा पुलिस की कोई एसोसिएशन नहीं थी। जब यह अधिकार दिया गया तब से पुलिस बल में अनुशासनहीनता का एक भी मामला नहीं देखा गया। ऐसा ही रेल सुरक्षा बल के मामले में है। क्या रेल मंत्री महोदय इस बल की अनुशासनहीनता का कोई उदाहरण दे सकते हैं, जबकि वे इस अधिकार का उपयोग 1973 से कर रहे हैं। वे एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। रेल संरक्षण बल के महा-निदेशक ने भी रेल सुरक्षा पत्रिका में इस बल की प्रशंसा की है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुशासनहीनता थी, हड़ताल होती थी और दंगा होता था। परन्तु रेल संरक्षण बल एक अनुशासित

बल बना रहा है यद्यपि उन्हें एसोसिएशन बनाने का अधिकार दे दिया गया था। परन्तु रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए किया गया है। परन्तु रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करने के बाद हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि रेल संरक्षण बल को क्या अधिक शक्तियां दी गईं, सिवाय इसके कि इस बल को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह बल प्रमुख रूप से रेलवे सम्पत्ति के संरक्षण हेतु है न कि कानून और व्यवस्था हेतु यह शिकायत जोनल रेलवे के महाप्रबन्धक ने की थी। हम जानना चाहते है कि इतनी अधिक संख्या में चोरी की घटनायें और ये सब बाते क्यों होती हैं। शिकायत यह है कि रेल संरक्षण बल को रेलवे सम्पत्ति के संरक्षण के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। क्या रेल संरक्षण बल का उपयोग कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये किया गया है। क्या रेल संरक्षण बल को ऐसे राज्यों में भेजा गया है जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हो ? क्या यह भी सही है कि रेल संरक्षण बल उपयोग चुनाव कराने में भी किया जा रहा है।

अतः हम इसका अन्य अर्द्धसैनिक बलों से बराबरी नहीं कर सकते हैं। यह डर है कि इससे एक साथ प्रतिक्रिया होगी। परन्तु कैसे ? इस बल को मान्यता दे दी गई थी उनकी अपनी एसोसिएशन है और उनके लगभग 16 या 17 मार्ग निर्देश थे। उन्हें इन सभी मार्ग निर्देशों का अनुपालन करना था। यदि वे इसका अनुपालन नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु उन अर्द्धसैनिक बलों जैसे के० रि० सु० बल, के० औ० सु० बल और सीमा सुरक्षा बल, को अधिनियम के अनुसार एसोसिएशन बनाने का अधिकार कभी नहीं दिया गया। अतः हम रेल संरक्षण बल का अन्य अर्द्ध सैनिक बलों से बराबरी नहीं कर सकते हैं।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात जो रेल मंत्री महोदय ने बतायी वह यह थी कि क्या 1985 का संशोधित अधिनियम, संविधान का उल्लंघन करता है। यह संविधान का उल्लंघन करता है। लगभग सभी सदस्यों ने यह कहा है कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1985, संविधान का उल्लंघन करता है। क्यों ? यह इसलिए कि धारा 15(क) जोड़ा गया और यह धारा 15 (क), संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जब वे हमारे साथ इस पर चर्चा करें तो वे ध्यान में रखें कि यह अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है अतः इसे हटा देना चाहिए। अर्थात् धारा 15 (क) का लोप कर देना चाहिए। जब तक उसका लोप नहीं किया जाता धारा 15 (क) जो संविधान का उल्लंघन करता है, को हटाया नहीं जा सकता। यह बात महत्त्वपूर्ण है।

1952 में अनेक मामले आये थे और 1961 में भी आये थे। एक बार बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा नियमों में परिवर्तन कर दिया था। इसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था और उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपनी राय दी थी क्योंकि बिहार सरकार ने अपने सेवा नियमों में संशोधन करके न केवल एसोसियेशन बनाने बल्कि प्रदर्शन करने के अधिकार को भी छीन लिया था। परन्तु उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय इस प्रकार दी थी और मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "हमारी राय में, यह तर्क, चाहे अन्यथा यह सम्भव हो, फिर भी अनुच्छेद 33 के संदर्भ में ही इसका उत्तर देना है। इस अनुच्छेद में राज्य के अधीन दो प्रकार की सेवाओं का चयन किया गया है—सशस्त्र बलों और लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को इस अनुच्छेद में अनुच्छेद में ऐसे सदस्यों की सेवाओं का चयन किया गया

जिनके सदस्यों को, अन्य व्यक्तियों और नागरिकों को दिये गए मौलिक अधिकारों के कामों से वंचित रखा जाए और ऐसी सीमाएं भी निर्धारित की जिनके अन्दर ऐसे प्रतिबन्ध अवश्य लगाए जाए, हम समझते हैं कि अन्य लोगों के साथ आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के अन्य वर्गों और देश के अन्य नागरिकों के भाग-तीन में गारन्टी दिये गए अधिकारों के संरक्षण से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी होने के कारण जिस प्रकार के कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है उसके कारण उनकी स्वतंत्रता में कुछ अंकुश अवश्य रूप से लगाया जाए जैसाकि हमने अनुच्छेद 19 (क) (ङ) और (छ) के सम्बन्ध में उल्लेख किया है।"

रेल संरक्षण बल का कार्यकरण संविधान के अनुच्छेद 33 में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है :

"संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई—

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को,..."

अत: लोक व्यवस्था बनाये रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को रेल संरक्षण बल को शामिल नहीं किया गया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वर्ष 1989 में संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन करते समय, रेल संरक्षण बल को इस संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया था रेल संरक्षण बल अधिनियम की धारा 15क, अनुच्छेद 19 (1) (ग) का उल्लंघन करती है। इसके लिए निम्न प्रकार उत्तर दिया गया :

"विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा यह बताया गया कि अगस्त 1984 में जब उपरोक्त के संदर्भ में संविधा संशोधन विधेयक अपनी आरम्भिक चरण में था तो एक खण्ड ऐसा था जिसका लोप कर दिया गया था, जोकि इस प्रकार था :

..."संपत्ति या इसके कब्जे के, प्रभारी की संपत्ति को संरक्षण का भार साधन करने वाले बलों के सदस्य यह सही है कि उपरोक्त खण्ड का लोप किया गया था क्योंकि ऐसा समझा गया था कि रेल संरक्षण बल के पास भी के० औ० सु० बल की भांति एक विकल्प था जो एक विधेयक लाकर स्वयं को संघ के सशस्त्र बल में बदल लेगा जिससे स्वत: अनुच्छेद 33 रेल सरक्षण बल पर लागू हो जाएगा उस समय सरकार का विचार यह था कि रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करने वाला संशोधन तत्काल तैयार किया जाये। इसके परिणाम स्वरूप रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक पुर: स्थापित किया गया और 1985 में लोक सभा द्वारा पारित किया गया। अब रेल संरक्षण बल की स्थिति यह है कि रेल संररक्षण बल अधिनियम, 1985 में संशोधन द्वारा रेल संरक्षण बल को संघ का एक सशस्त्र बल बनाकर बल के सदस्यों को कुछ सुरक्षा प्रदान करना था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया :

के० औ० सु० बल और अन्य अर्द्धसैनिक संगठनों की तरह रेल संरक्षण बल को सशस्त्र बल बनाने के लिए उस समय उपलब्ध विकल्प का उचित उपयोग करने के लिए, रेल संरक्षण बल को पंजाब और असम में अन्य अर्द्धसैनिक बलों के साथ कानून और व्यवस्था का कार्य करना पड़ा था और रेल संरक्षण बल, इन राज्यों में व्याप्त विस्फोटक स्थितियों में एक सशस्त्र बल न होने की वजह से असहाय महसूस कर रहा था। इससे रेल संरक्षण बल के राजपत्रित अधिकारियों को, स्थानीय पुलिस या मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने की स्थिति में या चलती हुई गाड़ी में लोगों के जीवन को उत्पन्न तत्काल किसी खतरे और गैर कानूनी तरीके से लोगों के जमा होने पर मौके पर निपटने का अधिकार प्रदान करना था रेल संरक्षण बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किये जाने पर अपने कानूनी कर्तव्यों के पालन के दौरान किये गए कार्यों के लिए परेशानी पैदा करने वाले मुकद्दमों के प्रति स्वतः संरक्षण मिल गया था। उस समय रेल संरक्षण बल में बढ़ते हुए अनुशासनहीनता को रोकने के लिए यह जरूरी था। यह ऐसा संगम के पूर्व अनुच्छेदों के द्वारा किया गया था।

मैंने यह इसलिए बताया है क्योंकि आपने कुछ संवैधानिक मामले उठाये हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा था, इससे पहले कि सरकार गृह मंत्रालय और अन्यों के साथ परामर्श कर निर्णय लेने के लिए अपना कुछ दृष्टिकोण बनाये कि किस प्रकार की मान्यता दी जाये या न दी जाये तो हम निश्चित ही संवैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक प्रावधानों आदि को ध्यान में रखेंगे।

श्री बसु देव आचार्य : यह मत कहिए "न दी जाए।" किसी प्रकार की मान्यता तो देनी होगी। आप कृपया "ना दी जाए।" का लोप कर दें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप यही कहना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : केवल इस बात पर चर्चा करनी है कि किस प्रकार की मान्यता दी जाए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना है। आप निर्णय सरकार पर छोड़ दें।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। अतः जब भी सरकार निर्णय ले तो वह सभी पहलुओं पर विचार करे। अतः कृपया यह न कहे कि "न दी जाए" और कहें कि किस प्रकार की एसोसियेशन हो, और यह किस रूप में हो आदि। इस पर चर्चा होगी और सरकार द्वारा विचार किया जायेगा (**व्यवधान**) आपको इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्मचारी परिषद पहले से ही मौजूद है। इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है और उसके लिए क्या तरीके होने चाहिए इस पर चर्चा की जा सकती है। हम सर्वसम्मति पर पहुंच सकते हैं। जब सभा में सर्व सम्मति है जब यह सम्पूर्ण सभा की सर्वसम्मत मांग है, तो मुझे विश्वास है कि हम सर्व सम्मति पर पहुंच जाएंगे। तो इन सभी महत्त्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा ? जब मूल अधिनियम में संशोधन किया गया था और उसकी प्रस्तावना में "संघ का सशस्त्र बल" जोड़ा गया तो स्वतः ही इससे संविधान के अनुच्छेद 33 की ओर ध्यान आकर्षित होता है। यह सही नहीं है क्योंकि 1984 में एक बार अनुच्छेद 33 में संशोधन करने का प्रयास किया गया था जब

वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालीन गृह मंत्री थे और उसमें इस बल को अनुच्छेद 33 में इस रूप में शामिल किया गया।

"....से संबंधित अथवा इसके प्रभारी अथवा प्रभार की अनुमति वाले की सम्पति अथवा राज्य को स्थिति के संरक्षण का भार साधन करने वाले बल के सदस्य।"

परन्तु अनुच्छेद 33 में 1984 में संशोधन नहीं किया गया। प्रमुख उद्देश्य रेल संरक्षण बल की अनुच्छेद 33 के क्षेत्राधिकार के अन्दर शामिल नहीं करना था। रेल संरक्षण बल, अनुच्छेद 33 द्वारा शासित नहीं होता है। बल्कि यह अन्य रेल कर्मचारियों के सेवा नियमों द्वारा शासित होता है। इसे अनुच्छेद 311 द्वारा शासित किया जाता है। क्या रेल मंत्री इस बात से इनकार कर सकता है कि इन्हें अनुच्छेद 311 द्वारा शासित नहीं किया जाता है; उन्हें अनुच्छेद 311 द्वारा शासित किया जाता है; उन्हें अन्य रेल कर्मचारियों के सेवा नियमों द्वारा शासित किया जाता है रेल संरक्षण बल रेल कर्मचारियों की एक अन्य श्रेणी है।

यह प्रश्न श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया था। उनको सशस्त्र बलों में परिवर्तित करने के बाद भारतीय रेल को किस लाभ से वंचित किया गया है? उनकी सेवा या उनके सेवा मामलों की गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ? कोई भी सुधार नहीं हुआ। यह वैसी ही रही जैसी 1985 से पहले थी, कोई भी परिवर्तन नहीं आया उनकी सेवा में कोई सुधार नहीं आया। अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं। वे मुकद्दमा नहीं चला सकते, मुकद्दमा चलाने के लिए उन्हें इसे जी० आर० पी० सरकारी रेल पुलिस को भेजना होता है। उनके मन में यह डर क्यों है कि यदि एशोसिएशन बनाने का अधिकार दिया जाता है तो अनुशासनहीनता होगी? क्या निरन्तर कोई प्रतिक्रिया होगी? वे कोई वित्तीय लाभ नहीं मांग रहे हैं, सिवाय अपने मौलिक अधिकार के।

मैं रेल मंत्री से दोबारा अनुरोध करूंगा कि वे सभा के एसोसिएशन के अधिकार के बारे में बताएं। हम निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार की एसोसिएशन दी जा सकती है। ऐसा नहीं है। बल्कि देना है या नहीं यह प्रश्न है। इस पर चर्चा की जाएगी क्योंकि इसे सभा की अवमानना समझा जाएगा। उन्हें सभा को बताना चाहिए कि आशंका किस बात की है। दो सप्ताह का समय दिया गया था। उनको गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए समय देने के उद्देश्य से इस चर्चा को स्थगित किया गया था। हमने पिछले शुक्रवार से कुछ पहले चर्चा को दोबारा स्थगित कर दिया। हमने दोबारा फिर इसे स्थगित किया क्योंकि उन्हें चर्चा के लिए और समय चाहिए था। पिछले दो या तीन महीनों से यह चर्चा जारी है। एसोसिएशन बनाने के बारे में एक ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए इस मामले पर चर्चा के लिए समय क्यों नहीं मिल पाया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें और समय चाहिए तथा वे गृह मंत्रालय और इस मामले में रुचि रखने वाले सदस्यों के साथ चर्चा करना, चाहते हैं। आप हमें बतायें और तब हम विचार करेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैंने पहले कहा है। मेरे मित्र श्री वसुदेव आचार्य बहुत ही उदार और समझदार व्यक्ति हैं। मैं नहीं सोचता कि सराहना को समझने में कोई कठिनाई है। वे हमेशा बहुत दयालु और उदार रहे हैं। मैं सभा के बारे में नहीं कह सकता लेकिन उनके और मेरे बीच में सहमति या असहमति में हमेशा एकमत रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह सब मैंने कहा है जैसा कि आप जानते हैं शायद मैं उपस्थित रहा हूंगा जबकि पिछले एक या दो सत्रों में विधेयक पर चर्चा हुई थी। उस समय संभवतः इस मामले को लाया जा सकता था। कुछ देरी हुई है क्योंकि गृह मंत्री भी अपने विभिन्न अन्य कार्यों से दूसरी सभा में व्यस्त थे। यह भी बजट सत्र है जिसमें सरकार के अन्य कार्यों से संबंधित मामलों में हममें से प्रत्येक व्यस्त है। अतः इस अवधि विशेष में स्वभाविक तौर पर हर किसी को प्रत्येक काम के लिए समय नहीं मिल सकता है। मैंने सभा को आश्वासन दिया था। मैंने आपको आश्वासन दिया था। मैंने अपने उन सदस्यों को आश्वासन दिया था जो कि इसमें बहुत ही रुचि रखते हैं कि हम हर किसी के साथ चर्चा करेंगे, अन्ततः गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय और कभी-कभी यदि आवश्यक हो क्योंकि हम जी० आर० पी० की समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : राज्य सरकारों के साथ चर्चा आवश्यक नहीं है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इसके लिए नहीं। एक बल के रूप में हमें सभी पहलुओं को देखना होगा क्योंकि कभी-कभी यह केवल बल नहीं होता है। यह बल की तैनाती, बल के इस्तेमाल का प्रश्न है अतः यह ऐसा प्रश्न है जहां पर्याप्त बल इस्तेमाल किया जा सकता है और किस ढंग से। समस्याओं के अध्ययन के लिए समय की आवश्यकता है। प्रारूप भी तैयार करना होगा। इसलिए मैंने पहले ही आश्वासन दिया है। मैं नहीं समझता कि इस पर आपको और आशंका होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है। अब यह स्पष्ट है कि एसोसिएशन बनाने के लिए अधिकार देने हेतु प्रारूप पर चर्चा की जाती है। उसके लिए रेल मंत्री को और समय चाहिए। उन्होंने यह सद्-भावना दर्शायी है। हमें आशा है कि यही सम्पूर्ण सभा की वास्तविक अपेक्षा है।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री कल्पनाथ राय 'नहीं' मत कहो। (**व्यवधान**) अतः यह महत्वपूर्ण सभा की वास्तविक अपेक्षा है। महोदय, जब उन्होंने यह सद्भावना व्यक्त की हमें आशा थी काफी अल्प समय के भीतर ही रेल सुरक्षा बल की उचित मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा तथा एक प्रकार की एसोसिएशन दी जायेगी। इस अपेक्षा के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल सुरक्षा अधिनियम 1957 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

5.3 i म०प०

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम 12 मार्च 1993 को श्री चन्दूभाई देशमुख द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर और विचार करेंगे :

"कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और कृषि कर्मकारों के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पिछली बार श्री के० एम० मैथ्यू बोल रहे थे। अब वे यहां नहीं है। श्री के० डी० सुल्तानपुरी।

[हिन्दी]

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, श्री चन्दूभाई देशमुख ने जो कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, जहां तक देश के कृषि कर्मकारों का ताल्लुक है, आप देखेंगे कि देश के विभिन्न प्रान्तों में ऐसे कार्यरत कर्मकारों को कोई खास लाभ नहीं पहुंच रहा है क्योंकि न तो उनको उजरते ठीक ढंग से प्राप्त होती हैं और न उनकी कोई सुनवाई ही होती है। देश के विभिन्न राज्यों में भूमिपति हैं जिन्होंने कृषि कर्मकारों को गुलाम की तरह जिन्दगी बसर करने पर मजबूर कर रखा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में और यहां तक कि हरियाणा में ऐसी कई जगहें हैं जहां बड़े-बड़े जागीरदार हैं, वहां कृषि कर्मकारों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सदियों से जिन भूमि पर वे कृषि कर्मकार हैं, उस भूमि का मालिक उनको आज तक क्यों नहीं बनाया गया है ? हम लोगों को इन राज्यों से कहकर इस कानून में तबदीली करनी चाहिये।

मुझे खुशी होती है कि देश के कई राज्यों में, जैसे—हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार कानून बनाये गये हैं। वहां पर ऐसे कृषि कर्मकार मालिक बना दिये गये हैं लेकिन जिन राज्यों में ऐसे कर्मकारों को भूमि प्राप्त नहीं हुई है, उसके संबंध में विचार करना जरूरी है। ऐसे कई राज्यों में बड़े-बड़े जागीरदारों ने अपने छोटे-छोटे बच्चों के नाम से जमीन के लिए इन्दराज कर रखे हैं। इस प्रकार काफी भूमि हथियाई हुई है जोकि समाज के गरीब कृषि कर्मकारों के साथ अन्याय है। आज जिस तरह से कृषि कर्मकार खेती-बाड़ी के काम में योगदान देते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे स्वयं एक किसान हैं, उन कृषि कर्मकारों की सदियों से बिगड़ती चली आई हालत में सुधार हेतु अवश्य कदम उठायेंगे। कई जगह ऐसे कृषि कर्मकार पार्ट टाईम काम करते हैं, चाहे वे सड़कों पर हों, कारखानों में हों या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में हों। उनमें सारे के सारे लोग स्थायी किए जाते हैं लेकिन इनको स्थाई नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि इनके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचना चाहिए खेती-बाड़ी के कामों में और उनकी वेजेज मुकर्रर होनी चाहिए। महिलाओं और पुरुषों में भी वहां फर्क किया जाता है। महिलाओं को कम वेज दी जाती है और पुरुषों को ज्यादा दी जाती है। इसलिए खेती-बाड़ी में जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार उनको पूरा मालिक

बनाए। हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा जी थीं, उस समय उन्होंने जमीन के पट्टे दिए और किसानों को भूमि का मालिक बनाया। लेकिन आज तक वह कब्जे उनको कई राज्यों में प्राप्त नहीं हुए क्योंकि जैसे-जैसे सरकारें बदलीं, उसी तरह से उन्होंने पट्टे उनके नाम नहीं दिए। वैसे जो मजदूर थे जो सदियों से काम करने वाले थे, उनके परिवार उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके प्रति सरकार पूरी तरह से कदम उठाए और उनको जमीन का मालिक बनाए और उनको पूरी सहूलियतें दे ताकि ये राष्ट्रीय धारा में आगे आ सकें और इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न कर सकें। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की ओर से काफी कदम मजदूरों के लिए उठाए गए हैं लेकिन जहां तक राज्य सरकारों का ताल्लुक है, उन्होंने इस संबंध में कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। मैं जहां से आता हूं, हमारे यहां खास तौर से नेपाल और बिहार के लोग आलू की खेती में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में आते हैं। यह इसलिए आते हैं क्योंकि वहां उन लोगों को पूरा काम नहीं मिलता। जब तक मजदूरों को ज्यादा सहूलियतें नहीं मिलेंगी यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि—

"रेशम के गलीचों पर इन बीजेपी के लोगों के बेटे सोते हैं

जिनकी बदौलत सब कुछ है, वह रात को बैठे रोते हैं।

ये खजाने भरते हैं कानून हिफाजत करता है

जो खेत मजदूर है वह रो रो कर तकदीर की स्याही धोता है।"

डॉ० महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : माननीय सभापति जी, कृषि कर्मकार बिल जो माननीय देशमुख जी लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह बिल काश्तकारों के अधिकारों और उनकी सुविधाओं को प्रतिपादित करता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश में गौर करें तो चार प्रकार के वर्गों में भारत की जनसंख्या को बांटा जा सकता है। एक वर्ग में तो जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तथा व्यापारी आते हैं, दूसरे वर्ग में मजदूर, तीसरे में गवर्नमेंट सर्वेंट और चौथे वर्ग में भारत के किसान। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, किसानों के लिए अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों के लिए अनेक टैक्स घटाए हैं तथा नए स्रोत विकसित किए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आवास, महंगाई भत्ता की सुविधा दी गई है। और जहां तक लेबर मजदूर का प्रश्न है, वहां मजदूरों के लिए भी सुविधाएं अलग मंत्रालय खोल कर प्रदान कीं और उसमें कोई कमी नहीं की, लेकिन जो खेतिहर मजदूर है उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कृषि के उत्पादन के लिए बीज, फर्टिलाइजर, पानी ये आवश्यक हैं यह अच्छी फसल के मूल आधार हैं। लेकिन यह सब निरर्थक हो जाते हैं। वह इसलिए हो जाते हैं कि जब तक खेत में काम करने वाले कृषक मजदूर का योगदान नहीं मिलेगा उसकी मेहनत की भागीदारी इनके प्रयोग के लिए नहीं होगी, तब तक कृषि की पैदावार में उन्नति नहीं हो सकती और कृषि की उन्नति न होने से अन्य तीनों वर्गों का निर्वाह नहीं होगा और वे भूखे मर जायेंगे। आप जानते हैं हमारे देश में 80 फीसदी किसान रहते हैं और कृषि कृषक मजदूरों पर निर्भर है तथा उनका उन्नत न होना देश का उन्नत न होना है। इसलिए कृषक मजदूर देश की उन्नति का प्रथम आधार हैं, इसलिए अगर आपको देश का विकास करना है तो एक बात को सोचना पड़ेगा कि देश का विकास ऊपर से नहीं होने वाला है। देश का विकास हमेशा

नीचे से ही होता है। किसी भी इमारत की बुनियाद भरने से पहले आप यह आशा न करें कि बिकास की इमारत बनेगी और वह तभी संभव है जब नीचे की इकाई अर्थात् नींव को आप मजबूत करें। मैं आपको वही बात बताना चाहता हूं कि यह बिल क्यों इतना उपयोगी है। हमारे देश में तीन ऋतुएं होती हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात। तीनों ऋतुओं का वह किस तरह उपयोग या प्रयोग करता है। वह जेठ की दोपहरी और लू में विश्राम नहीं धूप में काम करता है। और जब सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते उस समय वह ठिठुरते और कांपते हुए, खेतों में सिंचाई का काम करता है। जब बरसात आती है तो पानी में भीगते हुए खेतों में जाकर, जो काम उसे करना होता है, वह करता है। लेकिन आपने कभी उसके बारे में चिन्ता नहीं की, सरकार ने कभी उसकी चिन्ता नहीं की। वह निम्न वर्ग का मजदूर हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। हमें सोचना चाहिए कि देश के लिए उसका क्या योगदान है, राष्ट्र के विकास में उसका क्या योगदान है लेकिन कभी आपने उसके बारे में नहीं सोचा। आपने हमेशा उसकी उपेक्षा की। उसकी उपेक्षा का ही यह परिणाम है कि हमारा देश उतनी तरक्की और विकास नहीं कर पाया, जितना आगे उसे करना चाहिए था, 45-46 वर्षों में हमें जितन विकास कर लेना चाहिए था, वह हम नहीं कर पाए।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य श्री देशमुख जिस बिल को लेकर सदन में आए हैं, वह वास्तव में स्वागत के योग्य है। इस बिल के अंदर उन्होंने वे सभी व्यवस्थाएं की हैं जो सरकार को करनी चाहिए थीं लेकिन सरकार ने आज तक नहीं कीं। जब उन्होंने इस बिल को सदन के सामने पेश किया है, उन लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है तो सरकार को उसे मान लेना चाहिए। खेतीहर मजदूरों में औरतें भी हैं और मनुष्य भी शामिल हैं। आज साधारण चपरासी से लेकर आई०ए०एस० अधिकारी तक सबका एक मापदण्ड है। एक चपरासी की भर्ती 1500 रुपये प्रति माह वेतन पर की जाती है और इसी तरह बढ़ते-बढ़ते अधिकारियों की और ज्यादा होती है। लेकिन कभी सरकार ने यह निर्णय नहीं किया कि खेतीहर मजदूर इस देश में क्या काम करता है, बरसात में, सर्दियों में, गर्मियों में, आपने कभी उसके लिए कोई मापदण्ड नहीं निर्धारित किया। आप उसको क्या देते हैं। उसकी मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं देखिए कृषक मजदूरों को कहीं 5 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 15 रुपये और बहुत ज्यादा यदि मिल जाएं तो 20 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन आज इतना 20 रुपये में तो संखिया भी नहीं आता है कि जिसको खाकर वह अपने प्राणांत कर सके। उसके जीवन की परिभाषा ठीक रखने के लिए भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर सके हैं। आपको उसके वेतन का मापदण्ड अन्य लोगों की भांति तय करना चाहिए। यदि वह पायजन खाकर अपनी मौत भी करना चाहे तो 20 रुपये में पंसारी उसको पायजन भी नहीं दे सकता है।

इसका उत्तरदायित्व किसका था, इसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। काफी दिनों बाद, हमारे एक माननीय सदस्य जो बिल सदन में लाए हैं, वह इसीलिए स्वागत-योग्य है। यदि आप इस बिल के प्रावधानों को पढ़ें तो सरकार को इसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं।

सरकार ने पढ़े-लिखे नौजवानों के लिए, लेबर के लिए एक स्कीम बनायी है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा कि मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपने दूसरे कई संगठनों के लिए संचित निधि योजना की है और किसी व्यक्ति के मरने के

बाद, उसके बच्चों को अनुदान के रूप में आप सहायता देते हैं, आप उसको अनेक सुविधाएं देते हैं लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा कि उन व्यवस्थाओं की आवश्यकता खेतीहर मजदूर को भी है, वे उसके लिए भी आवश्यक हैं।

सरकार ने अभी महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति आयोग और न जाने कितने आयोग बनाये लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि इन खेतीहर मजदूरों के लिए भी एक आयोग बनाये जाने की आवश्यकता है। यदि एक आयोग उनके लिए आप बना देते तो मैं समझता हूं कि वह आयोग उनके हितों की रक्षा कर सकता था। वह आयोग उनकी समस्याओं की समीक्षा करता और समीक्षा करने के बाद, उनको जीवित रहने के लिए कुछ सुविधाएं दिए जाने की अनुशंसा करता, सुविधाएं उपलब्ध कराता, सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता लेकिन आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

जब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में जो बिल आपके सामने आया है, अभी हमारे कांग्रेस के एक साथी बोल रहे थे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश का प्रश्न है। देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब हम राजनैतिक पहलू को लोकसभा से अलग रखें और सच बात को सच के रूप में स्वीकार करें, धारण करें। यदि मजदूरों की समस्या इतनी जटिल है, जैसा कि इस बिल में प्रदर्शित की गई है तो मैं समझता हूं कि हम सबको सर्वसम्मति से इस बिल को आज पास कर देना चाहिए ताकि मजदूर वर्ग का कल्याण हो।

आज हमारे खेतों में जो मजदूर काम करता है, वह तीन बार दिन में भोजन नहीं कर सकता। वह ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकता। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मेडिकल सुविधा भी नहीं है। आप ही बताइए ये सब चीजें जब हर आदमी के लिए आवश्यक हैं तो उनको क्यों नहीं दी जा सकतीं। मरने के बाद उसको कोई बीमे का पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके बच्चों का अनुकम्पा के आधार पर कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है।

आखिर आपने उसको आज तक क्या दिया। क्या कभी उसकी समस्याओं का अध्ययन किया गया। जब अध्ययन नहीं किया तो आज जो बिल सदन में आया है, उसमें वे तमाम उपबंध या प्रावधान मौजूद हैं लेकिन मैं उनका यहां उल्लेख करना नहीं चाहता। संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। अब ये व्यवस्थाएं आखिर कौन करेगा, वे व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए। जब आप ये व्यवस्थाएं अभी तक उनके लिए नहीं कर पाए तो आज आपके सामने यह बिल आया है, आप उसका समर्थन करें और इसके साथ-साथ जो मांगें इसमें की गई हैं जो दृष्टिकोण इसमें दिया गया है, उस दृष्टिकोण के तहत इस तरह की नीति तैयार करें, एक इस तरह की नीति तैयार करें, ताकि हमारे देश का विकास हो और जो हमारे विकास की रीढ़ की हड्डी है, कृषक, कामगार जो खेत में काम करने वाला मजदूर है, उसके हितों की रक्षा करें जब वह मजबूत नहीं होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकता है। जब तक किसान मजदूर के अधिकार और हितों की रक्षा नहीं की जायेगी।

सभापति महोदय, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सदन में सभी पार्टियों के साथियों से निवेदन करता हूं कि वास्तव में यह कल्याणकारी विधेयक है, इसे सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक विडम्बना है कि कामगारों के इतने बड़े वर्ग के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। इस वर्ग में सबसे बड़ी संख्या में कामगार लगे हुए हैं परन्तु फिर भी इसके लिए कोई विधान नहीं बनाया गया है। जबकि अन्य विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए विधान बने हुए हैं।

इस स्थिति के होने का कोई कारण नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई राजनैतिक इच्छा भी नहीं है। अन्यथा जिस स्थिति में वे रहते हैं, वह भी दयनीय होती है। वे इंसानों से बदतर दशा में रहते हैं। भुखमरी उनके जीवन का एक अंग होती है। जिस दिन किसी खेतिहर मजदूर को कोई काम नहीं मिलता, उसके परिवार की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। वास्तव में उन्हें एक वर्ष में तीन या चार माह ही काम मिलता है, क्योंकि हमारी अधिकांश भूमि वर्षा पर निर्भर है। इसकी सिंचाई नहीं होती और वे नहीं जानते कि वर्ष के शेष माह में वे किस प्रकार गुजर-बसर करेंगे।

उड़ीसा में वे विभिन्न दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में सिर्फ खाली हाथ लौटने अथवा कष्टपूर्ण स्मृतियों के साथ वापस लौट आते हैं। अगले वर्ष वे पुनः केवल कष्ट झेलने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में जाते हैं।

विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून है परन्तु वास्तव में उन्हें यह मिलती नहीं है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में 25 रु० न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। परन्तु किसी को भी इतनी मिलती नहीं है। किसी भी खेतिहर मजदूर को इतनी मजदूरी नहीं मिल रही है।

यह इसलिए है क्योंकि वे इसके लिए बलपूर्वक नहीं कह सकते। यह इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई जमीन नहीं है। वर्ष के खाली समय में वे कर्जा लेते हैं और अधिक काम होने के समय वे कम मजदूरी पर काम करते हैं। उनकी यह हालत है। अतः वे लगभग बंधुआ मजदूर के समान काम करते हैं।

जैसा कि सुझाव दिया गया है इस समस्या का उत्तर भूमि संबंधी सुधारों में निहित है। इन भूमिहीन मजदूरों को भूमि का वितरण करना महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें कुछ सौदेबाजी करने का अधिकार या शक्ति मिलेगी जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं क्योंकि जब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं है तब तक वह मुकाबला नहीं कर सकता। जहां कहीं भी ऐसा किया गया है जैसा कि पश्चिम बंगाल में जब भूमि संबंधी सुधारों को लागू किया जाता है, तो काम करने वाले मजदूरों को कुछ अधिकार मिल जाते हैं अथवा विकल्प स्वरूप कुछ भूमि मिल जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ पंचायत के कार्य के समान उसे कुछ भूमि मिल जाती है। परंतु उसके बिना अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। जब तक उसे कुछ भूमि नहीं दी जाती तब तक वह इसके लिए नहीं लड़ सकता। अतः राजनैतिक इच्छा का होना आवश्यक है और इसके साथ-साथ भूमि संबंधी रिकार्ड को भी उचित रूप से संभालकर रखा जाना चाहिए। उससे भी उसे कुछ अधिकार मिलने में मदद मिलेगी। उसके साथ ही भूमि सुधार और अन्य बातें जरूरी हैं। स्वास्थ्य रक्षा, दवाओं की निःशुल्क सप्लाई, ई०एस०आई० सुविधाओं का विस्तार, आवास और पेंशन संबंधी कुछ योजनाएं भी होनी चाहिए। साक्षरता अभियान चलाना भी जरूरी है।

इस विषय पर इस सभा में कई भाषण दिए गए। जबकि इस विधेयक पर चर्चा हो रही है, प्रत्येक सदस्य ने इसका समर्थन किया है और खेतिहर मजदूर की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया है और कहा है कि इस संबंध में कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यहां पर कुछ सुझाव दिए गए हैं।

मैं आशा करता हूं कि सरकार एक व्यापक विधेयक लायेगी और स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, ग्रेच्युइटी और मुआवजा के प्रावधान के साथ-साथ उसमें अन्य सभी बातों को भी शामिल किया जाएगा। काम करते समय कभी-कभी उनकी जान भी चली जाती है। उनकी कार्य करने की स्थिति ऐसी होती है कि कभी-कभी उनकी जान भी चली जाती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। इन सबके लिए उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जिस समय वे बेरोजगार होते हैं, उस समय के लिए उन्हें कुछ राहत देने के लिए कोई योजना होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें एक प्रकार का अनुदान दिया जा सकता है ताकि वे अपने निकटतम अधिकारियों के पास जा सकें और उन्हें उनसे कुछ राहत अथवा कोई काम मिल सके। उन्हें इसकी गारंटी दी जानी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इसी आधार पर एक व्यापक कानून लेकर आएगी।

मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को बधाई देता हूं क्योंकि इससे चर्चा करने के लिए हमें एक अवसर मिला है। जिस सदस्य ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसने इस विधेयक का समर्थन किया है। इसके लिए व्यापक कानून होना चाहिए। एक पूर्ण कानून होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा कानून अवश्य लाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मेरे विद्वान मित्र श्री चन्दुभाई देशमुख द्वारा लाया गया विधेयक राष्ट्रीय महत्व का कानून है।

विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि कम से कम 700 रु० प्रति माह या 30 रु० प्रतिदिन एक कृषि मजदूर को अवश्य दिए जाने चाहिए। यद्यपि आजकल के समय में यह राशि बहुत कम है यह दुखद बात है कि इन कामकारों को यह राशि भी नहीं मिल रही है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कृषि कामगार अपनी आजीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उड़ीसा राज्य में, जिसका मैं हूं, बड़ी मात्रा में श्रमिक वहां से प्रवास करते हैं। चूंकि वे असंगठित क्षेत्र में हैं विशेष रूप से भू-मालिक उनका शोषण करते हैं। यदि उनमें से कोई मर जाता है, तो उसके परिवार के पास सड़क पर आने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। अतः विधेयक में धारा 10 द्वारा सुझाए गए बीमा का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक कामगारों को उपलब्ध अन्य चिकित्सा सुविधाओं की तरह यह योजनाएं इन असहाय कामगारों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बहरहाल, राज्य सरकार से संबंधित विषय के रूप में मैं सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए और इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को विषय पर उपयुक्त कानून लाने के लिए विभिन्न राज्यों को राजी करना चाहिए।

विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए और मैं केन्द्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि कृषि कामगारों, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं, का भू-मालिकों आदि द्वारा शोषण न किया जाए।

इस शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में कृषि कामगारों की स्थिति में सुधार के लिए साथ ही साथ अधिक रोजगार के अवसर जुटाने और अप्रत्यक्षतः देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उनकी समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्री देशमुख जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि मजदूर भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं। कारखाने के मजदूर एक जगह इकट्ठे रहते हैं। कम संख्या में रह कर भी उनकी मांग पूरी हो जाती है और वे अपनी मांग को मनवा लेते हैं। हमारे कृषि मजदूर भारत के 5 लाख 70 हजार गांवों में बिखरे हुए हैं। वे अपनी मांगों को मनवाने में असमर्थ रहते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद कृषक मजदूरों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिलती है। जब जमीन बेचकर उसका बंटवारा होता है तो छोटे किसान कृषक मजदूर हो जाते हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

हम लोग आजादी से लेकर आज तक यह नारा लगाते आए हैं कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान दिया जाएगा लेकिन आजादी के 45 वर्ष के बाद भी सबको हम रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे सके हैं।

श्री देशमुख जी के बिल में पेंशन देने का पंजीकरण कराने का प्रावधान है और उनके बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का प्रावधान है। ये सारे काम हो जाएंगे तो उनकी मांगें मंजूर हो जाएंगी। संतुलित आहार की बात छोड़िए, उनको रोटी, नमक दोनों समय खाने के लिए नहीं मिलता है। उनको खाना-पीना मिल जायेगा तो वे समझेंगे कि वे भारत माता के सपूत हैं, भारत माता हमारी मां है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। पार्टी से ऊपर उठ कर, राष्ट्र के नाम पर, मानवता के नाम पर मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि वे इसकी सपोर्ट करें और यह सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसानों की समस्या और कृषि मजदूरों की संख्या निश्चित रूप से बहुत गम्भीर समस्या है। अभी मुझसे पहले एक बिहार के मित्र कह रहे थे··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

(व्यवधान)

6.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, किसान और किसानों के कृषि मजदूरों में जो असमानता है, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो चिन्ता है, वह कृषि को उद्योग का दर्जा देने की चिन्ता सदन में होती रही है, ऐसा करने से किसानों की भी समस्या समाप्त हो जाएगी और किसानों को अपनी उपज से जो लाभ मिलेगा तो उसके बाद कृषि मजदूरों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। कृषि मजदूरों की समस्या के बारे में चिन्ता करेंगे और कृषि को पूरी चिन्ता का विषय नहीं बनाएंगे···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह । आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

अब, सभा सोमवार, 10 मई, 1993 को 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 मई, 1993/20 वैशाख, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53

पी०एल०एस०—48/21/40/93(एल०)
250

© 1993 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के निबम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौहान प्रिंटिंग प्रेस
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित